वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

2013 – 14

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

युवा कार्यक्रम विभाग

खेल विभाग

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
	संगठन	(i) - (v)

युवा कार्यक्रम विभाग

1.	प्रस्तावना	1
2.	राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 (एनवाईपी–2014)	2
3.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)	6
4.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)	14
5.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)	23
6.	राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)	29
7.	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)	30
8.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी)	35
9.	युवा छात्रावास	38
10.	स्काउटिंग और गाइडिंग स्कीम	39
11.	2013–14 के लिए परिणाम अवसंरचना दस्तावेज	41

विषय–सूची

पृष्ठ संख्या

खेल विभाग

12.	खेल	67
13.	अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय टीमों की प्रमुख खेल उपलब्धियां	68
14.	भारतीय खेल प्राधिकरण	72
15.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर	116
16.	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)	121
17.	शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआई,एस)	130
18.	खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन से संबंधित स्कीम	132
19.	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन से संबंधित स्कीम	134
20.	प्रतिभागी खेलों से संबंधित स्कीम	140
21.	राष्ट्रीय डोप–रोधी एजेंसी (नाडा)	141
22.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल)	149
23.	भारतीय राष्ट्रीय खेल–मैदान एसोसिएशन	156
24.	खेल तथा शारीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का अंतरराष्ट्रीय आदान–प्रदान	158
25.	खेल विभाग की उपलब्धियां एवं पहल – एक नजर में	160
26.	परिणाम अवसंरचना दस्तावेज (आरएफडी) 2013–14	167

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
अनुबंध		
I)	संगठनात्मक चार्ट	207
II)	वित्तीय परिव्यय	209
III)	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लंबित लेखा परीक्षा पैराओं तथा उनकी वर्तमान स्थिति को दर्शानेवाला विवरण	212
IV)	निर्मित युवा छात्रावासों की सूची जिन्हें युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा सीधे प्रबंधित किया जा रहा है	213
V)	नेहरू युवा केन्द्र संगठन/भारतीय खेल प्राधिकरण/राज्य सरकारों को हस्तांतरित युवा छात्रावासों की सूची	214
VI)	निर्माणाधीन युवा छात्रावासों की सूची	215
VII)	2013–14 के दौरान अनुबंधित विदेशी कोचों का ब्यौरा	216
VIII)	पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को जारी अनुदान का विवरण	219
IX)	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) से प्रदत्त सहायता का ब्यौरा	223
X)	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) में अंशदान	233

वार्षिक रिपोर्ट

2013 – 14

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

युवा कार्यक्रम विभाग

खेल विभाग

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
	संगठन	(i) - (v)
युवा कार्यक्रम विभाग		
1.	प्रस्तावना	1
2.	राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 (एनवाईपी–2014)	2
3.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)	6
4.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)	14
5.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)	23
6.	राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)	29
7.	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)	30
8.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी)	35
9.	युवा छात्रावास	38
10.	स्काउटिंग और गाइडिंग स्कीम	39
11.	2013–14 के लिए परिणाम अवसंरचना दस्तावेज	41

विषय–सूची

पृष्ठ संख्या

खेल विभाग

12.	खेल	63
13.	अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय टीमों की प्रमुख खेल उपलब्धियां	64
14.	भारतीय खेल प्राधिकरण	68
15.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर	112
16.	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)	117
17.	शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआई,एस)	126
18.	खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन से संबंधित स्कीम	128
19.	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन से संबंधित स्कीम	130
20.	प्रतिभागी खेलों से संबंधित स्कीम	136
21.	राष्ट्रीय डोप–रोधी एजेंसी (नाडा)	137
22.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल)	145
23.	भारतीय राष्ट्रीय खेल–मैदान एसोसिएशन	152
24.	खेल तथा शारीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का अंतरराष्ट्रीय आदान–प्रदान	154
25.	खेल विभाग की उपलब्धियां एवं पहल – एक नजर में	156
26.	परिणाम अवसंरचना दस्तावेज (आरएफडी) 2013–14	163

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
अनुबंध		
I)	संगठनात्मक चार्ट	194
II)	वित्तीय परिव्यय	196
III)	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लंबित लेखा परीक्षा पैराओं तथा उनकी वर्तमान स्थिति को दर्शानेवाला विवरण	198
IV)	निर्मित युवा छात्रावासों की सूची जिन्हें युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा सीधे प्रबंधित किया जा रहा है	199
V)	नेहरू युवा केन्द्र संगठन/भारतीय खेल प्राधिकरण/राज्य सरकारों को हस्तांतरित युवा छात्रावासों की सूची	200
VI)	निर्माणाधीन युवा छात्रावासों की सूची	201
VII)	2013–14 के दौरान अनुबंधित विदेशी कोचों का ब्यौरा	202
VIII)	पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को जारी अनुदान का विवरण	204
IX)	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) से प्रदत्त सहायता का ब्यौरा	208
X)	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) में अंशदान	217

संगठन

सचिवालय

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 29 अक्तूबर,2012 से श्री जितेन्द्र सिंह,युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के समग्र दिशा–निर्देशों के तहत कार्य किया है। मंत्रालय को अप्रैल, 2008 में दो विभागों में बांटा गया था; युवा कार्यक्रम विभाग तथा खेल विभाग इनमें से प्रत्येक विभाग भारत सरकार के एक सचिव के स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत कार्य करता है।

31–3–2014 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय में 3 संयुक्तसचिव हैं और एक संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) हैं । संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम)युवा विकास, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), समन्वय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) से संबंधित मामलों को देखते हैं, संयुक्त सचिव (प्रशासन) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)/राष्ट्रीय युवा किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईडी)/युवा छात्रावास का कार्य भी देखते हैं और साथ ही मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं । खेल विभाग में कार्यरत संयुक्त सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा), लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीई), राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा),विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य खेल स्कीमों यथा राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए), अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं आदि से संबंधित कार्य देखते हैं।

31–3–2014 की स्थिति के अनुसार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या 224 थी जिसमें समूह 'क' के 31, समूह 'ख' के 97 पद (33 राजपत्रित और 64 अराजपत्रित), समूह 'ग' के 96 पद शामिल हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध–I में दिया गया है।

मंत्रालय के कार्य

भारत सरकारके आदेश (कार्यों का आबंटन) नियमावली, 1961 की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दोनों विभाग अर्थात युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग निम्नलिखित विषयों से संबंधित कार्य देखते हैं:–

क. युवा कार्यक्रम विभाग

1. युवा कार्यक्रम/युवा नीति
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन
3. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
4. राष्ट्रीय सेवा योजना
5. स्वैच्छिक युवा संगठन जिसमें उनके लिए वित्तीय सहायता भी शामिल हैं
   (युवा और किशोर विकास के लिए युवा संगठनों को वित्तीयसहायता)
6. राष्ट्रीय युवा कोर
7. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक

8. युवा कल्याण कार्यकलाप, युवा महोत्सव, कार्य शिविर इत्यादि (राष्ट्रीय युवा महोत्सव)

9. बाल स्काउट्स तथा बालिका गाइड

10. युवा छात्रावास

11. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार (राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार)

12. पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम के शेष कार्य

13. विदेशोंके साथ युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान

ख. खेल विभाग

1. खेल नीति

2. खेल–कूद

3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष

4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान

5. भारतीय खेल प्राधिकरण

6. भारतीय ओलंपिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों से जुड़े मामले

7. विदेशों में टूर्नामेंटों में भारतीय खेल टीमों की भागीदारी तथा भारत में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी खेल टीमों की भागीदारी

8. अर्जुन पुरस्कार सहित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

9. खेल छात्रवृत्तियां

10. विदेशोंके साथ खिलाड़ियो, विशेषज्ञों तथा टीमों का आदान–प्रदान

11. खेल अवसंरचना के सृजन व विकास के लिए सहायता सहित खेल अवसंरचना

12. कोचिंग, टूर्नामेंटों, उपकरण इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता

13. संघ राज्य क्षेत्रों से जुड़े खेल मामले

14. शारीरिक शिक्षा

उपर्युक्त निर्दिष्टकिसी भी विषय के लिए मंत्रालय द्वारा गठित सभी संबद्ध अथवा अधीनस्थ और स्वायत्तनिकाय।

अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन

युवा कार्यक्रम विभाग

इस विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय अर्थात राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और दो स्वायत्तसंगठन हैं, अर्थात नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), नई दिल्ली और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) (अक्तूबर, 2008 से सम–विश्वविद्यालय) श्रीपेरम्बुदूर, तमिलनाडु, जिसे अब संसद के अधिनियम (2012) द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है।

खेल विभाग

खेल विभाग अन्य विषयों सहित खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने, खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन, डोप रोधिता, खेल स्टेडियमों के दीर्घकालीन उपयोग से संबंधित मामलों को देखता है ।

खेल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत निम्नलिखित स्वायत्त संगठन कार्य करते हैंः–

1.भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), नई दिल्ली।

2.लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीई), ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

3.राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा)।

4.राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल)।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 47 कार्मिक है। समूह ''क'' के पदों में 2 अधिकारी अनुसूचित जाति, 2 अधिकारी अनुसूचित जनजाति से हैं। समूह ''ख'' के पदों में 10 अधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी से, 05 अधिकारी अनुसूचित जनजाति श्रेणी से और 06अधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हैं। समूह ''ग'' के पदों में 10 पदाधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी से और 3 पदाधिकारी अनुसूचित जन जाति श्रेणी और 9 पदाधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं।

बजट आबंटन

वर्ष 2013–14 के लिए मंत्रालय का कुल बजट आबंटन 1219 करोड़ रू. (बजट प्राक्कलन) था। इसमें योजनागत शीर्ष में 1093 करोड़ रू. तथा योजनेत्तर शीर्ष में 126 करोड़ रू. हैं। वर्ष 2013–14 के लिए संशोधित प्राक्कलन 1207.76 करोड़ रू. है जिसमें योजनागत शीर्ष में 1093 करोड़ रू. तथा योजनेत्तरशीर्ष में 114.76 करोड़ रू. हैं। वर्ष 2014–15 के लिए कुल बजट अनुमान 1769 करोड़ रू. (बजट प्राक्कलन) है जिसमें योजनागत के लिए 1643 करोड़ रू. तथा योजनेत्तरके लिए 126 करोड़ रू. शामिल हैं। ब्यौरा **अनुबंध–II** में दिया गया है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि करने और संघ की राजभाषा नीति और उसके तहत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन करने के लिए उप–निदेशक (रा. भा.) का एक पद, सहायक निदेशक (रा.भा.) का एक पद, वरिष्ठ अनुवादक के दो पद, कनिष्ठ अनुवादक के दो पद तथाअन्य सहायक कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या के साथ एक हिन्दी एकक है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान 14–28 सितम्बर, 2013 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान 7 हिन्दी प्रतियोगिताओंका आयोजन किया गया और 42 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए। माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से कर्मचारियों में अधिकतम सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए एक हिन्दी संदेश परिचालित किया गया। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुर्नगठन 8–4–2013 को किया गया और माननीय मंत्री की अध्यक्षता में इसकी बैठक का आयोजन 17–12–2013 को किया गया ।

मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषीरूप में अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में है तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

सर्तकता प्रकोष्ठ

वर्ष 2013–14 के दौरान मंत्रालय में संयुक्तसचिव (प्रशासन), जिन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नामनिर्दिष्टकिया गया है, के अधीन एक सतर्कता तंत्र कार्य कर रहा है जो सतर्कता संबंधी मामलोंको देखता है। मंत्रालय के प्रत्येक स्वायत्तसंगठन तथा अधीनस्थ कार्यालय का अपना एक स्वतंत्र सतर्कता एकक है जो सतर्कता मामलों को देखता है।

वर्ष के दौरान, सतर्कता प्रकोष्ठमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग और अन्यों से 16 शिकायतें प्राप्त हुई । ये शिकायतें जो (अधिकांशत : राष्ट्रमंडल) खेल, 2010 से संबंधित हैं) सीवीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी प्राप्त हुई हैं । इन सभी मामलों में समुचित कार्रवाई की गयी है। इसके अलावामंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अधीनस्थ तथा स्वायत्तासंगठनों के लिए नोडल अधिकारीके रूप में भी कार्य करता है और इन संगठनों से संबंधित सतर्कता के मामले सीवीओ, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की सिफारिश के साथ सीवीसी को भेजे जाते हैं। सीवीओ इन सभी मामलों में संबद्ध संगठन के परामर्श से आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। मंत्रालय के अधीन संबद्ध संगठनों के पुराने सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए सीवीसी द्वारा आयोजित बैठकों में इस मंत्रालय के सीवीओ भाग लेते हैं और सीवीसी के निर्देशानुसार इन मामलों का त्वरित निपटान किया जाता है।

सरकारी खरीद फरोख्त में पारदर्शिता, जवाबदेही पर बल देने के लिए आयोग जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है । केंद्रीय सतर्कता आयोग सरकारी संगठनों से भी यह अपेक्षा करता है कि वे सतर्कता के प्रयासों में सकारात्मक योगदान दें, इसी के अनुसरण में इस मंत्रालय में 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा एक शपथ ली गयी। सप्ताहके दौरान सतर्कता जागरूकता के संबंध में बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए। राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए क्रमशः (1) भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए ई–गर्वनेंस एक कारगर उपाय और (2) दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार विषयों पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । सतर्कता सप्ताह के अंत में प्रतियोगिताके विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर शिकायत समिति

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए एक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति को शिकायत वर्ष 2013–14 के दौरान कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सूचना का अधिकार और जन शिकायत प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों को केन्द्रीय रूप से इस मंत्रालय के सूचना अधिकार प्रकोष्ठमें प्राप्त किया जाता है जिसके प्रभारी एक अनुभाग अधिकारी हैं और इसका समन्वय अवर सचिव द्वारा किया जाता है। आवेदन, निर्धारित समय के भीतर याचिकाकर्ता को उचित उत्तर भेजने के लिए संबंधित सीपीआईओ को अग्रेषित किए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय, द्वारा 692 आरटीआई आवेदन प्राप्त और निपटाए गए। इसी प्रकार मंत्रालय में 64 अपीलें प्राप्त हुई और तदनुसार निपटाई गई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में मंत्रालय ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत विषय–वार निदेशक/उप सचिव व अवर सचिव के स्तर पर जन सूचना अधिकारियों और निदेशकों/संयुक्तसचिवों के स्तर परअपील प्राधिकारियों को नियुक्तकिया है। ब्यौरों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाला गया है। इसी प्रकार जन शिकायत पर सभी आवेदनों को केन्द्रीय रूप से जन शिकायत प्रकोष्ठमें प्राप्त किया जाता है। निदेशक (प्रशासन) को मंत्रालय में जन शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

उपयोग प्रमाण–पत्र

जहां तक लंबित उपयोग प्रमाण–पत्रों का संबंध है वेतन एवं लेखा कार्यालय (खेल) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 92626.19723 लाख रूपए के कुल अनुदान के 1487 उपयोग प्रमाण पत्र लंबित है । प्रभाग–वार ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्र. सं.	प्रभाग	कुल लंबित उपयोग प्रमाण पत्र	कुल जारी अनुदान (लाख रूपए में)
1.	अंतरराष्ट्रीय खेल प्रभाग	70	26009.20168
2.	युवा कार्यक्रम	956	15399.42144
3.	खेल	461	51257.57411
	कुल	1487	92626.19723

लंबित लेखा परीक्षा पैरा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लंबित लेखा परीक्षाओं/टिप्पणियों के ब्यौरे **अनुबंध–III** में दिए गए हैं।

नियंत्रक एवं महालेखाकार के लेखा परीक्षा पैरा/टिप्पणियां

नियंत्रक एवं महालेखाकार की मार्च, 2012 की संपरीक्षित रिपोर्ट में दी गई महत्वपूर्ण संपरीक्षित टिप्पणियों का सार निम्नलिखित हैः–

1. संघ सरकार (सिविल) संपरीक्षित टिप्पणियों का अनुपालन, 2013 का 2

2013 की रिपोर्ट संख्या 19

संघ सरकार (सिविल)

संपरीक्षित टिप्पणियों का अनुपालन

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

• अनुदानों की प्रभावहीन निगरानी	• मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संबंध में जारी अनुदानों की प्रभावी निगरानी नहीं की । इसके परिणामस्वरूप 191.22 करोड़ रूपए की राशि भाखेप्रा के पास 17 से 26 महीने तक पड़ी रही । इससे अनुदानों के उपयोग के संचालन हेतु अनुमोदन के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ । इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने भाखेप्रा को आगे अनुदान जारी करने से पहले अप्रयुक्त अनुदान पर 22.12 करोड़ रूपए के ब्याज पर ध्यान नहीं दिया ।

पैरग्राफ 16.1

युवा कार्यक्रम विभाग

अध्याय—1

प्रस्तावना

युवा कुल जनसंख्या के सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है । भारत में 15—29 वर्ष की आयु वर्ग के युवा कुल जनसंख्या का 27.5 प्रतिशत है । आशा है कि भारत विश्व सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5.5 प्रतिशत से 6.00 के योगदान के साथ 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद विश्व की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन जाएगा । जबकि इन देशों में से अधिकांश देशों के कार्यबल में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी, भारत को एक अत्यंत अनुकूल जनसांख्यकीय लाभ प्राप्त होने की आशा है । यह अनुमान है कि वर्ष 2020 तक भारत की जनसंख्या की माध्यम आयु केवल 28 वर्ष होगी जबकि यूएसए की माध्यम आयु 38 वर्ष, चीन की 42 वर्ष और जापान की 48 वर्ष । यह 'जनसांख्कीय लाभ' इसके इष्टतम उपयोग का एक सुनहरा अवसर है ।

तथापि इस जनसांख्यकीय लाभ्य के इष्टतम उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि हमारी अर्थव्यवस्था श्रमिक बल की वृद्धि में सहायता करने में सक्षम हो और युवाओं के पास समुचित शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य जागरूकता और अन्य सक्षमता हो जिससे वे अर्थव्यवस्था में प्रभावोत्पदकपूर्ण तरीके से योगदान कर सकें ।

भारत सरकार इस समय युवा विकास कार्यक्रमों पर 90,000 करोड़ रूपए प्रति वर्ष या लगभग 2710 रूपए प्रति युवा प्रति वर्ष निवेश करता है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें और अनेक अन्य हितधारक भी युवा विकास में सहायता करने तथा युवाओं की प्रभावोत्पादक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं । तथापि, और अधिक एकीकृत और समनवित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि युवाओं को अपनी संभाव्य क्षमता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

***

अध्याय–2

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014
(एन वाई पी)

राष्ट्रीय युवा नीति में भारत के युवाओं के समेकित और समग्र विकास के लिए संपूर्ण राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है ताकि वे राष्ट्र पुनर्निमाण और सामाजिक परिवर्तनों के भावी चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए दिल दिमाग और शरीर से सक्षम हों ।

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 पूर्ववर्ती राष्ट्रीय युवा नीति, 2013 के स्थान पर इन उद्देश्यों के साथ फरवरी, 2014 में शुरू की गई है । राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 को पिछले कुछ वर्षों में सभी हितधारकों से विचार–विमर्श करके अंतिम रूप दिया गया है । इस नीति के अंतर्गत 15–29 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को 'युवा' के रूप में परिभाषित किया गया है ।

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ

विजन, उद्देश्य और प्राथमिकता क्षेत्र

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में भारत के युवाओं के लिए एक साकल्यवादी 'विजन' का प्रस्ताव किया गया है जिसका उद्देश्य 'देश के युवाओं को अपनी संभाव्य क्षमता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना और उनके माध्यम से भारत को विभिन्न राष्ट्रों की जमात में उसका वाजिब स्थान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है ।'

इस विजन को साकार करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में स्पष्ट रूप से परिभाषित पांच उद्देश्यों जिन पर कार्रवाई की जानी है और प्रत्येक उद्देश्य के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है । राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के अंतर्गत अभिज्ञात उद्देश्यों और प्राथमिकता क्षेत्रों का सारांश नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	उद्देश्य	प्राथमिकता क्षेत्र
1.	एक प्रभावोत्पादक कार्यबल का सृजन करना जो भारत के आर्थिक विकास में स्थायी योगदान कर सके ।	1. शिक्षा
		2. रोजगार और कौशल विकास
		3. उद्यमिता
2.	भावी चुनौतियों से निपटने के लिए हृष्टपुष्ट और स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना	4. स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली
		5. खेल
3.	राष्ट्रीय स्वाम्य का निर्माण करने के लिए सामाजिक मूल्यों और सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देना	6. सामाजिक मूल्यों का संवर्धन
		7. सामुदायिक सहाभागिता
4.	सरकार के स्तरों पर भागीदारी एवं सामाजिक सहभागिता को सरल बनाना	8. राजनीति और शासन में भागीदारी
		9. युवा सहभागिता
5.	जोखिमग्रस्त युवाओं की सहायता करना और सभी लाभवंचित और पिछड़े युवाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना	10. समावेशन
		11. सामाजिक न्याय

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के अंतर्गत संस्तुत नीति उपाय

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में 11 अभिज्ञात प्राथमिकता क्षेत्रों में से प्रत्येक के अंतर्गत नीति उपायों की सिफारिश की गई है । यह वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताओं के सुविचारित विश्लेषण पर आधारित है । इनका सारांश नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	प्राथमिकता क्षेत्र	सुझाए गए उपाय
1.	शिक्षा	■ व्यवस्था क्षमता और गुणवत्ता का निर्माण ■ कौशल विकास और जीवनपर्यन्त शिक्षा को बढ़ावा देना
2.	रोजगार और कौशल विकास	■ लक्षित युवा सम्पर्क और जागरूकता ■ व्यवस्था और हितधारकों में सम्पर्क बनाना ■ सरकार बनाम अन्य हितधारकों की भूमिका को परिभाषित करना

3.	उद्यमिता	■ लक्षित युवा सम्पर्क कार्यक्रम ■ क्षमता विकास के लिए प्रभावी कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाना ■ युवा उद्यमियों के लिए अनुकूलन कार्यक्रमों का सृजन ■ व्यापक निगरानी और मूल्यांकन पद्धतियों का कार्यान्वयन
4.	स्वास्थ्य और स्वस्थ्य जीवन शैली	■ सेवा वितरण में सुधार करना ■ स्वास्थ्य, पोषण और परहेज के संबंध में जागरूकता ■ युवाओं के लिए लक्षित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
5.	खेल	■ खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण के लिए जन भागीदारी को बढ़ाना ■ युवाओं के बीच खेल संस्कृति को बढ़ावा देना ■ प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सहायता और विकास
6.	सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा	■ मूल्य आधारित शिक्षा पद्धति को औपचारिक रूप देना ■ युवा सहभागिता कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना ■ मूल्यों और सदभाव को बढ़ावा देने में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और फॉर प्राफिट आरगेनाइजेशनों लिए सहायता
7.	समुदाय सहभागिता	■ वर्तमान समुदाय विकास संगठनों को सक्षम बनाना ■ सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना
8.	राजनीति और शासन में भागीदारी	■ राजनैतिक व्यवस्था से अलग–थलग युवाओं की सहभागिता ■ शासन तंत्र का सृजन जिससे युवा सक्षम बन सके ■ शहरी शासन में युवा सहभागिता को बढ़ावा देना
9.	युवा सहभागिता	■ युवा विकास स्कीमों के प्रभाव का मूल्यांकन और निगरानी करना ■ युवा सहभागिता के लिए मंच तैयार करना
10.	समावेशन	■ लाभ वंचित युवाओं के लिए सशक्तिकरण और क्षमता विकास ■ उपद्रव प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना ■ निःशक्त युवाओं को सहायता के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार करना ■ युवाओं को जोखिम से बचाने के लिए जागरूकता और अवसर उत्पन्न करना
11.	सामाजिक न्याय	■ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए युवाओं को सक्षम बनाना ■ सभी स्तरों पर न्याय मिलने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना

कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा

कार्यान्वयन : राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के अंतर्गत संस्तुत नीति उपाय संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य हितधारकों द्वारा किये जाने अपेक्षित हैं तदनुसार, सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा नीति के कार्यान्वयन के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जानी आवश्यक है । राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में यह भी सिफारिश की गई है कि राज्य सरकारों को भी संबंधित राज्यों के युवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और सरोकारों का ध्यान रखने के लिए राज्य युवा नीतियां तैयार करनी चाहिए ।

निगरानी और समीक्षा : राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में नीति की सफलता के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट अग्रण ी (अल्पकालिक) और पिछला (दीर्घकालिक) निष्पादन संकेतकों का सुझाव दिया गया है । राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में यह उल्लिखित है कि इस नीति की प्रत्येक पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी और यह सुझाव दिया गया है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय प्रत्येक दो वर्ष बाद 'युवारिपोर्ट की स्थिति' को प्रकाशित करेगा । इन सभी उपायों से इस नीति की प्रभावनीयता और इसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने तथा समय–समय पर आवश्यक सुधार में सहायता मिलेगी ।

अग्रगामी सिफारिशें

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं:–

(क) **भारत सरकार को जनसांख्कीय अनुकूलता का लाभ उठाने के लिए युवाओं में निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता है** : युवाओं पर खर्च/निवेश का वर्तमान स्तर अपर्याप्त है और इसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है ।

(ख) **विकास प्रक्रिया में युवा संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में लाना** : इसे विभिन्न प्रकार से कार्यान्वित किया जा सकता है (i) आरएफडी (परिणाम–रूपरेखा दस्तावेज) में युवा विकास, (ii) 'युवा सम्पर्क' कार्यक्रम तैयार करने वाले मुख्य मंत्रालय

(ग) **सभी हितधारकों की भूमिका की विवेचना और परिभाषित करना** : यह भूमिका कार्यक्रम तैयार करने के लिए उत्तरदायी एक 'कर्ता'या कार्रवाई के लिए सहायक परिवेश तैयार करने वाले 'इनेब्लर'की हो सकती है । युवा कार्यक्रम विभाग को इनेब्लर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ।

(घ) **प्रभावी युवा सहभागिता और भागीदारी के लिए विभिन्न माध्यमों को समर्थ बनाना** : इसके लिए कई माध्यम हो सकते हैं परंतु इसें अनिवार्य रूप से (i) युवाओं की सहभागिता के लिए आईसीटी का उपयोग, और (ii) वर्तमान संगठनों के माध्यम से युवा विकास को बढ़ावा देना शामिल होगा

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के कार्यान्वयन के लिए युवाओं के लिए कार्यरत सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से समनवित प्रयासों की आवश्यकता है । इस समय नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से एक कार्य योजना तैयार की जा रही है । सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने इनपुट देने के लिए अनुरोध किया गया है । राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 की समग्र रूपरेखा के अनुसार राज्य युवा नीतियां तैयार/अद्यतन करें । अन्य हितधारकों से भी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया गया है । राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री की अध्यक्षता में) एक युवा परिषद का गठन किया गया है और इस परिषद की पहली बैठक 5–5–2014 को आयोजित की गई ।

***

अध्याय – 3

नेहरू युवा केंद्र संगठन (एन वाई के एस)

प्रस्तावना

1972 में आरंभ नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) विश्व के बड़े युवा संगठनों में से एक है । ने.यु.के.सं में वर्तमान में 2.62 लाख युवा क्लबों/महिला मंडलों के माध्यम से 8 मिलियन युवा शामिल हैं । नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से ने.यु.के.सं 623 जिलों में विद्यमान है । कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं के व्यक्तित्व का विकास करना और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में उन्हें शामिल करना ।

ने.यु.के.सं गतिविधियों के कार्यक्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पर्यावरण, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता, महिला अधिकारिता, बचत और सहयोग, कौशल विकास एवं स्वरोजगारपरकता, उद्यमिता विकास, नागरिक शिक्षा, आपदा बचाव एवं पुर्नवास आदि शामिल है । नेहरू युवा केंद्रों से सम्बद्ध युवा न केवल सामाजिक रूप से जागरूक और प्रेरित होते हैं बल्कि स्वयंसेवी प्रयासों के माध्यम से समाजिक विकास की तरफ उनका झुकाव होता है ।

प्रशासनिक ढांचा

ने.यु.के.सं, विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन एक सोसाइटी है जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत है । ने.यु.के.सं का एक सामान्य निकाय और एक संचालन बोर्ड है । संचालन बोर्ड का अध्यक्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री होते हैं और महानिदेशक, ने.यु.के.सं उसके सदस्य सचिव हैं । संचालन बोर्ड में अधिकारी व संबंधित क्षेत्रों के गैर अधिकारी सदस्य भी होते हैं । महानिदेशक, ने.यु.के.सं, संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं ।

ने.यु.के.सं की गतिविधियां प्रत्येक जिले में एक जिला युवा समन्वयक और प्रत्येक ब्लॉक में दो राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवकों के माध्यम से चलाई जाती है । इसके अलावा राज्य स्तर पर ने.यु.के.सं के 28 मंडल कार्यालय हैं और इसका राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में है । ने.यु.के.सं की कुल संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 2273 है जिनमें से 31–3–2014 की स्थिति के अनुसार वास्तविक संख्या 1529 है ।

नेहरू युवा केंद्र संगठन के कार्यक्रम/गतिविधियां

कार्यक्रम/गतिविधियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है नामतः

(क) सभी जिलों में समान रूप से ने.यु.के.सं द्वारा अपने बजटीय संसाधनों से कार्यान्वित मुख्य कार्यक्रम ।

(ख) अन्य स्कीमों/मंत्रालयों/विभागों के वित्त पोषण से आयोजित कार्यक्रम ।

नेहरू युवा केंद्र संगठन के मुख्य कार्यक्रम

2013–14 के दौरान मुख्य कार्यक्रमों के आयोजन में ने.यु.के.सं का प्रदर्शन निम्नलिखित है :–

1. **युवा क्लब विकास कार्यक्रम:** कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व से युवा क्लबों के मौजूदा नेटवर्क को सुदृढ़ करना है । यह एक पांच दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें 10 प्रचारक 50 युवा क्लबों को कवर करते हैं । टीम के सदस्य युवा नेताओं, ग्राम पंचायत प्रधानों एवं सदस्यों और अन्य नेताओं से विचार–विमर्श करते हैं । प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन के 15,000 रूपए आबंटित किए गए । 2013–14 के दौरान कुल 2465 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 286995 युवा स्वयंसेवकों ने भाग लिया ।

2. **युवा नेतृत्व तथा सामुदायिक विकास संबंधी प्रशिक्षण (टीवाईएलसीडी) :**

   इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्थपूर्ण जीवन जीने हेतु अन्य लोगों की सहायता के प्रयोजन से तथा राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवाओं की क्षमता बढ़ाकर युवा नेतृत्व तथा समुदायिक विकास (टीवाईएलसीडी) है । ब्लॉक स्तर पर आयोजित यह यह तीन दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें 20 युवा क्लबों के 40 प्रतिभागी शामिल हैं । प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन के लिए 27,500 रूपए आबंटित किए गए । 2013–14 के दौरान कुल 2424 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 98584 युवा क्लब सदस्यों ने भाग लिया ।

3. **विषय वस्तु आधारित जागरूकता एवं शिक्षण कार्यक्रम (टीबीएइपी) :**

   इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता सृजन करना है । यह एक 1 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें 20 युवा क्लबों के 80 युवा शामिल हैं । प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन के लिए 8,000 रूपए आबंटित किए गए । 2013–14 के दौरान कुल 5042 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 3,77,568 युवा क्लब सदस्यों ने भाग लिया ।

4. **खेलों के संवर्धन (युवा क्लबों को खेल सामग्री):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के बीच खेल संस्कृति का विकास करना है । युवा क्लबों को खेल गतिविधियां चलाने के लिए मूलभूत खेल सामग्री की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती है । प्रत्येक युवा क्लब को खेल किट हेतु 1000 रु. आबंटित किए जाते हैं । 2013–14 के दौरान 23724 क्लबों को खेल सामग्री प्रदान की गई ।

5. **महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवा महिलाओं के व्यवसायिक कौशल को बढ़ाना है ताकि वे अपने परिवार की आय बढ़ाने के साथ–साथ अपना स्वाभिमान भी बढ़ा सके । मास्टर ट्रेनर्स, विख्यात/मान्यताप्राप्त कौशल विकास एजेंसियों की सहायता से अनेक रोजगारपरक कौशल आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करके उनकी रोजगारपरकता को बढ़ाने का प्रयास है।प्रत्येक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 15–20 महिलाओं को शामिल किया जाता है । पाठ्यक्रम का चयन प्रतिभागियों की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है । तीन महीने के पाठ्यक्रम के लिए 11,400 रु. और 2 महीने पाठ्यक्रम के लिए 7,600 रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है । 2013–14 के दौरान कुल 6934 कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 136955 महिलाओं ने भाग लिया ।

6. **लोक, कला और संस्कृति का संवर्धन:** इस कार्यक्रम का उद्देश्यलोक कला और संस्कृति का संवर्धन है जिसमें लोक रंगमंच, लोकगीत, लोक नृत्य, लोककथाएं आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । जिला स्तर पर आयोजित यह एक 1 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें कम से कम 120 युवाओं को अपनी लोक कला और संस्कृति के प्रदर्शन का अवसर दिया जाता है । प्रत्येक जिले के लिए 20 हजार रु. का बजटीय प्रावधान है । 2013–14 के दौरान कुल 596 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 154718 युवाओं ने भाग लिया ।

7. **राष्ट्रीय युवा दिवस और सप्ताह सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वों के दिवस मनाना :** इस कार्यक्रम का उद्देश्यराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जागरूकता सृजित करना है। 623 जिलों के प्रत्येक नेहरू युवा केंद्र में राष्ट्रीय युवा दिन और सप्ताह सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के कम से कम 10 दिवस मनाने के लिए 40,000 रु. की बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। 2013–14 के दौरान कुल 6106 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 929960 युवाओं ने भाग लिया ।

8. **जिला युवा सम्मेलन और युवा कीर्ति :** इस कार्यक्रम का आयोजन सभी जिला नेहरू युवा केंद्रों द्वारा वार्षिक आधार पर ग्रामीण युवा नेताओं को एक मंच और अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है ताकि वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें, अपने अनुभव बांट सकें और युवा अधिकारिता हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों का सुझाव दे सकें । यह कार्यक्रम ग्रामीण कलाकारों को उनके उत्पादों के लिए एक अवसर व मंच प्रदान करता है ताकि वे और अधिक कौशल उन्नयन के लिए प्रेरित हो सके । यह एक 1 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें 100 युवा क्लबों के कम से कम 100 युवा शामिल होते हैं । यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रति जिला 30,000 रु. की बजटीय सहायता प्रदान की जाती है । 2013–14 के दौरान कुल 580 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 156525 युवाओं ने भाग लिया । इसके अलावा राज्य युवा सम्मेलन और युवा कृति का 25 राज्यों में आयोजन किया गया जिनमें 6322 युवाओं ने भाग लिया । यह एक तीन दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें कम से कम 175 युवाओं के भाग लेने की उम्मीद होती है ।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान एनवाईकेएस द्वारा आयोजित युवा कृति

9. **उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयंसेवी सेवाओं को मान्यता प्रदान करना और युवा क्लबों को सामुदायिक विकास एवं कल्याण गतिविधियां चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक 623 जिला नेहरू युवा केंद्र और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार प्रदान करता

राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान एन वाई के एस द्वारा आयोजित युवा कृति

है । पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि शामिल है (जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए 10,000 रूपए और राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए 25,000 रूपए)। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर तीन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं (1,00000 रु., 50,000 रु. और 25,000 रु.) । 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर तीन पुरस्कार प्रदान करने के अलावा 21 राज्यों और 486 जिलों में युवा क्लबों को पुरस्कार प्रदान किए गए ।

एनपीवाईएडी के वित्त पोषण से आयोजित कार्यक्रम

वर्ष 2013–14 के दौरान युवा कार्यक्रम विभाग के राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम के वित्त पोषण से एनवाईकेएस द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:–

1. **राष्ट्रीय एकीकरण शिविर (एनआईसी)** : इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों से युवाओं को , एक मंच पर एकत्रित करना, उन्हें देश की सांस्कृतिक धरोहर को समझने के अवसर प्रदान करना और अनेकता में एकता जो देश को एक साथ बांधे रहती है की समझ विकसित करके राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन करना है । यह एक पांच दिवसीय आवासीय कार्यक्रम है जिसमें 250 प्रतिभागियों (राज्य की राजधानियों में आयोजित एनआईसी) और 150 प्रतिभागियों (अन्य एनआईसी की मामले में) को भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है । 2013–14 के दौरान एनवाईकेएस द्वारा एनआईसी आयोजित किए गए जिनमें 17200 युवाओं ने भाग लिया ।

एन वाई के एस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण शिविर

2. **युवा नेतृत्व और व्यक्ति विकास कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा नेताओं को प्रशिक्षित करना है ताकि वे गांव और युवा क्लबों की जिम्मेदारी उठाने के लिए अपेक्षिति गुण हासिल कर सके और गांव के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक–सांस्कृतिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें । यह कार्यक्रम ग्रामीण समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं पर जागरूकता सृजित करता है । यह एक 30 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम में 30 युवा भाग लेते हैं । 2013–14 के दौरान कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 1020 युवाओं को गहन नेतृत्व और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ।

अन्य मंत्रालय/संगठनों के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम

1. **जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष गृह मंत्रालय के वित्त पोषण एवं सहयोग से आयोजित किया जाता है इस कार्यक्रम में आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को (चार राज्यों नामतः बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में गृह मंत्रालय की एसआरई स्कीम के अंतर्गत कवर किए जा रहे 106 जिलों की सूची में से 30 ध्यानकेंद्रित जिले) देश के अन्य हिस्सों में ले जाया जाता है ताकि वे देश की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जान सके और अनेकता में एकता के भाव को समझ सके, देश के अन्य भागों में विकास गतिविधियों और तकनीकी/औद्योगिक प्रगति के बारे में जान सकें, देश के अन्य हिस्से के लोगों के साथ भावनात्मक सम्पर्क साध सकें, और प्रमुख जीवन कौशल, अपनी कौशल विकास की जरूरतों का पता लगाकर अपने व्यक्तित्व को बढ़ा सके, इसके लिए उन्हें अपेक्षित जीविका परामर्श प्रदान किया जाता है । 2013–14 के दौरान 5 स्थानों नामतः नागपुर(महाराष्ट्र), तिरूवनंतपुरम (केरल), नई दिल्ली, भुवनेश्वर (ओडिशा) और बंगलुरू (कर्नाटक) पर छठा जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया । कुल 1247 जनजातीय युवाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया । दिल्ली शिविर में भाग लेने वाले जनजातीय युवाओं को भारत के राष्ट्रपति से मिलने का मौका भी प्राप्त हुआ ।

2. **किशोर स्वास्थ्य और विकास परियोजना** : यह कार्यक्रम यूएनएफपीए के वित्त पोषण से आयोजित किया जा रहा है । इस परियोजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके किशोरों को (i) जेंडर–सेंसिटिव तरीके से प्रजनन और यौन स्वास्थ्य मुद्दों पर जीवन कौशल केंद्रित शिक्षा (ii) बेहतर रोजगारपरकता के लिए शिक्षा और कौशल विकास संस्थानों से सम्पर्क (iii) सार्वजनिक और नीजि क्षेत्रों में युवा अनुकूल और जेंडर–सेंसिटिव सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना है । यह परियोजना प्रायोगिक आधार पर 5 राज्यों के (महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और बिहार) चुने गए 10 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है । किशोरों को टीन क्लब में एकत्रित किया जाता है और प्रशिक्षित सहकर्मी शिक्षकों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है । सीपी–7 (कंट्री प्लान–7) चरण का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है और 2014 के दौरान सीपी–8 का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया गया है । वर्तमान में, टीनक्लब स्थापित/बहाल किए जा रहे हैं,सहकर्मी शिक्षकों का चयन किया जा रहा है और एनवाईकेएस स्टाफ और अन्य कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

3. **युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगारपरकता प्रशिक्षण पर टीसीएस के साथ सहयोग** : यह कार्यक्रम टीसीएस के साथ उनकी सीएसआर पहल के भाग के रूप में चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम के तहत टीसीएस युवाओं की रोजगारपरकता को बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 80–100 घंटों का मुफ्त प्रशिक्षण देता है जिसमें युवाओं के अंग्रेजी सम्प्रेषण कौशल, कारपोरेट शिष्टाचार, विश्लेषणात्मक सोच–विचार, समस्या समाधान कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास में संवर्धन किया जाता है । प्रथम बैच का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है । 9 कार्यक्रमों के माध्यम से 346 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया । वर्तमान में, नेहरू युवा केंद्र संगठन और टीसीएस के मध्य समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है ताकि कार्यक्रम को भविष्य में संपोषणीय आधार पर जारी रखा जा सके ।

विकास विभागों/एजेंसियों के समन्वय से कार्यक्रम/कार्यकलाप:

नेहरू युवा केंद्र संगठन विभिन्न विकास विभागों/एजेंसियों के समन्वय से अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है । जिला . नेहरू युवा केंद्र संगठन और रा.यु.कोर स्वयंसेवक अन्य विकास विभागों/एजेंसियोंके साथ मिल कर कार्य करते हैं और युवा क्लबों/महिला मंडलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कार्यकलाप करते हैं । वर्ष 2013–14 के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	कार्यक्रम	मानदंड	उपलब्धियां
1	युवा क्लब सदस्यों को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षणों से जोड़ना	युवाओं की संख्या	342154
2	एसएचजी का गठन	एसएचजी की संख्या	24139
3	पौधारोपण और उनकी देखभाल	पौधों की संख्या	5479574
4	रक्तदान	रक्त यूनिटों की संख्या	87559
5	स्वैच्छिक रक्तदाताओं का नामांकन और उनके रक्त समूहों का समूहीकरण	युवाओं की संख्या	155195
6	लड़कियों और उनके अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि उसका विवाह 18 वर्ष की आयु प्राप्ति के बाद हो	लड़कियों की संख्या	132744
7	गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण	गर्भवती महिलाओं की संख्या	141368
8	सुव्यवस्थित प्रसव सुविधाएं उपलब्ध कराना	महिलाओं की संख्या	108656
9	बच्चों का टीकाकरण (0–5 वर्ष)	बच्चों की संख्या	252410
10	मोतियाबिंद आपरेशन	मरीजों की संख्या	46365
11	किशोरियों को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध कराना	किशोरियों की संख्या	269057
12	स्वास्थ्य जांच शिविर (डीओटी, उच्च रक्त चाप, मधुमेह और अन्य)	शिविरों की संख्या	58408
13	पर्यावरण सुरक्षा के लिए जागरूकता उत्पन्न करने और योगदान देने हेतु प्लास्टिक थैलियां इकट्ठा करना	गांवों की संख्या	34792
14	विद्यालयों में बच्चों का नामांकन	बच्चों की संख्या	220744
15	प्रोत्साहन जिसके परिणामतः शौचालयों का निर्माण हो	शौचालयों की संख्या	36483
16	मतदाता पहचान पत्रों की प्राप्ति में सहायता करना	व्यक्तियों की संख्या	302251

वर्ष 2013–14 के दौरान अन्य उपलब्धियां

1. **बेहतर कार्यकरण के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी (आईटी) का उपयोग** : नेहरू युवा केंद्र संगठन ने युवा क्लबों के रजिस्ट्रेशन के लिए आनलाइन प्लेटफार्म की स्थापना की और इस प्रकार इसने युवाओं के समीप पहुंच बनाने के साथ–साथ पूरी प्रक्रिया में भी पारदर्शिता लाने का कार्य किया । नेहरू युवा केंद्र संगठन ने सभी कार्यकलापों की आनलाइन निगरानी के लिए एक एमआईएस भी स्थापित किया है ।नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा देश भर में फैले खातों के कम्प्यूटरीकरण के लिए टैली साफ्टवेयर लगाने की प्रक्रिया चल रही है ।

2. **मद्यपान और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के क्षेत्र में असाधारण सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार** : भारत के माननीय राष्ट्रपति ने मादक पदार्थ सेवन और अवैध व्यापार के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में 26 जून, 2013 को विज्ञान भवन में मद्यपान और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम, 2013 के क्षेत्र में असाधारण सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ जागरूकता अभियान की श्रेणी हेतु नेहरू युवा केंद्र, थोबल (मणिपुर) को प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया । यह पुरस्कार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से 'मादक पदार्थ सेवन और मद्यपान की रोकथाम के लिए जागरूकता और शिक्षा' शीर्षक वाली एक वर्षीय पायलट परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया । यह परियोजना पंजाब के 10 जिलों के 75 ब्लाकों के तहत 3000 गांवों और मणिपुर में 7 जिलों में 25 ब्लाकों के तहत 750 गांवों में कार्यान्वित की गई ।

***

अध्याय 4

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस)

प्रस्तावना

वर्ष 1969 में स्वैचछिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के मुख्य उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना आरंभ की गई । 'सेवा द्वारा शिक्षा' रासेयो का प्रयोजन है । रासेयो की विचारधारा महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है । सटीक रूप में, रासेयो का आदर्श 'मैं नहीं,आप' है । एक रासेयो स्वयंसेवी अपने से पहले समुदाय को प्राथमिकता देता है ।

रासेयो के उद्देश्य: रासेयो का लक्ष्य अपने सवयंसेवकों में निम्नलिखित गुण/योग्यताएं विकसित करना है:–

(क) जिस समुदाय में रासेयो स्वयंसेवी कार्य करते हैं, उसे समझना और उस समुदाय के संबंध में स्वयं को समझना

(ख) समुदाय की आवश्यकताओं और समस्याओं को पहचानना और समस्या–समाधान प्रक्रिया में भाग लेना

(ग) स्वयं में सामाजिक और नागरिक उत्तरदायित्व का बोध विकसित करना

(घ) वैयक्तिक और सामुदायिक समस्याओं के वास्तविक समाधान प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करना

(ड़) सामुदायिक भागीदारी जुटाने में निपुण बनना

(च) नेतृत्व गुण और लोकतांत्रिक मूल्यों का अर्जन

(छ) आपातकाल और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता विकास

(ज) राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक सदभाव बनाए रखना

रासेयो 'कैम्पस और समुदाय','कालेज और गांव' और 'ज्ञान और कार्य निष्पादन' के बीच अर्थपूर्ण कड़ियां जोड़ने का प्रयास करता है ।

वर्ष 1969 में रासेयो 37 विश्वविद्यालयों में आरंभ की गई और इसमें लगभग 40,000 स्वयंसेवकों को सम्मिलित किया गया । आज रासेयो के रोल पर लगभग 33 लाख स्वयंसेवक हैं जो 336 विश्वविद्यालयों,15908 कालेजों/तकनीकी संस्थानों और 11809 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में है । रासेयो के आरंभ से अब तक लगभग 4.25 करोड़ छात्र लाभांवित हुए हैं ।

रासेयो की बुनियादी अभिकल्पना/कार्यक्रम संरचना

रासेयो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयो, कालेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है । रासेयो की अभिकल्पना में इस संभावना पर बल दिया जाता है कि स्कीम के तहत शामिल प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में 100 छात्र स्वयंसेवकों (कुछ मामलों में संख्या कम हो सकती है) वाली कम से कम एक रासेयो यूनिट हो जिसका प्रमुख एक अध्यापक हो जिसे कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) के रूप में नामोदिष्ट किया जाएगा । प्रत्येक रासेयो यूनिट एक गांव या मलिन बस्ती को अपनाती है । एक रासेयो स्वयंसेवक के लिए निम्नलिखित कार्य/कार्यकलाप करना अपेक्षित है:–

(क) **नियमित रासेयो कार्यकलापः** प्रत्येक रासेयो स्वयंसेवक को दो वर्षों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 120 घंटों अर्थात दो वर्षों में कुल 240 घंटों की सेवा देनी होती है । यह कार्य रासेयो यूनिट द्वारा अपनाए गए गांवों/मलिन बस्तियों या विद्यालय/कॉलेज कैम्पस में सामान्यतः पढ़ाई के घंटों के बाद या सप्ताहांत में किया जाता है । प्रथम वर्ष के दौरान, 20 घंटे (कुल 120 घंटों में से) रासेयो स्वयंसेवकों के अभिविन्यास के लिए चिन्हित किए जाते हैं, उन्हें व्याख्यानों, चर्चाओं, कार्यस्थल भ्रमण, श्रव्य–दृश्य आदि के माध्यम से रासेयो की मूलभूत जानकारी दी जाती है ।

पंचमढी मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियां इकटठी करने के लिए रासेयो स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित रैली

(ख) **विशेष कैंपिंग कार्यक्रम** : प्रत्येक रासेयो एनवाईकेएस यूनिट अपनाए गए गांवों/मलिन बसतियों में छुट्टियों के दौरान स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए किसी विशिष्ट परियोजना पर 7 दिनों का विशेष शिविर आयोजित करती है । प्रत्येक स्वयंसेवक के लिए दो वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे विशेष शिविर में एक बार भाग लेना अनिवार्य है । इस प्रकार एक यूनिट के लगभग 50 प्रतिशत रासयो स्वयंसेवक विशेष शिविर में भागीदारी करते हैं ।

रासेयो द्वारा किए जा रहे कार्यकलाप :

रासेयो द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है यथाः

1. **मुख्य कार्यकलाप** : रासेयो योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यकलाप समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं । रासेयो द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यकलापों की एक सूची नीचे दी गई है :–

   (क) शिक्षाः प्रौढ़ शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा, पढ़ाई छोड़ चुके व्यक्तियों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता करना, सामाजिक बुराईयों को मिटाने के लिए कार्यक्रम आदि ।

   (ख) स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषणः टीकाकरण, रक्तदान, स्वास्थ्य शिक्षा, एड्स जागरूकता आदि ।

(ग) पर्यावरण संरक्षणः पौधारोपण और उनका परिरक्षण/देख–रेख, नालों/सड़कों की सफाई और अनुरक्षण आदि

(घ) समाज सेवा कार्यक्रमः अस्पतालों, निरूशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थानों, वृद्धाश्रमों, महिला कल्याण संस्थानों आदि में कार्य करना

(ड़) महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कार्यक्रमः महिला अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, महिलाओं को प्रशिक्षण देना आदि

(च) उत्पादन उन्मुख कार्यक्रमः लोगों को उन्नत कृषि संबंधी पद्धतियों, पशु संसाधन विकास के लिए मार्गदर्शन आदि के संबंध में शिक्षित करना

(छ) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वासः बचाव और राहत अभियानों में स्थानीय प्राधिकरण के साथ मिल कर कार्य करना ।

2. रासेयो के तहत अन्य कार्यकलाप/कार्यक्रमः रासेयो के तहत मुख्य कार्यकलापों के अलावा अन्य कार्यकलाप भी किए जाते हैं । उदाहरणार्थः

(क) गणतंत्र दिवस परेड शिविर में सहभागिता

(ख) साहस गतिविधियों में सहभागिता

(ग) रासेयो मेगा कैंप और पूर्वोत्तर युवा महोत्सवों का आयोजन

(घ) राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान 'सुविचार' और 'यूथ कन्वेंशन' का आयोजन

(ड़) रासेयो स्वयंसेवकों के लिए आत्म–रक्षा प्रशिक्षण

प्रशासनिक ढांचा :

प्रत्येक रासेयो यूनिट एक संस्थान है जिसका प्रमुख कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) के रूप में नामोदिष्ट एक अध्यापक होता है जो अपने अधीन रासेयो यूनिट के लिए एक शिक्षक, आयोजक, समन्वयक, पर्यवेक्षक, प्रशासक और जन संपर्क व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ।

विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कालेजों में रासेयो यूनिटों के संबंध में रासेयो कार्यक्रमों के समन्वय के लिए एक रासेयो सेल और एक नामोदिष्ट कार्यक्रम समन्वयक (पीसी) होता है । इसी प्रकार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में एक रासेयो सेल बनाया गया है । राज्य स्तर पर राज्य सम्पर्क अधिकारी (एसएलओ) की अध्यक्षता में एक राज्य रासेयो सेल है ।

राष्ट्रीय स्तर पर एक रासेयो कार्यक्रम सलाहकार सेल है जो 15 क्षेत्रीय केंद्रों (अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई , दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे और तिरूवनंतपुरम) के माध्यम से कार्य करता है । रासेयो संगठन की मंजूर कुल स्टाफ संख्या 234 है जिसमें से 31–3–2014 तक वास्तविक संख्या 124 थी ।

उपर्युक्त के अलावा रासेयो कर्मियों को आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, विश्वविद्यालय और संस्थान स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों वाली सलाहकार समितियां हैं । वास्तव में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की रासेयो सलाहकार समिति का गठन वर्ष 2013–14 के दौरान किया गया और समिति की पहली बैठक 1 मई, 2014 को आयोजित की गई।

वित्तीय प्रक्रिया

वर्तमान में नियमित रासेयो कार्यकलापों के लिए प्रति स्वयंसेवक प्रति वर्ष 250/— रूपए और विशेष कैम्पिंग कार्यकलापों के लिए प्रति स्वयंसेवक 450/— (प्रत्येक दो वर्षों में एक बार) की दर से मुख्य रासेयो कार्यकलापों के संचालन के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाता है । अतः रासेयो कार्यक्रम के संचालन के लिए कुल लागत प्रति स्वयंसेवक प्रति वर्ष 475/— रूपए पड़ती है (क्योंकि एक विशिष्ट वर्ष में विशेष कैंपिंग केवल 50 प्रतिशत स्वयंसेवकों के लिए ही होती है ।) सभी निधियों का उपयोग रासेयो कार्यकलापों के संचालन के लिए होता है और किसी भी स्वयंसेवक को नकद भुगतान नहीं किया जाता है । कुल प्रावधान में से कार्यक्रम समन्वयकों (800/—रूपए प्रति माह की दर से) और कार्यक्रम अधिकारियों (400/—रूपए प्रति माह की दर से) को आऊट ऑफ पॉकेट भत्ते सहित रासेयो से जुड़ी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना लागतें भी पूरी करनी होती हैं ।

रासेयो केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम है और केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का बंटवारा निम्नलिखित ढंग से किया जाता है:—

(क) जम्मू—कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल के बिना) केंद्र सरकार शत प्रतिशत वित्त पोषण देती है ।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का अनुपात 75:25 है ।

(ग) अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के मध्य खर्च का अनुपात 7:5 है ।

स्व वित्त पोषित यूनिटें (एसएफयू): विभाग ने रासेयो की स्व वित्त पोषित यूनिटों की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ की है ताकि पर्याप्त सरकारी निधियों की कमी से रासेयो का विस्तार प्रभावित न हो । इस प्रक्रिया के तहत स्थापित यूनिटें रासेयो की किसी अन्य यूनिट के समान ही होती हैं परंतु इन यूनिटों का वित्त पोषण इन्हें स्थापित करने वाले संस्थान द्वारा किया जाता है ।

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण

वर्तमान में,रासेयोके तहत कार्यक्रम अधिकारियों को 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपनी ड्यूटियों का निष्पादन प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकें । यह प्रशिक्षण देश के विभिन्न भागों में स्थित कालेज/विश्वविद्यालयों में स्थित 19 एम्पैनल्ड ट्रेनिंग संस्थानों (ईटीआई) के द्वारा दिया जाता है । वर्ष 2013—14 के दौरान इन ईटीआई द्वारा 7199 कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन/अन्य घटनाएं

वर्ष 2013—14 के दौरान रासेयो के तहत नामांकित स्वयंसेवको की संख्या बढ़कर लगभग 33 लाख हो गई । वर्ष के दौरान रासेयो यूनिटों की स्थापना संबंधी प्रचालनात्मक दिशा—निर्देशों को सरल कर दिया गया । अब तक रासेयो की 1661 स्व वित्त पोषित यूनिटें स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें 1.66 लाख स्वयंसेवक सम्मिलित हैं । रासेयो यूनिटों ने अपने कार्यकलापों के लिए 38,097 गांवों/मलिन बसतियों को अपनाया है ।

विशेष शिविरों का आयोजन: विशेष शिविर रासेयो का अनिवार्य भाग है जिसमें स्वयंसेवकों को यह अवसर मिलता है कि वे ग्रामीणों के सान्निध्य में आ सकें,उनकी जीवन शैली को समझ सकें, उनके साथ सात दिन बिता सकें और विभिन्न विकासात्मक कार्यकलाप कर सकें । वर्ष के दौरान, देश भर के गांवों/मलिन बसतियों में 21,613 विशेष शिविर आयोजित किए गए जिनमें लगभग 11.80 लाख स्वयंसेवकों को सम्मिलित किया गया ।

पौधारोपण: रासेयो के तहत पौधारोपण और उनका अनुरक्षण सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यकलापों में से एक है । वर्ष के दौरान सरकारी भवन, पार्क, विश्वविद्यालय/कालेज कैंपस, सड़कों के किनारे, वन क्षेत्र जैसे अनेक स्थानों पर 14,75,414 पौधे रोपे गए ।

रासेयो स्वयंसेवक पौधारोपण करते हुए ।

रक्त दान: राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक सदैव ही देश में गरीबों, जरूरतमंदों और अस्पतालों में आपातकालीन मामलों में रक्त दान करने के लिए तत्पर रहते हैं । नियमित कार्यक्रम के रूप में अधिकतर रासेयो यूनिटें इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, सरकारी अस्पतालों और ब्लड बैंकों के सहयोग से निरपवाद रूप से रक्त दान शिविर आयोजित करती हैं । अधिकतर विश्वविद्यालयों/संस्थानों में रासेयो स्वयंसेवक रक्तदाताओं की सूची तैयार की जाती है जिन्हें जरूरत के समय रक्त दान के लिए बुलाया जा सकता है । वर्ष के दौरान भारत भर में रासेयो स्वयंसेवकों द्वारा 3,79,374 यूनिट रक्त दान किया गया ।

रासेयो स्वयंसेवक रक्त दान करते हुए

पल्स पोलियो प्रतिरक्षण : रासेयो ने पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए । देश भर में रासेयो स्वयंसेवकों ने बच्चों को पल्स पोलियो ड्राप्स दिलाने में स्थानीय प्रशासन की सहायता की । वर्ष के दौरान , पल्स पोलियो ड्राप्स दिलाने के लिए बच्चों को लाने में 3,71,758 स्वयंसेवक शामिल हुए और इस कार्यक्रम से 38 लाख बच्चे लाभानवित हुए ।

मतदाता जागरूकता अभियान: देश भर में रासेयो स्वयंसेवकों ने चुनाव प्राधिकारियों के समन्वय से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया ताकि मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने और मतदान के दिन अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकें । इस संबंध में रासेयो द्वारा दिए गए योगदान को भारतीय चुनाव आयोग ने बहुत सराहा ।

बेघरों के लिए घर: केरल में पिछले कई वर्षों से रासेयो स्वयंसेवक गरीब बेघरों के लिए पक्के मकान बनाने में मदद कर रहे हैं । जरूरतमंदों के लिए 160 से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं । चल रहे कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 4 पक्के मकान बनाए गए । रासेयो स्वयंसेवकों ने इस उद्देश्य के लिए 15 लाख रु. से अधिक राशि एकत्र की।

रासेयो स्वयंसेवक केरल में बेघरों के लिए घर बनाते हुए

साहस कार्यकलाप : देश में रासेयो स्वयंसेवकों में साहस और नेतृत्व की भावना विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकारके अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीटयूट ऑफ माउनटिनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्टस के सहयोग से साहस कार्यक्रम आयोजित किए गए । साहस शिविरों की अवधि 10 दिन थी। कुल मिलाकर देश भर से 1404 रासेयो स्वयंसेवकों ने साहस कार्यकलापों ने भाग लिया ।

साहस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रासेयो स्वयंसेवकों की सहभागिता

रासेयो स्वयंसेवकों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण : रासेयो बालिका स्वयंसेवकों के लिए आत्म रक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की पहल की गई है । वर्ष के दौरान रासेयो के तहत 54,575 बालिका स्वयंसेवकों को यह प्रशिक्षण दिया गया ।

रासेयो मेगा कैम्प : वर्ष 2013–14 के दौरान 12 दिन की अवधि वाले दो मेगा कैम्प अर्थात बेंगलुरू विश्वविद्यालय बेंगलुरू में (जून, 2013 में) समर कैम्प और तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर में दिसम्बर, 2013 में विंटर कैम्प आयोजित किए गए । कुल मिलाकर देश के विभिन्न भागों से लिए गए 400 रासेयो स्वयंसेवकों ने इन शिविरों में भाग लिया ।

पूर्वोत्तर युवा महोत्सवः वर्ष के दौरान, 4 स्थानों अर्थात इम्फाल (मणिपुर), एजवाल(मिजोरम), शिलांग (मेघालय)और अगरतला (त्रिपुरा) में पूर्वोत्तर युवा महोत्सव आयोजित किए गए । कुल मिलाकर , पूर्वोत्तर क्षेत्रके 1300 रासेयो स्वयंसेवकों ने इन महोत्सवों में भाग लिया ।

राज्य रासेयो युवा महोत्सव, 2013 प्रतिभागी

गणतंत्र दिवस परेड शिविर, 2014 : रासेयो स्वयंसेवक प्रत्येक वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड शिविर, 2014 में भाग लेते हैं । परेडमें भाग लेने के लिए स्वयंसेवकों को तैयार करने हेतु नई दिल्ली में प्रत्येक वर्ष एक माह की अवधि का गणतंत्र दिवसपरेड शिविर आयोजित किया जाता है जिसमें भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 चयनित रासेयो स्वयंसेवक (100 लड़के और 100 लड़कियां) भाग लेते हैं । इस वर्ष यह

शिविर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 1 से 31 जनवरी, 2014 तक आयोजित किया गया । शिविर में रहने के दौरान स्वयंसेवकों को भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात का अवसर भी मिला । इस शिविर में सहभागिता रासेयो स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व विकास में बहुत सहायक सिद्ध होती है ।

रासेयो स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हुए

रासेयो स्वयंसेवकों के लिए कौशल प्रशिक्षण : वर्ष के दौरान, युवा कार्यक्रम विभाग ने टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइनसिस (टीआईएसएस) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और 10 विश्वविद्यालयों में नेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेन्टस सकिल डेवल्पमेंट (एनयूएसएसडी) परियोजना नामक पायलट परियोजना आरंभ की ताकि 3 वर्ष की अवधि में 50,500 रासेयो स्वयंसेवकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। इस परियोजना से रासेयो स्वयंसेवक अपने शैक्षणिक पाठयक्रम के साथ–साथ व्यावसायिक सर्टिफिकेट/डिप्लोमा भी प्राप्त कर सकेंगे । अब तक इस पाठयक्रम में 3000 छात्रों का नामांकन किया गया है ।

वैकल्पिक विषय के रूप में रासेयो : रासेयो के प्रति अधिकाधिक छात्र आकृष्ट करने के लिए रासेयो को अधिक संभावनापूर्ण बनाने के उद्देश्य से विभाग यह प्रयास कर रहा है कि रासेयो को शैक्षिक संस्थानों में एक 'क्रेडिट युक्त वैकलपिक विषय' के रूप में आरंभ किया जाए । वर्ष के दौरान शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की दिनांक 10.10.2013 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एआईसीटीई अगले शैक्षणिक सत्र से रासेयो को एक वैकल्पिक विषय (क्रेडिट युक्त) के रूप में आरंभ करने की संभावनाओं पर विचार करेंगे। वर्तमानमेंपाठयक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा स्कीम (आईजीएनएसएस) पुरस्कार : प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा स्कीम पुरस्कार रासेयो के तहत किए गए असाधारण कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं । ये पुरस्कार निम्निलिखित श्रेणियों में दिए जाते है: (i) सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय और भावी विश्वविद्यालय / + परिषद (ii) सर्वश्रेष्ठ रासेयो यूनिटें और उनके कार्यक्रमअधिकारी (iii) सर्वश्रेष्ठ रासेयो स्वयंसेवक । भारत के माननीय राष्ट्रपतिद्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को 63 रासेयो स्वयंसेवकों/कर्मियों को वर्ष 2012–13 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए ।

***

अध्याय–5

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आर जी एन आई वाई डी)

प्रस्तावना

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी), श्रीपेरम्बुदूर , तमिलनाडु राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 के अधिनियम द्वारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत,''राष्ट्रीयमहत्व का संस्थान'' है । आरजीएनआईवाईडी की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत 1993 में की गई थी और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में ''डि–नोवो'' श्रेणी के अंतर्गत ''समकक्ष विश्वविद्यालय'' का दर्जा प्रदान किया गया था ।

आरजीएनआईवाईडी देशभर में विस्तार और संपर्क पहल (आउटरीच) कार्यक्रमों के अलावा स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन के बहु–विध कार्यों के एक महत्वपूर्ण संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है जिसमें युवा विकास के विभिन्न आयाम, युवा विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रारंभिक अनुसंधान और राज्य एजेंसियों तथा युवा संगठनों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय कार्य शामिल हैं ।

यह संस्थान मंत्रालय के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और देश में युवा संबंधी कार्यकलापों के लिए एक मुख्य संगठन है । राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्थान होने के नाते यह प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रासेयो,नेयुकेसं और अन्य युवा संगठनों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करता है । यह संसथान ग्रामीण, शहरी तथा जनजातीय क्षेत्रों में भी युवा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन प्रदाता के रूप में युवाओं के प्रशिक्षण के रूप में एक नोडल एजेंसी है ।आरजीएनआईवाईडी युवा संबंधी मुद्दों पर युवा जागरूकता पर ध्यान देकर देश में युवा प्रशिक्षणशाला और न्यासी के रूप में कार्य करता है । इसके पास युवाओं के कल्याण और विकास के लिए कार्यरत विभिन्न संगठनों के साथ विस्तृत नेटवर्क है और यह उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

आरजीएनआईवाईडी का विजन युवा विकास में शैक्षणिक उत्कृष्टता का विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त और सर्वस्वीकार्य केंद्र बनना है।

आरजीएनआईवाईडी की संचालन संरचना

भारत के राष्ट्रपति इस संस्थान के अध्यक्ष हैं । इस संस्थान के बहुविध कार्यक्रमों की मॉनीटरी कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति तथा बिल्डिंग और निर्माण कार्य समिति द्वारा की जाती है ।

इसके निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो संस्थान के दिन–प्रतिदिन के कार्यकरण का समन्वय करते हैं तथा संस्थान के विभिन्न प्रभागों/केंद्रों/विभागों के माध्यम से युवा विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हैं ।

आरजीएनआईवाईडी की कार्यकारी परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में आरजीएनआईवाईडी के लिए विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा 2012 में गठित मेंटर ग्रुप की रिपोर्ट की तर्ज पर संस्थान के कार्यों/ कार्यकलापों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है :

(क) **नीति और कार्रवाई अनुसंधान प्रभाग:** इसके अंतर्गत (i) नीति और कार्रवाई अनुसंधान केंद्र (ii) मॉनीटरी, मूल्यांकन और प्रभाव विश्लेषण केंद्र और (iii) राष्ट्रीय युवा संसाधन केंद्र आते हैं।

(ख) **क्षमता निर्माण और विकास प्रभाग:** इसके अंतर्गत

(i) क्षमता निर्माण केंद्र

(ii) समावेशी विकास केंद्र

(iii) युवा और शान्ति केंद्र और

(iv) आउटरीच केंद्र आते हैं ।

(ग) **अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय प्रभाग:** इसके अंतर्गत

(i) अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय केंद्र

(ii) समन्वय, नेटवर्क और समर्थन केंद्र आते हैं ।

(घ) **शैक्षणिक प्रभाग:** इसके अंतर्गत (i) युवा अध्ययन और एक्सटेंशन स्कूल (ii) स्कूल ऑफ काउंसिलिंग (iii) शासन और लोकनीति स्कूल (iv)जेंडर अध्ययन स्कूल (v) जीवन कौशल शिक्षा और सामाजिक सदभाव स्कूल तथा (vi) विकास प्रक्रिया स्कूल आते हैं ।

आरजीएनआईवाईडी की संस्वीकृत स्टाफ संख्या 65 है जबकि 31.3.2014 को इसकी वास्तविक स्टाफ संख्या 35 है ।

आरजीएनआईवाईडी के कार्यक्रम और कार्यकलाप : 2013–14 के दौरान कार्यनिष्पादन

कार्यनिष्पादन

आरजीएनआईवाईडी युवाओं से संबंधित विभिन्न विषयों नामतः (i) युवा सशक्तिकरण (ii) कैरियर कॉउनसिलिंग (iii) जेंडर स्टडीज (iv) स्थानीय शासन (v) जीवन कौशल शिक्षा और (vi) विकास प्रक्रिया पर छह 2 वर्षीय विशिष्ट स्नातकोत्तर पाठयक्रमों का संचालन करता है । इन पाठयक्रमों में प्रतिवर्ष 120 छात्रों के लिए सीटें हैं । वर्ष 2013–14 के दौरान आरजीएनआईवाईडी के स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में कुल 117 छात्र पंजीकृत (प्रथम वर्ष में 66 छात्र और द्वितीय वर्ष में 51 छात्र) थे ।

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण

आरजीएनआईवाईडी युवा कार्य के क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित) का संचालन करता है। वर्ष 2013–14 के दौरान आरजीएनआईवाईडी द्वारा कुल 208 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 16,847 प्रतिभागियों ने भाग लिया । प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 1467 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। आरजीएनआईवाईडी द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में 5237 युवाओं और युवा कर्मियों ने भाग लिया । आरजीएनआईवाईडी के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय आदान–प्रदान कार्यक्रमों में 270 युवाओं ने भाग लिया । आरजीएनआईवाईडी के विभिन्न कार्यक्रमों में रासेयो/नेयुकेसं के कुल 2959 कर्मियों और युवा स्वयंसेवकों को शामिल किया गया । ग्रीष्म/शीतकालीन युवा नेतृत्व प्रशिक्षुता कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 578 युवा लाभान्वित हुए ।

अनुसंधान कार्यक्रम

आरजीएनआईवाईडी युवा अध्ययनों पर अंतः विधा ड्राक्टरल कार्यक्रम संचालित करता है। अनुसंधान के क्षेत्रों को मुख्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है : युवा सशक्तिकरण, कैरियर संबंधी परामर्श ,जेंडर अध्ययन, स्थानीय शासन और जीवन कौशल शिक्षा ।

कौशल विकास

आरजीएनआईवाईडी युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण भी संचालित करता है ।

आरजीएनआईवाईडी द्वारा देश के विभिन्न भागों में आयोजित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3,601 युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया गया । इसके अलावा,1170 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया जिससे उन्हें एनसीवीटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ ।

आरजीएनआईवाईडी क्षेत्रीय केंद्र

हाल ही में, आरजीएनआईवाईडी क्षेत्रीय केंद्र चण्डीगढ़ में स्थापित किया गया । राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम–एशिया केंद्र (सीवाईपी) (जिसने अपनी नवीनीकरण प्रक्रिया में चंडीगढ़ में अपने कार्यकलाप बंद कर दिए हैं) की अवसंरचना आरजीएनआईवाईडी को आवंटित कर दी गई ताकि यह चंडीगढ़ में क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य कर सके।

आरजीएनआईवाईडी के उन्नयन के लिए अतिरिक्त परिव्यय का अनुमोदन

आरजीएनआईवाईडी को ''राष्ट्रीय महत्व का संस्थान'' के रूप में अधिसूचित किए जाने के परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल ने संस्थान की अवसंरचना के उन्नयन और कार्यकलापों के लिए वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 514 करोड़ रु. का कुल परिव्यय अनुमोदित किया है । 514 करोड़ रु. के कुल परिव्यय में आवर्ती व्यय : 172.40 करोड़ रु., अनावर्ती व्यय: 241.60 करोड़ रु. और 100 करोड़ रु. की एक स्थायी निधि बनाना सम्मिलित है ।

2013–14 के दौरान आरजीएनआईवाईडी द्वारा आयोजित कुछ मुख्य कार्यक्रम

आरजीएनआईवाईडी, सीवाईपी एशिया केंद्र और ब्रिटिश कॉउंसिल ने संयुक्त रूप से 4 अप्रैल, 2013 को आरजीएनआईवाईडी में 'युवा नेतृत्व और वैशविक नागरिकता पहल ' पर एक दिवसीय पैनल विचार–विमर्श और अनुसंधान परिणाम प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया । आरजीएनआईवाईडी ने 19 अप्रैल, 2013 को सोशल मीडिया पर एक कार्यशाला आयोजित की।

हॉरिजॉनटल लर्निंग प्रोग्राम (एचएलपी) एक परिणाम आधारित पहल है और निष्पादन करके सीखना– यह ढंग इसे अनोखा बनाता है । इसे लोकप्रिय बनाने के लिए आरजीएनआईवाईडी ने सीआईआरडीएपी, बंग्लादेश के सहयोग से 19–21 अप्रैल, 2013 को एक कार्यक्रम आयोजित किया ।

सामाजिक उद्यमिता पर प्रशिक्षण नियम पुस्तक तैयार की गई और 1–8 अप्रैल, 2013 को इसका आरंभिक प्रशिक्षण इस उद्देश्य से किया गया कि देश में युवा सामाजिक उद्यमियों के दल का सृजन किया जासके । आरजीएनआईवाईडी और फ्रेडरिकबर्ट–स्टिफंग (एफईएस) ने संयुक्त रूप से आरजीएनआईवाईडी के कैम्पस में 3 से 5 मई, 2013 को ''युवा नीति पर दृष्टिकोण का सृजन'' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया और चार विषयक क्षेत्रों अर्थात नागरिकता , शिक्षा, कौशल विकास और कार्य/रोजगार पर चर्चा की गई ।

आरजीएनआईवाईडी में ''राजीव गांधी युवा नेतृत्व प्रशिक्षुता कार्यक्रम (आरजीवाईएलआईपी)–2013'' का आयोजन 15 मई–13 जून, 2013 को देशभर के 16 राज्यों से आए 53 प्रशिक्षुओं के साथ किया गया जो विविध शैक्षिक पृष्ठभूमियों से थे यथा बी.ई, बी.टेक, कृषि , मत्स्य विज्ञान, कोस्टल इकोनोमिक्स , अपराध विज्ञान , समाज कार्य और प्रबंधन

स्नातकोत्तर । आरजीवाईएलआईपी का लक्ष्य इन प्रशिक्षुओं के नेतृत्व गुण को बढ़ाना , संप्रेक्षण कौशल को सुदृढ़ करना और उन्हें सामाजिक अनुभव दिलाना है ।

आरजीएनआईवाईडी ने 2 अगस्त, 2013 को परिवार, युवा और समुदाय विज्ञान विभाग, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के 14 छात्रोंकी मेजबानी इन छात्रों के विदेश अध्ययन कार्यक्रम के रूप में की । आरजीएनआईवाईडी में उन्हें विकेंद्रीकृत शासन, युवाओं को स्थानीय शासन में शामिल करना और भारतमें युवा विकास पर शिक्षित किया गया और उन्होनें स्थानीय पंचायत अध्यक्षों से भी बातचीत की । इसके अलावा कार्यस्थल भ्रमण और एसएचजी सदस्यों के साथ संवाद के लिए उन्हें मादीचूर ग्राम पंचायत के भ्रमण पर भी ले जाया गया ।

सार्क देशों की क्षेत्र विशिष्ट युवा आवश्यकताओं और समस्याओं के मूल्यांकन, सार्क क्षेत्र के विभिन्न देशों की युवा नीतियों पर विचार–विमर्श करने और सार्क देशों की अच्छी कार्य प्रणालियों को अनुसरण हेतु जानने तथा प्रभावी कार्यक्रम और नीति कार्यान्वयन के लिए युवा कर्मियों हेतु एक मंच के सृजन हेतु आरजीएनआईवाईडी में 17–19 सितंबर,2013 को एक विचार–विमर्श सभा का आयोजन किया गया ।6 सार्क देशों से 39 छात्रों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों, राजनीति विज्ञान, रक्षा अध्ययन में शिक्षा अर्जन कर रहे भारतीय अनुसंधान विद्वानों ने इसमें भाग लिया ।

युवाओं की सोच गढ़ने में मीडिया की भूमिका की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए युवा और मीडिया पर 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया जिसके उद्देश्य थे– युवा और मीडिया से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करना , विकास के लिए नए मीडिया, रेडियो, इलैक्ट्रोनिक, और प्रिंट मीडिया में युवाओं की भूमिका पर विचार–विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना, युवाओं पर मीडिया के प्रभावों के विभिन्न पक्षों को जांचना तथा मीडिया में महत्वपूर्ण मुद्दों की भावी और सकारात्मक कवरेजके लिए एक कार्रवाईयोजना / सांकेतिक उपायों का प्रतिपादन करना । कुल 7 विषयक सत्र आयोजित किए गए जिसमें 42 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए और दो विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, सीवाईपी एशिया केंद्र ब्रिटिश काउन्सिल और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ने संयुक्त रूप से दूसरे एशियाई युवा नेता सम्मेलन, 2013 का आयोजन 7–9 अक्तूबर,2013 को बी सी, बी हर्ड,विषय पर आयोजित किया ताकि निर्णय प्रक्रिया में युवाओं के नियोजन/भागीदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके ।

एमएसएसआरएफ, विश्व भारती, एसआरएम विश्वविद्यालय और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान द्वारा 'लीडिंग माइन्ड इनटू एवरवाइडनिंग थॉट एंड एक्शन', विषय पर शांतिनिकेतन में 6–9 दिसम्बर, 2013 को पांचवी भारतीय युवा विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई । भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कांग्रेस में देश भर के 750 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें 8 पूर्ण सत्र थे, युवा वैज्ञानिकों द्वारा 70 प्रस्तुतिकरण दिए गए और युवाओं द्वारा 140 पोस्टर बनाए गए।

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी, शांतिनिकेतन, कोलकाता में पांचवी भारतीय युवा विज्ञान कांग्रेस का उदघाटन करते हुए

आरजीएनआईवाईडी ने 11–20 दिसम्बर, 2013 को तमिलनाडु और पुदुच्चेरी के सुनामी, साइक्लोन और बाढ़ प्रभावित तटीय जिलों के 43 युवा क्लबों के कर्मियों और राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवकों के लिए आपदा से निपटने की तैयारी और जोखिम को घटाने हेतु पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधी 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें विभिन्न

प्रकार के मैपिंग, आपातकाल किट बनाना,गांवो की आपदासे निपटने संबंधी तैयारी की योजना पर महत्वपूर्ण सूचना दी गई और चेन्नई के सुनामी प्रभावित इलाकों में एक दौरा भी आयोजित किया गया । एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीटयूट (108 एम्बुलेंस सेवा) और नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एर्नाकोणम की चौथी बटालियन के माध्यम से प्रैक्टिकल सैशन आयोजित किए गए ।

भारतीय–स्वीडिश शैक्षणिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के रूप में, 16 जनवरी, 2014 को आरजीएनआईवाईडी में स्वीडन के विद्वानों के लिए युवा और लोकतंत्र पर क्षमता निर्माण आयोजित की गई जिसमें स्वीडन के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के सामाजिक विज्ञान के छह विद्वानों और दो संकाय सदस्यों ने भाग लिया। युवा और लोकतंत्र , भारत और इसके समक्षवैश्विक चुनौतियां तथा स्थानीय शासन से युवाओं को जोड़ना– भारत से प्राप्त अनुभव–विषयों पर इंक्टरेक्टिव सत्र आयोजित किए गए । यह कार्यक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ डिवेलप्मेंट रिसर्च एंड कॉरपोरेट एथिक्स, चेन्नई के सहयोग से आयोजित किया गया ।

आरजीएनआईवाईडी ने अंतरराष्ट्रीय मानदंडो की अत्याधुनिक केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना के लिए एक नई अवसंरचना का सृजन किया । जिसमें ई–लाइब्रेरी, इन्ट्रानेट, इन्टरनेट से जुड़ी डिजिटल लाइब्रेरी सुविधाओं सहित युवा संबंधित अध्ययनों तक शोधकर्ताओं और छात्रों की पहुंच उपलब्ध कराई गई है । यह युवा विकास और इससे सम्बद्ध विषयों पर 21,000 विशिष्ट प्रकाशनों के लिए किताबों, जर्नल, वर्किंग पेपर, रिपोर्टों उन्हें, वृत्त चित्रों का एक बहुमूल्य संग्रह है । आरजीएनआईवाईडी केंद्रीय पुस्तकालय भारत सरकार के नॉलेज मिशन के तहत नॉलेज नेटवर्क से भी जुड़ा है । इसके अलावा, युवाओं के लिए शिक्षा सामग्री, जर्नलों में प्रकाशित लेख, केस स्टडी , सफलता की कथाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध व्यावहारिक बुद्धिमता और विभिन्न भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के अनुवाद की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं । अनुसंधान से संबंधित साहित्य तक चौबीसों घंटे पहुंच उपलब्ध कराने हेतु शोध ाकर्ताओं के लिए अलग वर्कस्टेशन भी बनाया गया है । केंद्रीय पुस्तकालय में एक राष्ट्रीय युवा संसाधन केंद्र भी है जो इससे संलग्न है । यह अवसंरचना 20 करोड़ रु. की लागत से बनाई गई है । तत्कालीन युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा 4 मार्च, 2014 को केंद्रीय लाइब्रेरी का उदघाटन किया गया ।

उत्तराखंड के युवा क्लबों के एनवाईसी स्वयंसेवकों और कर्मियों के लिए आपदा से निबटने की तैयारी और जोखिम को घटाने हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जोशीमठ, जिला चमोली, उत्तराखंड में 25–31 मार्च,2014 को आयोजित किया गया । देश के सर्वाधिक आपदाग्रस्त जिलों में से एक चमोली के विभिन्न भागों से कुल 57 प्रतिभागी/प्रतिनिधि चुने गए । आरजीएनआईवाईडी द्वारा यह कार्यक्रम जनमैत्री कल्पघाटी युवा समिति, जोशीमठ के सहयोग से आयोजित किया गया जिसमेंभारतीय सेना, भातिसीपुब, एनआरएचएम, सेव दी चिल्ड्रन,जीएमआर ग्रुप आदि के कार्मिकों द्वारा संसाधन सहायता भी दी गई ।

***

अध्याय –6

राष्ट्रीय युवा कोर (एन वाई सी)

जून 2009 में संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुसरण में देश में वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्कीम आरंभ की गई । इससे पूर्ववर्ती स्कीमें यथा राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम (एनएसवीएस) और राष्ट्रीय सदभावना योजना (आरएसवाइ) को राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्कीम में शामिल कर दिया गया । एनवाईसी स्कीम का कार्यान्वयन नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से किया जाता है ।

स्कीम के तहत, 18–25 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों में स्वयंसेवक के रूप में अधिकतम 2 वर्षों तक सेवा देने के लिए नियोजित किया जाता है । एनवाईसी स्वयंसेवकों के लिए न्यूनतम अर्हता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र होना है और उन्हें प्रतिमाह 2500 रु. का मानदेय दिया जाता है । एनवाईसी स्वयंसेवकों का चयन संबंधित जिले के जिला कलैक्टर / उप–अधीक्षक की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया जाता है । स्वयंसेवकों को कार्यारंभ करने पर 10 दिन का प्रवेश प्रशिक्षण और उनके कार्यकाल के दूसरे वर्ष में 5 दिन का पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है । एनवाईसी स्वयंसेवकों के 2 वर्ष के कार्यकालकी समाप्ति पर नेहरू युवा केंद्र संगठन उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है ताकि वे नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद कोई रोजगार प्राप्त कर सकें । 2 वर्षों के बाद नए एनवाईसी स्वयंसेवकों की भर्ती की जाती है ।

सामान्यतः प्रत्येक ब्लॉक में 2 एनवाईसी स्वयंसेवकों को परिनियोजित किया जाता है । वे ब्लाक में नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं और नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा विभिन्न कार्यकर्मों और पहलों के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं । यह स्कीम नेहरू युवा केंद्र संगठन की उपस्थिति वाले सभी 623 जिलों में लागू की गई है । वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 12383 एनवाईसी स्वयंसेवकों को परिनियोजित किया गया जिनमें से 2103 स्वयंसेवकों ने विभिन्न कारणों से स्कीम छोड़ दी ।

***

अध्याय–7

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एन पी वाई ए डी)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम मंत्रालय की ''एकछत्र स्कीम'' है जिसके अंतर्गत सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों को युवा और किशोर विकास संबंधी कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । यह स्कीम एक अप्रैल 2008 से लागू है । राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित 5 मुख्य घटकों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है :

(क) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण

(ख) राष्ट्रीय एकता का संवर्धन (राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, अंतरराज्यीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम, युवा महोत्सव, बहुसांस्कृतिक कार्यकलाप आदि)

(ग) साहस, संवर्द्धन , तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार

(घ) किशोरों का विकास और सशक्तिकरण (जीवन कौशल शिक्षा, काउंसिलिंग, कैरियर मार्गदर्शन आदि)

(ड.) तकनीकी और संसाधन विकास (युवा मुद्दों पर अनुसंधान और अध्ययन, प्रलेखीकरण, संगोष्ठियां/कार्यशालाएं)

प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश

सरकार द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वित्त पोषित सभी स्वायत्त संगठन, पंजीकृत सोसायटियां, ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन,विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, राज्य स्तर के संगठन अर्थात राज्य सरकारों के विभाग, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान आदि सहायता के लिए पात्र संगठनों में शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 के बाद से इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन करने वाले सभी संगठनों के लिए यह जरूरी है कि वे योजना आयोग द्वारा तैयार ''एनजीओ पार्टनरशिप सिस्टम'' सॉफ्टवेयर पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत कराएं ।

इस स्कीम के लाभग्राही 15–29 वर्ष की आयुवर्ग के युवा और 10–19 वर्ष के आयुवर्ग के किशोर हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के कार्यक्रमों के लिए सहायता के वित्तीय मानक स्कीम में निर्धारित किए गए हैं ।

यह सहायता सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता वाली परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की सिफारिश के आधार पर मंजूर की जाती है । वर्ष 2013–14 के दौरान अखिल भारतीय स्तर के संगठनों के अलावा राज्य स्तर के 125 गैर–सरकारी संगठनों को सहायता संस्वीकृत की गई थी ।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम के घटक (ख) राष्ट्रीय एकता के संवर्धन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 12–16 जनवरी तक एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया जाता है । यह महोत्सव 12 जनवरी (जोकि राष्ट्रीय युवा

दिवस है) को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए शुरू किया जाता है । यह महोत्सव इसकी मेजबानी करने के इच्छुक और इसके लिए साधन–सम्पन्न किसी एक राज्य में आयोजित किया जाता है । यह विभाग महोत्सव की मेजबानी करने के इच्छुक राज्य को 2.00 करोड़ रू. की वित्तीय सहायता प्रदान करता है और शेष खर्च संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन करना अपेक्षित है । इस महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम (प्रतियोगात्मक और गैर–प्रतियोगात्मक दोनों प्रकार के), युवा सम्मेलन, सुविचार, प्रदर्शनी, साहस कार्यक्रम आदि शामिल हैं । सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लगभग 5000 युवा इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं । 18वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मंत्रालयऔर पंजाब सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 12–16 जनवरी, 2014 तक लुधियाना, पंजाब में आयोजित किया गया। लुधियाना में आयोजित इस महोत्सव में श्रीलंका के चार युवाओं ने भी भाग लिया ।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान प्रतिभागी दलों द्वारा मार्च पास्ट

राष्ट्रीय युवा महोत्सव में युवा कलाकारों के शिविर में प्रतिभागी अपने कौशल को प्रदर्शित करते हुए

राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान प्रतिभागियों द्वारा लोक नृत्य का प्रदर्शन

राष्ट्रीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में भारत की पहली टेस्ट–ट्यूब बेबी मैजिकल कौशल का प्रदर्शन करते हुए

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार युवा व्यक्तियों और गैर–सरकारी संगठनों को राष्ट्र निर्माण/समुदाय सेवा के लिए किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं । प्रत्येक पुरस्कार पाने वाले को 40,000/– रु. नकद पुरस्कार और सम्मान स्वरूप एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है । स्वैच्छिक युवा संगठनों को पुरस्कार के स्वरूप एक प्रमाण पत्र तथा 2,00,000/– रु. धनराशि प्रदान की जाती है । इस वर्ष विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से 32 युवाओं और 2 संगठनों को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार 12 जनवरी, 2014 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उदघाटन समारोह में प्रदान किए गए ।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान 2013 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों का वितरण

तेनजिंग नोर्गे साहस पुरस्कार

तेनजिंग नोर्गे साहस पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु में साहस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय मान्यता का उच्चतम पुरस्कार है । इसके लिए प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 5.00 लाख रु. का नकद पुरस्कार,एक प्रतिमा और सम्मान स्वरूप एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है । यह पुरस्कार खेल उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार के समतुल्य है । तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रतिवर्ष अगस्त में आयोजित समारोह में अर्जुन पुरस्कारों के साथ दिए जाते हैं । 29.08.2013 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए ।

ले. कमा. अभिलाष टोमी

मेजर रणवीर सिंह जामवाल

श्री प्रेम सिंह (आईटीबीपी)

नायब सूबेदार परमजीत सिहं सिद्धू

श्री हरि राम (आईटीबीपी)

श्री बसंत सिंह राय

यूएनएफपीए सहायता प्रदत्त किशोर स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना

यह परियोजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए यूएनएफपीए (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि) फंडिंग के एक बृहत कार्यक्रम का हिस्सा है । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किशोरों की क्षमता का विकास करना है । यह परियोजना 2004 से कार्यान्वयनाधीन है (यूएनएफपीए का कंट्री प्लान–6)।11वीं योजना अवधि के दौरान इस परियोजना पर (यूएनएफपीए) का कंट्री प्लान–7) 13.57 करोड़ रु. का कुल व्यय हुआ। इस समय यूएनएफपीए का कंट्री प्लान–8 कार्यान्वयनाधीन है । यह परियोजना एनवाईकेएस के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । वर्ष 2013–14 के दौरान, एनवाईकेएस को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 3 करोड़ रु. की एक धनराशि जारी की गई।

पीबीडी–2014 के प्रथम दिवस को युवा पीबीडी के रूप में मनाना

यह निर्णय लिया गया कि 12वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी), 2014, पीबीडी के प्रथम दिवस अर्थात 7 जनवरी, 2014 को युवा प्रवासियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए युवा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तदनुसार,यह विभाग प्रवासी भारतीय कार्यमंत्रालय के साथ संयुक्त आयोजक के रूप में इस आयोजन से सक्रिय रूप से जुड़ा है।

***

अध्याय– 8

अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आई सी)

प्रस्तावना

यह विभाग अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय एजेनसियों/संगठनों के सहयोग से युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर युवाओं में एक अंतरराष्ट्रीय समझबूझ उत्पन्न करने का प्रयास करता है। यह विभाग युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों यथा यूनाइटेड नेशन्स वालनटियर (यूएनवी)/संयुक्त राष्ट्र विकास निधि (यूनएनडीपी) और राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी) के साथ भी सहयोग करता है।

अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान

विभिन्न देशों के युवाओं के बीच विचारों, मूल्यों और संस्कृति के आदान–प्रदान को बढ़ावा देने तथा शान्ति और समझबूझ को बढ़ावा देने के लिए मित्र देशों के साथ युवा प्रतिनिधि मंडलों का आदान–प्रदान पारस्परिक आधार पर किया जाता है। इससे युवाओं में अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित होने में सहायता मिलती है।

इस समय वर्ष 2006 से यह मंत्रालय चीन (100 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल) के साथ और दक्षिण कोरिया (20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल) के साथ नियमित रूप से वार्षिक युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम चला रहा है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 से बंगलादेश से 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा कर रहा है । इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, परंतु ये आयोजन नियमित रूप से नहीं होते । वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :

अप्रैल, 2013	सचिव, युवा कार्यक्रम ने एक छोटे शिष्टमंडल के साथ, पापुआ न्यू गिनी में 8वीं राष्ट्रमंडल युवा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया ।
मई, 2013	100 सदस्यीय भारतीय युवा शिष्टमंडल का चीन दौरा
अगस्त, 2013	20 सदस्यीय भारतीय युवा शिष्टमंडल का दक्षिण कोरिया दौरा
सितम्बर–अक्तूबर, 2013	20 सदस्यीय दक्षिण कोरियाई युवा शिष्टमंडल का भारत दौरा
अक्तूबर, 2013	100 सदस्यीय बंगलादेशी युवा शिष्टमंडल का भारत दौरा
अक्तूबर–नवम्बर, 2013	2 भारतीय युवा शिष्टमंडलों का इंडोनेशिया युवा जम्बूरी का दौरा
नवम्बर, 2013	■ 100 सदस्यीय चीनी युवा शिष्टमंडल का भारत दौरा ■ राष्ट्रमंडल युवा कोरम बैठक में भाग लेने के लिए 2 भारतीय युवा शिष्टमंडलों का श्रीलंका दौरा
जनवरी, 2014	यूएनएफपीए द्वारा प्रजनन और यौन स्वास्थ्य तथा अधिकार पर आयोजित 7वें एशिया पैसिफिक सम्मेलन के सेटेलाइट सत्र की अध्यक्षता करने के लिए सचिव, युवा कार्यक्रम ने मनीला,फिलीपीन्स का दौरा किया ।
जनवरी–फरवरी, 2014	ग्लोबल लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम''में भाग लेने के लिए 8 सदस्यीय भारतीय युवा शिष्टमंडल ने जापान का दौरा किया ।

माननीय प्रधानमंत्री के साथ चीनी युवा प्रतिनिधि

यह मंत्रालय इस प्रकार के और अधिक युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम शुरू करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है । वर्ष 2013–14 के दौरान कुवैत और बहरीन के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए । इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया, फ्रांस, इजराइल, ब्राजील, टर्की, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना , वियतनाम, बेलारूस, चिली मोजम्बिक आदि सहित विभिन्न अनेक देशों के साथ समझोता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने तथा युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

बंगलादेश से युवा शिष्टमंडल राष्ट्रपति से भेंट करते हुए

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों/सीवाईपी के साथ सहयोग

यूनाइटेड नेशंस वालन्टियर (यूएनवी)/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी): यह मंत्रालय युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इन एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास कर रहा है । इस समय ''एनवाईकेएस और एनएसएस''के सुदृढ़ीकरण/क्षमता विकास'' के लिए यूएनडीपी/यूएनवी के साथ संयुक्त रूप से एक परियोजना तैयार की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय और यूएनडीपी/यूएनवी द्वारा संयुक्त रूप से नवम्बर, 2013 में एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह मंत्रालय यूएनवी कार्यक्रम के लिए भारत के स्वैच्छिक अंशदान के रूप में प्रत्येक वर्ष 15,000 डालर राशि जारी करता है। यह धनराशि 2013–14 में भी जारी की गई।

राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी): सीवाईपी 1974 से अस्तित्व में है। इससे पूर्व सीवाईपी लंदन स्थित इसके मुख्यालय तथा भारत, गुयाना, जामबिया और सोलोमान द्वीपसमूह स्थित 4 क्षेत्रीय केंद्रों से संचालित किया जा रहा था। तथापि 2013–14 के दौरान सीवाईपी ने पुनर्गठन की कवायद के तौर पर अपने सभी क्षेत्रीय केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया । तदनुसार चंडीगढ़ स्थित सीवाईपी का क्षेत्रीय केंद्र 28.02.2014 से बंद कर दिया गया है। नए गठन के अनुसार सीवाईपी से भारत में एक प्रतिनिधि रखने की अपेक्षा है जिसके लिए यह विभाग संबंधित कार्यालय स्थान मुहैया कराने के लिए सहमत हो गया है।

***

अध्याय–9

युवा छात्रावास

युवा छात्रावास का निर्माण युवाओं में यात्रा करनेकी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ताकि वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव ले सकें । युवा छात्रावासों का निर्माण केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम है। केंद्र सरकार निर्माण की लागत वहन करती है जबकि राज्य सरकार पानी, बिजली व गम्य सड़कों सहित पूर्ण रूप से विकसित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराती है । युवा छात्रावास ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों ,शैक्षणिक केंद्रों, पर्यटक महत्व आदि के क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ये छात्रावास वाजिब दरों पर युवाओं को ठहरने की उत्तम जगह उपलब्ध कराते हैं ।

इन युवा छात्रावास की देखरेख,केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंधकों द्वारा की जाती है। यह मंत्रालय अधिमानतः युवा छात्रावास के कैचमेंट क्षेत्र से सेवानिवृत्त ऐसे रक्षा कार्मिकों, जिन्हें हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो, में से युवा छात्रावासों के लिए प्रबंधकों का चयन करता है । नई नियुक्ति नीति के तहत अधिमानतः होटल मैनेजमेंट/युवा विकास/एमबीए/एलएसडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू में डिग्री प्राप्त स्नातक और जिसे हॉस्टल/ होटल इंडस्ट्री या बोर्डिंग स्कूल/गेस्ट हाउस चलाने के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव हो या युवा कार्यक्रमों में कार्यसाधक अनुभव रखने वाले केंद्रीय/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी युवा छात्रावासोंमें प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। आवेदक को संविदा हस्ताक्षर करने की तारीख के समय 35 वर्ष से 62 वर्ष की आयु सीमामें होना चाहिए। यह नियुक्ति 3 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए पूर्णतया संविदा आधार पर की जाती है जिसे प्रबंधक के कार्य निष्पादन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है, परंतु किसी भी स्थिति में 65 वर्ष की आयु के बाद नियुक्ति की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

अभी तक देशभर में 82 युवा छात्रावासों का निर्माण किया जा चुका है और 2 युवा छात्रावास नामतः रोइंग (अरुणाचल प्रदेश) और थोबॉल (मणिपुर) का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। 82 युवा छात्रावासों में से 11 छात्रावासों को युवाओं के और खेल विकास के इष्टतम उपयोग के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)/भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)/संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा शेष 71 छात्रावास विभागके सीधे नियंत्रण में हैं । चार युवा छात्रावासों नामतः डलहौजी (हिमाचल प्रदेश), जोधपुर (राजस्थान), मैसूर (कर्नाटक) और पुडुचेरी आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन युक्त हैं ।

युवा छात्रावासों का विवरण **अनुबंध** IV, V और VI में दिया गया है ।

***

अध्याय–10

स्काउटिंग और गाइडिंग स्कीम

प्रस्तावना

स्काउट और गाइड की स्कीम नामक केंद्रीय स्कीम 1980 के प्रारंभ में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य देश में स्काउट और गाइड अभियान का संवर्धन करना है । यह एक अंतरराष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य युवा लड़कों और लड़कियों में चरित्र निर्माण, विश्वास, आदर्शवाद और देशभक्ति की भावना पैदा करना है । इस प्रक्रिया में स्काउट और गाइड की स्कीम का प्रयास लड़को और लड़कियों में संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास का संवर्धन करना भी है ।

इस स्कीम के तहत स्काउट और गाइड संगठनों को विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों और उत्सवों आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । अन्य बातों के साथ–साथ इन कार्यकलापों में प्रौढ़ साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, समुदाय सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और साफ–सफाई को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं । वर्ष 2013–14 के दौरान इस आशय की एक अतिरिक्त अपेक्षा निर्धारित की गई थी कि सहायता केवल उन स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को दी जाएगी जो विभिन्न खेल परिसंघों के मामले में खेल विभाग द्वारा लागू ''सुशासन'' के मानकों का अनुपालन करते हैं ।

2013–14 के दौरान कार्य निष्पादन/कार्यकलाप

वर्ष 2013–14 के दौरान,विभाग ने भारत स्काउट्स एंड गाइडस, नई दिल्ली को विभिन्न स्काउट और गाइडिंग कार्यकलापों के आयोजन के लिए 2012–13 की दूसरी किस्त के रूप में 48 लाख रु. जारी करने के अलावा 2013–14 के लिए 15 लाख रु. का नियमित अनुदान मंजूर किया ।

वर्ष के दौरान 4 राष्ट्रीय एकीकरण शिविर जिसमें 1358 स्काउट और गाइड शामिल थे,क्षेत्रीय स्तर पर 5 कब– बुलबुल उत्सव जिसमें 800 कब– बुलबुल सहभागी थे तथा जनजातीय ग्रामीण युवा सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया । आपदा प्रबंधन की तैयारी तथा राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों में 473 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया ।35 व्यक्तियों को आपदा राहत कार्यक्रमों के लिए वायरलैस रेडियो पर प्रशिक्षण दिया गया । राष्ट्रीय स्तर पर 38 पाठ्यक्रमों के माध्यम से नेतृत्व और व्यावसायिक कौशल में 2080 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया । पचमरही में आयोजित 22 कार्यक्रमों के माध्यम से 4035 व्यक्तियों को साहस कार्यकलापों का अनुभव कराया गया । स्काउटों और गाइडों ने उत्तराखंड में ''बादल फटने'' के दौरान आयोजित सेवा शिविरों तथा देशभर में विभिन्न उत्सवों के माध्यम से समुदाय को एक लाख घंटे से अधिक समय तक सेवाएं उपलब्ध कराई । भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के माध्यम से प्रायोजन / स्कालरशिप कार्यक्रमों के साथ जापान, श्रीलंका, नेपाल, सउदी अरब,आस्ट्रिया और बंगलादेश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिविरों और सभाओं में भारत से 200 से अधिक युवाओं ने भाग लिया ।

***

सत्यमेव जयते

अध्याय – 11

आर एफ डी

युवा कार्यक्रम विभाग के लिए

परिणाम–रूपरेखा दस्तावेज

(2013–14)

खंड 1:
विजन, मिशन, उद्देश्य और कार्य

विजन

युवाओं के विकास और सशक्तिकरण हेतु अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी पूर्ण संभाव्यता को प्राप्त करने में सक्षम हों और उन्हें राष्ट्र–निर्माण के कार्य–कलापों में सहभागी बनाना ।

मिशन

- युवाओं में अच्छी नागरिकता और स्वयंसेविता के गुणों का विकास करना ।
- युवा नेतृत्व का विकास करना ।
- पूर्वोत्तर, जम्मू–कश्मीर, अन्य कठिन और पिछड़े क्षेत्रों तथा जोखिम सम्भावित युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना ।

उद्देश्य

1 सामुदायिक सेवा के माध्यम से अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास करना ।

2 युवाओं में स्वयंसेविता की भावना को सुदृढ़ करना ।

3 युवाओं के लिए रोजगार देयता और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना ।

4 युवा विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना ।

5 साहस कार्यकलापों को प्रोत्साहन ।

6 युवा दौरों और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना ।

7 अंतरराष्ट्रीय परिदृष्य को समझने में युवाओं की सहायता करना ।

8 युवा कार्यक्रमों पर अन्य विभागों के साथ समाभिरूपता बनाए रखना ।

कार्य

1 राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को कार्यान्वित करना ।

2 नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और इसके कार्यक्रमों का संचालन और निगरानी करना ।

3 राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) का संचालन और वित्त पोषण तथा इसके कार्यक्रमों की निगरानी करना ।

4. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) को कार्यान्वित करना ।

5. राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्कीम को कार्यान्वित करना ।

6. युवा दौरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवा हॉस्टलों के कार्यकरण में सुधार करना ।

7. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी) के साथ रचनात्मक भागीदारी करना और युवा शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान करना ।

8. युवा उत्सवों का आयोजन करना ।

9. युवाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करना ।

10. स्काउट व गाइड कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करना ।

11. अन्य विभागों के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उनके साथ समन्वय की संभावनाओं का पता लगाना ।

खंड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाइ	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
[1] सामुदायिक सेवा के माध्यम से अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास करना	18.00	[1.1] राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के नियमित कार्यक्रम	[1.1.1] स्वयंसेवकों का 120 घंटे कार्य करना	संख्या	6.00	3255000	3100000	2604000	2278500	1953000
			[1.1.2] ग्राम/स्लम को अपनाना	ग्राम/स्लम की संख्या	3.00	13600	12500	10880	9520	8160
			[1.1.3] अपनाए गए ग्रामों/स्लम में विशेष शिविरों का आयोजन	शिविरों की संख्या	3.00	13600	12500	10880	9520	8160
		[1.2] राष्ट्रीय सेवा योजना कर्मियों का क्षमता निर्माण	[1.2.1] ईटीआई में प्रशिक्षण	प्रशिक्षित पीओ की संख्या	3.00	4600	4140	3680	3220	2760
		[1.3] स्वयंसेवकों और एनएसएस कर्मियों को मान्यता प्रदान करना	[1.3.1] इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार वितरण	पुरस्कारों की संख्या	1.00	52	47	42	37	32
		[1.4] टीआईएसएस रिपोर्ट पर आधारित कार्य योजना तैयार करना	[1.4.1] कार्य योजना को अंतिम रूप देना	तिथि	2.00	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/.2014
[2] युवाओं में स्वयंसेविता की भावना सुदृढ़ करना	8.00	[2.1] राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवकों का भर्ती प्रशिक्षण	[2.1.1] एनवाईसी को प्रशिक्षण प्रदान करना	स्वयंसेवकों की संख्या	3.00	12000	10000	9000	8000	7000
		[2.2] युवा विकास को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम	[2.2.1] सहभागियों के साथ कौशल प्रशिक्षण	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	2.00	10000	9000	8000	7000	6000
			[2.2.2] युवा क्लब आदान–प्रदान कार्यक्रम	युवा क्लब सदस्यों की संख्या	1.00	800	700	600	500	400
			[2.2.3] जीवन कौशल शिक्षा और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रबंधकौशल का प्रशिक्षण	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	1.00	800	700	600	500	400

खंड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाइ	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
			[2.2.4] युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	युवा क्लबों की संख्या	1.00	16000	15000	14000	13000	12000
[3] युवाओं में रोजगार और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना ।	19.00	[3.1] एटीडीसी/एनएसडीसी के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	[3.1.1] युवाओं को प्रशिक्षण युवाओं की संख्या	6.00	6.00	2000	1900	1800	1700	1600
		[3.2] महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	[3.2.1] महिला स्वयंसेवकों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	7.00	81000	80000	75000	70000	60000
			[3.2.2] एक बाहरी एजेंसी द्वारा कार्यक्रम की उपयोगिता का त्वरित मूल्यांकन	तिथि	1.00	31/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014
		[3.3] ग्रामीण दस्तकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी व विपणन	[3.3.1] युवा कृति और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया गया	प्रदर्शनी और उत्सवों की संख्या	5.00	32	30	28	25	20
[4] युवा विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना	17.00	[4.1] आरजीएनआईवाईडी द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण	[4.1.1] संसाधन कार्मिक को प्रशिक्षित किया गया	व्यक्तियों की संख्या	3.00	1300	1170	1040	910	780
		[4.2] अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे क्षमता निर्माण/मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का आयोजन	[4.2.1] प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	व्यक्तियों की संख्या	3.00	3400	3060	2720	2380	2040
		[4.3] कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन	[4.3.1] विभिन्न शिल्पकलाओं में युवाओं को प्रशिक्षण	संख्या	2.0	1040	936	832	728	624

खंड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाइ	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
			[4.3.2] एनसीबीटी के साथ विभिन्न विधाओं में युवाओं को प्रशिक्षण	संख्या	3.00	3000	2700	2400	2100	1800
		[4.4] प्रशिक्षण नियमावली / सामग्री की तैयारी करना	[4.4.1] नियमावली / सामग्री पूरी तरह तैयार की जानी है	संख्या	1.00	5	4	3	2	1
		[4.5] युवा विकास पर शैक्षणिक कार्यक्रम	[4.5.1] युवा विकास में 5 एमए. कार्यक्रमों की पेशकश	प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या	4.00	100	90	80	70	60
			[4.5.2] प्रमाणपत्र / डिप्लोमा कार्यक्रमों का आयोजन	पंजीकृत किए जाने वाले छात्रों की संख्या	1.00	120	108	96	84	72
[5] साहसिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना	6.00	[5.1] मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा साहसिक कार्यकलाप	[5.1.1] स्वयंसेवकों की भागीदारी	स्वयंसेवकों की संख्या	6.00	2000	1800	1600	1400	1200
[6] युवा दौरों और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना	7.00	[6.1] पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों (एनआईसी) का आयोजन	[6.1.1] शिविरों का आयोजन करना	शिविरों की संख्या	2.00	100	90	80	70	60

खंड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाइ	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		[6.2] जिला/ब्लॉक स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम	[6.2.1] सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	कार्यक्रमों की संख्या	2.00	1830	1700	1500	1100	1000
		[6.3] जिला युवा उत्सव/सम्मेलन	[6.3.1] उत्सवों/सम्मेलनों का आयोजन	उत्सवों की संख्या	2.00	623	600	500	400	300
		[6.4] उद्देश्य नं. 6 से संबंधित कार्यक्रमों का प्रभाव/गुणवत्ता का मूल्यांकन	[6.4.1] राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन	कार्यशालाओं की संख्या	1.00	7	6	5	4	3
[7] युवाओं को अंतरराष्ट्रीय परिदृष्य को समझने में सहायता करना	5.00	[7.1] राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी) का कार्यान्वयन	[7.1.1] सीवाईपी के सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन	कार्यक्रमों की संख्या	2.00	4	3	2	2	1
		[7.2] अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम का कार्यान्वयन	[7.2.1] आदान–प्रदान दौरों (भ्रमण व मेजबानी) की संख्या	दौरों की संख्या	2.00	8	7	6	5	4
		[7.3] अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन	[7.3.1] कार्यशाला आयोजन	तिथि	1.00	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014
[8] युवा मामलों पर अन्य विभागों के साथ समाभिरूपता	5.00	[8.1] गृह मंत्रालय जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम	[8.1.1] प्रतिभागियों के दौरे	संख्या	5.00	1200	1000	900	800	700
* आरएफडी प्रणाली का कुशल कार्यकरण	3.00	आरएफडी मसौदा 2014–15 को अनुमोदन के लिए समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत	तिथि	2.00	05/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	11/03/2014

खंड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाइ	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		समय पर परिणाम 2012–13 प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत	तिथि	1.00	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक कार्यकुशलता /प्रभावनीयता / पारदर्शिता / सेवा निष्पादन में सुधार	6.00	नागरिक/ क्लाइंट चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.00	100	95	90	85	80
		शिकायत निपटान प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.00	100	95	90	85	80
		12वी योजना की प्राथमिकताओं के साथ विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना	कार्यनीति को समय पर अद्यतन करना	तिथि	2.00	10/09/2013	17/09/2013	24/09/2013	01/10/2013	08/10/2013
* प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभाव्य जोखिम को कम करने के लिए न्यूनकरणी कार्यनीतियों को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	1.00	100	95	90	85	80
		अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.00	100	95	90	85	80
		नवीकरण कार्य योजना (आईएपी) को कार्यान्वित करना	प्राप्त उपलब्धियों का प्रतिशत	प्रतिशत	2.00	100	95	90	85	80
		द्वितीय एआरसी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग की मुख्य और अन्य क्रियाकलापों की पहचान	समय पर प्रस्तुत	तिथि	1.00	01/10/2013	15/10/2013	30/10/2013	10/11/2013	20/11/2013

* अनिवार्य उद्देश्य

खंड 3:
मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष 13/14	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 14/15	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 15/16
[1] सामुदायिक सेवा के माध्यम से अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास करना	[1.1] राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के नियमित कार्यक्रम	[1.1.1] स्वयंसेवकों द्वारा 120 घंटे कार्य	संख्या	3250000	3235000	3255000	3255000	3255000
		[1.1.2] गांव/स्लम का अपनाना	गांवों /स्लम की संख्या	13400	13600	13600	13600	13600
		[1.1.3] अपनाए गए गांव/स्लम में विशेष कैंपों का आयोजन करना	कैंपों की संख्य	.	.	13600	13600	13600
	[1.2] राष्ट्रीय सेवा योजना कर्मियों का क्षमता निर्माण	[1.2.1] ईटीआई में प्रशिक्षण	प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या	.	.	4600	4600	4600
	[1.3] स्वयंसेवकों और राष्ट्रीय सेवा योजना कर्मियों को मान्यता प्रदान करना	[1.3.1] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कारों का वितरण	पुरस्कारों की संख्या	.	.	52	52	52
[2] युवाओं में स्वयंसेविता की भावना सुदृढ़ करना	[2.1] राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवकों का भर्ती प्रशिक्षण	[2.1.1] राष्ट्रीय युवा कोर को प्रशिक्षित करना	स्वयंसेवकों की संख्या	.	.	12000	12000	12000
	[2.2] युवा विकास को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम	[2.2.1] भागीदारों के साथ कौशल प्रशिक्षण	प्रतिभागियों की संख्या	.	.	10000	10000	10000
		[2.2.2] युवा क्लब आदान–प्रदान कार्यक्रम	युवा क्लब सदस्यों की संख्या	.	.	800	800	800
		[223] युवाओंको जीवन कौशल शिक्षा और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौशल प्रशिक्षण	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	.	.	800	800	800

खंड 3:
मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष 13/14	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 14/15	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 15/16
		[2.2.4] युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	युवा क्लबों की संख्या	.	.	16000	.	.
[3] युवाओं में रोजगारपरकता और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना	[3.1] एटीडीसी /एनएसडीसी के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	[3.1.1] युवाओं का प्रशिक्षण	युवाओं की संख्या	.	.	2000	.	.
	[3.2] महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	[3.2.1] महिला स्वयंसेवकों का कौशल उन्नयन	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	.	80000	81000	.	.
	[3.3] ग्रामीण दस्तकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी एवं मार्किटिंग	[3.3.1] युवा कृति और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया गया ।	प्रदर्शनी और महोत्सवों की संख्या	25	28	32	32	32
[4[युवा विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना	[4.1] आरजीएनआईवाईडी द्वारा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी)	[4.1.1] प्रशिक्षित संसाधन कार्मिक	व्यक्तियों की संख्या	1200	1300	1300	1300	1300
	[4.2] अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे क्षमता निर्माण/मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का आयोजन	[4.2.1] प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना	व्यक्तियों की संख्या	.	.	3400	3400	3400
	[4.3] कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना	[4.3.1] विभिन्न कौशल विधाओं में युवाओं को प्रशिक्षित करना	संख्या	.	.	1040	.	.

खंड 3:
मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष 13/14	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 14/15	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 15/16
		[4.3.2] एनसीवीटी सहित विभिन्न कौशल विधाओं में युवाओं का प्रशिक्षण	संख्या	.	.	3000	3000	3000
	[4.4] प्रशिक्षण नियमावली/सामग्री को तैयार करना	[4.4.1] नियमावली/सामग्री को तैयार किया जाना है	संख्या	.	12	5	5	5
	[4.5] युवा विकास पर शैक्षणिक कार्यक्रम	[4.5.1] युवा विकास में पांच एम.ए. कार्यक्रम का प्रस्ताव	प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या	.	.	100	100	100
		[4.5.2] प्रमाणपत्र/डिप्लोमा कार्यक्रमों को संचालित करना	पंजीकृत किए जाने वाले छात्रों की संख्या	.	.	120	.	.
[5] साहस कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना	[5.1] साहस कार्यकलाप	[5.1.1] स्वयंसेवकों की भागीदारी	स्वयंसेवकों की संख्या		.	2000	2000	2000
[6] युवाओं को भ्रमण और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना	[6.1] पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण कैंपों (एनआईसी) का आयोजन	[6.1.1] शिविरों का आयोजन	शिविरों की संख्या	95	100	100	100	100
	[6.2] जिला/ब्लॉक स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम	[6.2.1] सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	कार्यक्रमों की संख्या	.	.	1830	1830	1830
	[6.3] जिला युवा उत्सवों/सम्मेलनों का आयोजन	[6.3.1] उत्सवों/सम्मेलनों का आयोजन	उत्सवों की संख्या	.	.	623	623	623
	6.4, उद्देश्य नं. 6 से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभाव/गुणवत्ता का मूल्यांकन	6.4.1, राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन	कार्यशालाओं की संख्या	2	6	7	7	7

खंड 3:

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष 13/14	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 14/15	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 15/16
[7] युवाओं को अंतरराष्ट्रीय परिदृष्य को समझने में सहायता करना	[7.1] राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी) का कार्यान्वयन	[7.1.1] सीवाईपी के सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन	कार्यक्रमों की संख्या	.	4	4	4	4
	[7.2] अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम का कार्यान्वयन	[7.2.1] आदान–प्रदान दौरों (भेजना व मेजबानी) की संख्या	दौरों की संख्या	8	8	8	8	8
	[7.3] अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के प्रभाव/गुणवत्ता का मूल्यांकन	[7.3.1] कार्यशाला का आयोजन	तिथि	.	31/08/2012	30/09/2013	.	.
[8] युवा कार्यक्रमों पर अन्य विभागों के साथ समाभिरूपता	[8.1] गृह मंत्रालय जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम	[8.1.1] प्रतिभागियों के दौरे	संख्या	900	1000	1200	.	.
*आरएफडी प्रणाली का कुशल कार्यान्वयन	समय पर आरएफडी मसौदा 2014–15 को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत	तिथि	07/03/2011	06/03/2012	05/03/2013	.	.
	समय पर परिणाम 2012–13 प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत	तिथि	.	.	02/05/2014	.	.
*मंत्रालय/विभाग की आंतरिक कार्य–कुशलता/प्रभावनीयता/पारदर्शिता/सेवा निष्पादन में सुधार	नागरिक/ क्लाइंट चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	.	.	95	.	.

खंड 3:

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष 13/14	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 14/15	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 15/16
	लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	.	.	95	.	.
	12वीं योजना की प्राथमिकताओं को शामिल करते हुए विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना	कार्यनीति को समय पर अद्यतन करना	तिथि	.	.	17/09/2013	.	.
* 'प्रशासनिक सुधार	भ्रष्टाचार के संभाव्य जोखिम को कम करने के लिए न्यूनकरणी कार्यनीतियों को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	.	.	95	.	.
	अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	.	.	95	.	.
	नवीकरण कार्य योजना (आईएपी) को कार्यान्वित करना	प्राप्त उपलब्धियों का प्रतिशत	%	.	.	95	.	.
	द्वितीय एआरसी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय /विभाग के मुख्य और अन्य कार्यकलापों की पहचान	समय पर प्रस्तुत	तिथि	.	.	15/10/2013	.	.

* अनिवार्य उद्देश्य

खंड 4:
संक्षिप्ताक्षर

क्र.सं.	संक्षिप्ताक्षर	विवरण
1	एटीडीसी	अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन कॉर्पोरेशन
2	सीवाईपी	राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम
3	ईटीआई	इमपैनल्ड ट्रेनिंग इंस्टीटयूट
4	एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
5	एनआईसी	राष्ट्रीय एकीकरण शिविर
6	एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
7	एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
8	एनवाईसी	राष्ट्रीय युवा कोर
9	एनवाईकेएस	नेहरू युवा केंद्र संगठन
10	पीओ	कार्यक्रम अधिकारी
11	आरजीएनवाईडी	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
12	केवीके	कृषि विज्ञान केंद्र
13	टीआईएसएस	टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंसेस

खंड 4:

सफलता सूचकों का विवरण व परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र.सं.	सफलता सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणियां
1	[1.1.1] स्वयंसेवकों द्वारा 120 घंटे कार्य करना	प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक के लिए प्रतिवर्ष 120 घंटों का कार्य लगातार दो वर्षों तक आवश्यक है जिसमें एनएसएस से संबंधित 20 घंटों का सामान्य अभिविन्यास और उनकी स्वयंसेविता के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं ।	एक एनएसएस स्वयंसेवक को दो वर्षों के अंत में एनएसएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 120 घंटे स्वयंसेवा का कार्य करना आवश्यक है ।	पंजीकृत स्वयंसेवकों की संख्या	
2	[1.1.2] गांव/स्लम को अपनाना	एनएसएस कर्मियों द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य , वृक्षारोपण, साक्षरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत/एतिहासिक विरासत, आंकड़ों का संकलन इत्यादि जैसे एनएसएस कार्यकलापों को करने के लिए गांवों को अपनाया जाता है ।	एनएसएस कार्यकलापों के लिए गांवों को चयनित किया गया है ।	अपनाए गए गांवों की संख्या	
3	[1.1.3] अपनाए गए गांवों /स्लम में विशेष कैंपों का आयोजन	अपनाए गए गांवों में केंद्रीकृत रूप से एनएसएस कार्यकलाप करने के लिए शिविरों का आयोजन किया गया है ।	विशेष शिविर लम्बी अवधियों और कार्यकलापों के शिविर हैं जो स्थानीय जरूरतों पर आधारित हैं ।	अपनाए गए गाँवों/स्लम की संख्या	शून्य
4	[1.2.1] ईटीआई में प्रशिक्षण	चूंकि एनएसएस कर्मियों का विभिन्न संस्थाओं में तीन वर्ष का कार्यकाल होता है अतः एक तिहाई कर्मियों का प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आवश्यक है । प्रशिक्षण का संचालन इमपैनल्ड ट्रेनिंग इंस्टीटयूट के द्वारा किया जाता है ।	ईटीआई इमपैनल्ड ट्रेनिंग इंस्टीटयूट हैं जिनमें एनएसएस के विभिन्न कर्मी के रूप में अधिकारियों और कार्यक्रम अधिकारी का प्रशिक्षण उनकी क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक है ।	प्रशिक्षित अधिकारियों / कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या	शून्य
5	[1.3.1] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार का वितरण	राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों, कर्मियों और संस्थाओं को एनएसएस संबंधी कार्यों में उनके सराहनीय योगदान को मान्यता देने के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ।	कार्य को मान्यता प्रदान के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ।	स्वयंसेवकों, कर्मियों और संस्थाओं का चयन	शून्य

खंड 4:
सफलता सूचकों का विवरण व परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र.सं.	सफलता सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणियां
6	[2.1.1] राष्ट्रीय युवा कोर का प्रशिक्षण	नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंतर्गत होने वाले कार्यकलापों जैसे कि आम जनता के साथ एनवाईकेएस का सम्पर्क, एनवाईकेएस के कार्यकलापों की निगरानी करना, विभिन्न अभियानों का आयोजन करना, आंकड़ों का संकलन इत्यादि के बारे में एनवाईसी को जागरूक करने के लिए भर्ती प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है ।	चूंकि भर्ती किए गए स्वयंसेवक नए सदस्य हैं, इसलिए उनको संगठन की कार्य प्रणाली, संगठनों की विभिन्न स्कीमों और उनके कार्यान्वयन के बारे में सूचित करना आवश्यक है ।	प्रशिक्षित राष्ट्रीय युवा कोर की संख्या	शून्य
	[1.4.1] टीआईएसएस रिपोर्ट पर आधारित कार्य योजना को तैयार करना	कौशल विकास संबंधी पहल के द्वारा टीआईएसएस के सहयोग से राष्ट्रीय सेवा योजना का पुनर्गठन ताकि स्नातक करने वाले युवा निमज्ज सामुदायिक परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार संबंधी कौशल प्राप्त करें ।	छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	निर्धारित तिथि के अंदर कार्य योजना को अंतिम रूप देना ।	
7	[2.2.1] भागीदारों के साथ कौशल प्रशिक्षण	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), केवीके, एटीडीसी और फ्यूचर ग्रुप को युवाओं को आवश्यकता आधारित कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया गया है ।	युवाओं की रोजगारपरकता को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञ संगठनों /भागीदारों के सहयोग से युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योजना का निर्धारण किया गया है ।	विभिन्न कौशल विधाओं में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	शून्य
8	[2.2.2] युवा क्लब आदान प्रदान कार्यक्रम	विभिन्न युवा क्लबों से यह आशा की जाती है कि वे एक–दूसरे के साथ अपने अनुभवों सफलता की कहानियों और अच्छे व्यवहारों को साझा करेंगे। इसे युवा क्लब आदान–प्रदान कार्यक्रम के आयोजन द्वारा प्राप्त करने की आशा की जाती है	विभिन्न युवा क्लबों में अनुभवों को साझा करने के लिए इसके सदस्यों की बैठक/ संपर्क का आयोजन करना	युवा क्लब आदान–प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या	शून्य

खंड 4:

सफलता सूचकों का विवरण व परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र.सं.	सफलता सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणियां
9	[2.2.3] जीवन कौशल शिक्षा और संघर्ष प्रबंधन में युवाओं का प्रशिक्षित करना	एनवाईकेएस से यह भी आशा की जाती है कि वह ग्रामीण युवाओं को आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करे । एनवाईकेएस द्वारा इसे जीवन कौशल शिक्षा और संघर्ष प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसमें प्रशिक्षित संसाधन कार्मिकों को ग्रामीण युवाओं से विशेषज्ञ वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।	अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार के लिए क्षमताओं को विकसित करने पर बल दिया जाता है जो व्यक्तियों को दिन–प्रतिदिन के जीवन की मांग और परिवर्तनों को प्रभावशाली रूप से निपटा सकने में समर्थ बनाएं ।	जीवन कौशल शिक्षा और संघर्ष प्रबंधन में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	शून्य
10	[2.2.4] युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	ग्रामीण युवाओं को शारीरिक रूप से तंदरूस्त और कार्यशील होने के साथ–साथ एक स्वस्थ वातावरण के साधन के रूप में कम से कम एक खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया । एनवाईकेएस गांवों में खेल क्लबों को तैयार करने में सहायता करता है और युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु खेल सामग्री का वितरण करता है ।	चयनित युवा क्लबों को खेल सामग्री जैसे फुटबांल, बॉलीबाल, नेट्स इत्यादि दिए गए हैं ।	युवा क्लबों की संख्या जिन्हें खेल सामग्री वितरित की जा चुकी है ।	शून्य
11	[3.1.1] युवाओं का प्रशिक्षण	युवा रोजगारपरकता कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत एनवाईकेएस, एनएसडीसी और इसी प्रकार की अन्य एजेंसियों के सहयोग से ग्रामीण युवाओं को विभिन्न कार्पोरेट सेक्टरों में उनकी रोजगारपरकता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन करता है ।	युवाओं को किसी एक या अन्य प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है ताकि वे समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में अपने आपको प्रमाणित कर सकें और सम्मानित नागरिकों के रूप में जीवन व्यतीत करें ।	कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	शून्य

खंड 4:
सफलता सूचकों का विवरण व परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र.सं.	सफलता सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणियां
12	[3.2.1] महिला स्वयंसेवकों का कौशल उन्नयन	एनवाईकेएस में महिलाओं के लिए एक विशेष कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत 81,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है । बेहतर प्रौद्योगिकी और पद्धतियों , उत्पादों की मार्केटिंग इत्यादि के प्रयोग द्वारा परम्परागत कार्यों में कौशल को बढ़ाने पर जोर है ।	महिला स्वयंसेवकों के कौशल को उन्नयित करने के लिए कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।	कौशल विकास में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	शून्य
13	[3.3.1] युवाकृति और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन	एनवाईकेएस ग्रामीण शिल्पकारों /स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के हस्तशिल्पों की मार्केटिंग को सरल बनाने के लिए युवा कृति और सांस्कृतिक उत्सवों को आयोजित करता है तथा इस प्रकार परम्परागत कला और संस्कृति को जीवित रखने में भी मदद करता है ।	युवा क्लबों द्वारा तैयार हस्तशिल्पों / हथकरघों के उत्सव	आयोजित प्रदर्शनियों और उत्सवों की संख्या	शून्य
14	[4.1.1] प्रशिक्षित संशाधन कार्मिक	आरजीएनआईवाईडी विभाग का थिंक टैंक होने के साथ–साथ विभाग के विभिन्न संगठनों के अंतर्गत उपलब्ध कर्मियों /प्रशिक्षुओं को युवा संबंधी मुद्दों पर उनकी क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भी वहन करता है ।	विभिन्न एनएसएस, एनवाईकेएस और अन्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है ।	प्रशिक्षित प्रशिक्षितों की संख्या	शून्य
15	[4.2.1] प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना	अन्य संगठनों/संस्थाओं द्वारा क्षमता निर्माण और मांग पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है ।	आरजीएनआईवाईडी थिंक टैंक और संसाधन केंद्र होने की वजह से अन्य संगठन द्वारा मांग पर प्रशिक्षण का भी आयोजन करता है।	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	शून्य

खंड 4:
सफलता सूचकों का विवरण व परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र.सं.	सफलता सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणियां
16	[4.3.2] एनसीवीटी के साथ विभिन्न कौशल में युवाओं का प्रशिक्षण	आरजीएनआईवाईडी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से युवाओं/छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौशल प्रशिक्षण कोर्स को आयोजित करता है ।	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से आयोजित किया गया प्रशिक्षण	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	शून्य
17	[4.5.1] युवा विकास में 5 एम.ए. कार्यक्रम प्रस्तावित करना	आरजीएनआईवाईडी अपने नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत युवा विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 5 स्नातकोत्तर स्तरीय कोर्सों और प्रमाणपत्र/डिप्लोमा कोर्सों को भी संचालित करता है ।	(1) युवा सशक्तिकरण, (2) कैरियर काउंसलिंग, (3) जेंडर स्टडीज, (4) स्थानीय शासन और (5) जीवन कौशल शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.ए.)	पंजीकृत छात्रों की संख्या	शून्य
18	[4.5.1] स्वयंसेवकों की सहभागिता	राजीव गांधी साहस कार्यक्रम के तहत एन एस एस अपने स्वयं सेवकों में पर्वतारोहण जल वायु और मरूस्थल संबंधी विभिन्न साहसिक कार्यकलाप करता है।	स्वयंसेवकों में दल भावना और साहसिक कार्य को बढ़ावा देना	सहभागी स्वयंसेवकों की संख्या	शून्य
19	[6.1.1] शिविरों का आयोजन	राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनवाईकेएस द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण कैम्पों (एनआईसी) को आयोजित किया जाता है जिसमें कम से कम पांच राज्यों से युवाओं की सहभागिता को शामिल करना है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनारों प्रसिद्ध व्यक्तियों के व्याख्यानों जैसी गतिविधियों इत्यादि को सम्मिलित करना है ।	राष्ट्रीय एकीकरण शिविर देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं में समझबूझ और शान्ति को विकसित करने के महत्वपूर्ण साधन हैं।	आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों की संख्या	शून्य

खंड 4:
सफलता सूचकों का विवरण व परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र.सं.	सफलता सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणियां
20	[7.1.1] सीवाईपी के सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन	युवा कार्यक्रम विभाग सीवाईपी, एशिया सेंटर, चण्डीगढ़ के सहयोग से युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे कि युवा सशक्तिकरण, मानव संसाधन विकास, युवा उद्यमिता इत्यादि पर कार्यक्रमों का आयोजन करता है ।	सीवाईपी राष्ट्रमंडल देशों के लिए राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम है । सीवाईपी के सहयोग से व्यय की हिस्सेदारी के आधार पर युवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें एशियापैसिफिक क्षेत्र से सहभागियों को आमंत्रित किया गया ।	आयोजित कार्यक्रमों की संख्य	शून्य
21	[7.2.1] आदान–प्रदान दौरों की संख्या (भेजना और मेजबानी)	मित्र देशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडलों के आदान–प्रदान को युवाओं को अंतरराष्ट्रीय परिदृष्य को समझने और शांति तथा समझबूझ को बढ़ावा देने के लिए उनकी सहभागिता को एक कारगर साधन के रूप में संकल्पित किया गया है ।	दूसरे देशों को भेजे गए भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल और दूसरे देशों से आए युवा प्रतिनिधिमंडल की संख्या	युवा आदान–प्रदान दौरों की संख्या	शून्य
22	[8.1.1] सहभागियों का दौरा	गृह मंत्रालय के साथ समाभिरूपता की यह विभाग की पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय युवाओं को सरकार द्वारा संचालित जनजातीय विकास और शांति तथा सदभाव के मूल्यों का संवंर्धन करने वाली विकासात्मक गतिविधियों की मुख्य धारा में लाना है ।	गृह मंत्रालय द्वारा निदर्शित विभिन्न स्थानों पर जनजातीय युवा समागमों का आयोजन किया गया	आदान– प्रदान कार्यक्रम में जनजातीय युवा सहभागियों की संख्या	शून्य

खंड 5:
अन्य विभागों की विशिष्ट निष्पादन अपेक्षाएं

राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंद्ध सफलता सूचक	इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं	इन अपेक्षाओं के लिए औचित्य	संगठन से आपकी कितनी अपेक्षाएं हैं	यदि आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो इसके क्या परिणाम हैं
	मंत्रालय	गृह मंत्रालय	8.1.1, सहभागियों का दौरा	कार्यक्रम के लिए मंजूरी और निधियों को जारी करने का मुद्दा	कार्यान्वयन परियोजना पर आधारित है	प्रथम किस्त अर्थात निधियों का कम से कम 50% सितम्बर / अक्तूबर 2013 तक	निधियों को जारी करने की सीमा से परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब

खंड 6:
विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव	निष्कर्ष/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित विभाग/मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14	वित्तीय वर्ष 14/15	वित्तीय वर्ष 15/16
1 युवा छात्रों में एनएसएस के माध्यम से समुदाय सेवा की भावना उत्पन्न करना		एनएसएस स्वयंसेवकों का 120 घंटे कार्य करना	संख्या	3250000	3235000	3255000		
2 युवाओं में स्वयंसेविता की भावना सुदृढ़ करना		भागीदारों के साथ कौशल प्रशिक्षण	भागीदारों की संख्या			10000		
3 युवा रोजगारपरकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना		युवाओं का प्रशिक्षण	संख्या			2000		
		महिला स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण	संख्या		80000	81000		
4 युवाओं में साहसिकता की भावना को विकसित करना		युवाओं का साहसिक कार्यों में प्रशिक्षण	संख्या			2000		
5 युवाओं में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना		राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों का आयोजन	शिविरों की संख्य		100	100		

खंड 6:
विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव	निष्कर्ष/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित विभाग/मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14	वित्तीय वर्ष 14/15	वित्तीय वर्ष 15/16
6 जनजातीय युवाओं को सरकार द्वारा संचालित जनजातीय विकास और शांति तथा सदभाव के मूल्यों का संवर्धन करने वाली विकासात्मक गतिविधियों की मुख्य धारा में लाना	गृह मंत्रालय	सहभागियों की संख्या	संख्या	900	1000	1200		
7 ग्रामीण युवाओं को युवा क्लबों के माध्यम से खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना		युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	युवा क्लबों की संख्या			16000		
8 एनसीवीटी युक्त प्रमाणन रोजगार के लिए युवाओं के लिए कौशल वृद्धि करना		विभिन्न कौशल विधाओं में युवाओं का प्रशिक्षण	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या			3000		

खेल विभाग

अध्याय–12

खेल

खेलकूद को सदैव ही मानव के व्यक्तित्व के समग्र विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा गया है। मनोरंजन के साधन तथा शारीरिक स्वस्थता के अतिरिक्त खेलकूद ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा समाज को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में उपलब्धि सदैव ही राष्ट्रीय गौरव तथा प्रतिष्ठा का स्रोत रहा है।

आधुनिक खेल अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं जिससे आधुनिक उपकरण, आधारभूत ढांचे तथा उन्नत वैज्ञानिक सहायता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद का परिदृष्य बदल दिया है। उन्नत उपकरण, आधारभूत ढांचा तथा वैज्ञानिक सहायता हेतु बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनेक नए कदम उठाए हैं और यह वैज्ञानिक तथा उपकरण सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण व अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी से खिलाड़ियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय खेल नीति संबंधी पहल

पूर्ववर्ती योजनाओं के समय से ही शारीरिक शिक्षा क्रीड़ाओं और खेलकूद पर ध्यान दिया जा रहा है। तथापि, 1982 में भारत द्वारा नौवें एशियाई खेलों की मेजबानी के बाद ही ''खेलों'' पर नीतिगत विषय के रूप में ध्यान दिया जाना प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय खेल नीति, 1984 देश में खेलों के विकास और संवर्धन के लिए संगठित और व्यवस्थित रूपरेखा विकसित करने हेतु पहला कदम था और यह वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का अग्र रूप है।

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 के दो अभिन्न घटक ''खेलों के दायरे को व्यापक बनाना'' और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ''खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना'' है।

नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

1. खेलों को वृहत आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना;
2. अवसंरचना का उन्नयन और विकास;
3. राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य खेल निकायों को सहायता;
4. खेलों के लिए वैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण और कोचिंग सहायता;
5. खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन;
6. महिलाओं, जनजातियों और ग्रामीण युवाओं की सहभागिता बढ़ाना;
7. खेल संवर्धन में कारपोरेट क्षेत्र को शामिल करना; और
8. व्यापक स्तर पर लोगों में खेल भावना को बढ़ावा देना।

***

अध्याय –13

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमों की प्रमुख खेल उपलब्धियां

- 20वीं एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 3–7 जुलाई, 2013 तक पुणे (भारत) में आयोजित की गई । भारतीय एथलीटों ने 17 पदक जीते (2 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य) । श्री विकास गौडा ने डिसकस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता । महिला टीम ने 4×400 रिले रेस में स्वर्ण पदक जीता ।

- अगस्त, 2013 में मोनसेनग्लैडबैक (जर्मनी) में भारतीय महिला हाकी टीम (जूनियर) ने इंग्लैंड को हराते हुए जूनियर महिला हाकी विश्व कप में देश का पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा ।

जूनियर महिला हाकी विश्व कप में इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय महिला हाकी टीम (जूनियर) खुशी मनाते हुए ।

- श्री वीरेन्द्र सिंह ने 26 जुलाई से 4 अगस्त, 2013 तक सोफिया (बुल्गारिया) में आयोजित डेफलंपिक, 2013 में 1 स्वर्ण पदक जीता ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सोफिया (बुल्गारिया) में डेफलंपिक, 2013 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद

- भारतीय एथलीटों ने 16–24 अगस्त, 2013 तक ननजिंग (चीन) में आयोजित दूसरे एशियाई युवा खेल, 2013 में 14 पदक जीते (3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य) ।
- सुश्री पी.वी. सिंधू ने 5–11 अगस्त, 2013 तक गांगजाउ (चीन) में आयोजित महिला एकल बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप, 2013 में कांस्य पदक जीता । आपने मई, 2013 में क्वालालम्पुर में आयोजित मलेशियन ग्रां प्री ओपन टाइटल, 2013 भी जीता ।

सुश्री पी.वी. सिंधू खेलते हुए

- भारतीय कुश्ती टीम (पुरूष) ने 16–22 सितम्बर, 2013 तक बुडापेस्ट (हंगरी) में आयोजित 2013 विश्व सीनियर ग्रीको रोमन स्टाइल चैम्पियनशिप में एक कांस्य पदक जीता ।
- भारतीय कुश्ती टीम (पुरूष) ने 16–22 सितम्बर, 2013 तक बुडापेस्ट (हंगरी) में आयोजित 2013 विश्व सीनियर फ्री स्टाइल चैम्पियनशिप में एक रजत और 1 कांस्य पदक जीता ।
- सुश्री दीपिका कुमारी ने 21–22 सितम्बर, 2013 तक पेरिस (फ्रांस) में आयोजित 2013 तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता ।

सुश्री दीपिका कुमारी खेलते हुए

- भारतीय भारोत्तोलन टीम (पुरूष) ने 11–18 सितम्बर, 2013 तक प्योंगयांग (उत्तरी कोरिया) में आयोजित एशिया कप 2013 में 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता ।
- भारतीय महिला हाकी टीम (सीनियर) ने सितम्बर, 2013 में क्वालालम्पुर (मलेशिया) में आयोजित 8वें एशियाई कप, 2013 में कांस्य पदक जीता ।
- भारतीय तीरंदाजी टीम ने 13–20 अक्तूबर, 2013 तक वुक्सी (चीन) में आयोजित तीरंदाजी विश्व चैम्पियनशिप में 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते ।
- भारतीय बैडमिंटन टीम ने 8–13 अक्तूबर, 2013 तक कुडोस, इंडोनेशिया में आयोजित इंडोनेशिया युवा एशियाइ बैडमिंटन चैम्पियनशिप, 2013 में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते ।
- भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने 5–11 नवम्बर, 2013 तक डोर्टमुंड (जर्मनी) में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप, 2013 में 3 स्वर्ण और 7 पदक जीते।
- भारत के श्री आदित्य मेहता ने 14–18 दिसम्बर, 2013 तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व रैकिंग स्नूकर चैम्पियनशिप, 2013 में रजत पदक जीता ।
- भारतीय सीनियर साइक्लिंग टीम ने 4–6 अक्तूबर, 2013 तक बैकांक, थाइलैंड में आयोजित साइक्लिंग ट्रैक एशिया कप, 2014 में 1 कास्य पदक जीता तथा भारतीय जूनियर साइक्लिंग टीम ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते ।
- सुश्री दीपिका पल्लीकल ने 15–20 अक्तूबर, 2013 तक मकाउ में आयोजित मकाउ स्क्वैश ओपन, 2013 में स्वर्ण पदक जीता ।
- भारतीय निशानेबाजों ने 18–26 अक्तूबर, 2013 तक तेहरान (इरान) में आयोजित छठी एशियन चैम्पियनशिप राइफल/पीस्टल) में व्यक्तिक स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीते तथा टीम स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीते ।
- भारतीय निशानेबाजों ने 1–10 अक्तूबर, 2013 तक अल्माती (कजाकिस्तान) में आयोजित तीसरी एशियन चैम्पियनशिप (शाटगन) में व्यक्तिक स्पर्धाओं में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते तथा टीम स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते ।
- सुश्री हीना सिद्धू ने 6–12 नवम्बर, 2013 तक म्यूनिख (जर्मनी) में आयोजित टीएसएसएफ विश्व कप फाइनल में 10 मीटर एयर पीस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता ।
- भारतीय भारोत्तोलन टीम ने नवम्बर, 2013 में पेनांग (मलेशिया) में आयोजित राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप में 6 पदक (2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य) जीते । डे सुखान (56 कि.ग्रा.) और श्री एस. सतीश कुमार (77 कि.ग्रा.) ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीते ।
- भारतीय महिला हाकी टीम (सीनियर) ने नवम्बर, 2013 में आयोजित काकामिघारा (जापान) में आयोजित तीसरी एशियाई चैम्पियनशिप ट्राफी में रजत पदक जीता ।
- भारतीय कुश्ती टीम (महिला) ने 5–7 दिसम्बर, 2013 तक जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में आयोजित 2013 राष्ट्रमंडल सीनियर कुश्ती चैम्पियनशिप में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक जीते । सुश्री निर्मला देवी (48 कि.ग्रा.) और सुश्री पूजा धांडा ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता ।

- भारतीय कुश्ती टीम (पुरूष) ने 5–7 दिसम्बर, 2013 तक जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में आयोजित 2013 राष्ट्रमंडल सीनियर ग्रीको रोमन स्टाइल कुश्ती चैम्पियनशिप में 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते । श्री गौरव शर्मा (55कि.ग्रा.), श्री रवीन्द्र सिंह (60 कि.ग्रा.), श्री आनंद कुमार (66कि.ग्रा.)), श्री राजबीर छिकारा (74 कि.ग्रा.), श्री मनोज कुमार (84 कि.ग्रा.), श्री हरदीप सिंह (120 कि.ग्रा.) ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीते ।
- भारतीय कुश्ती टीम (पुरूष) ने 5–7 दिसम्बर, 2013 तक जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में आयोजित 2013 राष्ट्रमंडल सीनियर फ्रीस्टाइल कुश्ती चैम्पियनशिप में 7 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते । श्री संदीप तोमर (55कि.ग्रा.), श्री जयदीप (60 कि.ग्रा.), श्री अमीत ढनकर (66कि.ग्रा.), श्री प्रवीण राणा (74 कि.ग्रा.), श्री पवन कुमार (84 कि.ग्रा.), श्री सत्यव्रत कादयान (96 कि.ग्रा.) और श्री जोगिन्द्र कुमार ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीते ।
- भारतीय सब जूनियर जूडो टीम ने 8–14 दिसम्बर, 2013 तक हेनान , चीन में आयोजित 7वीं एशियाई युवा जूडो चैम्पियनशिप, 2013 में भाग लिया और 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते ।
- भारतीय जूनियर जूडो टीम ने 8–14 दिसम्बर, 2013 तक हेनान , चीन में आयोजित 7वीं एशियाई जूनियर जूडो चैम्पियनशिप, 2013 में भाग लिया और 2 कांस्य पदक जीते ।

***

अध्याय–14

भारतीय खेल प्राधिकरण

प्रस्तावना

दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों की मेजबानी करने के निर्णय ने भारत में खेलों के विकास को अत्यधिक बढ़ावा दिया। नई दिल्ली में नई खेल सुविधाओं के निर्माण के अलावा खेलों ने अपने आप में सामान्य रूप से और विशेषकर खेल समुदाय में काफी उत्साह पैदा किया। खेलों ने भारत को खेल प्रशिक्षण, वैज्ञानिक सहायता, खेल प्रबंधन इत्यादि के क्षेत्र में नए विचारों के प्रति भी अवगत करवाया। खेलों में इस नई अभिरूचि और गति को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठित किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण के एक प्रमुख खेल संवर्धन निकाय के रूप में विकास को सुकर बनाने के लिए खेल कोचिंग और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान और कौशल को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और इसके केन्द्रों तथा ग्वालियर और तिरूवनन्तपुरम में स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज (एलएनसीपीई) को शामिल करते हुए पूर्व राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान (एसएनआईपीईएस) को 1 मई, 1987 से भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ आमेलित करते हुए शामिल किया गया था। तथापि, एलएनसीपीई, ग्वालियर को ''सम–विश्वविद्यालय'' का दर्जा दिए जाने पर सितम्बर, 1995 में भारतीय खेल प्राधिकरण से अलग कर दिया गया। आज भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों के संवर्धन तथा खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च निकाय है।

भारतीय खेल प्राधिकरण सोसायटी के सामान्य निकाय और शासी निकाय के सदस्य

खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 2010 में भारतीय खेल प्राधिकरण की सामान्य निकाय और शासी निकाय का पुर्नगठन किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री सामान्य निकाय के अध्यक्ष और भारतीय खेल प्राधिकरण की शासी निकाय के अध्यक्ष हैं।

लक्ष्य तथा उद्देश्य:

- देश में खेलों को बढ़ावा देना और उनका आधार व्यापक बनाना।
- प्रतिभा का पता लगाना तथा उसका विकास करना।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शाखाओं में खेलों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ताकि भारत प्रमुख खेल शक्ति बन सके।
- दिल्ली में स्टेडियमों, जिन्हें वर्ष 1982 में नौवें एशियाई खेलों के लिए निर्मित/नवीकृत किया गया था, का प्रबंधन करना।
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा देश में खेलों के संवर्धन/विकास से संबंधित अन्य एजेंसियों के बीच माध्यम का कार्य करना।

- योग्य कोचों, खेल वैज्ञानिकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को तैयार करने के लिए संस्थानों की स्थापना, व्यवस्था और संचालन करना।
- देश में खेल, बुनियादी ढांचे व सुविधाओं की योजना बनाना, उनका निर्माण करना, अधिग्रहण करना, विकास करना, नियंत्रण में लेना, प्रबंधन करना, रख–रखाव करना व उपयोग करना।
- खेलों, खिलाड़ियों एवं कोचों का उन्नयन करने के लिए विभिन्न खेल विज्ञानों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करना, अधिकार में लेना, प्रायोजित करना, प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।
- खेलों में संवर्धन, विकास व उत्कृष्टता से संबंधित अन्य सदृश मुद्दे।

संगठनात्मक ढांचा:

भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रधान कार्यकारी अधिकारी, महानिदेशक होते हैं और उनकी सहायता के लिए सचिव, कार्यकारी निदेशक तथा शैक्षिक संस्थानों/क्षेत्रीय केन्द्रों/उप केन्द्रों के प्रमुख हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यकलाप निम्नलिखित कार्यात्मक प्रभागों के तहत आते हैं:

भाखेप्रा के प्रभाग/संस्थान और उनकी कार्यप्रणाली:

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य
(i)	शैक्षणिक (कोचिंग) एनएस एनआईएस, पटियाला	कोचिंग में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन । नियमित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करके कोचों के कौशल को बढ़ाना ।
(ii)	शैक्षणिक (शारीरिक शिक्षा) एलएनसीपीई, तिरूवनंतपुरम	शारीरिक शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन
(iii)	प्रचालन प्रभाग, भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी
(iv)	टीम प्रभाग, भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से प्रमुख एथलिटों का प्रशिक्षण और प्रबंधन सहायता । इसमें राष्ट्रीय शिविर, विदेश में प्रदर्शन के अवसर और विदेशी कोचों की सेवाएं शामिल हैं ।
(v)	उपस्कर सहायता, भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	भाखेप्रा और/या अन्य खेल निकायों की विभिन्न खेल उपस्करों की आवश्यकताओं का समेकन और इन्हें स्थानीय के साथ–साथ विदेशी वेंडरों से प्राप्त करना ।
(vi)	स्टेडिया प्रभाग, भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	स्टेडिया का रख–रखाव और उसका उपयोग
(vii)	अवसंरचना प्रभाग, भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	देश भर के भाखेप्रा कंद्रों में खेल एवं खेल संबंधी अवसंरचना का सृजन, विकास और रख–रखाव
(viii)	कार्मिक प्रभाग भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	भाखेप्रा कर्मचारियों के सेवा मामले

(ix)	कोचिंग प्रभाग भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	भाखेप्रा कोचों के सेवा मामले
(x)	वित्त प्रभाग भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	दिल्ली स्थित भाखेप्रा के विभिन्न प्रभागों और कार्यक्षेत्र इकाईयों, शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय योजना और बजट आबंटन
(xi)	समन्वय प्रभाग भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/अन्य एजेंसियों और भाखेप्रा के विभिन्न प्रभागों के साथ समन्वय के लिए नोडल प्रभार, विशेष रूप से संसदीय प्रश्न और आरटीआई से संबंधित मामलों पर
(xii)	अंतरराष्ट्रीय सहयोग सैल, भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	अन्य राष्ट्रों के साथ खेलों के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम/द्विपक्षीय संबंधों के लिए युवा कार्यक्रम एव खेल मंत्रालय के साथ समन्वय
(xiii)	सामान्य प्रशासन भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	खरीद एवं सामान का रख–रखाव । भवन का रख–रखाव, कम्प्यूटरीकरण एवं आन्तरिक रख–रखाव, परिवहन, बैठकें व सेमीनार, अधिकारिक टेलीफोन और वायु टीकट ।
(xiv)	विधायी प्रभाग भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	भाखप्रा से संबंधित सभी विधायी मामले ।
(xv)	सतर्कता सैल भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	भाखप्रा से संबंधित सभी सतर्कता मामले
(xvi)	मीडिया सैल भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	प्रिंट व इलैक्ट्रानिक मीडिया के साथ समन्वय, एनआईटी/विज्ञापन जारी करना, प्रेस को जानकारी देना और भाखेप्रा की अधिकारिक वेबसाइट का संचालन
(xvii)	हिंदी प्रभाग भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	भाखेप्रा में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भाखेप्रा की खेल संवर्धन योजनाएं:

भाखेप्रा की खेल योजनाओं का उद्देश्य देश में खेल प्रतिभा की खोज के माध्यम से राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने और प्रतिभावान खिलाड़ियों को भाखेप्रा की खेल संवर्धन योजनाओं के जरिए पोषित करने हेतु जमीनी स्तर पर खेलों का विकास और संवर्धन करना है। वर्तमान में निम्नलिखित खेल संवर्धन योजनाएं संचालनरत हैं:–

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (एनएसटीसी):

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज (एनएसटीसी) योजना स्कूलों से 8–14 वर्ष आयु समूह में प्रतिभावान युवा बच्चों की खोज करने और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका पोषण करने के लिए 1985 के दौरान आरंभ की गई थी।

एनएसटीसी योजना की उनके आरंभ किए जाने के वर्ष सहित निम्नलिखित भिन्न उप–योजनाएं हैं:–

i) एनएसटीसी योजना के नियमित स्कूल (1985)

ii) जवाहर नवोदय विद्यालय (2001)

iii) स्वदेशी खेल और मार्शल आर्ट्स (आईजीएमए) (2001)

iv) अखाड़ा (2003)

v) अखाड़ों की तर्ज पर खेल केन्द्र (2006)

vi) आओ और खेलो योजना।

उद्देश्य:

इस स्कीम की मुख्य अवधारणा एक ही स्कूल में 'खेलना' और 'अध्ययन' करना है। स्कीम में अनुवांषिक एवं शारीरिक रूप से प्रतिभावान बच्चों को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मूलतः भावी पदक संभावनाओं के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनुकूलतम आयु में प्रतिभा की वैज्ञानिक खोज करना है। इस योजना के अंतर्गत अच्छी खेल सुविधाओं और भरोसेमंद खेल प्रदर्शन के रिकार्ड वाले स्कूलों को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाया जाता है। योजना के अंतर्गत 8–14 वर्ष आयु समूह के प्रशिक्षुओं को शामिल किया जाता है।

(क) नियमित स्कूल (एनएसटीसी)

प्रदत्त सुविधाएं:

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोचों की सेवाओं के अतिरिक्त अपनाये गये प्रत्येक स्कूल को उपभोज्य खेल उपकरण, खेल किट की खरीद, प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन और बीमा इत्यादि के लिए निधियां दी जाती है।

चयन मानदंड:

उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं का चयन क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

1) राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को स्वतः स्कीम में प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ हों।

2) जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं या राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वालों को प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा व शरीर की दृष्टि से स्वस्थ हों और उनमें अपेक्षित क्षमता हो जिसका कई परीक्षणों से मूल्यांकन किया जाता है।

3) दूरस्थ, जनजातीय व तटीय क्षेत्रों के चयन, प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करके किया जाता है। टीम खेलों व व्यक्तिगत स्पर्धाओं हेतु चयन, भाखेप्रा के प्रतिनिधियों, स्कूल/अखाड़ा, भाखेप्रा कोचों, खेल वैज्ञानिकों आदि से गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। इस आधार पर चिन्हित खिलाड़ियों को, आयु सत्यापन, चिकित्सा जांच व विभिन्न परीक्षणों से उपयुक्त पाएं जाने के बाद प्रवेश दिया जाता है।

शामिल खेल विधाएं

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, हाकी, कबड्डी, खो–खो, तैराकी, टेबल टेनिस, वालीबॉल और कुश्ती।

(ख) जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), एनएसटीसी (उप–स्कीम)

उद्देश्य:

भाखेप्रा के शासी निकाय ने वर्ष 2001 में ग्रामीण, अर्धशहरी क्षेत्रों में उपलब्ध अवसंरचना के इष्टतम उपयोग के लिए एनएसटीसी स्कीम के अंतर्गत जेएनवी को अपनाए जाने का अनुमोदन दिया । .

इस स्कीम का उद्देश्य जेएनवी स्कूलों जिनमें खेल संस्कृति और अपेक्षित खेल अवसंरचना उपलब्ध है को अपनाकर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में सब–जूनियर स्तर पर 8–14 वर्ष आयु समूह के प्रतिभावान खिलाड़ियों के कवरेज को बढ़ाना है ।

प्रदत्त सुविधाएं:

प्रशिक्षुओं को दुर्घटना बीमा के साथ–साथ वजीफा, खेल किट, प्रतियोगिता में प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाते हैं । साथ ही अपनाए गए स्कूलों को खेल उपस्कर की खरीद के लिए अनुदान भी प्रदान किया जाता है ।

शामिल खेल विधाएं:

स्कीम के अंतर्गत जेएनवी में कवर की जाने वाली खेल विधाएं हैं:– तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हाकी, कबड्डी, टेबल टेनिस, वालीबॉल और कुश्ती ।

(ग) स्वदेशी खेल और मार्शल आर्टस (आईजीएमए), एनएसटीसी (उप–योजना)

उद्देश्य:

उन स्वदेशीखेलों और मार्शल आर्ट जो पारंपरिक है का संवर्धन करने के उद्देश्य से ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्कूलों को इन खेलों में प्रतिभा की खोज हेतु चुना जाता है। डीएवी, विद्या भारती और सामान्य प्रकार से स्थापित संस्थाओं जैसे स्कूलों के बहुलता वाली शैक्षिक संस्थाओं को भी एनएसटीसी योजना के भाग के रूप में स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट के विकास और संवर्धन के लिए अपनाया जाता है।

प्रशिक्षुओं का चयन:

इस योजना के अंतर्गत स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्टस की प्रतिभा की खोज का कार्य प्रतिभा खोज हेतु आयोजित खुली प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर किया जाता है। मौजूदा प्रशिक्षुओं को बनाए रखने/हटाने का कार्य भी इन प्रतिस्पर्धाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। प्रतिभा की खोज के लिए अपनाए गए स्कूलों द्वारा प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किराया, पदक, नाश्ता इत्यादि सहित संगठनात्मक खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त स्कूलों को विशिष्ट खेल विधाओं में कोचों की उपलब्धता के अधीन प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की सेवा भी प्रदान की जाती हैं।

प्रदत्त सुविधाएं:

इस योजना के अंतर्गत प्रतिभा खोज के लिए प्रतिस्पर्धा के आयोजन हेतु खेल उपकरण की खरीद तथा प्रशिक्षुओं की बीमे के लिए स्कूल को वार्षिक अनुदान के अलावा स्टाइपंड, खेल किट प्रदान की जाती है।

शामिल खेल विधाएं:

वर्तमान में देश में विभिन्न केन्द्रों में तीरंदाजी, एथलेटिक, कबड्डी, कलारियापट्टु, मुकना, सिलंबंम, थांगटा, कुश्ती की खेल विधाओं में स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट का संचालन किया जाता है।

(घ) अखाड़ा, एनएसटीसी (उपयोजना)

उद्देश्य :

कुश्ती की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुश्ती के लिए हॉल/हॉस्टल इत्यादि जैसी विशिष्ट न्यूनतम सुविधाओं वाले अखाड़ों को संबंधित राज्य सरकार और भाखेप्रा के क्षेत्रीय निदेशक की सिफारिश पर अपनाया जा रहा है। निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रति अखाड़ा 15–20 कुश्तीबाजों को चुना जाता है और प्रवेश दिया जाता है।

प्रदत्त सुविधाएं:

उन्हें कुश्ती मैट और/अथवा उनके भोजन के अनुपूरण हेतु प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह बहुजिम वृत्तिका के रूप में सहायता दी जाती है।

शामिल खेल विधाएं:

इस योजना के अंतर्गत अखाड़ों में शामिल खेल विधा कुश्ती है।

(ड़) अखाड़ों की तर्ज पर खेल केन्द्र, एनएसटीसी (उप–योजना)

उद्देश्य:

पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर और अन्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों जहां स्कूल, कॉलेज,, स्वैच्छिक निकाय और अन्य ब्लॉक तथा ग्राम स्तरीय संगठन एथलेटिक्स, जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग, तैराकी और अन्य मान्यता प्राप्त मार्शल आर्ट जैसी खेल विधाओं के लिए विशेष रूप से खेल केन्द्रों का संचालन कर रहे हैं उनमें खेल केन्द्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2006 में खेल केन्द्रों को आरंभ किया गया था।

प्रदत्त सुविधाएं:

अपनाए गए अखाड़ों को एक अनुभवी कोच की सुविधाएं प्रदान करने के अलावा मानदंडों के अनुसार अपेक्षित उपकरण प्रदान किए जाते है। इसके अतिरिक्त चुने गए प्रशिक्षुओं को मासिक वृत्तिका भी दी जाती है।

शामिल खेल विधाएं:

इस योजना के अंतर्गत अखाड़ों की तर्ज पर खेल केन्द्रों में शामिल खेल विधाएं फुटबॉल, जुड़ो, हाकी और ताइक्वांडो है।

प्रशिक्षुओं को सहायता के मानदंड:

वर्तमान में योजना के अंतर्गत चुने गए प्रशिक्षुओं को गैर–आवासीय आधार पर प्रवेश दिया जाता है। तथापि, आपवादिक मामले में प्रशिक्षुओं को 2 स्कूलों में आवासीय आधार पर प्रवेश दिया गया है और वृत्तिका के स्थान पर उन्हें ठहरने तथा भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है।

1) नियमित स्कूल

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	300 दिनों के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति खान–पान व ठहरना (केवल आवासीय प्रशिक्षुओं के लिए)	75.00
2	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	2000.00
3	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
4	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	2000.00
5	10 माह के लिए वृत्तिका (प्रति माह प्रति व्यक्ति)	3000.00
6	खेल उपस्कर की खरीद हेतु स्कूल को वार्षिक अनुदान (प्रति वर्ष)	20000.00

2) स्वदेशी खेल और मार्शल आर्ट्स

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	1500.00
2	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
3	10 माह के लिए वृत्तिका (प्रति माह प्रति व्यक्ति)	3000.00
4	खेल उपस्कर की खरीद हेतु स्कूल को वार्षिक अनुदान (प्रति वर्ष)	20000.00
5	प्रतिभा खोज के लिए प्रतिस्पर्धा के आयोजन हेतु स्कूल को वार्षिक अनुदान (प्रति वर्ष)	25000.00

3) जवाहर नवोदय विद्यालय

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	1500.00
2	10 माह के लिए वृतिका (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	3000.00
3	प्रतियोगिता अनुभव (प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षु)	1500.00
4	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32/– दिया जा रहा है)	150.00
5	खेल उपस्कर की खरीद हेतु स्कूल को वार्षिक अनुदान (प्रति वर्ष)	20000.00

4) अखाड़ा

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	10 माह के लिए वृतिका (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	1000.00
2	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32/– दिया जा रहा है)	150.00

5) अखाड़ों की तर्ज पर खेल केंद्र

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	वृतिका (प्रति माह प्रति प्रशिक्षु)	1000.00
2	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32/– दिया जा रहा है)	150.00

(क) अनुभवी कोचों की सेवाओं के अतिरिक्त अपनाए गए अखाड़ों को कुश्ती मैट का एक सैट और/अथवा बहु–जिम भी दिया जाता है।

वर्तमान में अपनाए गए 18 नियमित स्कूल हैं, स्वदेशी खेल/मार्शल आर्ट्स के संवर्धन के लिए अपनाए गए 14 स्कूल, 40 अखाड़े और अखाड़ों की तर्ज पर 02 खेल केन्द्र हैं ।

सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) स्कीम

उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य सेना के विभिन्न उत्कृष्ट आधारभूत ढांचे, दक्ष प्रशासन तथा अनुशासित वातावरण का लाभ उठाना है। यह स्कीम सेना प्राधिकारियों तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। 8 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों को इस स्कीम में प्रवेश दिया जाता है। 17½ वर्ष की अपेक्षित आयु पूरी हो जाने पर इन प्रशिक्षणार्थियों को सेना में रोजगार भी दिया जाता है।

चयन मानदंड:

उपयुक्त स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों का चयन, एनएसटीसी स्कीम के तहत यथा लागू क्षमता व प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

1) राज्य/राष्ट्र स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने वाले प्रशिक्षुओं को उनकी आयु की जांच और चिकित्सा रूप से सही पाए जाने के अधीन उन्हें इस योजना स्वतः प्रवेश दिया जाता है।

2) जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं या राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वालों को प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा व शरीर की दृष्टि से स्वस्थ हों और उनमें अपेक्षित क्षमता हो जिसका कई परीक्षणों से मूल्यांकन किया जाता है।

3) दूरस्थ, जनजातीय व तटीय क्षेत्रों से प्रतिभा के चयन, प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करके किया जाता है। टीम खेलों व व्यक्तिगत स्पर्धाओं हेतु चयन, भाखेप्रा के प्रतिनिधियों, सेना और एसएमसी कोचों से गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। खिलाड़ियों की पहचान निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर की जाती है।

क) विशिष्ट खेलों का प्रयोग/कौशल परीक्षण।

ख) 8 से 16 वर्ष आयु में सत्यापन।

ग) विशिष्ट खेलों/कौशल परीक्षण में खिलाड़ियों के योग्यता संबंधी कई परीक्षणों के प्रयोग और उनकी क्षमता की आकलन हेतु आयु सत्यापन।

घ) उपर्युक्त परीक्षणों में योग्य पाए जाने वाले खिलाड़ियों की चिकित्सा जांच ।

शामिल खेल विधाएं:

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, डाइविंग, घुड़सवारी, फेंसिंग, फुटबॉल, पटेबाजी, जिमनास्टिक्स, हैंडबॉल, हाकी, कयाकिंग और केनोइंग, निशानेबाजी, तैराकी, रोइंग, वालीबॉल, कुश्ती और भारोत्तोलन।

प्रदत्त सुविधाएं:

इस स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों को खान–पान व ठहरने की सुविधा, शैक्षिक व्यय, खेल किट, बीमा चिकित्सा सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा भागीदारी तथा अनुभवी कोचों से वैज्ञानिक कोचिंग दी जाती है।

प्रशिक्षुओं को सहायता के मानदंड:

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	300 दिनों के लिए खानपान व ठहरना (प्रति दिन प्रति व्यक्ति)	125.00
2	शैक्षिक व्यय (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	1000.00
3	खेल उपस्कर (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	27500.00
4	खेल मैदानों का रख रखाव तथा	20000.00
	पत्रिकाएं (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	2500.00
5	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	2000.00
6	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	2000.00
7	चिकित्सा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	300.00
8	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
9	कपड़ों व कम्बलों आदि हेतु एक बार दिया जाने वाला अनुदान (प्रति वर्ष)	2000.00

वर्तमान में भारत में 15 केन्द्र हैं जिनमें उपुर्यक्त खेल विधाओं में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)

उद्देश्य:

भारत सरकार ने सरकार की सभी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए 1987 में एक समिति का गठन किया और इसके निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप शारीरिक शिक्षा सहित खेलकूद के संवर्धन की भाखेप्रा की योजनाओं को आमेलित किया। समिति का कार्यक्षेत्र कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा करना और संशोधनों के साथ उन्हें जारी रखने की सिफारिश करना तथा जहां आवश्यक हो योजनाओं को समेकित करना था। समिति ने यह महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा प्राप्त करने के लिए और देश में प्रतिभावान युवाओं को उनके स्वयं के राज्यों में इन–हाऊस कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को योजना आरंभ करनी चाहिए ।

समिति की सिफारिशों के आधार पर एक योजना तैयार की गई जिसमें प्रत्येक एसपीडीए केन्द्र को 80–100 विकास ब्लॉकों को शामिल करना था और इसका कार्यान्वयन संयुक्त रूप से केन्द्र तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना था। राज्य का हिस्सा हॉस्टल तथा एसपीडीए आरंभ करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु भूमि सहित इस प्रकार की सहायता प्रदान किया जाना था, प्रत्येक एसपीडीए को विशिष्ट क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता के आधार पर अधिकतम 4 ओलंपिक खेल विधाओं में कार्य करना था।

बाद में उन खिलाड़ियों को कोचिंग, प्रशिक्षण और पोषण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिन्होंने खेल दक्षता के प्रोन्नत स्तर प्राप्त कर लिए हैं, के लिए पूर्व एसएनआईपीईएस बोर्ड द्वारा खेल हॉस्टल नामक योजना आरंभ की गई।

शासी निकाय ने 25 मई, 1995 को अपनी बैठक में एक अध्ययन के परिणाम स्वरूप दोनों योजनाओं को सम्मिलित करने का निर्णय लिया और इसे 'भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, (एसटीसी) योजना' शीर्षक दिया:

i. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खेल विकास प्रयासों हेतु इक्ट्ठे कार्य करना संभव बनाना।

ii. देश में तथा राज्य के भीतर खेल सुविधाओं में मौजूद क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना।

iii. भाखेप्रा को वैज्ञानिक रूप से उन खेल प्रतिभाओं का पोषण करना जिन्होंने एनएसटीसी योजना के अंतर्गत उप कनिष्ठ स्तर पर उत्कृष्टता हासिल कर ली है और उन्हें दीर्घावधि आधार पर आगे वैज्ञानिक तथा गहन कोचिंग हेतु एसटीसी/उत्कृष्टता केन्द्रों में समाविष्ट करना।

iv. खेल सुविधाओं के लिए सहायता के पैकेज प्रदान करना और विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न खेल कार्यक्रम चलाना।

v. ऐसी स्थिति से बचने जहां खेल सुविधाएं निष्क्रिय पड़ी रह जाती हैं और उनकी समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पहले से मौजूद/जिले तथा जोन में सृजित किए जाने वाली सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।

vi. भारत सरकार और भाखेप्रा की विभिन्न योजनागत स्कीमों के लिए चिन्हित निधियों का समान वितरण सुनिश्चित करना।

vii. प्रतिभा के पोषण के लिए जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनागत स्कीमों का लाभ उठाना।

14 से 21 वर्ष आयु समूह में जूनियर स्तर के खिलाड़ियों के लिए भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई थी जिसके लिए राज्य सरकारों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी थी, जिसमें भाखेप्रा को चुने गए प्रशिक्षुओं को वैज्ञानिक प्रशिक्षण/उपकरण सहायता प्रदान करते हुए तथा बुनियादी प्रतिभा में सुधार करते हुए योजना को चलाना था।

चयन के मानदंड:

प्रशिक्षुओं का चयन प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। वे प्रशिक्षु जो राज्य/राष्ट्र स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता हैं उन्हें चिकित्सा रूप से सही पाए जाने पर योजना में स्वतः प्रवेश दिया जाता है। वे प्रशिक्षु जो जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा तथा अन्य अभिज्ञान प्रतिस्पर्धा में पदक विजयेता है उन्हें प्रतिस्पर्धा/चयन ट्रायल में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। सभी प्रशिक्षुओं को चिकित्सा रूप से सही पाए जाने और कई परीक्षण उत्तीर्ण करने पर ही प्रवेश दिया जाता है।

प्रदत्त सुविधाएं:

प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में शामिल हैं बोर्डिंग, खेल किट, स्टाइपंड, प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन, शिक्षा व्यय, चिकित्सा, बीमा और अन्य।

शामिल खेल विधाएं:

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइक्लिंग , डाईविंग, फेनसिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हाकी, जूडो, कबड्डी, खो–खो, कराटे, कयाकिंग और केनोइंग, लॉन टेनिस, सेपक–टाकरो, शूटिंग, साफ्ट बॉल, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, तैराकी, वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु।

आयु मानदंड:

इस योजना में 12–18 वर्ष आयु समूह के खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाता है। जिमनास्टिक तथा तैराकी पर विशेष ध्यान देते हुए प्रतिभाशाली मामलो में छूट दी जाती है।

प्रशिक्षुओं को सहायता के मानदंड:

आवासीय प्रशिक्षु

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	खानपान व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति दिन) 330 दिनों के लिए गैर पहाड़ी क्षेत्रों हेतु	125.00
	330 दिनों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों हेतु	140.00
2	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	4000.00
3	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	3000.00
4	शिक्षा व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	1000.00
5	चिकित्सा व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	300.00
6	बीमा (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
7	अन्य व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	100.00

गैर–आवासीय प्रशिक्षु

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	4000.00
2	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	3000.00
3	वृतिका (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	6000.00
4	बीमा (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00

वर्तमान में 60 एसटीसी केन्द्र हैं जिनमें देशभर में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

विशेष क्षेत्र खेल योजना (एसएजी)

उद्देश्य:

विशेष क्षेत्र खेल योजना (एसएजी) का उद्देश्य देश के जनजातीय, ग्रामीण तथा तटीय क्षेत्रों से आधुनिक प्रतिस्पर्धा हेतु प्राकृतिक प्रतिभा की खोज करना तथा उसे वैज्ञानिक रूप से निखारना है ताकि आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके।

इस योजना के अंतर्गत भाखेप्रा/मंत्रालय द्वारा संपूर्ण रूप से वित्त पोषित बुनियादी सुविधाओं जैसे खेल मैदान, इंडोर हाल, उपकरण सहायता/कोच इत्यादि के साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से केन्द्र आरंभ किए जाते हैं।

इस योजना में स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्टस की प्रतिभाओं की खोज करना और ऐसे क्षेत्रों/समुदायों से प्रतिभाओं की खोज करना शामिल है जो अनुवांषिक अथवा भूगोलिय रूप से किसी विशिष्ट खेल विधा में उत्कृष्टता के लिए लाभकारी स्थिति में हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 12–18 वर्ष आयु समूह में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना है जिसमें अपवादिक मामलों में आयु में छुट दी जाती है।

चयन के मानदंड:

प्रशिक्षुओं का चयन प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। वे प्रशिक्षु जो राज्य/राष्ट्र स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजयेता हैं उन्हें चिकित्सा रूप से सही पाए जाने पर योजना में स्वतः प्रवेश दिया जाता है। वे प्रशिक्षु जो जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा तथा अन्य अभिज्ञात प्रतिस्पर्धा में पदक विजेता है उन्हें प्रतिस्पार्ा/चयन ट्रायल में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। सभी प्रशिक्षुओं को चिकित्सा रूप से सही पाए जाने और कई परीक्षण उर्त्तीण करने पर ही प्रवेश दिया जाता है।

प्रदत्त सुविधाएंः

प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में शामिल हैं निःशुल्क बोर्डिंग तथा लॉजिंग, सुविधाएं, खेल किट, प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन, चिकित्सा, बीमा, स्टाईपंड इत्यादि।

शामिल खेल विधाएंः

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, केनोइंग, साइक्लिंग, फेनसिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हाकी, जूड़ो, कबड्डी, कराटे, कयाकिंग, रोइंग, शूटिंग, तैराकी, ताइक्वांडो, वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु।

प्रशिक्षुओं को सहायता के मानदंड

आवासीय प्रशिक्षु

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	खानपान व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति दिन) 330 दिनों के लिए गैर पहाड़ी क्षेत्रों हेतु	125.00
	330 दिनों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों हेतु	140.00
2	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	4000.00
3	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	3000.00
4	शिक्षा व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	1000.00
5	चिकित्सा व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	300.00
6	बीमा (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
7	अन्य व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	100.00

गैर–आवासीय प्रशिक्षु

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	4000.00
2	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	3000.00
3	वृतिका (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	6000.00
4	बीमा (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00

वर्तमान में 20 एसएजी केन्द्र हैं जिनमें देशभर में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

एसटीसी/एसएजी केन्द्रों के विस्तार केन्द्र

उद्देश्य :

यह योजना उन स्कूलों और कॉलेजों में खेल मानकों के विकास के दृष्टिकोण से 2005 में अधिक कवरेज हेतु स्कूलों और कॉलेजों में आरंभ की गई थी जिनमें बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं और जिन्होंने सराहनीय परिणाम दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत 14–21 वर्ष आयु वर्ग के प्रशिक्षुओं को अपनाया जाता है।

प्रदत्त सुविधाएं :

प्रशिक्षुओं को खेल किट, वृत्तिका, प्रतिस्पर्धा, भागीदारी, बीमा और कोच की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा संस्थाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रू. का अनुरक्षण अनुदान भी दिया जाता है।

शामिल खेल विधाएं:

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइक्लिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हाकी, जूड़ो, कबड्डी, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु।

संस्था का चयन :

खेलकूद में सक्रियता से शामिल तथा पर्याप्त अवसंरचना वाले स्कूल/कॉलेज इस स्कीम के अन्तर्गत पात्र होते हैं। संस्था के पास राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खेलकूद वाले व्यक्ति तैयार करने का पुराना इतिहास होना चाहिए।

प्रशिक्षुओं का चयन :

स्कूल/कॉलेज में 14 से 21 वर्ष तक के आयु वर्ग के 20 से अधिक प्रशिक्षु नहीं होंगे। आसपास के स्कूलों/कॉलेजों के छात्रों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। प्रशिक्षुओं का चयन विधिवत गठित समिति द्वारा किया जाता है जिसमें (1) क्षेत्रीय निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि (2) कॉलेज/संस्थान का प्रमुख अथवा उसका प्रतिनिधि (3) संबंधित खेल शाखा के स्कूल/कॉलेज के विशेषज्ञ/कोच (4) क्षेत्र के उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं। अपवाद स्वरूप मामलों में आयु समूह में छूट दी जा सकती है।

विस्तार केन्द्र को नजदीकी एसटीसी/एसएजी तथा क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुख, जिसके अन्तर्गत यह आता है, द्वारा मानीटर किया जाता है। ऐसे केन्द्रों को मंजूरी देने की अधिकार महानिदेशक भाखेप्रा का होगा।

प्रशिक्षुओं को सहायता के मानदंड

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	4000.00
2	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	2000.00
3	वृतिका (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	6000.00
4	बीमा (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
5	अभिज्ञात संस्थाओं में प्रति प्रशिक्षु 1.00 लाख रू. की सीमा तक बुनियादी तथा उपकरण सहायता	5000.00

वर्तमान में देश में 69 विस्तार केन्द्र हैं जिनमें प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

उत्कृष्टता केन्द्र योजना (सीओई)

उद्देश्य :

सब–जूनियर तथा जूनियर के लिए योजनाओं के प्राकृतिक भाग के रूप में उत्कृष्टता केन्द्र की योजना 1997 में आरंभ की गई थी जिसमें सीनियर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अच्छे प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों की प्रतिभा को एक वर्ष में 330 दिन के लिए भाखेप्रा के क्षेत्रीय केन्द्रों में आगे और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शामिल करने की परिकल्पना की गई थी। उन्हें आधुनिक सुविधाएं, उपकरण और विशिष्ट प्रशिक्षण सहित वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है। ये केन्द्र भारत में उपलब्ध उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए नियमित कोचिंग शिविरों का कार्य करते हैं और समवर्ती स्तर के संभवतः दो या तीन उच्च कौशल प्राप्त खिलाड़ी उपलब्ध करवाते हैं जिससे आगे राष्ट्रीय टीमों में चयन हेतु प्रतिभा व निरन्तरता का अधिक विकल्प मिलता है और ये राष्ट्रीय टीमों के लिए दूसरा और तीसरा विकल्प प्रदान करते हैं।

चयन का मानदंड :

वे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में सभी आयुवर्ग में वैयक्तिक इवेंटों में सर्वोच्च 4 में स्थान प्राप्त करते हैं और टीम इवेंटों में विजेता अथवा दूसरे स्थान पर रहते हैं तो उनका चयन किया जाता है। प्रशिक्षुओं को 12 से 25 आयु वर्ग समूह में प्रवेश दिया जाता है। वे प्रशिक्षु जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित स्तर पर प्रदर्शन बनाए रखते हैं उन्हें योग्य मामलों में आयु में छूट देते हुए योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना जारी रखा जाता है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त प्रशिक्षुओं को भी प्रवेश दिया जाता है और उन्हें अन्य प्रशिक्षुओं के समान सुविधाएं प्रदान की जाती है।

प्रदत्त सुविधाएं :

प्रशिक्षुओं को बोर्डिंग और लोजिंग सुविधाएं, खेल किट, खेल उपकरण, प्रतिस्पर्धा भागीदारी, बीमा, चिकित्सा व्यय इत्यादि मानदंडों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं और उन्हें वैज्ञानिक तथा चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है।

शामिल खेल विधाएं :

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइक्लिंग , फेनसिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हाकी, जूड़ो, कबड्डी, कराटे, कयाकिंग और केनोइंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु।

प्रशिक्षुओं को सहायता के मानदंड

आवासीय प्रशिक्षु

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	खानपान व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति दिन) 330 दिनों के लिए	175.00
2	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	6000.00
3	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	3000.00
4	चिकित्सा व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	500.00
5	बीमा (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
6	अन्य व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	100.00

गैर–आवासीय प्रशिक्षु

क्र. सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	6000.00
2	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	3000.00
3	वृतिका (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	9000.00
4	बीमा (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00

वर्तमान में देश में 10 केन्द्र हैं जिनमें प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

आओ और खेलो योजना:

यह योजना 8–17 वर्ष आयु समूह के लिए लक्षित है जहां एएसआई केन्द्रों में प्रतिभा की खोज और चरणबद्ध कोचिंग सहायता द्वारा पोषण किया जाएगा। सभी लोकप्रिय खेल विधाओं जैसे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट फैनसिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, लॉन टेनिस, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो और कुश्ती में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। युवा खिलाड़ियों को 45 रू. प्रति माह की आंशिक लागत पर कोचिंग प्रदान की जाएगी।

भाखेप्रा के क्षेत्रीय केन्द्र/उप-केन्द्र

भाखेप्रा के क्षेत्रीय केन्द्र/उप–केन्द्र तथा शैक्षिक संस्थाएं देश भर में खेल संवर्धन योजनाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

उद्देश्य और कार्य :

- कोचिंग कैम्पों का संचालन करना और राष्ट्रीय टीमों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने में सहायता करना।
- क्षेत्र में भाखेप्रा और भारत सरकार की खेल संवर्धन योजनाओं को कार्यान्वित करना और मॉनिटर करना।
- एनएसएनआईएस पटियाला में भाखेप्रा के शैक्षिक विंग के सहयोग से कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना।
- पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का संचालन करके कोचों की तकनीकी क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करना।
- शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करना।
- ज्ञान वृद्धि के माध्यम से खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के उद्देश्य से सभी संबद्ध व्यक्तियों को संगठनात्मक सहायता, दस्तावेजीकरण और खेल विज्ञान सूचना प्रदान करना।
- अन्य संगठनों/खेल निकायों, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ संपर्क स्थापित करना और खेलों से संबद्ध विषयों पर सूचना प्रदान करना।
- विभिन्न आयु समूहों में खेल प्रतिभा की पहचान करना और उनके प्रदर्शन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उन्हें निखारना।
- खेलों में उच्च स्तरीय प्रदर्शन प्राप्त करने में खिलाड़ियों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।

नेताजी सुभाष पूर्वी केन्द्र, कोलकाता

भाखेप्रा पूर्वी केन्द्र की स्थापना 23 जनवरी, 1983 को साल्ट लेक सिटी, कोलकाता में 42 एकड़ भूमि पर की गई थी। इस केन्द्र में प्रशिक्षण उपकरण, चिकित्सा और वैज्ञानिक सहायता, आवास तथा ठहरने की सुविधा इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अंडमान और निकोवार द्वीप समूह राज्यों को शामिल किया गया है।

क) खेल संवर्धनात्मक स्कीमें

भाखेप्रा एनएस पूर्वी केंद्र कोलकाता अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन व निगरानी करता है ।

ख) शैक्षिक कार्यक्रम

वर्ष के दौरान केन्द्र में निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे:–

(i) खेल कोचिंग में (1) तीरंदाजी, (2) एथलेटिक्स, (3) बॉक्सिंग (4) क्रिकेट और (5) फुटबॉल में एक वर्षिय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जिसमें वर्ष 2013–14 के दौरान इस केन्द्र में 61 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ii) विभिन्न खेल विधाओं में 17 मई से 26 जून, 2013 तक 6 सप्ताह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम।

ग) केन्द्र में बुनियादी सुविधाएं

(i) आऊटडोर

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1.	क्रैश लैंडिंग पिट	फोम फिटेड पिट	01
2.	लॉन टेनिस कोर्ट	हार्ड	02
		क्ले	03
3.	हाकी मैदान	एस्ट्रो टर्फ	01
		घास	01
4.	हैंडबाल मैदान		01
5.	तीरंदाजी मैदान	घास	01
6.	फुटबॉल मैदान	घास	02
7.	वालीबॉल कोर्ट	सिंडर	02
8.	बास्केटबॉल कोर्ट	कंक्रीट	04
9.	तैराकी पूल परिसर	–	01
10.	एथलेटिक ट्रैक 400 मीटर	फलड लाईट सहित सिंथेटिक ट्रैक	01
11.	क्रिकेट मैदान	–	01

(ii) इंडोर

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1.	खेल हॉल (इंडोर प्रशिक्षण केन्द्र)	लकड़ी का फर्श – बास्केटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, बैडमिंटन, वालीबॉल, टेबल टेनिस और अन्य इंडोर खेलों के लिए	01
		आधुनिक उपकरण सहित कंडिशनिंग हॉल	01
		ध्यान कक्ष	01
2.	बॉक्सिंग हॉल		01
3.	जूडो हॉल		––

iii) **हॉस्टल और अन्य सुविधाएं**

क्र. सं.		संख्या
1.	80 बिस्तरों वाला लड़कों का हॉस्टल	01
2.	नेशनल शिविरर्स के लिए 40 बिस्तरों वाला मिलेनियम भवन	01
3.	नेशनल शिविरर्स के लिए 40 बिस्तरों वाला लड़कियों का हॉस्टल	01
4.	सम्मेलन कक्ष और केंद्रीय भंडार के साथ प्रशासनिक ब्लॉक	01
5.	नियमित डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मॉनिटरी सैल के साथ प्रशासनिक ब्लॉक	01
6.	खेल विज्ञान केन्द्र	01
7.	गेस्ट हाउस	07 कमरें
8.	क्षेत्रीय निदेशक बंगला	01
9.	स्टाफ क्वाटर	30
10.	आधुनिक कंडिशनिंग हॉल–सह–रिकवरी इकाई	01

भाखेप्रा नेताजी सुभाष दक्षिण केन्द्र, बेंगलुरू

दक्षिण केन्द्र की स्थापना 13 अप्रैल, 1974 को श्री कांतीरावा स्टेडियम, बंगलूरू में की गयी थी और 29 जुलाई, 1985 को बाद में इसे वर्तमान स्थल अर्थात ज्ञान भारती शिविरस, बंगलूरू विश्वविद्यालय, मैसूर रोड, बंगलूरू में स्थानांतरित कर दिया गया। यह केन्द्र80.2 एकड़ भूमि में फैला है और कर्नाटक, केरल आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्ष्यद्वीप राज्यों को कवर करता है।

क) खेल संवर्धनात्मक स्कीमें :

भाखेप्रा एनएस दक्षिणी केंद्र बेंगलुरू अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन व निगरानी करता है ।

ख) शैक्षिक कार्यक्रम:

वर्ष के दौरान केन्द्र में निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए गए:–

114 अभ्यर्थियों को 9 खेल विधाओं अर्थात एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी, लॉन टेनिस, तैराकी, खो–खो, साफ्ट बॉल, ताइक्वांडो और वालीबॉल में वर्ष 2013–14 के लिए खेल कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु चुना गया।

6 सप्ताह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमः एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो–खो, लॉन टेनिस, साफ्ट बॉल, तैराकी और वालीबॉल की आठ खेल विधाओं में 17 मई से 26 जून, 2013 तक 6 सप्ताह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 149 छात्रों ने इस 6 सप्ताह के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में भाग लिया।

ग) राष्ट्रीय कोचिंग शिविर

अच्छी बुनियादी सुविधाओं, वैज्ञानिक सुविधा, अच्छी मौसमी परिस्थितियों के कारण वर्ष भर में इस केन्द्र में विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया। इस केन्द्र में विभिन्न खेल विधाओं में अधिकांश राष्ट्रीय कोचिंग शिविर ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा विश्व कप और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी में आयोजित किए गए हैं।

वर्ष 2013 के दौरान इस केन्द्र में एशियाई खेल, विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप–2013, दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, हाकी विश्व कप और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयारी हेतु एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हाकी, रोईंग, तैराकी, वालीबॉल, बिलियर्डस एवं स्नूकर जैसी 9 खेल विधाओं के लिए 59 राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया।

घ) केन्द्र में बुनियादी सुविधाएं

(i) आउटडोर

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1.	एथलेटिक ट्रैक	सिंथेटिक	01
		सिंडर	01
2.	बास्केटबॉल कोर्ट	कंक्रीट	02
3.	फुटबॉल मैदान	टर्फ	01
4.	हाकी मैदान	पाली ग्रास	01
		एस्ट्रो टर्फ	01
5.	खो–खो/कबड्डी मैदान	क्ले	02
6.	टेनिस कोर्ट	क्ले	05
		सिमेंटेड	01
7.	वालीबॉल कोर्ट	सिंडर	03
		सैंड	01
8.	तैराकी पूल (मुख्य) (डायविंग सुविधाओं के साथ)	21मी × 50 मी	01
9,	तैराकी पूल (प्रशिक्षु)	21 मी × 25 मी	01
10.	गोल्फ कोर्स (9 छिद्र)	घास	01
11.	शूटिंग रेंज	10मी रेंज	01
		25 मी रेंज	01
		50 मी रेंज	01
		ट्रैप एवं स्कीट रेंज	01

(ii) इंडोर

परिसर – I			
क्र. सं.	बहुउद्देशीय खेल हॉल	क्षेत्रफल	संख्या
1.	बैडमिंटन (बहुउद्देशीय)	40 मी × 15 मी × 15 मी	04
2.	वालीबॉल	45 मी × 35 मी × 20 मी	02
	बास्केटबॉल		02
	हैंडबॉल		01
	बैडमिंटन		06
3.	भारोत्तोलन	20 मी × 20 मी × 7.5 मी (प्रत्येक)	02
4.	सामान्य कंडिशनिंग हॉल	20 मी × 20 मी × 7.5 मी	01
परिसर – II			
क्र. सं.	बहुउद्देशीय खेल हॉल	क्षेत्रफल	संख्या
1.	कंडिशनिंग हॉल	20 मी × 15 मी × 5 मी.	01
2.	स्टेट ऑफ आर्ट कंडिशनिंग हॉल	20 मी × 15 मी × 5 मी.	01
3.	ताइक्वांडो	30 मी × 20 मी × 7.5 मी	01
	कबड्डी		01

iii) हॉस्टल एवं अन्य सुविधाएं:

1.	पुरूषों के लिए 198 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
2.	उत्कृष्टता केन्द्र के लिए 196 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
3.	महिलाओं के लिए 80 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
4.	प्रमुख महिलाओं खिलाड़ियों के लिए 100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
5.	प्रमुख पुरूष खिलाड़ियों के लिए 100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
6.	क्लब हाउस	01
7.	स्वास्थ्य केन्द्र	01
8.	प्रशासनिक / शैक्षिक भवन	01
9.	शॉपिंग कॉम्पलेक्स	01
10.	खेल विज्ञान भवन	01
11.	गेस्ट हाउस	01
12.	स्टाफ क्वार्टर	91

13.	ऑडिटोरियम	01
14.	गेस्ट फ्लैट्स	12
15.	सम्मेलन कक्ष	01
16.	सेमीनार कक्ष	01

iv) **कार्य जारी है :**

(1) चारदीवारी का निर्माण

(2) सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक को पुनः बिछाना

(3) आधुनिक फिटनेस केन्द्र

(4) 50 बिस्तर वाला हॉस्टल परिसर

(5) बोट हाऊस का निर्माण और यार्ड एवं फ्लोटिंग जेटी का रखरखाव

भाखेप्रा नेताजी सुभाष पश्चिम केन्द्र, गांधीनगर

पश्चिमी केंद्र , गांधीनगर की स्थापना 29 अगस्त, 1987 को 64 एकड़ भूमि पर की गयी थी और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और दमन तथा दीव और दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। तथापि, जुलाई माह में भाखेप्रा पश्चिमी केन्द्र की 7.5 एकड़ भूमि महात्मा गांधी मन्दिर परियोजना के विकास हेतु वापिस गुजरात राज्य सरकार को सौंप दी गयी।

क) खेल संवर्धनात्मक स्कीमें :

भाखेप्रा एनएस पश्चिमी केंद्र, गांधीनगर अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन व निगरानी करता है ।

ख) छह सप्ताह का सर्टिफिकेट पाठ्‌यक्रम

(क) विभिन्न खेल विधाओं में 17 मई से 26 जून, 2013 तक छह सप्ताह का सर्टिफिकेट पाठ्‌यक्रम आयोजित किया गया।

ग) राष्ट्रीय कोचिंग शिविर

2013 के दौरान एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल तथा विश्व कप और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी के लिए देश का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रमुख खिलाड़ियों की तैयारी के लिए प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के वार्षिक कैलेंडर के अंतर्गत राष्ट्रीय कोचिंग शिविर इस केन्द्र में आयोजित किए गए हैं। भाखेप्रा गांधीनगर केन्द्र ने तीरंदाजी, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, कबड्डी, रोइंग और कुश्ती जैसी खेलों में राष्ट्रीय कोचिंग कैम्पों का आयोजन किया।

घ) केन्द्र में बुनियादी सुविधाएं :

(i) आउटडोर

क्र. सं.	आउटडोर	प्रकार	संख्या
1.	हाकी मैदान	एस्ट्रो टर्फ	01
		घास	01
2.	एथलेटिक ट्रैक 400 मीटर	सिंथेटिक (पुनः बिछाया गया).	01
3.	फुटबॉल मैदान	घास	01
4.	हैंडबॉल कोर्ट	क्ले	03
		सैंड	01
5.	कबड्डी मैदान	क्ले	04
6.	वालीबॉल कोर्ट	क्ले	03
		सैंड	01
7.	बास्केटबॉल कोर्ट	सिमेंटेड	02
8.	तरणताल और डायविंग पूल (गुजरात सरकार द्वारा पुनः निर्माण किया जा रहा है ।)	50 मी.	01
9.	टेनिस कोर्ट	क्ले	03
10.	बहुउद्देशीय इंडोर हॉल	वूडन	01
11.	प्रशासनिक ब्लॉक	––	01
12.	गेस्ट हाउस (गुजरात सरकार द्वारा तोड़कर पुनः निर्माण कराया जा रहा है)	––	01
13.	क्रिकेट पिच	सिमेंटेड अभ्यास के लिए	04
14.	क्रिकेट मैदान		01
15.	जिम्नेजियम		01

(ii) हॉस्टल और अन्य सुविधाएं :

क्र. सं.		संख्या
1.	लड़कों के लिए 198 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
2.	नेशनल कैम्परों के लिए 100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
3.	आधुनिक फिटनेस केंद्र	01

4.	खेल विज्ञान केंद्र	01
5.	अस्थाई क्लासरूम (प्रयोग में नहीं/मरम्मत की स्थिति में)	06
6.	80 बिस्तरों वाला गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग	01

भाखेप्रा उद्धव दास मेहता (भाई जी) मध्य केन्द्र, भोपाल

भाखेप्रा मध्य केन्द्र की स्थापना अप्रैल, 1988 में दिल्ली में की गयी थी। इसके पश्चात केन्द्र को 6 जून, 2001 में भोपाल स्थानांतरित किया गया और 17 अप्रैल, 2002 को इसका नाम शासी निकाय के 18 मार्च 2002 के निर्णय के अनुसार उद्धव दास मेहता (भाई जी) मध्य क्षेत्रीय केन्द्र रख दिया गया है। इस समय यह केन्द्र 97 एकड़ भूमि पर कार्य कर रहा है जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम गोरा, बिशनखेरी, भोपाल में आवंटित किया गया और इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं।

(क) खेल संवर्धनात्मक स्कीमें:

भाखेप्रा उद्धव दास मेहता (भाईजी) मध्य क्षेत्र, भोपाल अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

(ख) राष्ट्रीय कोचिंग शिविर

ओलंपिक, 2016 तथा एशियाई खेल, 2014 और अन्य विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने में 8 खेल विधाओं जैसे बॉक्सिंग (सीनियर तथा सब जूनियर महिला), हाकी (सीनियर तथा जूनियर महिला), जूडो (सीनियर पुरूष तथा महिला), कबड्डी (सीनियर महिला), कयाकिंग और कैनोइंग (सीनियर तथा जूनियर पुरूष तथा महिला), ताइक्वांडो (जूनियर पुरूष तथा महिला), निशानेबाजी और वूशू (पुरूष तथा महिला) में वर्ष 2012 के दौरान भाखेप्रा मध्य क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल में कुल 26 राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया ।

(ग) केन्द्र में अवसंरचना सुविधाएं

(i) आउटडोर

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1	हाकी मैदान	फ्लड लाईट सहित एस्ट्रोटर्फ	01
		एस्ट्रोटर्फ	01
2	फुटबॉल मैदान	घास	01
3	बास्केटबॉल कोर्ट	सिमेंटेड	03
4	वालीबॉल कोर्ट	क्ले	03
5	एथलेटिक ट्रैक (400 मीटर)	सिंडर	01
6	हाकी मैदान	घास	01
7	जॉगिंग ट्रैक (2.1 किलोमीटर)		01

ii) **इंडोर**

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1	बहुउद्देशीय कक्ष	छोटा	02
		बड़ा	02
2	खेल विज्ञान केन्द्र तथा चिकित्सा और फिजियोथरेपी केन्द्र		01
3	आधुनिक फिटनेस केन्द्र		01
4	चेंजिंग रूम		01
5	सुविधा शापिंग केन्द्र		01
6	प्रशासनिक ब्लाक		01

iii) **हॉस्टल तथा अन्य सुविधाएं**

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	संख्य
1	144 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
2	वातानुकूलित सुविधाओं के साथ 52 बिस्तरों वाला (पुरूष तथा महिला) हॉस्टल	02
3	स्टाफ क्वार्टर	32
4	वातानुकूलित सुविधाओं के साथ 48 बिस्तरों वाला हॉस्टल (हॉस्टल संख्या – 4)	01

(iv) **चल रहे कार्य**

(क) सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक (400 मीटर – 8 लेन)

(ख) कच्चे पानी के ट्रीटमेंट के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट

(ग) सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के लिए पहुंच सड़क और पार्किंग

(v) **प्रस्तावित कार्य**

(क) हाई मास्ट सुरक्षा लाइटिंग

(ख) सिंथेटिक टेनिस कोर्ट–02

(ग) तरण ताल

(घ) स्कवैश कोर्ट (दो)

(ड़) सिंथेटिक हाकी सर्फेस को बदलना

(च) बहुउद्देशीय हॉल (अंतरराष्ट्रीय स्तर का)

(छ) 300 बिस्तरों वाला अंतरराष्ट्रीय स्तरीय (बहुमंजिला)

(ज) एसटीसी टीकमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय हाकी सर्फेस बिछाना

(झ) सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैकों के इर्द–गिर्द एरीना लाइटिंग

भाखेप्रा चौ0 देवीलाल उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, सोनीपत

भाखेप्रा के उत्तरी केन्द्र की स्थापना 15 अक्तूबर, 1991 को उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में भाखेप्रा तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए चंडीगढ़ में की गई थी। हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना तथा खेल अवसंरचना/खेल की सुविधाओं के निर्माण के लिए सोनीपत में 83 एकड़ भूमि आबंटित की । भाखेप्रा के शासी निकाय ने 12 नवम्बर, 2001 को आयोजित अपनी बैठक में क्षेत्रीय केन्द्र को चंडीगढ़ से सोनीपत स्थानांतरित करने और केन्द्र का नाम भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, स्वर्गीय चौधरी देवी लाल के नाम पर रखने को अनुमोदित किया । यह केन्द्र अब हरियाणा और दिल्ली राज्यों को कवर करता है।

(क) खेल संवर्धनात्मक स्कीमें :

भाखेप्रा चौ0 देवी लाल उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र, सोनीपत अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

(ख) केंद्र में सृजित अवसंरचना सुविधाएं :

(i) **आउटडोर**

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1	हाकी मैदान	एस्ट्रोटर्फ	01
2	हाकी मैदान	घास	01
3	बास्केटबॉल कोर्ट	सिमेंटेड	02
4	वालीबॉल कोर्ट	क्ले	02
5	एथलेटिक ट्रैक	सिंथेटिक	01
		घास	01
6	फुटबॉल मैदान	घास	01
7	कबड्डी मैदान	क्ले	02
8	तरणताल		01

ii) **इंडोर**

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1	बहुउद्देशीय हॉल (4 कुश्ती मैट, कबड्डी कोर्ट और बॉक्सिंग रेंज के लिए सुविधाओं सहित)		01
2	टेक्नो जिम	आधुनिक उपस्करों के साथ	01
3	सोनाबाथ		01

iii) **हॉस्टल तथा अन्य सुविधाएं**

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	संख्य
1	लड़कों के लिए 90 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
2	लड़कियों के लिए 90 बिस्तर वाला हॉस्टल	01
3	प्रशासनिक कार्यालय	01
4	चिकित्सा केन्द्र	01
5	ओवरहेड वाटर टैंक	01
6	खेल विज्ञान केन्द्र	01
7	आधुनिक फिटनेस केन्द्र	01
8	200 बिस्तरों वाला हॉस्टल (एसी) –1	01
9	अतिथि गृह	01
10	स्टाफ क्वार्टर	35
11	11 केवी पृथक फीडर पिलर	01

भाखेप्रा केन्द्र, चंडीगढ़

शासी निकाय की 23 फरवरी, 2009 को आयोजित 36वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार में चंडीगढ़ में 25 फरवरी, 2009 से एक भाखेप्रा केन्द्र की स्थापना की गयी जो 1 अप्रैल 2009 से कार्यरत है और जो जम्मू–कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र को कवर करता है।

(क) **खेल संवर्धनात्मक स्कीमें :**

चंडीगढ स्थित भाखेप्रा केंद्र अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

कोचिंग शिविरों का विवरण :

वर्ष 2013–14 के दौरान क्षेत्रीय केंद्र, चंडीगढ के तहत विभिन्न स्थानों पर निम्नलिखित राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए गए:–

क्र. सं.	खेल विधा	स्थान	अवधि	शिविरवासियों, कोचों और सहायक स्टाफ की संख्या
1	तीरंदाजी	शिलारू (हि.प्र.)	10–4–2013 से 20–6–2013 तक	24 पुरूष 24 महिला (शिविरवासी) 6 कोच 1 सहायक स्टाफ
2	जूडो (पुरूष)	शिलारू (हि.प्र.)	1–5–2013 से 15–6–2013 तक	19 शिविरवासी 2 कोच

3	जूडो (जूनियर और युवा पुरूष)	शिलारू (हि.प्र.)	1–5–2013 से 15–6–2013 तक	16 जूनियर 14 युवा 2 कोच 2 सहायक स्टाफ
4	जूडो (महिला)	शिलारू (हि.प्र.)	3–6–2013 से 6–7–2013 तक	24 महिला शिविरवासी 3 कोच 1 फिजियोथेरेपिस्ट 1 डाक्टर
5	वुशु (सीनियर महिला और पुरूष)	गुलमर्ग (जम्मू–कश्मीर)	10–7–2013 से 15–8–2013 तक	28 शिविरवासी 4 कोच 2 सहायक स्टाफ

भाखेप्रा नेताजी सुभाष पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, इम्फाल

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना 15 सितम्बर, 1986 को तक्योल, इम्फाल में 64 एकड़ भूमि पर की गई थी जो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों को कवर करता है ।

(क) खेल संवर्धनात्मक स्कीमें :

भाखेप्रा नेताजी सुभाष पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, इम्फाल अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

(ख) केंद्र में अवसंरचना सुविधाएं

(i) आउटडोर

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1	हाकी मैदान	घास	02
2	फुटबॉल मैदान	घास	02
3	एथलेटिक मैदान	घास	01
4	हैंडबाल कोर्ट	घास	01
		इंडोर	01
5	कबड्डी मैदान	घास	01
		इंडोर सिंथेटिक	01
6	सेपक तकरा कोर्ट	क्ले	01
7	तीरंदाजी मैदान	घास	01

ii) इंडोर

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1	बहुउद्देशीय हॉल (हैंडबाल, कबड्डी, सेपक–तकरा और ताइक्वांडो हेतु सुविधाएं)	54.6×30×12.5 मीटर	01
2	कंडिशनिंग		03
3	फिजिकल पुनर्वास और खेल औषधि सुविधाएं		

iii) हॉस्टल तथा अन्य सुविधाएं

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	संख्य
1	100 बिस्तरों वाला हॉस्टल (एसटीसी इम्फाल में)	01
2	50 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
3	स्टाफ क्वार्टर टाईप–V	01
4	स्टाफ क्वार्टर टाईप–IV	02
5	स्टाफ क्वार्टर टाईप–III	16
6	स्टाफ क्वार्टर टाईप–II	04
7	स्टाफ क्वार्टर टाईप–I	04
8	अतिथि गृह	01

(iv) चल रहे कार्य :

1.	सिंथेटिक हाकी सर्फेस बिछाना	}	
2.	सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	}	
3.	3 टेनिस कोर्ट	}	
4.	बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण	}	भाखेप्रा एनईआरसी, इम्फाल में
5.	100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	}	
6.	टाइप III के 6 स्टाफ क्वार्टर	}	
7.	बहुउद्देशीय हॉल	}	एसएजी केन्द्र, खुमन लम्पक में
8.	100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	}	
9.	बहुउद्देशीय हॉल	}	एसएजी केन्द्र, उटलऊ में
10.	सिंथेटिक हाकी सर्फेस	}	एसएजी केन्द्र, थेंजुअल में

11. लड़कों तथा लड़कियों के लिए
100 बिस्तरों वाला हॉस्टल } एसएजी केन्द्र, मिजोरम में

भाखेप्रा नेताजी सुभाष उपकेन्द्र, लखनऊ :

भाखेप्रा नेताजी सुभाष उपकेन्द्र, लखनऊ की स्थापना 23 फरवरी, 2004 को 52 एकड़ भूमि पर की गयी थी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को कवर करता है।

(क) खेल संवर्धनात्मक स्कीमें :

भाखेप्रा नेताजी सुभाष उप केंद्र, लखनऊ अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

(ख) राष्ट्रीय कोचिंग शिविर

एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल तथा विश्व कप और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीम तैयार करने हेतु 2013–14 के दौरान भाखेप्रा नेताजी सुभाष उप केन्द्र, लखनऊ में विभिन्न स्तर पर बैडमिंटन और कुश्ती जैसी 2 खेल विधाओं में 6 राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया ।

(ग) केन्द्र में अवसंरचना सुविधाएं

(i) आउटडोर

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1	एथलेटिक ट्रैक	घास	02
2	फुटबॉल मैदान	घास	02
3	हाकी मैदान	एस्ट्रोटर्फ	01
4	हाकी मैदान	घास	01
5	वालीबॉल मैदान	क्ले	02
6	कबड्डी मैदान	क्ले	02
7	बास्केटबॉल कोर्ट	सिमेंटेड	02
8	हैंडबाल कोर्ट	घास	01
9	खो–खो मैदान	घास	02
10	क्रिकेट पिच	सिमेंटेड	02
11	बहुउद्देशीय हॉल		01
12	फिटनेस केंद्र		01
13	योग/ताइक्वांडो हॉल		01

ii) **हॉस्टल तथा अन्य सुविधाएं**

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	संख्या
1.	लड़कों के लिए 30 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
2.	लड़कियों के लिए 30 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
3.	राष्ट्रीय शिविरों के लिए 100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
4.	प्रशासनिक ब्लॉक	01
5.	खेल विज्ञान केन्द्र	01

iii) **चल रहे कार्य :**

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र बरेली में 2 सिंथेटिक हाकी सर्फेस
2. फिटनेस केंद्र में आधुनिक आयातित उपस्कर लगाने हैं
3. लड़कों/लड़कियों के प्रत्येक हॉस्टल में 10 अतिरिक्त कमरे
4. क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में बाक्सिंग रिंग शेड
5. जूडो/ताइक्वांडो हॉल, लखनऊ
6. रायबरेली में ताइक्वांडो के लिए हॉल
7. स्टोर रूम और शौचालयों का निर्माण
8. काशीपुर में 2 बॉक्सिंग रिंग

भाखेप्रा नेताजी सुभाष पूर्वोत्तर उपकेन्द्र, गुवाहाटी

भाखेप्रा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय उपकेन्द्र की स्थापना 7.5 एकड़ भूमि पर 1987 में गुवाहाटी में की गयी जिसमें असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्य शामिल हैं।

(क) **खेल संवर्धनात्मक स्कीमें :**

भाखेप्रा नेताजी सुभाष पूर्वोत्तर उपकेन्द्र, गुवाहाटी अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

(ख) **केंद्र में अवसंरचना सुविधाएं :**

(i) **आउटडोर**

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1	एथलेटिक ट्रैक (8 लेन)	सिंथेटिक	01
2	फुटबॉल मैदान		01
3	बॉक्सिंग शेड		01
4	टेनिस कोर्ट	सिंथेटिक	02

ii) **इंडोर**

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	संख्या
1	बहुउद्देशीय हॉल	01
2	मल्टी–जिम और भारोत्तोलन के लिए छोटा हॉल	01
3	मनोरंजन हॉल	01
4	डायनिंग हॉल	01

iii) **हॉस्टल तथा अन्य सुविधाएं**

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	संख्या
1	लड़कियों के लिए 80 बिस्तरों वाला खेल हॉस्टल	01
2	लड़कों के लिए 55 बिस्तरों वाला खेल हॉस्टल	01
3	खेल विज्ञान इकाई	01
4	ग्रांड स्टैंड–सह–प्रशासनिक ब्लॉक	01
5	कार्यालय कक्ष	02

(iv) **चल रहे कार्य** :

1. लड़के और लड़कियों के लिए 100 बिस्तरों वाला हॉस्टल }
2. बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण }
3. हाकी के लिए सिंथेटिक सर्फेस } नेहू विश्वविद्यालय, शिलांग में
4. एथलेटिक ट्रैक बिछाना }
5. स्टाफ क्वार्टर }

शैक्षणिक संस्थान

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस) पटियाला तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा, कॉलेज (एलएनसीपीई) तिरूवनंतपुरम, भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत दो शैक्षणिक संस्थान हैं।

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला

भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में वर्ष 1973 में देश में व्यवस्थित और वैज्ञानिक खेल कोचिंग के युग का सूत्रपात करने के लिए 7 मई, 1961 को स्थापित राष्ट्रीय खेल संस्थान 1 मई, 1987 से भारतीय खेल प्राधिकरण का शैक्षणिक प्रभाग बन गया। इसे एशिया में प्रमुख खेल संस्थान माना गया है और यह 268 एकड़ के क्षेत्रफल में मोती बाग पैलेस, पटियाला (पंजाब) में स्थित है।

संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य

- खेल कोचिंग, खेल विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अल्प एवं दीर्घावधि शैक्षणिक पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- कोचों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन द्वारा कोचों की योग्यता बढ़ाना।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के आयोजन हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता देना।
- विशिष्ट खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रदर्शन की प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।
- खेल से संबंधित विषयों पर सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- विशेषज्ञों के माध्यम से खेल अवसंरचना के संबंध में सूचना और परामर्श स्रोत के रूप में कार्य करना।
- भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धनात्मक स्कीमों का कार्यान्वयन करना।
- पहचान की गई खेल विधाओं में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक खेल कोचिंग के माध्यम से उन्हें तैयार करना।
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की खेल संवर्धन स्कीमों को कार्यान्वित करना

शैक्षणिक कार्यक्रम

संस्थान में खेल कोचिंग वर्ष 2012–13 के सत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का वार्षिक दीक्षांत समारोह पटियाला में आयोजित किया गया जहां पटियाला में 266 छात्रों को सोलह खेल विधाओं में, भाखेप्रा के एन.एस. दक्षिणी केन्द्र, बेंगलुरू में 114 छात्रों को 8 खेल विधाओं में और भाखेप्रा एनएस पूर्वी केन्द्र, कोलकाता में 40 छात्रों को चार खेल विधाओं में डिप्लोमा प्रदान किए गए और कुल मिलाकर 420 छात्रों ने 22 खेल विधाओं में कोच के रूप में अर्हता प्राप्त की।

(i) खेल कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा पटियाला, बंगलुरू, कोलकाता और तिरूवनंतपुरम स्थित चार विभिन्न शैक्षणिक केंद्रों में 10 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

पटियाला में 17 खेल विधाओं नामतः एथलेटिक्स, बॉस्केटबॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट, साइक्लिंग , फेंसिग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हाकी, जूडो, टेबल टेनिस, तैराकी वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इन खेल विधाओं में 275 छात्रों को दाखिला दिया गया।

बेंगलुरू में 8 खेल विधाओं नामतः एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हाकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, तैराकी, ताइक्वांडो तथा बालीबॉल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर बेंगलुरू में इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 106 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

कोलकाता में 5 खेल विधाओं नामतः तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, क्रिकेट और फुटबॉल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस केन्द्र में 61 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, तिरूवनंतपुरम में रोइंग, कयाकिंग, कैनोइंग में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल 19 छात्रों को प्रवेश दिया गया ।

कुल मिलाकर उक्त 4 केन्द्रों पर 23 खेल विधाओं में 457 छात्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब तक 1961 के बाद से इस कार्यक्रम के तहत 17892 व्यक्तियों ने अर्हता प्राप्त की है ।

(ii) **खेल कोचिंग में एम एससी**

1979 में 9 खेल विधाओं में खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया गया। पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से सम्बद्ध यह पाठ्यक्रम केवल पटियाला केन्द्र में चलाया जा रहा है। 6 छात्रों को एम.एससी. खेल कोचिंग (2011–13) में प्रवेश दिया गया था । 2013–15 में तीन छात्रों को प्रवेश दिया गया । 192 अभ्यर्थियों ने पास किया है।

(iii) खेल कोचिंग में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा 17 मई से 26 जून, 2013 तक विभिन्न भाखेप्रा केन्द्रों में जन शिक्षा कार्यक्रम के तहत खेल कोचिंग में 6 सप्ताह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आयोजित किया गयाः एनएस एनआईएस पटियाला, एनएस पश्चिमी केन्द्र, गांधी नगर, भाखेप्रा पश्चिमी केन्द्र, औरंगाबाद, एलएनसीपीई, तिरूवनंतपुरम, भाखेप्रा एनएस पूर्वी केन्द्र, कोलकाता, भाखेप्रा एसटीसी प्रशिक्षण केन्द्र, कांडीवली (पूर्वी) मुम्बई, एएन विश्वविद्यालय, आन्ध्र प्रदेश, मणिपाल विश्वविद्यालय (कर्नाटक) और केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा ।

कुल मिलाकर 22 खेल विधाओं में 820 छात्रों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया ।

राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का प्रबंधन

(i) **राष्ट्रीय शिविरों और भाखेप्रा की स्कीमों को वैज्ञानिक सहायता**

विभिन्न वैज्ञानिक विभागों ने भाखेप्रा एनएसएनआईएस, पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय शिविरों में भाग लेने वालों के संबंध में वैज्ञानिक परीक्षण/मूल्यांकन किए। इन विभागों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु मूल्यवान सूचना दी ।

(ii) राष्ट्रीय कोचिंग शिविर

भाखेप्रा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में वर्ष 2012 के दौरान एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व कप तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी हेतु राष्ट्रीय टीमों की तैयारी में विभिन्न स्तर पर एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, जूडो, हाकी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती जैसी 7 खेल विधाओं में 29 राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया।

(iii) **संस्थान में सृजित अवसंरचना सुविधाएं** :

(1) वर्ष के दौरान पूरे किए गए कार्य

(i) पुरूषों के लिए 150 बिस्तरों वाले हॉस्टल का निर्माण (अंतिम रूप देना)

(ii) सिंथेटिक हाकी सर्फेस बिछाना

(iii) हाकी फील्ड के निकट सोना/स्टीम बाथ के लिए चेंजिंग रूम, स्टोर, स्नानगृह, कक्षा का निर्माण

(iv) पंजाब स्टेडियम तरनतारन में 400 मी. सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना

(v) एसटीसी बादल (मुक्तसर) में महिलाओं के लिए 100 बिस्तरों वाले हॉस्टल का निर्माण

(vi) राजीव गांधी हाई एल्टिट्यूड ट्रेनिंग सेंटर, शिलाः में लड़कों के हॉस्टल को पूरा करना

(vii) राजीव गांधी हाई एल्टिट्यूड ट्रेनिंग सेंटर, शिलारू में लड़कियों के हॉस्टल को पूरा करना

खेल संवर्धनात्मक स्कीमें:

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

(2) चल रहे कार्य

(i) पुराने भवनों का संरक्षण और जीर्णोद्धार

(ii) विद्यमान एचटी और एलटी वैद्युत वितरण तंत्र का संवर्धन

1. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज (एलएनसीपीई), तिरूवनन्तपुरम

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज (एलएनसीपीई) करियावट्टम, तिरूवनन्तपुरम की स्थापना तत्कालीन युवा कार्यक्रम व खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन 17 अगस्त, 1985 को की गई थी । 1 मई, 1987 को एनएसआईसीपीआई के भाखेप्रा से समामेलन के पश्चात यह कॉलेज एनएसएनआईएस पटियाला और एलएनसीपीई, ग्वालियर के समतुल्य भारतीय खेल प्राधिकरण के शैक्षणिक खंड का एक भाग बन गया । इसे केरल विश्वविद्यालय, करियावट्टयम शिविर से ली गई 50 एकड़ भूमि पर बनाया गया ।

कॉलेज का उद्देश्य देश में शारीरिक शिक्षा व खेल के उत्थान हेतु उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करना तथा अवर स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाकर शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मॉडल संस्थान के रूप में काम करना है।

क) लक्ष्य और उद्देश्य

- शारीरिक शिक्षा, खेल–कूद के क्षेत्र में अत्यधिक दक्ष और कुशल नेतृत्व तैयार करना।
- शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में सेवा देना ।
- शारीरिक शिक्षा के अन्य संस्थानों को तकनीकी, व्यावसायिक और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना।
- क्षेत्र में कार्यरत अन्य व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और नौकरी में सहायता करना ।
- जन शारीरिक शिक्षा कार्यकलाप के कार्यक्रम विकसित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना ।

- राज्य और राष्ट्र स्तरीय कोचिंग शिविरों के लिए अवसंरचना, आवास और भोजन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ–साथ इस कॉलेज को भाखेप्रा की चल रही स्कीमों का केंद्र बनाना ।
- आम जनता व विशिष्ट रूप से खेलों के लिए मॉडल स्वास्थ्य व फिटनेस कार्यक्रम विकसित करना।

(ख) **शैक्षणिक कार्यक्रम**

शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किए :

1. शारीरिक शिक्षा स्नातक (4 वर्ष)
2. शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर (2 वर्ष)
3. मास्टर आफ फिलासफी (एम. फिल) (1 वर्ष)
4. नियमित और अंशकालिक पी.एच–डी. कार्यक्रम
5. खेल कोचिंग में एनआईएस डिप्लोमा

छात्रों की संख्या:

कक्षा	लड़के	लड़किया	कुल संख्या
बीपीई I	31	20	51
बीपीई II	वर्ष 2012–13 के लिए बीपीई प्रथम वर्ष के निलंबन के कारण कोई छात्र नहीं है ।		
बीपीई III	36	16	52
एमपीई I	12	13	25
एमपीई II	13	13	26
एमफिल	–	–	–
डिप्लोमा	15	4	19
कुल	107	66	173

(ग) **सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम**

17 मई से 26 जून, 2013 तक 4 खेल विधाओं नामतः एथलेटिक्स, हाकी, क्रिकेट, स्वास्थ्य और फिटनेस तथा तैराकी में 6 सप्ताह की अवधि वाले सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 64 छात्रों ने पाठ्यक्रम पूरा किया।

(घ) **राष्ट्रीय कोचिंग शिविर**

2013 के दौरान एलएनसीपीई, तिरूवनन्तपुरम में 5 राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया अर्थात एथलेटिक्स (04) और वाटर पोलो (01)।

2. **संस्थान में सृजित अवसंरचना सुविधाएं**

1.	आधुनिक फिटनेस केन्द्र	–	01
2.	वेलोड्रम का नवीकरण	–	01
3.	एम.पी. हॉल के लिए लकड़ी का फर्श	–	01
4.	वार्मअप ट्रैक	–	01
5.	नया पैवेलियन और वीआईपी के लिए एनक्लोजर		
6.	आरसीसी ओपन वेल		
7.	चेक डैम की ऊचांई बढ़ाना		
8.	अतिथि गृह		
9.	50 बिस्तरों वाला हॉस्टल परिसर		

खेल संवर्धनात्मक स्कीमें :

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज (एलएनसीपीई), तिरूवनंतपुरम अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम

तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय राजकुमारी अमृत कौर की पहल पर सितम्बर, 1953 में संगठित खेल कोचिंग आरंभ की गई जिसका मुख्य उद्देश्य खेल कोचों के लिए एक संस्थान के रूप में सेवाएं देना और विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित किए गए कोचों की सेवाओं को देश के युवाओं को दीर्घावधि और अल्पावधि, दोनों आधारों पर प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग में लाना था ।

राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसे बाद में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएस एनआईएस) का नाम दिया गया, 1 मई, 1987 से भारतीय खेल प्राधिकरण का अभिन्न अंग बन गया और एनएसएनआईएस, पटियाला स्थित भाखेप्रा का शैक्षणिक खंड एनआईएस, पटियाला, भाखेप्रा दक्षिणी केंद्र बेंगलुरू और भाखेप्रा पूर्वी क्षेत्र कोलकाता में 23 खेल विधाओं में कोचिंग का नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम (11 महीने की अवधि) संचालित कर रहा है ।

राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम, जो राजकुमारी अमृत कौर स्कीम का आशोधित रूप है, देश भर में खेलों को विस्तृत आधार देने और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्यों की पूर्ति करता है । इस स्कीम के तहत राज्य कोचिंग केंद्र/जिला कोचिंग केंद्र के लिए मैचिंग आधार पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को कोचों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । कोचों की सेवाओं का उपयोग भाखेप्रा की चल रही विभिन्न स्कीमों के तहत युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जाता है । इसके अतिरिक्त कोच राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण और विभिन्न खेल विधाओं में कोचिंग में संचालित किए जा रहे डिप्लोमा/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन में शैक्षणिक विंग की सहायता भी करते हैं ।

कोच महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय/अंतः विश्वविद्यालय/और अन्य टीमों की कोचिंग हेतु राष्ट्रीय परिसंघों/संगठनों/खेल बोर्डों/विश्वविद्यालयों की सहायता करते हैं । कोच, कोचिंग शिविर के आयोजन और राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में भागीदारी के लिए राज्य स्तरीय टीमों को तैयार करने में राज्य खेल परिषदों की भी सहायता

करते हैं । भाखेप्रा के कोच अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करने हेतु राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के आयोजन में राष्ट्रीय खेल परिसंघों की भी सहायता करते हैं ।

भाखेप्रा के कोच प्रतिभा खोज प्रक्रिया में भी सम्मिलित हैं जिसके माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और उन्हें भाखेप्रा की विभिन्न खेल संवर्धनात्मक स्कीमों में शामिल किया जाता है यथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज (एनएसटीसी), विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी), सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) और भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) । कोचों को खेल क्षेत्र में कार्यरत अन्य कोचों के प्रशिक्षण और कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए भाखेप्रा के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में भी नियुक्त किया जाता है ।

यद्यपि राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम के अंतर्गत राज्य कोचिंग केंद्रों (एससीसी) के लिए राज्य सरकारों को कोच उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है परंतु कोचों की कमी के कारण संदर्भाधीन वर्ष के दौरान किसी भी भाखेप्रा कोच की तैनाती भाखेप्रा की स्कीमों के अलावा कहीं और नहीं की गई ताकि भाखेप्रा की अपनी संवर्धनात्मक स्कीमों को और मजबूत किया जा सके ।

1. कोचों की भर्ती

   18 खेल विधाओं (अर्थात एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, साइक्लिंग, फेंसिग, हाकी, जिम्नास्टिक, जूडो, कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, निशानेबाजी,तैराकी और डाइविंग, ताइक्वांडो, वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु) में पूर्व ओलंपिक खिलाड़ियों सहित 200 से अधिक सहायक कोचों की भर्ती प्रकिया पूरी की गई । भाखेप्रा में कोच के पद के लिए चुने गए 27 पूर्व ओलंपिक खिलाड़ियों में से 14 ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

2. कोचों की संख्या

   विभिन्न खेल विधाओं में 1039 नियमित कोच और 134 कोच अनुबंध आधार पर हैं ।

स्टेडियम प्रभाग

स्टेडियम प्रभाग खेलों को विस्तृत आधार देने और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्य से सृजित विभिन्न सुविधाओं के उपयोग के लिए नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उत्तरदायी है ।

उद्देश्य:

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए सुविधाएं और स्थल उपलब्ध कराना, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए नियमित कोचिंग तथा आओ और खेलो कार्यकलाप ।

इसके अतिरिक्त, इन स्टेडियमों को शैक्षिक संस्थाओं/परिसंघों/अन्य संगठनों को विभिन्न स्तरों पर अपने खेल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए भी दिया जा रहा है।

1982 में नई दिल्ली में आयोजित नौवें एशियाई खेलों के लिए निर्मित/नवीकृत और 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए उन्नयित स्टेडियमों का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा रख–रखाव तथा उपयोग किया जा रहा है। ये स्टेडियम हैं:

क्रम सं.	स्टेडियम का नाम
1	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर
2	इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर
3	मेजर/यानचंद नेशनल स्टेडियम
4	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर
5	डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज

उपर्युक्त सभी स्टेडियम इन खेलों के लिए केंद्र भी थे।

(क) उपलब्ध सुविधाएं

क्रम सं.	स्टेडियम का नाम
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर :– क) एथलेटिक्स ख) फुटबॉल ग) वालीबॉल घ) भारोत्तोलन हॉल
2.	मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम:– क) क्रिकेट ख) हाकी
3.	इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर, साइक्लिंग वेलोड्रोम सहित:– क) बैडमिंटन ख) बास्केटबॉल ग) मुक्केबाजी घ) जिम्नास्टिक ड़) जूडो च) टेबल टेनिस छ) कुश्ती
4	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर:– तैराकी
5	डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज:– निशानेबाजी

ख) आओ और खेलो

हाल ही में आरंभ की गई 'आओ और खेलो' स्कीम के संबंध में दिल्ली में भाखेप्रा स्टेडियमों में विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षुओं की संख्या निम्नानुसार है:—

1. खेलों के लिए उपयोग का विवरण :—

स्टेडियम का नाम	खेल विधा	सामान्य	राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय	बीपीएल	कुल
जेएन स्टेडियम	एथलेटिक्स	6366	04	——	6370
	फुटबॉल	4371	——	——	4371
	वालीबाल	1484	——	——	300
	भारोत्तोलन	295	05	——	300
	कुल	12516	09	——	12525
आईजी स्टेडियम	बैडमिंटन	733	02	07	742
	बास्केटबाल	418	03	——	421
	मुक्केबाजी	983	07	07	997
	जिम्नास्टिक	491	10	03	504
	जूडो	184	01	——	185
	टेबल टेनिस	153	02	03	158
	कुश्ती	218	02	——	220
	कुल	3180	27	20	3227
एमडीसीएनएस	क्रिकेट	4927	04	27	4958
	हाकी	1776	02	10	1788
	कुल	6703	06	37	6746
डा. एसपीएमएसपी	तैराकी	2894	66	——	2960
डा. केएसएसआर	निशानेबाजी	1067	364	——	1431
	सकल योग	26360	472	57	26889

टीईएएमएस प्रभाग:

टीईएएमएस (विशिष्ट एथलिटों का प्रशिक्षण एवं प्रबंधन सहायता) प्रभाग को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के समन्वय से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय टीमों की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरे शब्दों में यह ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप जैसी अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं तथा भारत और विदेशों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए विशिष्ट खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है । यह राष्ट्रीय तथा

अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए राष्ट्रीय टीमों की तैयारी हेतु विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा उनके वार्षिक प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कैलेंडर (एसीटीसी) द्वारा तैयार और समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं का कार्यान्वयन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करते हुए करता हैः

कोचिंग शिविर

''राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता'' स्कीम के अंतर्गत 28 खेल विधाओं में कुल 256 कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया ।

विदेशी कोच

11 खेल विधाओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु कुल 31 विदेशी कोच नियुक्त किए गए थे जैसा कि अनुबंध–VII में दिया गया है।

खेल विज्ञान बैक–vi

यह खेल औषधि, वैज्ञानिकों, फिजियोथेरेपिस्टों तथा मालिशकर्ताओं आदि में डॉक्टरों के रूप में राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के दौरान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपनी फिटनेस का स्तर बढ़ा सकें, चोटें ठीक कर सके और इलाज संबंधी कमी को दूर कर सके।

उपस्कर सहायता (ईएस) प्रभाग

1. तकनीकी खेल उपस्कर स्कीम के केंद्रीय पूल का कार्यान्वयन

(i) भाखेप्रा की एक योजनागत स्कीम अर्थात तकनीकी खेल उपस्कर स्कीम के केन्द्रीय पूल का कार्य ईएस प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भाखेप्रा की विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय शिविरों में भाग लेने वालों/प्रशिक्षुओं द्वारा उपयोग के लिए केन्द्रों/उप–केन्द्रों/शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों को अपेक्षित खेल संबंधी मदें, उपस्कर, खेल विज्ञान उपस्कर (स्वदेशी तथा आयातित दोनों) प्रदान किए जाते हैं। दिनांक 21 फरवरी, 2012 के कार्यालय आदेश संख्या 45/2012 के अनुसरण में क्षेत्रीय प्रमुखों को प्रदत्त अधिकारों से परे स्कीम के अंतर्गत खरीद के प्रस्तावों पर ईएस प्रभाग द्वारा मुख्यालय में कार्य किया जा रहा है ।

(ii) इसके अतिरिक्त टीईएएमएस प्रभाग से प्राप्त एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, ओलंपिक खेलों, विश्व चौंपियनशिप, विश्व कप इत्यादि जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के संबंध में राष्ट्रीय शिविरों में भाग लेने वालों के लिए खेल संबंधी मदों/उपस्करों की खरीद से संबंधित प्रस्तावों पर भी ईएस प्रभाग द्वारा कारवाई की जा रही है।

(iii) उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 5 करोड़ की राशि आबंटित की गई थी ।यह राशि वर्ष के दौरान 15 भाखेप्रा केंद्रों/उपकेंद्रों/शैक्षणिक संस्थानों के लिए 4.05 करोड़ रू. मूल्य की दर से फिटनेस उपस्करों के 15 सेट (1 सेट में 30 मदें) की खरीद और अतिरिक्त रोइंग नावों, कयाकिंग और कैनोइंग नावों की खरीद पर खर्च की गई ।

2. जल क्रीड़ा उपस्कर :

केंद्रों में जल क्रीड़ा उपस्करों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन अंतरराष्ट्रीय स्तर की रोइंग नावों तथा कयाकिंग और कैनोइंग नावें उपलब्ध करा कर किया जाता है ।भाखेप्रा एसएजी, जगतपुर और एलेप्पी को

लगभग 85 लाख रू. लागत की 25 रोइंग नावें उपलब्ध कराई गईं । इसके अतिरिक्त भाखेप्रा सीआरसी भोपाल, एसएजी जगतपुर और एसएजी एलेप्पी को लगभग 85 लाख रू. की लागत वाली कुल 56 कयाकिंग और कैनोइंग नावें भी उपलब्ध कराई गई । इसके अलावा पदक जीतने की संभावनाओं में बढ़ोतरी के लिए पोर्टब्लेयर (अंडमान और निकोबार) स्थित एसएजी केंद्र के लिए 6 रोइंग नावों और 18 कयाकिंग और कैनोइंग नावों की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त मांग की गई है ।

3. **फिटनेस उपस्कर:**

किसी भी महत्वाकांक्षी खिलाड़ी के लिए फिटनेस उपस्कर एक पूर्वापेक्षा है । भाखेप्रा क्षेत्रीय केंद्रों/उप केंद्रों/शैक्षणिक संस्थानों आदि में विद्यमान फिटनेस सुविधाओं में सुधार लाने के लिए लगभग 4 करोड़ रू. की लागत से देशभर के 15 भाखेप्रा केंद्रों में प्रत्येक केंद्र में एक आयातित फिटनेस सेट (प्रत्येक सेट में 30 मदें हैं) उपलब्ध कराया जा रहा है । उपस्करों के संस्थापन से प्रशिक्षु/खिलाड़ी अपनी शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकेंगे ।

4. **दर संविदा :**

क्षेत्रीय और उप केंद्रों के लिए खेल उपस्करों/आवश्यक सामग्रियों की खरीद एक जटिल समस्या रही है क्योंकि इससे संबंधित प्रक्रियाएं बहुत समय लेती है । खेल संबंधी मदों/आवश्यक सामग्रियों की खरीद को सरल बनाने के लिए विभिन्न खेल विधाओं हेतु भाखेप्रा दर संविदा बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि सभी भाखेप्रा केंद्र दर संविदा अवधि के दौरान निश्चित दरों पर खेल संबंधी सामग्री बिना किसी बाधा के खरीद सकें ।

खेल संबंधी मदों के लिए दर संविदा बनाने की कार्रवाई आरंभ करने के लिए ईएस प्रभाग ने सभी क्षेत्रीय केंद्रों/उप केंद्रों और शैक्षणिक संस्थाओं से खेल उपस्करों के खेल विधावार विनिर्देश मांगे । भाखेप्रा दर संविदा के लिए एक तकनीकी समिति का भी गठन किया गया । तकनीकी समिति की पहली बैठक 30–7–2013 को आयोजित की गई । तकनीकी समिति की दूसरी बैठक 19–8–2013 को आयोजित की गई जिसमें प्रस्तावित दर संविदा में शामिल की जाने वाली शर्तों और निबंधनों का निर्णय लिया गया ।

भारतीय सप्लायरों के साथ खेल संबंधी स्वदेशी मदों/आवश्यक सामग्रियों के लिए दर संविदा बनाने से देश भर में फैले भाखेप्रा केंद्रों और पायका केंद्रों के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित मानक/गुणता के उपस्करों को निर्धारित दरों पर प्राप्त करना सुगम होगा । इससे प्राप्ति प्रक्रिया में खरीददार के लगने वाले समय और उर्जा की भी भारी बचत होगी ।

5. **राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता :**

खेलों के संवर्धन के लिए सरकार की नीति के अनुसार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को भाखेप्रा द्वारा सहायता प्रदान की जाती है यथा प्रशिक्षण/प्रतियोगिता के लिए परिसंघों द्वारा आयातित खेल संबंधी मदों/उपस्करों/आवश्यक सामग्रियों पर सीमा शुल्क छूट का दावा करने के लिए सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र (सीजीईसी) उपलब्ध कराना । इस प्रकार उन्हें अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है ।

उपर्युक्त के अलावा, अन्य संगठनों के अनुरोध पर खेल उपस्करों की खरीद के लिए उन्हें परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है । हाल ही में, उपस्कर प्रभाग के विशेषज्ञों ने केरल सरकार के यहां भ्रमण किया ताकि अंनतिम रूप से 2014 में केरल में आयोजित किए जाने वाले आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए सरकार

द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानकों के शूटिंग रेंजों की स्थापना और आयातित कयाकिंग और कैनोइंग नावों की खरीद के लिए परामर्श दिया जा सके ।

6. **खेल विज्ञान उपस्करों की खरीद :**

खेल विज्ञान उपस्करों की खरीद के लिए केंद्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए खेल विज्ञान उपस्करों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए डीजी, भाखेप्रा के अनुमोदन से ईडी (ए) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था:

क. संस्थापन के लिए स्थान की उपलब्धता

ख. संचालन के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता

ग. परीक्षण के लिए आऊटसोर्सिंग सुविधा की अनुपलब्धता

घ. राष्ट्रीय शिविरों में भाग लेने वालों, प्रमुख संभाव्यों इत्यादि के लिए प्रयोग की स्थिति

ड़. मौजूदा उपस्करों की स्थिति

च. उपस्करों की लागत बनाम उपयोगिता इत्यादि।

समिति ने अपनी रिपोर्ट जून, 2013 में प्रस्तुत की । लगभग 33.5 करोड़ रू. मूल्य के खेल विज्ञान और चिकित्सा उपस्करों की खरीद का प्रस्ताव है ।

7. **सीडीईसी जारी करना (सीमा शुल्क छूट प्रमाण–पत्र)**

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा कैलेंडर वर्ष आधार पर मान्यता दी जाती है। मान्यता प्राप्त परिसंघ प्रशिक्षण/खेल प्रतियोगिताओं के लिए खेल मदें/उपस्कर/अतिरिक्त सामान के लिए सीडीईसी (सीमा शुल्क छूट प्रमाण–पत्र) का लाभ उठाने के पात्र हैं।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सीडीईसी जारी करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निदेशक (ईएस) है। वर्ष के दौरान निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात विभिन्न परिसंघों को सीडीईसी जारी किए गए थे। सीडीईसी को जारी करने के लिए प्रपत्र को अद्यतन किया गया और इसे भाखेप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।

8. चालू वित्तीय वर्ष (2013–14) के दौरान उपस्कर सहायता प्रभाग के कार्य के अलावा, भाखेप्रा के अन्य प्रभागों और अन्य संगठनों को भी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई गई :–

क्र. सं.	प्रभाग	किया गया कार्य
1	मीडिया प्रभाग	प्रकाशन के ठेके के लिए नीलामी दस्तावेज तैयार करना
2	मीडिया प्रभाग	भाखेप्रा की ब्रांड बिल्डिंग के लिए परामर्शदाता नियोजित करने के लिए ईओआई दस्तावेज
3	इन्फ्रा प्रभाग	सिंथेटिक हाकी सर्फेस की सफाई और अनुरक्षण कार्य के लिए नीलामी दस्तावेज विज्ञापित किया गया । खरीद संबंधी मामले की पूर्ण देख–रेख
4	स्टेडिया प्रभाग	जेएएनएस और आईजी स्टेडियमों के खेल हॉस्टलों का प्रबंधन और प्रचालन । नीलामी दस्तावेज तैयार करना
5	क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ	सुरक्षा, बागवानी और हाउस कीपिंग सेवाओं के लिए 03 नीलामी दस्तावेजों की पुनरीक्षा
6	एनएसईसी, कोलकाता	एनएसईसी, कोलकाता द्वारा रोइंग तथा कयाक और केनोई नावों की प्राप्ति के लिए विज्ञापित नीलामी दस्तावेज की समीक्षा
7	एनडीटीएल (ईडी, वित्त के माध्यम से)	लिक्विड क्रोमेटोग्राफ स्पैक्ट्रोफोटोमीटर के लिए ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के लिए नीलामी दस्तावेज की पुनरीक्षा
8	एनडीटीएल (ईडी, वित्त के माध्यम से)	हिमाटॉलॉजी एनालाइजर के लिए उपभोज्य वस्तुओं की प्राप्ति हेतु नीलामी दस्तावेज की पुनरीक्षा
9	एमडीसीएनएस	सिंथेटिक हाकी फील्ड के एफआईएच परीक्षण के लिए निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक का कार्यवृत्त, मूल्यांकन और निविदा खोलना
10	राष्ट्रीय खेल संयोजन समिति, तिरूवनंतपुरम	आयातित कयाक और कैनोई नावों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी का मसौदा तैयार करना/पुनरीक्षा और शूटिंग रेंज स्थापित करने के लिए तकनीकी परामर्श
11	विधि प्रभाग	भाखेप्रा के लिए विधि परामर्शदाता नियोजित करने के लिए ईओआई का मसौदा तैयार करना (बीओटी आधार पर स्टेडियमों के लिए)

***

अध्याय – 15

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रस्तावना:

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना 17 अगस्त, 1957 को अर्थात भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी वर्ष में एक कालेज के रूप में की गयी थी। यह संस्थान ग्वालियर में स्थित है जहां रानी लक्ष्मीबाई ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में संस्थान द्वारा की गई सेवाओं के सम्मान में 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। यह संस्थान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन है और यह मध्य प्रदेश सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है।

उद्देश्य :

संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उच्च योग्यता प्राप्त अध्यापक और नेता तैयार करना।
- शारीरिक शिक्षा में उत्कृष्टता और नयाचार–केन्द्र के रूप में सेवा करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान आरंभ, प्रोत्साहित तथा प्रसारित करना।
- शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य संस्थानों को व्यावसायिक और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना।
- इस क्षेत्र में व्यावसायिकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार में सहायता प्रदान करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- देश में शारीरिक शिक्षा और खेल के कार्यक्रमों को विकसित तथा प्रोत्साहित करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में वैज्ञानिक समकालीन साहित्य को प्रोत्साहित करना और सृजन करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सामुदायिक सेवाएं प्रदान करना।

विभाग/केन्द्र:

विश्वविद्यालय के आठ निम्नलिखित कार्यात्मक विभाग हैं:

- शारीरिक शिक्षा अध्यापन विभाग
- व्यायाम शरीर विज्ञान विभाग
- खेल मनोविज्ञान विभाग
- खेल जैव यंत्र विज्ञान विभाग

- स्वास्थ्य विज्ञान और फिटनेस विभाग
- खेल कोचिंग और प्रबंधन केंद्र
- प्रोन्नत अध्ययन केंद्र

संचालित पाठ्क्रम:

यह संस्थान वर्तमान में निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है:

शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.)	8 सेमेस्टर डिग्री कोर्स
शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)	4 सेमेस्टर डिग्री कोर्स
शारीरिक शिक्षा में मास्टर ऑफ फिलासॅफी (एम.फिल)	18 माह का डिग्री कोर्स
शारीरिक शिक्षा में डॉक्टर (पी.एच–डी.–पूर्णकालिक)	––
खेल कोचिंग में पी.जी. डिप्लोमा	एक वर्ष
खेल कोचिंग में डिप्लोमा (केवल सेवाकालीन रक्षा कार्मिकों के लिए)	एक वर्ष
फिटनेस प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा	एक वर्ष
वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति योग में पी.जी. डिप्लोमा	एक वर्ष

उपर्युक्त पाठ्यक्रम के अलावा विभिन्न विषयों में अनेक अल्पावधि सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम समय–समय पर संचालित किए जाते हैं ।

गवर्नेन्स सिस्टम :

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री सोसाइटी/आम सभा के अध्यक्ष होते हैं।

सोसाइटी द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति की जाती है जो प्रतिष्ठित शिक्षाविद या प्रसिद्ध हस्ती होता है ।

संस्थान का शीर्षस्थ शासी निकाय प्रबंधन बोर्ड है और इसका अध्यक्ष उप कुलपति होता है जो एक प्रतिष्ठित अकादमीशियन होता है और जिसकी नियुक्ति कुलाधपति द्वारा सर्च–कम सेलेक्शन प्रक्रिया द्वारा की जाती है ।

प्रबंधन बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के पालन के लिए सोसाइटी के नियंत्रण से मुक्त होता है । इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो विश्वविद्यालय के आदर्शों और परंपराओं को बनाए रखने और उनमें योगदान देने में सक्षम होते हैं । प्रबंधन बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:–

- कुलपति – अध्यक्ष
- प्रो कुलपति (जहां लागू हो)
- संकाय अध्यक्ष (यदि कोई है) और अधिकतम दो (बारी–बारी से और वरीयता आधार पर)
- कुलाधिपति द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित अकादमीशियन
- केंद्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से एक प्रतिष्ठित अकादमीशियन को नियुक्त किया जाता है

- दो शिक्षक (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से) बारी–बारी से और वरीयता के आधार पर
- प्रायोजककर्ता सोसाइटी के दो नामिती – सदस्य
- रजिस्ट्रार – सचिव

सहायता अनुदानः

संस्थान का पूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहायता अनुदान से किया जाता है और 2013–14 के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर अनुदानों का आबंटन इस प्रकार हैः–

(i)	योजनागत	20.00 करोड़ रू.
(ii)	एनईआरसी अनुदान	20.00 करोड़ रू.
(iii)	योजनेतर	10.40 करोड़ रू.

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, :

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी की स्थापना के लिए 2009 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गयी थी और 2009–10 के शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम बैच ने ग्वालियर से ही ऑफ कैम्पस कार्य किया । इसके पश्चात मई, 2010 में असम सरकार से तेपासिया खेल परिसर लेने के पश्चात एनईआरसी ने शैक्षणिक सत्र 2011–12 से वास्तविक कार्य आरंभ किया जहां इंडोर बहुउद्देशीय हॉल, फुटबॉल मैदान, हाकी मैदान, वेलोड्रम और वालीबाल कोर्ट जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद हैं । अब यह संस्थान पूर्णतया और नियमित आधार पर बीपीएड कार्यक्रम का संचालन कर रहा है । एनईआरसी, गुवाहाटी में नियमित कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस करते हुए भारत सरकार ने 2011–12 के दौरान कुल 11 पद संस्वीकृत किए और इनमें से अधिकतर पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं ।

शैक्षणिक विवरण :

2013–14 के दौरान डिग्री पाठ्यक्रमों में कक्षा–वार संख्या निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	कक्षा	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	बीपीएड–I (ग्वालियर)	107	45	152
	(गुवाहाटी)	33	15	48
2.	बीपीएड–II (ग्वालियर)	110	45	155
	(गुवाहाटी)	33	13	46
3.	बीपीएड–III (ग्वालियर	94	41	135
	(गुवाहाटी)	33	13	46
4.	बीपीएड–IV (ग्वालियर	91	36	127
	(गुवाहाटी)	31	12	43

5.	एमपीएड (I सेमेस्टर)	60	18	78
6.	एमपीएड (III सेमेस्टर)	52	23	75
7.	एम.फिल	04	01	05
8.	पीएचडी (नियमित)	16	04	20
	पीएचडी (कोर्स वर्क)	03	03	06
9.	फिटनेस प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	07	01	08
10.	वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति सहित योग में पी.जी. डिप्लोमा	04	06	10
11.	खेल कोचिंग में पी.जी. डिप्लोमा	19	06	25
12.	खेल कोचिंग में डिप्लोमा **(केवल सेवारत रक्षा कर्मिकों के लिए)**	22	00	22
	कुल	**719**	**282**	**1001**

2012—13 के शैक्षणिक सत्र के दौरान उत्तीर्ण छात्रों की संख्या :

क्र. सं.	**कक्षा**	**कितने छात्रों ने परीक्षा दी**	**उत्तीर्ण**	**अनुत्तीर्ण**	**कुल**
1.	बीपीएड IV (ग्वालियर)	123	123	—	123
2.	बीपीएड IV (गुवाहाटी)	28	28	—	28
3.	एमपीएड IV (ग्वालियर)	76	76	—	76
4.	फिटनेस प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा	07	07	—	07
5.	खेल कोचिंग में पी.जी. डिप्लोमा	16	16	—	16
6.	खेल कोचिंग में डिप्लोमा	36	35	01	36

अवसंरचनात्मक सुविधाएं:

शुरू से ही इस संस्थान में लड़के—लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं और यह पूर्णतः आवासीय है। इसमें ग्वालियर में खेल के मैदानों, भवनों सहित पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं जबकि एनईआरसी, गुवाहाटी में प्राथमिकताओं के साथ—साथ निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक चरणबद्ध तरीके से ऐसी सुविधाएं सृजित की जा रही हैं। संस्थान ने एनईआरसी, गुवाहाटी में निम्नलिखित निर्माण आरंभ किए हैं:

क) 150 छात्रों की क्षमता वाला लड़कों का हॉस्टल

ख) 100 छात्राओं की क्षमता वाला लड़कियों का हॉस्टल

ग) तरणताल

घ) टाईप–V आवास

ड़) टाईप–IV आवास

च) शैक्षणिक ब्लॉक

छ) प्रशासनिक ब्लॉक

ज) चारदीवारी

झ) सीवेज तंत्र

ञ) सड़क का विकास

***

अध्याय – 16

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान

प्रस्तावना :

खेल, सामाजिक समावेशन, महिलाओं की समानता तथा युवा विकास में योगदान देने के अलावा लोगों की शारीरिक फिटनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में एक प्रमुख देश बनने के लिए भारत को बुनियादी स्तर तक खेल अवसंरचना का एक मजबूत तंत्र और सभी स्तरों पर संगठित प्रतियोगिताओं, खेल व शारीरिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने और खेल संस्कृति का विकास करने की आवश्यकता है। इस प्रयास में भारत सरकार ने वर्ष 2008–09 में पंचायत युवा क्रीड़ा व खेल अभियान (पायका) के नाम से राष्ट्रव्यापी ग्रामीण खेल कार्यक्रम शुरू किया। यह एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) है जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है।

पायका के लक्ष्य:

- 10 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से 2.50 लाख ग्राम पंचायतों और 6,400 ब्लॉक पंचायतों तथा (देश में इसके समतुल्य यूनिटों) में खेल की बुनियादी अवसंरचना सृजित करना जिसके तहत प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत सामान्य राज्यों तथा 20 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे विशेष श्रेणी राज्यों के सीमावर्ती जिलों सहित पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया जाएगा;
- ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता;
- राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप व पूर्वोत्तर खेल आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देना।

पायका के उद्देश्य :

- देश भर में खेल की बुनियादी अवसंरचना का सृजन करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना व खेल संस्कृति को बढ़ावा देना
- ब्लॉक स्तर से शुरू करते हुए सुविकसित प्रतिस्पर्धा ढ़ांचे के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में उपलब्ध व संभावित खेल प्रतिभा को उपयोग में लाना ।

फंडिंग पैटर्न :

अवसंरचना अनुदानः ग्राम/ब्लाक पंचायतों में बुनियादी खेल अवसंरचना का विकास

क्र. सं.	घटक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक पंचायत
1	खेल के मैदानो के समतलीकरण आदि के लिए एकबारगी पूंजी अनुदान (केंद्र और राज्यों के मध्य 75:25 और केंद्र और विशेष श्रेणी राज्यों/पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य 90:10 के अनुपात में)	1 लाख रूपए	5 लाख रूपए
	(100% केंद्रीय अनुदान)		
2	खेल किट/उपस्कर के लिए 5 (पांच) वर्ष के लिए वार्षिक अर्जन अनुदान	10,000/–रूपए	20,000/–रूपए
3	क्रीड़ाश्री के मानदेय सहित अनुरक्षण व्यय के लिए 5 (पांच) वर्ष के लिए वार्षिक प्रचालनात्मक अनुदान	12,000/–रूपए	24,000/–रूपए

वार्षिक प्रतियोगिताएं (100% केंद्रीय अनुदान) : विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सहायता अनुदान की राशि नीचे तालिका में दी गई है :–

	प्रतियोगिता	फंडिंग पैटर्न
	पायका ग्रामीण प्रतियोगिताएं :	
1	ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं	10,000/–रूपए प्रति विधा की दर से 5 विधाओं के लिए 50,000/–रूपए
2	जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं	20,000/–रूपए प्रति विधा की दर से 10 विधाओं के लिए 2 लाख रूपए
3	राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं	(i) राज्य के लिए 80,000/–रूपए प्रति विधा की दर से 10 विधाओं के लिए 8 लाख रूपए (ii) संघ राज्य क्षेत्र के लिए 40,000/–रूपए प्रति विधा की दर से 10 विधाओं के लिए 4 लाख रूपए
4	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं	मेजबान राज्य को 70 लाख रूपए (3.50 लाख रूपए प्रति विधा की दर से 20 विधाओं के लिए) टिप्पणीः प्रति विधा 3.50 लाख रूपए में से 50,000/–रूपए पुरस्कार, पदक, ट्राफी आदि के लिए निर्धारित किए गए हैं ।

पुरस्कार राशि : पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले वैयक्तिक स्पर्धा के खिलाड़ियों और टीमों के सदस्यों में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी :–

प्रतियोगिता का स्तर	टीम और वैयक्तिक स्पर्धा के खेलों में पुरस्कार राशि (रूपए) में			
	प्रथम स्थान धारक	द्वितीय स्थान धारक	तृतीय स्थान धारक	कुल
ब्लाक स्तर	120/–	80/–	60/–	260/–
जिला स्तर	150/–	100/–	75/–	325/–
राज्य स्तर	400/–	200/–	125/–	725/–
संघ राज्य क्षेत्र	160/–	110/–	90/–	360/–

टिप्पणी : वर्ष 2013–14 से ग्रामीण खेलों में समग्र रूप से विजेता राज्य के लिए 5 लाख रूपए का नकद पुरस्कार+पायका चल ट्राफी आरंभ की गई है जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित दिशा–निर्देश कार्यान्वयन हेतु भाखेप्रा, एनएसएनआईएस, पटियाला को जारी कर दिए गए हैं ।

पूर्वोत्तर खेल : ये खेल पारंपरिक जनजातीय खेलों को प्रोत्साहन/बढ़ावा देने के लिए है । जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों तक सीमित फंडिंग पैटर्न को 3 फरवरी, 2010 से बढ़ा दिया गया ।

	प्रतियोगिता	फंडिंग पैटर्न
पूर्वोत्तर खेल :		
(i)	जिला स्तर	50,000/– रूपए
(ii)	राज्य स्तर	75,000/– प्रति विधा की दर से 8 विधाओं के लिए 6 लाख रूपए
(iii)	राष्ट्रीय स्तर	55.90 लाख रूपए

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल उत्सव : महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप को निम्नलिखित बढ़े हुए फंडिंग मानकों के साथ वर्ष 2010–11 से पायका स्कीम के तहत कर दिया गया है :

	प्रतियोगिता	फंडिंग पैटर्न
महिला प्रतियोगिताएं :		
(i)	जिला स्तर	10,000– रूपए प्रति विधा की दर से 12 विधाओं के लिए 1.20 लाख रूपए
(ii)	राज्य स्तर	राज्य के लिए 50,000/– प्रति विधा की दर से 12 विधाओं के लिए 6 लाख रूपए संघ राज्य क्षेत्र के लिए 25,000/– प्रति विधा की दर से 12 विधाओं के लिए 3 लाख रूपए
(iii)	राष्ट्रीय स्तर	3.50 लाख रूपए प्रति विधा की दर से 12 विधाओं के लिए 42 लाख रूपए

प्रशासनिक ढ़ांचा:

क. राष्ट्रीय स्तर

- केन्द्रीय खेल मंत्री की अध्यक्षता में पायका की सामान्य परिषद सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय है। सचिव (खेल) की अध्यक्षता में पायका स्कीम की कार्यकारी समिति को पायका मिशन योजना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि की विस्तृत वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन करने का अधिकार है;
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खेल) की अध्यक्षता में मिशन निदेशालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम निष्पादित करता है। यूनिसेफ, मैजिक बस तथा ईशा फाउंडेशन जैसी एजेंसियों को भी इस स्कीम के ज्ञानवान भागीदार के रूप में शामिल किया जाता है।

ख. राज्य स्तर :

- पायका के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को स्कीम के कार्यान्वयन/निगरानी के लिए खेल विभाग/खेल प्राधिकरण/परिषद में पायका सेल स्थापित करना होता है। प्रत्येक राज्य को तकनीकी परामर्शदाता या उसके स्थान पर सहायक स्टाफ नियुक्त करने के लिए प्रतिमाह 30,000/–रू. दिया जाता है।
- राज्य स्तरीय कार्यकारी समितियों के अध्यक्ष राज्यों के मुख्य सचिव होते हैं। जिला व ब्लॉक स्तर की कार्यकारी समितियों के अध्यक्ष संबंधित जिला परिषदों तथा ब्लॉक पंचायतों के अध्यक्ष होते हैंय और
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संसद सदस्यों को जिला स्तरीय कार्यकारी समितियों के साथ जोड़ने के लिए कहा गया है।

योजना परिव्यय, बजट आबंटन तथा उपयोग:

पायका स्कीम के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1,500 करोड़ रू. के योजनागत परिव्यय और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । इस योजना ने अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर लिया है। बजट आबंटन और स्कीम शुरू होने के बाद से और चालू वित्त वर्ष में 31 दिसम्बर, 2013 तक ग्राम/ब्लॉक पंचायतों में खेल में बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास तथा पूर्वोत्तर खेलों सहित ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए बजट आबंटन तथा निधियों का उपयोग दर्शाने वाला विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

..(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट आबंटन	उपयोग किया गया बजट			
			अवसंरचनात्मक घटक	प्रतियोगिताएं	टी एस सी बी एस	कुल
(i)	2008–09	92.00	83.85	8.15	–	92.00
(ii)	2009–10	135.00	105.00	30.00	–	135.00
(iii)	2010–11	350.00	260.84	84.85	5.00	350.00

क्र. सं.	वर्ष	बजट आबंटन	अवसंरचनात्मक घटक	उपयोग किया गया बजट		
				प्रतियोगिताएं	टी एस सी बी एस	कुल
(iv)	2011–12	165.20	134.05	30.97	–	165.02
(v)	2012–13	155.00	109.01	44.47	1.50	154.98
(vi)	2013–14	200.00	96.83	26.29	6.00	129.12
	कुल	1097.20	789.58	224.73	12.50	1026.12

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां, स्कीम के निबंधन व शर्तों को पूरा करने वाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करने पर जारी की जाती हैं ।

बुनियादी खेल अवसंरचना सुविधाओं का विकासः अनुमोदित ग्राम/ब्लॉक पंचायतों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक जारी वित्तीय सहायता का सार नीचे तालिका में दिया गया हैः

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	वर्ष	राज्यों की संख्या	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी की गई धनराशि
(i)	2008–09	24	22,385	601	@83.85
(ii)	2009–10	9	2,225	135	105.00
(iii)	2010–11	20	22,448	681	#260.84
(iv)	2011–12	8	4597	119	134.05
(v)	2012–13	10	8662	314	109.01
(vi)	2013–14	8	5626	138	113.85
	कुल	78	65943	1988	806.30

@ **2008–09 में कम बजट आबंटन के कारण अनुमोदित धनराशि की तुलना में यह राशि कम है।**

इसमें अप्रयुक्त अनुदान में से भाखेप्रा द्वारा पुडुचेरी को जारी किए गए 0.69 करोड़ रु. शामिल हैं।

31 मार्च, 2014 तक 806.30 करोड़ रु. की अनुदान सहायता से अभी तक 66047 ग्राम पंचायतों और 1990 ब्लॉक पंचायतों को अनुमोदित किया गया है ।

प्राप्त वास्तविक प्रगति (खेल अवसंरचना) : अधिकांश राज्यों ने राज्य, जिला, और ब्लॉक स्तर पर पायका सेलों, कार्यकारी समितियों की स्थापना की है, पायका कार्यान्वयन एजेंसियों को चिन्हित किया है और पायका केंद्रों के प्रबंधन के लिए क्रीड़ाश्रियों (समुदाय कोचों) को नियुक्त किया है ।

वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं : वर्ष 2012–13 के दौरान, 18 राज्यों ने वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अग्रिम अनुदान प्राप्त किया है और इन प्रतियोगिताओं में 44.47 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया । चालू वर्ष 2013–14 में, भारतीय खेल प्राधिकरण सहित 13 राज्यों के लिए 27.57 करोड़ रु. जारी किए गए।

पायका स्कीम का केंद्र और राज्यों की अन्य स्कीमों में समाभिरूपता : पायका स्कीम के तहत इसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न केन्द्रीय व राज्य स्कीमों के साथ समाभिरूपता प्रोत्साहित किया जाता है। इस स्कीम के तहत ग्रामध्खंड पंचायतों के अपने संसाधनों के जरिए या राज्य सरकार योगदान, एमएलएएलएडी स्कीम, एमपीएलएडी स्कीम पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, मनरेगा सहायता, निजी योगदान आदि से उनके द्वारा संसाधन जुटाने की दृष्टि से समाभिरूपता के दृष्टिकोण की सिफारिश की जाती है।

इस स्कीम में विशेष रूप से इस आशय की परिकल्पना की गई है कि खेल के मैदानों को समतल करने आदि जैसे श्रम साध्य कार्यों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से वित्त पोषण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके साथ–साथ मनरेगा मैदान समतल करने जैसे कार्यकलापों को करने के लिए ग्राम पंचायतों को आधार प्रदान करता है । उक्त स्कीम में खेल मैदानों का पूर्व विकास कार्यकलापों में शामिल नहीं था । अब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत खेल मैदान के निर्माण को अनुज्ञेय कार्यकलाप के रूप में अनुमति देने के लिए सहमति प्रदान की है और इसे प्रभाव में लाने के लिए दिनांक 15 जनवरी, 2013 की प्रपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचना जारी की गई है ।

पायका–एमआईएस:

इसे औपचारिक रूप से नवम्बर, 2009 में शुरू किया गया था। कम्प्यूटरीकृत एमआईएस से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं, प्रस्तावों पर निगरानी रखी जा सकती है और प्रस्तावों को सम्प्रेषित किया जा सकता है। इसमें वित्तीय और वास्तविक प्रगति की ऑनलाइन निगरानी करने, खेल के मैदान, महिला तथा अंतर–स्कूल प्रतिस्पर्धाओं सहित पायका ग्रामीण प्रतियोगिताओं के सभी स्तरों पर खेल मैदानों, प्रतियोगिताओं तथा भागीदारों के संबंध में बृहत डाटा आधार तैयार करने की भी व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने डाटा डालने/प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली में दो दिन के व्यावहारिक प्रशिक्षण के अलावा राज्यों के अधिकारियों को ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कार्यसाधक ज्ञान देने के उद्देश्य से पायका कार्यान्वयन में कार्यरत ऐसे अधिकारियों के लिए पायका–एमआईएस के संबंध में कार्यशालाएं आयोजित की। केरल पायका स्कीम के तहत वित्तीय सहायता मांगने हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत करने वाला प्रथम राज्य है।

अन्य बातों के साथ–साथ www.pykka.govt.in वेबसाइट में खेल के क्षेत्र में नागरिकों द्वारा अपने सुझाव देकर, सफलता की अपनी गाथाओं की जानकारी देकर उनकी भागीदारी की व्यवस्था है। पायका वेबसाइट की सार्वजनिक भागीदारी अब पूरी तरह चालू है।

पायका संसाधन केन्द्र (पीआरसी) की स्थापना पायका के कार्यान्वयन से जुड़े निम्नलिखित घटकों को प्राप्त करने के लिए नवम्बर, 2009 में एलएनयूपीई, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में की गई थी:

- क्षमता निर्माण

- मानकीकरण
- निगरानी एवं मूल्यांकन
- प्रलेखन
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग और
- उत्तम प्रक्रियाओं का आदान–प्रदान।

मास्टर प्रशिक्षकों तथा क्रीड़ाश्रियों का प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण

क्रीड़ा श्री ग्राम और ब्लॉक पंचायत स्तर पर मानद समुदाय कोच/खेल स्वयंसेवी होते हैं जो खेल सुविधाओं का प्रबंधन कार्य देखते हैं। ये ग्रामीण समुदाय को जीवन के तरीके के रूप में खेलों और क्रीड़ाओं को अपनाने में प्रोत्साहित करने हेतु खेल प्रशिक्षक, प्रेरक तथा परामर्शदाता की भूमिका में कार्य करते हैं। पायका स्कीम के तहत एक लक्ष्य, देश भर में 10 वर्षों के अवधि में 6000 राज्य अधिकारियों/व्यक्तियों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में तैयार करने के अलावा दो लाख समुदाय कोचों (क्रीड़ाश्रियों) को प्रशिक्षित करना भी है।

मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण : बृहत 'मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का मैनुअल' तैयार किया गया और इसे सभी संबंधितों को परिचालित किया गया (लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीआई), ग्वालियर, मध्य प्रदेश में प्रत्येक वित्त वर्ष में 600 राज्य अधिकारियों/व्यक्तियों के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पायका स्कीम के तहत चिन्हित 20 विभिन्न खेलों और क्रीड़ाओं में विशेष प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई। अभी तक 2009–10 से 30 नवम्बर, 2013 तक पायका संसाधन केन्द्र तथा एलएनसीपीई, तिरूवनंतपुरम में 2126 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। एलएनयूपीई में प्रशिक्षित राज्य अधिकारियों/व्यक्ति आगे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक वर्ष में 20,000 क्रीड़ाश्रियों को प्रशिक्षण देंगे।

क्रीड़ाश्रियों का प्रशिक्षण : क्रीड़ाश्रियों के लिए मिशन निदेशालय से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अगस्त, 2013 तक 26910 क्रीड़ाश्रियों को प्रशिक्षित किया गया है जबकि 34462 क्रीड़ाश्रियों को प्रशिक्षित करने का अनुमोदन किया गया था ।

पायका की सूचना में भागीदार :

यूनिसेफ, स्कीम के कार्यान्वयन में राज्यों के साथ सहयोजित होने के अलावा प्रशिक्षण, निगरानी तथा समर्थन के क्षेत्रों में पायका संसाधन केन्द्र (पीआरसी) के साथ जुड़ा है। इसने मॉडल पायका के केन्द्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में अग्रणी कार्य किया है।

मैजिक बस (एक पंजीकृत एनजीओ) भी महाराष्ट्र के सांगली जिले तथा आंध्र प्रदेश के मेढ़क जिले में दो पायका के प्रायोगिक केन्द्र विकसित कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए मैजिक बस को 8 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई है।

ईसा फाउंडेशन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु मास्टर प्रशिक्षकों तथा समुदाय कोचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में उनके लिए योग की कक्षाएं आयोजित कर रहा है। इससे ग्रामीण युवा पायका स्कीम के कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी करने में प्रेरित और एकजुट होंगे।

निगरानीः मिशन निदेशालय के अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नियमित दौरा करते हैं और ग्राम तथा ब्लॉक पंचायतों के स्तर पर पायका केन्द्रों की स्थापना तथा खेल के मैदानों के विकास की देखरेख करते हैं। पायका

स्कीम के कार्यान्वयन की प्रभावी मानिटरिंग के लिए 34 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों जिन्होंने राष्ट्रीय अथवा सर्वोच्च राज्य खेल पुरस्कार प्राप्त किया है अथवा ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में किसी भी खेल–विधा में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 65 वर्ष की आयु से कम हैं, को पायका पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। मिशन निदेशालय कर्मचारियों और पायका पर्यवेक्षकों ने 30 अप्रैल, 2013 तक 555 से अधिक पायका केन्द्रों का दौरा किया है और अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं । इन रिपोर्टों में की गई टिप्पणियां सूचना तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी गई हैं । राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में पायका स्कीम के कार्यकरण की समीक्षा के लिए 10–11 अप्रैल, 2012 को एलएनयूपीई, ग्वालियर में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। एनएनयूपीई के प्रतिनिधियों सहित 23 राज्यों के 63 अधिकारियों और 4 सूचना भागीदार कार्यशाला में उपस्थित हुए ।

प्रशासनिक प्रकृति की सिफारिशों को अवसंरचना अनुदान और प्रतियोगिताओं के दिशानिर्देशों के लिए प्रचालन दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है । ये दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए हैं । जिन सिफारिशों में अनुमोदित स्कीम में वित्तीय आशयों और परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है, उन्हें ईएफसी नोट में सम्मिलित किया जाएगा ।

पायका स्कीम की मध्यावधि समीक्षा और पायका के स्थान पर राजीव गांधी खेल अभियान(आरजीकेए) शुरू करना:

पायका की उपलब्धियों के बावजूद और समग्र संसाधनों की कमी के बावजूद, कम से कम संभव समय में इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कीम में बदलाव आवश्यक हो गए । पांच वर्षों के अनुभव से लाभ लेना और नोटिस में आई कमियों को दूर करना आवश्यक है । पायका स्कीम में प्रभावी अध्ययन और समवर्ती मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों की नियुक्ति तथा व्यय वित्त समिति (ईएफसी) पाठ्यक्रम के बीच में ही सुधार करने के लिए, यदि आवश्यक है, कार्यान्वयन के दो वर्षों के बाद समीक्षा करेगी का प्रावधान था । तदनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी की नियुक्ति की गई । मूल्यांकन एजेंसी से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त की गई और उस पर कार्रवाई की गई ।

मंत्रिमंडल के अनुमोदन से, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के स्थान पर राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए), एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 21 फरवरी, 2014 को शुरू की गई। नई आरजीकेए स्कीम में 12वीं पंचवर्षीय योजना और 13वीं पंचवर्षीय योजना के शेष 3 वर्षों के लिए लगभग 9000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत शामिल होगी । इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य युवाओं में जीवनशैली के रूप में खेलों को बढ़ावा देना, देश

भर में खेल सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाना, खेल प्रतिभा का पता लगाने और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए देश भर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है । इस स्कीम के तहत, देश के प्रत्येक ग्रामीण ब्लॉक पंचायत में एकीकृत खेल परिसरों का निर्माण किया जाएगा । प्रत्येक खेल परिसर की लागत 1.75 करोड़ रु. होगी और इसमें 11 आउटडोर तथा 5 इंडोर खेल होंगे जिसमें इन 16 खेल विधाओं में से 3 स्थानीय खेलों को चुनने की सुविधा होगी । एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कब्बडी, खो–खो, टेनिस और वालीबॉल आउटडोर खेलविधाएं हैं। मुक्केबाजी, कुश्ती, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन इंडोर खेल विधाएं हैं और बहुउद्देशीय जिम की भी व्यवस्था है । खेल प्रशिक्षक, जिनमें एक महिला को वरीयता दी जाएगी, प्रत्येक एकीकृत खेल परिसर पर उपलब्ध होंगे। इस स्कीम के तहत, खेल उपस्करों और एक युवा संसाधन केंद्र के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। विशेषकर महिलाओं के लिए आत्म–रक्षा प्रशिक्षण हेतु प्रावधान भी किया गया है । प्रत्येक वर्ष प्रतिभा की पहचान करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करने हेतु निधियां प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, विशेष श्रेणी के खेलों नामतः महिला प्रतियोगिताएं, पूर्वोत्तर क्षेत्र खेलों और विशेष क्षेत्र खेलों के आयोजन के लिए भी निधियां प्रदान की जाएंगी ।

इंस्टाल (खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण) परियोजना– देश में खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण (इंस्टाल) नामक परियोजना की जरूरतों का परिकलन करने के लिए खेल विभाग द्वारा नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाता के मार्गदर्शन के लिए सचिव (खेल) की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा एक अंतर मंत्रालय समूह (आईएमजी) का गठन किया गया था । आईएमजी की पहली बैठक 15 फरवरी, 2013 और दूसरी बैठक 8 जुलाई, 2013 को आयोजित की गई। इसके बाद एक बैठक 19 दिसम्बर, 2013 को की गई थी जिसमें राज्य सरकारों, राज्य विश्वविद्यालयों, स्कूलों आदि के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था । प्राप्त किए गए इंपुट के आधार पर, इंस्टाल पर एक संकल्पना नोट तैयार किया गया था और 6 जनवरी, 2014 को आयोजित आईएमजी की बैठक में इस पर चर्चा की गई थी । सभी हितधारकों से परामर्श के बाद, इंस्टाल पर एक संशोधित संकल्पना नोट तैयार किया गया है जो विचाराधीन है ।

***

अध्याय–17

शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस)

स्कीम की मुख्य विशेषताएं

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय वर्ष 2010–11 से पायलट आधार पर एक स्कीम, नामतः शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के तहत, निम्नलिखित खेल अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:–

(i) सिंथेटिक खेल सतह (हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक के लिए)

(ii) बहुउद्देशीय इंडोर हाल

इस स्कीम के तहत, निम्नलिखित निकाय खेल अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं:–

(क) राज्य सरकारें

(ख) स्थानीय नागरिक निकाय

(ग) केंद्र/राज्य सरकारों के तहत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय;

(घ) खेल नियंत्रण बोर्ड

वित्तीय सहायता जिसके तहत निम्नलिखित परियोजनाएं मंजूर की जा रही हैं :–

क्र.सं.	खेल मैदान का नाम	अनुमानित लागत
1.	सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक	सामान्य लाइटिंग के साथ 5.50 करोड़ रु.
2.	सिंथेटिक हॉकी मैदान	4.50 करोड़ रु. (सामान्य लाइटिंग के साथ 5.00 करोड़ रु.)
3.	सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान	सामान्य लाइटिंग के साथ 4.50 करोड़ रु.
4.	60 मीटर × 40 मीटर आकार का बहुउद्देशीय इंडोर हाल	6.00 करोड़ रु

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष में 2 परियोजनाओं से अधिक प्राप्त नहीं होंगी।

यह स्कीम मार्च, 2012 से संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) स्कीम के साथ समन्वय में आई है । इसके परिणामस्वरुप, यदि एक संसद सदस्य यूएसआईएस के लिए अनुज्ञेय अनुदान का कम से कम 50 प्रतिशित योगदान देता है, तो बची हुई राशि को यूएसआईएस के बजट प्रावधान से पूरा किया जाएगा। इस व्यवस्था में, एक वर्ष में एक राज्य के लिए दो परियोजनाओं का प्रतिबंध लागू नहीं होगा । एक वर्ष में प्रत्येक राज्य / संघ राज्य–क्षेत्र के लिए अधिकतम दो अतिरिक्त परियोजनाएं स्वीकार्य होंगी ।

शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस)

शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के तहत खेल अवसंरचना परियोजनाओं के सृजन/ उन्नयन के लिए राज्यों /संघ राज्य–क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित सहायता अनुदान अनुमोदित और जारी किया गया है ।

(करोड़ रु. में)

वर्ष	राज्यों की संख्या	अनुमोदित अनुदान	जारी अनुदान
2010–11	4	19.98	12.50
2011–12	10	54.81	40.00
2012–13	10	54.98	23.00
2013–14	14	76.50	36.35
कुल	**38**	**205.77**	**111.85**

***

अध्याय – 18

खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन से संबंधित स्कीम

1. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम:

इस योजना के तहत, भारत सरकार, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को भारत में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन करने, विदेश में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने, कोचिंग शिविरों का आयोजन करने, खेल उपकरण प्राप्त करने, विदेशी कोचों की नियुक्ति और राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा नियुक्त किए गए संयुक्त/सहायक सचिवों के वेतन के भुगतान के लिए सहायता उपलब्ध कराती है।

पिछले 3 वर्षों अर्थात 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के दौरान विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता की स्कीम जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे अनुबंध–VIII में दिए गए हैं।

2. **खेलों में मानव संसाधन विकास स्कीम शुरू करना** : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मौजूदा प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम को संशोधित किया है और इसका नाम बदलकर 'खेलों में मानव संसाधन विकास स्कीम' रखा। संशोधित स्कीम के तहत, सरकार का उद्देश्य देश में खेल–कूद के समग्र विकास के लिए खेल विज्ञान और खेल औषधि में मानव संसाधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है । इससे सामान्य रूप से एक समयावधि में इन क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने में और विशेष रूप से प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विज्ञान और औषधि संस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी । खेल विज्ञान/खेल औषधि में उच्च अध्ययन के लिए 2 चिकित्सकों को सहायता हेतु पहले ही अनुमोदन किया गया है ।

3. राष्ट्रीय खेल विकास निधि:

देश में खेलकूद के संवर्धन के लिए निजी/कारपोरेट क्षेत्र तथा अप्रवासी भारतीयों सहित सरकारी तथा गैर–सरकारी स्रोतों से संसाधनों को जुटाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने धर्मार्थ अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 के तहत 1998 में राष्ट्रीय खेल विकास निधि की स्थापना की थी। निधि के लिए अंशदानों को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से भी निधि के लिए सभी अंशदानों को आयकर से शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। सर्वप्रथम सरकार ने वर्ष 1998–99 के दौरान एनएसडीएफ को 2.00 करोड़ रु. का प्रारंभिक अंशदान किया। इसके बाद, सरकार का अंशदान अन्य स्रोतों से प्राप्त अंशदानों के बराबरी के आधार पर है। इस समय, 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार, कुल 116.16 करोड़ रु. की धनराशि निधि में उपलब्ध है ।

इस निधि का प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक परिषद द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री होते हैं। इस निधि के दिन–प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख संयुक्त सचिव, खेल विभाग होते हैं।

एनएसडीएफ से वित्तीय सहायता:

एनएसडीएफ ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों, खेल परिसंघों और अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। शीर्ष स्तर के खिलाड़ी जिनकी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की संभावनाएं हैं, उनका चयन एनएसडीएफ से वित्तीय सहायता हेतु किया जाता है। इस सहायता को अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में उनके द्वारा पदक जीतने के लिए तैयार करने हेतु भारत तथा विदेश में उनके विशेष प्रशिक्षण हेतु प्रदान किया जाता है।

खेलों के संवर्धन में कार्यरत प्रतिष्ठित संगठन/संस्थान भी विशिष्ट परियोजनाओं हेतु जैसे कि अवसंरचना का सृजन, अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद आदि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि उस क्षेत्र/भाग की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी परियोजनाओं से होने वाले लाभ को प्राप्त कर सके ।

अब तक राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त लाभार्थियों के ब्यौरे अनुबंध–IX में दिए गए हैं।

इसकी स्थापना के बाद से निधि में अंशदानों, जिसमें भारत सरकार का अंशदान शामिल है, का ब्यौरा अनुबंध–X में दिया गया है।

***

अध्याय – 19

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन से संबंधित स्कीम

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, खिलाड़ियों को खेलों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करता है।

1. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए यह स्कीम 1991–92 में आरंभ की गयी थी। पुरस्कार पाने वालों को एक पदक और 7.5 लाख रु. दिए जाते हैं। श्री रोंजन सोढ़ी (निशानेबाजी) को 31 अगस्त, 2013 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ।

इस योजना के आरंभ होने से अब तक 27 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है ।

भारत के राष्ट्रपति से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त कर रहे श्री रोंजन सोढ़ी

2. अर्जुन पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। पुरस्कार की पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित खिलाड़ी ने पिछले 3 वर्षों के दौरान लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न केवल अच्छा प्रदर्शन किया हो बल्कि जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की सिफारिश की जा रही है, उस वर्ष उत्कृष्ट निष्पादन और नेतृत्व के गुण, खिलाड़ी भावना और अनुशासन का प्रदर्शन भी आवश्यक है। पुरस्कृत खिलाड़ी को एक प्रतिमा, सम्मान का स्क्रोल, समारोह की पोशाक और 5.00 लाख रूपये पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कलैंडर वर्ष में अधिकतम 15 पुरस्कार से अधिक नहीं दिए जाने चाहिए।

निम्नलिखित खिलाड़ियों को 31 अगस्त, 2013 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2013 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए थे:

क्र. सं.	नाम	खेल विधा
1.	सुश्री चेकरोवोलू स्वूरो	तीरंदाजी
2.	सुश्री पी.वी. सिंधू	बैडमिंटन
3.	सुश्री कविता चहल	मुक्केबाजी
4.	श्री रूपेश शाह	बिलियार्ड और स्नूकर
5.	श्री विराट कोहली	क्रिकेट
6.	श्री अभिजीत गुप्ता	शतरंज
7.	श्री गगनजीत भुल्लर	गोल्फ
8.	सुश्री सबा अंजुम	हॉकी
9.	सुश्री राजकुमारी राठौर	निशानेबाजी
10.	सुश्री जोशना चिन्नपा	स्क्वैश
11.	सुश्री मोमा दास	टेबल टेनिस
12.	सुश्री नेहा राठी	कुश्ती
13.	श्री धर्मेन्द्र दलाल	कुश्ती
14.	श्री अमित कुमार सरोहा	एथलेटिक्स (पैरा)

विभिन्न खेल विधाओं से अब तक 767 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

भारत के राष्ट्रपति और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ 2013 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं का ग्रुप फोटो

3. खेल –कूद में जीवनपर्यन्त उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार

खेल – कूद में जीवनपर्यन्त उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल कैरियर से संन्यास लेने के बाद भी खेलों के संवर्धन में योगदान दे रहे हैं। पुरस्कार विजेताओं को एक प्रतिमा, सम्मान का स्क्रॉल, समारोह की पोशाक व 5 लाख रु. पुरस्कार राशि दी जाती है। वर्ष 2013 के लिए, 31 अगस्त 2013 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए:

क्र. सं.	नाम	खेल विधा
1.	सुश्री मैरी डिसूजा सिक्केरिया	एथलेटिक्स
2.	श्री सैयद अली	हॉकी
3.	श्री अनिल मान	कुश्ती
4.	श्री गिरराज सिंह	पैरालंपिक

इस पुरस्कार की शुरूआत से अब तक 39 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है।

4. द्रोणाचार्य पुरस्कार

1985 में शुरू किया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित कोचों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जिन्होंने खिलाड़ियों या टीमो को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने के योग्य बनाया है। पुरस्कार विजेताओं को एक प्रतिमा, सम्मान का स्क्रॉल, समारोह की पोशाक व 5.00 लाख रु. की पुरस्कार राशि दी जाती है ।

वर्ष 2012–13 के लिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 31 अगस्त, 2013 को निम्नलिखित 5 कोचों को पुरस्कार प्रदान किए गए थे:

क्र. सं.	नाम	खेल विधा
1.	सुश्री पूर्णीमा महतो	तीरंदाजी
2.	श्री महावीर सिंह	मुक्केबाजी
3.	श्री नरेन्द्र सिंह सैनी	हॉकी
4.	श्री के.पी.थोमस	एथलेटिक्स–जीवनपर्यन्त
5.	श्री राज सिंह	कुश्ती– जीवनपर्यन्त

इसके आरंभ से अब तक 78 कोचों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है ।

5. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद (माका) ट्राफी

अब्दुल कलाम आजाद (माका) ट्राफी 1956–57 में आरंभ की गई थी। अंतर– विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद (माका) ट्राफी दी जाती है जो एक रोलिंग ट्राफी है। माका ट्राफी की एक लघु प्रतिकृति विश्वविद्यालय द्वारा रखे जाने के लिए भी प्रदान की जाती है। विजेता विश्वविद्यालय को रोलिंग ट्राफी तथा 10 लाख रु. की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है और द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले विश्वविद्यालयों को क्रमशः 5 लाख रु. और 3 लाख रु.की राशि प्रदान की जाती है ।

वर्ष 2012–13 के लिए, भारत के राष्ट्रपति ने 31 अगस्त, 2013 को पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला को माका ट्राफी प्रदान की थी ।

6. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों के अलावा अन्य निकायों द्वारा खेल के विकास में दिए गए योगदान को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2009 से 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' नामक एक नया पुरस्कार आरंभ किया है जिसमें 4 श्रेणियां हैं नामतः सामुदायिक खेल विकास, उत्कृष्टता वाली खेल अकादमियों का संवर्धन, विशिष्ट खिलाड़ियों को सहायता और खिलाड़ियों को रोजगार।

निम्नलिखित निकायों को वर्ष 2013 के लिए 31 अगस्त, 2013 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए:

क्र. सं.	श्रेणी	राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, 2013
1.	समुदाय खेलः उदीयमान एवं युवा प्रतिभा की पहचान और सम्पोषण	डॉ. यू.के.मित्रा, संस्थापक और अध्यक्ष, राष्ट्रीय खेल अकादमी , इलाहाबाद
2.	खेल उत्कृष्टता के लिए वित्तीय सहायता	सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड
3.	उत्कृष्टता युक्त खेल अकादमियों की स्थापना और प्रबंधन	पूलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी, हैदराबाद
4.	खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याणकारी उपाय	पैट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड

7. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विजेता खिलाड़ियों और उनके कोचों के लिए विशेष पुरस्कार

अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विजेता खिलाड़ियों और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार की स्कीम उत्कृष्ट उपलब्धियां करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने तथा युवा पीढी को खेलों को अपनी आजीविका के रूप में अपनाने के लिए वर्ष 1986 में शुरू की गई थी ।

इस स्कीम के तहत, खिलाड़ियों व उनके कोचों को वर्ष में आयोजित मान्यता प्राप्त खेल स्पर्धाओं में, पदक जीतने के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं:

खेल/चैम्पियनशिप का नाम	स्वर्ण पदक/ प्रथम स्थान	रजत पदक/ दूसरा स्थान	कांस्य पदक/ तीसरा स्थान
विजेता होने पर			
(i) ओलंपिक खेल	50 लाख रु.	30 लाख रु.	20 लाख रु.
(ii) एशियाई खेल/ राष्ट्रमंडल खेल	20 लाख रु.	10 लाख रु.	6 लाख रु.
(iii) विश्व चैम्पियनशिप	10 लाख रु.	5 लाख रु.	3 लाख रु.
(iv) एशियाई और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	3 लाख रु.	2 लाख रु.	1.5 लाख रु.

उन कोचों को भी नकद पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने प्रतियोगिता से ठीक पहले कम से कम 240 दिन तक पदक विजेताओं को प्रशिक्षण दिया है। कोच को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि की मात्रा, उस खिलाड़ी की पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत होती है जिसे कोचिंग दी गई है। एक से अधिक कोच होने की स्थिति में पुरस्कार राशि उनमें बराबर–बराबर बांट दी जाती है।

2013–14 में 4.04 करोड़ रु. की राशि खिलाड़ियों और कोचों में वितरित की गई थी ।

8. मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि स्कीम

यह स्कीम वर्ष 1994 में प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के तहत, वे खिलाड़ी जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीते हों तथा जिनकी आयु 30 वर्ष हो और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास ले चुके हों, जीवनपर्यन्त पेंशन पाने के लिए पात्र हैं।

पात्र खिलाड़ियों को भुगतान की गई पेंशन की दरें इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	मेधावी खिलाड़ियों की श्रेणी	पेंशन की दर (रु. प्रतिमाह)
1.	ओलंपिक खेलों में पदक विजेता	10000 रु.
2.	ओलंपिक और एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता	8000 रु.
3.	ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप में रजत एवं कांस्य पदक विजेता	7000 रु.
4.	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	7000 रु.
5.	एशियाई /राष्ट्रमंडल खेलों में रजत एवं कांस्य पदक विजेता	6000 रु.
6.	पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	5000 रु.
7.	पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता	4000 रु.
8.	पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता	3000 रु.

वर्तमान में, इस स्कीम के तहत 630 खिलाड़ी पेंशन प्राप्त कर रहें हैं।

9. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना दरिद्रावस्था में जीवनयापन कर रहे भूतपूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों, जिन्होंने खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है, को सहायता देने के उद्देश्य से मार्च, 1982 में की गई थी। इन भूतपूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एकमुश्त अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए जुलाई, 2009 में स्कीम की समीक्षा की गई थी। पेंशन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि पहले से ही मेधावी खिलाड़ियों हेतु एक पेंशन स्कीम मौजूद है। अब एकमुश्त अनुग्रह सहायता खिलाड़ियों अथवा उनके परिवार को चिकित्सा उपचार आदि के लिए दी जाती है ।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, विद्यमान 20 लाभार्थियों को पेंशन के अतिरिक्त, उक्त कोष से एकमुश्त सहायता निम्नलिखित को प्रदान की गई है :

(i) एशियाई खेलों में पदक विजेता सुश्री शांति सोंदराजन, एथलीट को भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र बैंगलोर से डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए फीस, खेल किट आदि के लिए 60,500/–रु.

(ii) सुश्री बारबरा जे. फ्रांसिस, पूर्व हॉकी खिलाड़ी को चिकित्सक उपचार के लिए 1.5 लाख रु.

(iii) स्वर्गीय सुश्री रूमा चट्टोपध्याय, साईक्लिंग कोच जिनकी सड़क दुर्घटना में मुत्यु हो गई थी के परिवार के लिए 5 लाख रु.

(iv) स्वर्गीय श्री मक्खन सिंह, एथलीट की विधवा श्रीमती सुलिन्दर कौर के लिए 2 लाख रु.

***

अध्याय – 20

प्रतिस्पर्धात्मक खेलों से संबंधित स्कीम

(I) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के तहत खेल प्रतियोगिताएं

पायका स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष अनेक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। पायका स्कीम के तहत निम्नलिखित प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं:

(i) ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं

(ii) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वोत्तर खेल

(iii) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला चैम्पियनशिप

इन खेल प्रतियोगिताओं के ब्यौरे पायका से संबंधित अध्याय में दिए गए हैं ।

(II) नि:शक्त व्यक्तियों में खेलों का संवर्धन

मंत्रालय ने नि:शक्त व्यक्तियों में खेलों के संवर्धन के लिए वर्ष 2009 में एक स्कीम तैयार की थी। इस स्कीम का उद्देश्य नि:शक्तजनों में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का व्यापक आधार तैयार करना है। नि:शक्तजनों के लिए खेलकूल की स्कीम में निम्नलिखित घटक हैं:–

(क) खेल कोचिंग और स्कूलों के लिए उपभोज्य तथा गैर–उपभोज्य खेल उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान।

(ख) कोचों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान ।

(ग) नि:शक्तजनों के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान।

वर्ष 2013–14 के दौरान इस स्कीम के तहत 65 स्कूलों को अनुदान दिए गए। इसके अलावा, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय कोचों के प्रशिक्षण और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट विशेष ओलम्पिक्स भारत को 5 करोड़ रु. की निधियॉं प्रदान की गई। स्कीम के तहत 2013–14 के दौरान जिला और राज्य स्तरों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 42350 नि:शक्त व्यक्तियों ने भाग लिया। 31.12.2012 तक 22514 समुदाय कोचों को प्रशिक्षण दिया गया।

***

अध्याय – 21

राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा)

डोप–रोधी नियम प्रतिस्पर्धा नियमों की तरह ही उन शर्तों को नियंत्रित करने वाले खेल नियम होते हैं जिनके तहत खेल, खेले जाते हैं। एथलीट, एथलीट सहायक कार्मिक और अन्य व्यक्ति इन नियमों को भागीदारी की शर्त के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें इनका पालन करना होगा। ये खेल विशिष्ट नियम और प्रक्रियाएं जिनका उद्देश्य एक वैश्विक और सुसंगत वातावरण में डोप–रोधी सिद्धांतों को लागू करना है, सर्वथा भिन्न प्रकृति के होते हैं। राष्ट्रीय डोप–रोधी एजेंसी (नाडा) ने विश्व डोप–रोधी 'कोड' को स्वीकार किया है। ये डोप–रोधी नियम इस कोड के तहत नाडा की जिम्मेदारियों के अनुरूप अपनाए और कार्यान्वित किए जाते हैं तथा वे भारत में डोपिंग समाप्त करने के नाडा के सतत प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सहायक हैं। यह कोड नाडा को भारत द्वारा निर्दिष्ट निकाय के रूप में परिभाषित करता है जो राष्ट्रीय स्तर पर डोप–रोधी नियम अपनाने और कार्यान्वित करने, नमूनों के एकत्रीकरण के निदेश देने, परीक्षण परिणामों के प्रबंधन और सुनवाई करने के लिए मुख्य प्राधिकरण है।

डोप–रोधी कार्यक्रमों का उद्देश्य खेलों से संबंधित मूलभूत तत्वों को बनाए रखना है । यहां मूलभूत मूल्य से अभिप्रायः खेल भावना से है, यह ओलंपिक खेलों का सार है, यह सच्ची खेल भावना का मूल तत्व है । ये डोप–रोधी नियम, प्रतिस्पर्धा नियमों की तरह ही उन शर्तों को नियंत्रित करने वाले खेल नियम होते हैं जिनके तहत खेल खेले जाते हैं । प्रतिभागी इन नियमों को प्रतिभागिता की शर्त के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें इनका पालन करना होगा। डोपिंग मूलतः खेल भावना के विपरीत है ।

पृष्ठभूमि:

यूनेस्को सम्मेलन के अनुसार, 1999 में विश्व डोप रोधी एजेंसी के गठन से पहले खेलों के संवर्धन और खेलों में डोप रोधिता के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) उत्तरदायी थी। वर्ष 1999 के प्रारम्भ में खेलों में डोपिंग पर लुसाने, स्विटजरलैंड में पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया और जिसके कारण वर्ष 1999 के अंत मे विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा)का सृजन किया गया । भारत सरकार विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा) (1999–2000) के सदस्यों में से एक है। वाडा, जो खेलों में डोपिंग के विरूद्ध मानक स्थापित करता है, ने 5 मार्च, 2003 को कोपनहेगन, डेनमार्क में वाडा कोड को अपनाया।

विभिन्न राज्य पक्षकारों में से एक भारत ने दिसम्बर, 2014 में डोप–रोधिता पर कोपनहेगन घोषणा पर हस्ताक्षर किए । कोड के अनुसार, राष्ट्रीय डोप–रोधी एजेंसी (नाडा) को 24.11.2005 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। 2007 में, तीसरा विश्व सम्मेलन मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया और इसमें कोड के संशोधित संस्करण को अंतिम रूप दिया गया। डोप रोधी संबंधी कोपनहेगन घोषणा और डोपिंग के विरूद्ध यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (1 फरवरी, 2007) का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते नाडा ने 7 मार्च, 2008 को विश्व डोप रोधी कोड को स्वीकार किया और वाडा के कोड के अनुरूप नाडा के डोप रोधी नियम (एडीआर) तैयार किए।

राष्ट्रीय डोप–रोधी कार्यक्रम:

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डोप–रोधी एजेंसी (नाडा) की स्थापना भारत के लिए स्वतंत्र डोप–रोधी संगठन के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गयी थी। नाडा के पास निम्नलिखित के लिए आवश्यक प्राधिकार और जिम्मेदारी हैः–

- डोपिंग नियंत्रण में योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, मानिटरिंग और सुधारों की वकालत करना;
- अन्य संगत राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और अन्य डोप–रोधी संगठनों के साथ सहयोग करना;
- राष्ट्रीय डोपिंग–रोधी संगठनों के बीच पारस्परिक परीक्षण को प्रोत्साहित करना;
- डोप–रोधी अनुसंधान का संवर्धन;
- जहां निधियां प्रदान की जाती हैं, किसी ऐसे एथलीट अथवा एथलीट सहायककर्मी की अयोग्यता की अवधि के दौरान उसकी सारी निधियां अथवा कुछ निधियां रोकना जिसने डोप–रोधी नियमों का उल्लंघन किया हो;
- डोपिंग के प्रत्येक मामले में एथलीट सहायक कार्मिक या अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच सहित इसके अधिकार क्षेत्र में डोप–रोधी नियमों के सभी संभावित उल्लंघन पर कड़ाई से कार्रवाई करना;
- डोप–रोधी सूचना और शिक्षा कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और मानीटरिंग करना ।

नाडा अनुशासनिक प्राधिकरणों (डोप रोधी अनुशासनिक पैनल और डोप रोधी अपील पैनल) से भिन्न एक स्वतंत्र निकाय है ।

प्रबंधन:

नाडा की स्थापना 1980 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी और इसने 1 जनवरी, 2009 से कार्य आरंभ कर दिया था। नाडा के प्रबंधन और कार्य का दायित्व शासी निकाय जिसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री इसके अध्यक्ष, सचिव (खेल) इसके उपाध्यक्ष, और 4 अन्य सदस्य, 2 प्रबुद्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और सदस्य सचिव के रूप में नाडा के महानिदेशक शामिल हैं, का है । नाडा का वित्त–पोषण अनुदान के माध्यम से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नाडा वाडा से पूर्ण सहयोग करके कार्य करता रहा है और वाडा द्वारा निर्धारित सभी नियमों, प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाता है। उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, नाडा ने न केवल वाडा कोड अपनाया है बल्कि अपने डोप–रोधी नियम भी तैयार किए हैं जो 1 जनवरी, 2009 से प्रभावी हुए हैं। इन नियमों को वाडा कोड, 2009 के आधार पर फिर से संशोधित किया गया था और ये संशोधित नियम 1 जनवरी, 2010 से लागू हुए।

डोप नमूनों का एकत्रीकरण:

वर्ष 2013–14 के दौरान नाडा का लक्ष्य 4000 मूत्र नमूने तथा 300 रक्त नमूने एकत्र करना था और नाडा ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार मार्च,2014 तक 4144 मूत्र और 301 रक्त नमूने एकत्र किए हैं:–

मूत्र:

ब्यौरा	2013–14				कुल
	प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून)	दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर)	तीसरी तिमाही (अक्तूबर–दिसम्बर)	चौथी तिमाही	
एकत्र किए गए मूत्र नमूनों की संख्या	950	649	822	1723	4144

रक्त:

ब्यौरा	2013–14				कुल
	प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून)	दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर)	तीसरी तिमाही (अक्तूबर–दिसम्बर)	चौथी तिमाही	
एकत्र किए गए रक्त नमूनों की संख्या	52	–	01	248	301

विभिन्न राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में नाडा द्वारा नमूनों का एकत्रीकरण :

क्र सं.	प्रतिस्पर्धा का नाम	स्थान	एकत्रित नमूनों की संख्या	तारीख
1.	दूसरी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक चैम्पियनशिप	भारतीय खेल प्राधिकरण एनएस एनआईएस पटियाला	32	06/04/2013
2.	सीनियर एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप—2013	इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली	50	18–22/04/2013
3.	योनेक्स सनराईज इंडिया ओपन 2013 ओएसआईएम बीडब्ल्यूएफ विश्व सुपर सीरिज बैडमिंटन चैम्पियनशिप	सिरी फोर्ट परिसर, नई दिल्ली	12	27/04/2013
4.	12वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप	सुखना लेक,चंडीगढ़	17	27–28/04/2013
5.	19वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस	त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली	12	8–9/5/2013
6.	'टीसीएस वर्ल्ड 10 के बैंगलोर 2013 मैराथन	बैंगलोर	12	19/05/2013
7.	53वीं राष्ट्रीय सीनियर अंतरराज्यीय एथलेटिक चैम्पियनशिप	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई	153	4–7/6/2013
8.	20वीं एशियाई एथलेटिक चैम्पियनशिप	श्री छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, बलेवाड़ी, पूणे	41	3–7/07/2013
9.	79वीं रेलवे एथलेटिक चैम्पियनशिप–2013	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	11	7/8/2013
10.	63वीं इंटर सर्विसिज एथलेटिक चैम्पियनशिप	आर्टी केंद्र,हैदराबाद	42	12–14/08/2013

11.	इंडियन बैडमिंटन लीग	गाचीबावली खेल परिसर, हैदराबाद और बंगलौर	03	07/10/9/2013
12.	53वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैम्पियनशिप–2013	बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, रांची	74	28–29/08/2013
13.	दूसरी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैम्पियनशिप	बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, रांची	14	11–12/11/2013
14.	आल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी साईक्लिंग चैम्पियनशिप साईक्लिंग	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	36	12–17/11/2013
15.	कुश्ती (सीनियर राष्ट्रीय)	खुदी राम बोस स्टेडियम, कोलकाता	39	15/11/2013
16.	67वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैम्पियनशिप–2013	डॉ.बी.आर.अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय एक्वेटिक परिसर,पिरप्पनकोड, त्रिवेंद्रम	52	20/11/2013
17.	62वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैम्पियनशिप–2013	पीएसी स्टेडियम लखनऊ	44	26–30/11/2013
18.	एफआईएच मैन हीरो हॉकी जूनियर विश्व कप	नई दिल्ली	16	7–15/12/2013
19.	एयरटेल दिल्ली हॉफ मैराथन का छठा संस्करण	नई दिल्ली	12	16/12/2013

चिकित्सीय उपयोग छूट (टीयूई): एडीआर के तहत, चिकित्सीय उपयोग छूट समिति में प्रतिष्ठित और अत्यधिक योग्य चिकित्सक शामिल होते हैं जिनके पास सामान्य मेडिसिन, फार्माकोलॉजी और छाती के रोगों में विशेषज्ञता होती है। समिति का मुख्य उद्देश्य उन खिलाड़ियों के आवेदनों पर विचार करना है जो स्वास्थ्य के आधार पर चिकित्सीय उपयोग छूट की मांग करते हैं जिनमें निषिद्ध पदार्थ अथवा निषिद्ध पद्धति का प्रयोग करना अपेक्षित हो। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान समिति ने छूट के 09 मामलों की जांच की है और 9 मामलों में छूट की सिफारिश की है।

ब्यौरा	2013–14				कुल
	प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून)	दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर)	तीसरी तिमाही (अक्तूबर–दिसम्बर)	चौथी तिमाही	
चिकित्सीय उपयोग के लिए भेजे गए आवेदन	04	02	03	----	09
प्रदान की गई चिकित्सीय उपयोग छूट	04	02	03	----	09

खेल विधा वार चिकित्सीय उपयोग छूट मामलों का ब्यौरा (अप्रैल 2013 से नवम्बर 2013)

क्र.सं.	खेल	संख्या
1	एथलेटिक	2
2	शूटिंग	2
3	वालीबॉल	2
4	कुश्ती	2
5	तैराकी	1
	कुल	**9**

डोप रोधी नियम उल्लंघन :

वर्ष 2013–14 (दिसम्बर, 2012 तक) कुल 52 एथलीटों /खिलाड़ियों को नाडा के डोप रोधी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है ।

ब्यौरा	2013–14				कुल
	प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून)	दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर)	तीसरी तिमाही (अक्तूबर–दिसम्बर)	चौथी तिमाही	
डोप रोधी नियम उल्लंघन (एडीआरवी)	30	10	12	–––––	52

खेल विधा वार एडीआरवी मामलों का ब्यौरा (अप्रैल 2013 से नवम्बर 2013)

क्र.सं.	खेल	संख्या
1	एथलेटिक	17
2	कुश्ती	09
3	भारोत्तोलन	06
4	जूडो	04
5	मुक्केबाजी	03
6	पॉवर लिफ्टिंग	03
7	बॉडी बिल्डिंग	02
8	साईक्लिंग	02
9	कब्बडी	02
10	ताईक्वांडो	01
11	तैराकी	01
	कुल	**50**

डोप रोधी नियमों के उल्लंघन के मामलों के संबंध में एक निष्पक्ष तरीके से उचित सुनवाई करने के लिए नाडा के डोप रोधी नियमों के तहत 1 जनवरी, 2009 से दो पैनलों नामतः डोप रोधी अनुशासनात्मक पैनल (एडीडीपी) और डोप रोधी अपील पैनल (एडीएपी) का गठन किया गया है ।

डोप–रोधी अनुशासनात्मक पैनल:

इस पैनल की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला और सेशन न्यायाधीश द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्य कानूनी, चिकित्सा, खेल क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान, पैनल ने 65 बैठकें कीं और उनके पास भेजे गए 105 मामलों में सुनवाई की। पिछले वर्षों में भेजे गए मामलों सहित कुल 101 मामलों पर निर्णय लिए गए और एथलीटों को प्रतिबंध जारी किए गए। सुनवाई के विभिन्न चरणों के अंतर्गत अन्य मामले निम्नानुसार हैं:

ब्यौरा	2013–14				कुल
	प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून)	दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर)	तीसरी तिमाही (अक्तूबर–दिसम्बर)	चौथी तिमाही	
सुनवाईयों की सं.	30	28	07	----	65
भेजे गए मामलों की संख्या	68	35	02	----	105
निर्णीत मामलों की सं.	35	46	20	----	101

डोप रोधी अपील पैनल: इस पैनल की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इसके सदस्य चिकित्सा और खेल क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान, पैनल ने 10 बैठकें की और 1 मामले का निर्णय किया

ब्यौरा	2013–14				कुल
	प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून)	दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर)	तीसरी तिमाही (अक्तूबर–दिसम्बर)	चौथी तिमाही	
सुनवाईयों की सं.	03	05	02	----	10
भेजे गए मामलों की संख्या	20	01	02	----	23
निर्णीत मामलों की सं.	---	01	---	----	01

शैक्षिक कार्यक्रम:

अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 की अवधि के दौरान, नाडा ने खिलाड़ियों, युवा एथलीटों, कोचों और सहायक कर्मियों के लिए देशभर में कई शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया।

नाडा के तकनीकी अधिकारी भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के क्षेत्रीय केन्द्रों और अन्य स्थानों (जहां कैम्प लगाए जाते हैं) का नियमित रूप से दौरा कर रहे हैं और एथलीटों को अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, तेलगु, मलयालम और पंजाबी में प्रकाशित डोप नियंत्रण पुस्तिका की मदद से नियमित आधार पर व्याख्यानों /सेमीनारों /कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन करके खेलों में डोपिंग और डोप पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं।

एक बेहतर संपर्क सुविधा सुनिश्चित करने और लोगों तक पहुंचने के लिए, नाडा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर सीबीएसई स्कूलों और स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा आयोजित खेल आयोजनों के माध्यम से डोप–रोधी उपायों का समन्वय कर रहा है।

बीएसएफ शिविर, जालंधर में वाडा द्वारा आयोजित डोप रोधी शिक्षा कार्यक्रम

हॉकी अकादमी भोपाल में नाडा द्वारा आयोजित डोप रोधी जागरूकता कार्यक्रम

ग्रामीण खेल केन्द्रों पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों नामतः पलवल, खरखौदा, जिला सोनीपत (हरियाणा) एसटीसी त्रिसुर, एसटीसी कालीकट (केरल) और सेलम (तमिलनाडु)में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) और भाखेप्रा के प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) में विभिन्न डोप–रोधी जागरूकता संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। खेल आयोजनों प्रशिक्षण शिविरों में ग्रामीण और जूनियर स्तर के एथलीटों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए शैक्षिक सेमीनार के भाग के रूप में नाडा ने ग्रामीण एथलीटों पर विशेष ध्यान देने के लिए चेन्नई और कोयम्बटूर में खेल स्पर्धाओं के लिए डोप रोधिता पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

महानिदेशक, नाडा ने 28—29 मार्च, 2013 के दौरान माले, मालदीव में आयोजित डोप रोधिता पर 10वीं एशिया/ओसेनिया रिजनल इंटरगर्वनमेंटल मंत्रालयों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया । सम्मेलन के दौरान, यह सहमति हुई की सभी भागीदार देशों की सरकारें खेल संगठनों के सहयोग से खेल में डोपिंग के विरूद्ध जंग छेड़ने हेतु प्रत्येक सरकार की प्रतिबद्धता के महत्व को समझे ।

वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, नाडा ने 4—5 सितम्बर, 2013 को एशिया, सियोल, कोरिया में आयोजित डोप रोधी प्रशासनिक संगोष्ठी में भाग लिया । इस संगोष्ठी में भागीदारी से डोप रोधी कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई । संगोष्ठों में स्टाफ की भूमिका और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करने की आवश्यकता तथा अच्छी संचार प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

महानिदेशक, नाडा ने 19—20 सितम्बर, 2013 को पेरिस में आयोजित खेलों में डोपिंग के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पक्षों के वार्तायोजन के चौथे सत्र में भाग लिया ।

विश्व डोप रोधी एजेंसी (नाडा) ने स्पोर्ट एंड रीक्रिएशन साउथ अफ्रीका (एसआरएसए) के सहयोग से 12 नवम्बर, 2013 से 15 नवम्बर, 2013 तक जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में खेलों में डोपिंग पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया । महानिदेशक, नाडा और वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, नाडा को जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। विश्व सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य खेलों में डोपिंग पर चर्चा करना और 2015 के संशोधित कोड, प्रयोगशालाओं के लिए संशोधित अंतरराष्ट्रीय मानक, निजता और निजी सूचना की सुरक्षा के लिए संशोधित अंतरराष्ट्रीय मानक, चिकित्सीय उपयोग छूट के लिए संशोधित अंतरराष्ट्रीय मानक और परीक्षण तथा अन्वेषण के लिए नए अंतरराष्ट्रीय मानक का अनुमोदन करना था ।

***

अध्याय – 22

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत निकाय है। यह प्रयोगशाला आईएसओ/आईईसी 17025 (2003) के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड और मानव खेलों से मूत्र और खून नमूनों की जांच के लिए विश्व डोप रोधी एजेंसी (सितम्बर, 2008) द्वारा प्रत्यायित है। एनडीटीएल विश्व में 33 वाडा प्रत्यायित प्रयोगशाला में से एक और एशिया में छठी प्रयोगशाला है। एनडीटीएल में अनुसंधान के लिए अति आधुनिक सुविधाएं हैं और विभिन्न परियोजनाओं पर अनुसंधान करती है। एनडीटीएल नमूनों के विश्लेषणात्मक परीक्षणों और डोप विश्लेषण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है और इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2008 में पंजीकृत किया गया । इसके दायरे में परीक्षण के नए तरीकों को शामिल किए जाने से एनडीटीएल ने पहली दस वाडा प्रतियायी प्रयोगशालाओं का दर्जा प्राप्त कर लिया है जो वाडा द्वारा वांछित संपूर्ण परीक्षण प्रोटोकॉल कर रही है ।

2013 के दौरान उपलब्धियां

1. औषधि परीक्षण

(क) रूटीन नमूना परीक्षण

अप्रैल से दिसम्बर 2013 तक परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या 4487 (मूत्र और रक्त) है । इस अवधि के दौरान परीक्षित कुल 4487 नमूनों से 2778 नमूने राष्ट्रीय निकायों और 1709 नमूने अंतरराष्ट्रीय निकायों से प्राप्त किए गए और इनका परीक्षण किया गया। प्राप्त किए गए और परीक्षण किए गए नमूनों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

	लक्ष्य		मूत्र		रक्त		अनुमानित	
	मूत्र	रक्त	प्राप्त किए गए नमूने	परीक्षण किए गए नमूने	प्राप्त किए गए नमूने	परीक्षण किए गए नमूने	मूत्र	रक्त
राष्ट्रीय	4000	300	2595	2649	59	129	1400	150
अंतरराष्ट्रीय	1700		1573	1691	18	18	500	50
कुल	5700	300	4168	4340	77	147	1900	200

ख. प्रवीणता नमूना परीक्षण :

रूटीन नमूना परीक्षण के अलावा, एनडीटीएल विभिन्न प्रवीणता परीक्षण दौर में भाग लेता है जिससे डोप नमूनों के परीक्षण में इसकी विश्वसनीयता और अधिक सुनिश्चित होती है। एनडीटीएल निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा आयोजित बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन स्कीम में भाग लेता है:

क्र. सं.		एजेंसी		(राउंड/वर्ष नमूनों की सं.	एनडीटीएल ने इनमें भागीदारी की	निष्कर्ष
1.	मूत्र	वाडा	मूत्र	03 (18)	03 (18)	एनडीटीएल ने सभी मादक पदार्थों की सही पहचान की
			डबल ब्लाइंड	02 (2)	01 (2)	एनडीटीएल ने सभी मादक पदार्थों की सही पहचान की
		डब्ल्यूएडीएस		02 (25)	02 (12)	एनडीटीएल ने सभी मादक पदार्थों की सही पहचान की
		सीएपी		03 (15)	03 (15)	एनडीटीएल ने सभी मादक पदार्थों की सही पहचान की
2.	रक्त	सीएससीक्यू		12 (2)	12 (24)	सभी राउंड में, एनडीटीएल के परिणाम उत्कृष्ट श्रेणी में रखे गए
3.	हॉर्स डोपिंग	मूत्र/रक्त		01 (08)	01 (08)	एनडीटीएल के परिणाम शतप्रतिशत रहे

2013 के लिए प्रवीणता परीक्षण राउंड में प्रदर्शन के आधार पर, एनडीटीएल ने वर्ष 2014 के लिए वाडा का प्रत्यायन प्राप्त किया है ।

2. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

आईएसओ डैस्कटोप सरवेलेंस ऑडिट (बाह्य लेखा परीक्षा)

एनएबीएल दस्तावेज 218 के अनुसार आंकड़ों और रिकार्डों का संकलन किया गया था और 30.4.2013 को एनडीटीएल के डेक्सटाप सरवेलेंस के लिए एनएबीएल के समक्ष प्रस्तुत किया गया । 22.05.2013 को एनएबीएल से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ कि एनडीटीएल द्वारा प्रस्तुत एनएबीएल दस्तावेज 218 की समीक्षा पूरी हुई और एनएबीएल ने आईएसओ/आईईसी 17025/2005 के अनुसार मौजूदा कार्यक्षेत्र और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुसार रसायन और जैविक परीक्षण क्षेत्र के लिए एनएबीएल ने प्रत्यायन को जारी रखने की सिफारिश की ।

आंतरिक लेखा परीक्षा

एनडीटीएल की कार्यात्मक स्थिति और गुणवत्ता प्रणाली की समीक्षा करने के उद्देश्य से एनएबीएल की आवश्यकताओं के अनुसार नियमित आधार पर कुशल आंतरिक मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई

3. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआई) में एनडीटीएल की एथिक्स समिति का पंजीकरण

एनडीटीएल की एथिक्स समिति 2009 में गठित की गई थी और भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, किसी संगठन की एथिक्स समिति को डीजीसीआई में पंजीकृत होना चाहिए । उक्त मानदंड को पूरा करने के लिए, एनडीटीएल की एथिक्स समिति के पंजीकरण के लिए एक आवेदन तैयार और प्रस्तुत किया गया । एथिक्स समिति–2006 पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशानिर्देशों के अनुसार एथिक्स समिति की अवधि अगले कार्यकाल के लिए बढ़ाई जा सकती है, इसलिए एनडीटीएलकी एथिक्स समिति के कार्यकाल को 23 मार्च, 2015 की अवधि तक बढ़ाने का अनुमोदन किया गया। एनडीटीएल की तीसरी बैठक 25 जुलाई, 2013 को एनडीटीएल के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता डॉ.वाई.के.गुप्ता ने की और एथिक्स समिति के अनुमोदन के लिए विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर चर्चा की गई ।

4. एनडीटीएल, भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों में भाग लिया

- डॉ. अलका बियोत्रा, वैज्ञानिक निदेशक और डॉ. राजीव सरीन, डीडी, एनडीटीएल ने 6 से 7 मई 2013 तक दोहा, कतर में ''डोपिंग और डोप रोधिता का इतिहास'' नामक विषय पर संगोष्ठी में भाग लिया ।
- श्री अवनीश कुमार उपाध्याय,वरिष्ठ अनुसंधान फेलो ने 9 जुलाई से 11 जुलाई, 2013 तक ड्रमस्टाडट, जर्मनी में एबीएससीक्स द्वारा ''एलसी एमएस/एमएस–4000 क्यू ट्रैप'' पर प्रशिक्षण में भाग लिया ।
- सुश्री शोभा अही, बैज्ञानिक बी, एनडीटीएल ने 20 सितम्बर से 21 सितम्बर, 2013 तक विंडसर, युनाईटेड किगडम में आयोजित 65वीं एओआरसी अंतरराष्ट्रीय और यूरोपियन सेक्शन बैठक में भागीदारी की ।
- डॉ. अलका बियोत्रा, वैज्ञानिक निदेशक, एनडीटीएल ने 04 अक्तूबर से 06 अक्तूबर,2013 तक इंडियानापोलिस, इंडियाना, यूएसए में व्यक्ति के शरीर के भीतर जैविक परिवर्तनों के मानदंडों का परिष्करण नामक विषय पर 12वीं वार्षिक यूएसएडीए संगोष्ठी में भाग लिया । डॉ. अलका बियोत्रा ने 7 अक्तूबर, 2013 को यूएसएडीए और वाडा द्वारा आयोजित लेबोरेट्री मोक ट्रायल में भी बतौर साक्षी भाग लिया ।
- डॉ. अलका बियोत्रा, वैज्ञानिक निदेशक और डॉ. राजीव सरीन, डीडी, एनडीटीएल ने खेल और मनोरंजन विभाग, दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से वाडा द्वारा जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 12 नवम्बर से 15 नवम्बर, 2013 तक आयोजित खेलों में डोपिंग नामक विषय पर चौथे वाडा सम्मेलन में भाग लिया ।
- श्री अभिनव श्रीवास्तव ने बर्मन, जर्मनी में 4 नवम्बर से 8 नवम्बर, 2013 तक थर्मो साईंटिफिक द्वारा आयोजित ''आईसीटोप रेशो एमएस ऑपरेटर ट्रैनिंग पर प्रशिक्षण में भाग लिया ।
- डॉ.शीला जैन, प्रधान वैज्ञानिक निदेशक और बी. रंजीत लाल, लैब पर्यवेक्षक , एनडीटीएल ने लुसाने, स्विटजरलैंड में 2 से 3 सितम्बर, 2013 तक वाडा द्वारा आयोजित 'एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट'' नामक विषय पर वाडा लैब बैठक में भाग लिया ।

5. शिक्षा

डोपिंग नियंत्रण पर एनडीटीएल द्वारा निम्नलिखित विषयों पर इश्तिहार तैयार और प्रकाशित किए गए

- डोपिंग की जानकारी
- वाडा प्रतिबंधित सूची
- वाडा संबंधी सूचना
- चिकित्सीय उपयोग छूट
- एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टिरायडस
- डोपिंग के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- खाद्य पोषक सम्पूरक

6. अनुसंधान कार्यकलाप

(i) पीएच.डी. पंजीकरण

लैब ने विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर अपने कार्य का विस्तार किया है । आठ अनुसंधान फैलो ने विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सहयोग से अपनी पीएच.डी के लिए अपना पंजीकरण कराया है । वे अपनी पीएच.डी डॉ. शीला जैन और डॉ. अलका बियोत्रा के मार्गदर्शन में एनडीटीएल से कर रहे हैं ।

(ii) प्रकाशन

एनडीटीएल ने वर्ष 2013 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित किए । प्रकाशनों की सूची निम्नलिखित हैः–

- बियोत्रा एः खेलों में मादक पदार्थों का सेवनः एन ओवर व्यू जर्नल ऑफ पोस्टग्रेजुएट मैडीसिन, एजुकेशन एंड रिसर्च, अप्रैल–जून 2013, 47(2):63–67
- बियोत्रा ए., अही एसः कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग ऑफ डाईयूरेटिक्स इन ह्यूमैन यूरीन यूजिंग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेंडम मास स्पक्ट्रोमीटरी, एनालसिस केमिस्ट्री –एन इंडियन जनरल 2013 (प्रकाशन के लिए स्वीकृत)
- बियोत्रा एः प्रोग्रेस इन एंटी–डोपिंग साईसः इंटरनेशनल एंड नेशनल सिनेरियो इन स्पोर्टस मैडिसन एंड एलाईड साईसिज 2013 ईडी एस. सैयद पीपी 1–8

प्रकाशनार्थ

- एस. जैन, आर. लाल, ए. राज, डी. त्यागी, ए. बेयोट्रा, टी. कौर। आईईएफ पैटर्न तथा एसडीएस–पेज रिजल्ट ऑफ इंडियन डारबेपोईटिन (सीआरईएसपी) की विशेषताएं और उसका डिटेक्शन विन्डो फोलोइंग सिंगल सबक्युटेनिअस इंजेक्शंस, 30वीं मैनफ्रेड डोनिक कार्यशाला, डोप विश्लेषण पर 31वीं कोलोन्ज कार्यशाला, कोलोन्ज जर्मनी, 24.2–1.3.2013 (प्रकाशनार्थ)
- एस. अही, एस. दुबे, ए. बियोट्रा, एस. जैन, टी. कौर, यूपीएलसी– एमएस/एमएस पर डोपिंग

एजेन्टों की एक विस्तृत और संवेदी छानबीनः वाडा टीडी 2013 एमआरपीएल की पूर्ति की ओर एक दृष्टिकोण । डोप विश्लेषण पर 31वीं कोलोन्ज कार्यशाला, कोलोन्ज जर्मनी, 24.2–1.3.2013 (प्रकाशनार्थ)

- एस. अही, ए. नियोट्रा, ए. उपाध्याय, नेहा जैन, आर. प्रियदर्शनी, एस. जैन, मनुष्यों में इनहेल्ड फोरमोटेरोल और बडसोनाइड का यूरिन एक्सक्रेसन प्रोफाइलः संशोधित वाडा प्रभाव सीमा के संबंध और फोरमोटेरोल की स्वीकार्य डोज । डोप विश्लेषण पर 31वीं कोलोन्ज कार्यशाला, कोलोन्ज जर्मनी, 24.2–1.3.2013 (प्रकाशनार्थ)
- एस. जैन, ए. श्रीवास्तव, टी. कौर, ए. सोनी, जे. हसीन, वी. निमकर, ए. बियोट्राः (डिटेक्शन ऑफ दी मिसयूज ऑफ टेस्टोसटिरोन जेल इन सब्जैक्ट्स विथ लो बेसल टी । ई वेल्यू, 31वीं मैनफ्रेड डोनाइक कार्यशाला, डोप विश्लेषण पर 31वीं कोलोन्ज कार्यशाला, कोलोन्ज जर्मनी, 24.2–1.3.2013 (प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत

- ए. श्रीवास्तव, टी. कौर, एस. जैन, ए. सोनी, ए. बियोट्राः δ^{13}Cè^{12} C वैल्यूस ऑफ इनडोजीनस स्टेरोइडस यूसिंग गैस क्रोमाटोग्राफी इसोटोप रेशियो ऑस इस्पेक्ट्रोमेट्री पर 12वां इसमास ट्राईनियल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, गोवा, मार्च, 2013 ।
- ए सोनी, वी निमकर , एच जमाल, ए श्रीवास्तव, टी कौर, एस जैन, ए बियोट्रा, ''लो टी/ई बेसल वैल्यू के साथ इनडोजीनस स्टेराइडस पर टेस्टोसटिरोन जैल प्रयोग का प्रभाव : एक प्रारंभिक अध्ययन '' , एसपीईआर पर दूसरा वार्षिक सम्मेलन, जामिया हमदर्द, जामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली, इंडिया, मार्च, 2003 ।
- टी. कौर, ए. श्रीवास्तव, टी. गर्ग, वाई. कुमार, एस. जैन, ए. बियोट्रा । गैस क्रोमाटोग्राफी इसोटोप रेशियो मॉस इस्पेक्ट्रोमेट्री (जीसी)/सी/आई आर.एम.एस): का प्रयोग करते हुए सिंथेटिक और नेचुरल इनडोजीनस इनाबोलिक स्टेराइड्स का विभेदनः दो प्रतिदर्श शोधन पद्धतियों की तुलना। सुरक्षित और प्रभावकारी थेरेपी के लिए नेवीगेटिंग फार्माकोलोजी पर इंडियन फार्माकोलोजी सोसायटी का 45वां सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जनवरी, 2013 में नागपुर में आयोजित किया गया ।
- शोभा अही, सौरभ दुबे, अलका बियोट्रा, शीला जैन ''लिक्विड क्रोमाटोग्राफी– टेनडेम मॉस स्पेक्ट्रोमेट्री के अनुसरण द्वारा हार्स यूरिन में सॉलिड फेज एक्सट्रेक्सन का प्रयोग करते हुए विभिन्न थेरेप्यूटिक श्रेणियों के डोपिंग एजेंटों की विस्तृत छानबीन उच्च संवेश– प्रवाह'' (65वीं एओआरसी बैठक, बिंडसर, यूके सितम्बर, 19–22,2013 में प्रस्तुत करने के लिए स्वीकार्य)
- सौरभ दुबे, शोभा अही, अलका बियोट्रा, शीला जैन ''हार्स प्लाज्मा में नानड्रोलोन के डिटेक्शन की सीमा का आकलनः दो डिटेक्शन की सीमा का आकलनः दो डिटेक्शन पद्धतियों के बीच तुलना (डेरीवेटीजेशन और नान डेरीबेटीजेशन)'' (65वीं एओआरसी बैठक, बिंडसर यूके सितम्बर 19–22,2013 में प्रस्तुत करने के लिए स्वीकार्य)

7. द्विपक्षीय सहयोग

अंतरराष्ट्रीय

- एनडीटीएल का विश्व में दो प्रमुख प्रयोगशालाओं के साथ द्विपक्षी सहयोग है जो कि ड्रग कंट्रोल सेंटर किंग्स कॉलेज, लंदन और एंटी डोपिंग लैन, रोम, इटली में हैं।
- सहयोग का क्षेत्र संस्थानों के बीच स्टॉफ के आदान और शोध परियोजनाओं पर कार्य के माध्यम से टेस्टिंग प्रोटोकॉल को सुधारने और इसे समर्थ बनाने को लक्षित करता है ।

राष्ट्रीय

एनडीटीएल द्विपक्षी सहयोग द्वारा विभिन्न प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एआईआईएमएस), नई दिल्ली, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी(जीएनडीयू) अमृतसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), बेल्लोर और जीवाजी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सदस्य बन चुका है ।

सहयोग के क्षेत्र में सहयोगात्मक शोध परियोजनाओं पर कार्य करना शामिल है ।

8. एनडीटीएल के खातों की कैग लेखा–परीक्षा–सीईओ

एनडीटीएल और सेक्रेटरी (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा यथोचित अनुमोदित वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिए एनडीटीएल के वार्षिक खाते 24.6.2013 को लेखा परीक्षा महानिदेशक के कार्यालय (केंद्रीय व्यय) में प्रस्तुत कर दिए गए थे। लेखा परीक्षा महानिदेशक के कार्यालय (केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली के एक लेखा – परीक्षा दल ने 1.07.2013 से एनडीटीएल के खातों की लेखा–परीक्षा शुरू की थी और 21 अगस्त, 2013 को इसे पूरा कर लिया गया था ।

9. राजस्व अर्जन

अप्रैल से मार्च 22, 2013 तक एनडीटीएल अंतरराष्ट्रीय टेस्टिंग से लगभग 2 करोड़ 30 लाख का राजस्व अर्जित कर चुका है ।

वित्तीय वर्ष–वार	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से प्राप्त जीआईए	डोप टेस्टिंग शुल्क (राजस्व) लगभग
2008–09	1.85	0.11
2009–10	14.00	0.15
2010–11	11.50	3.00
2011–12	2.50	1.06
2012–13	2.50	2.30
2013–14	5.70	1.24(नवम्बर,2013 तक)

10. अन्य क्षेत्रों में विविधता: और अधिक पाने पर बल

एनडीटीएल हार्स और घुड़सवारी संबंधी खेलों के क्षेत्र में डोप टेस्टिंग की सुविधा को सफलता के साथ

प्रारम्भ कर चुका है और भारत में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के लिए प्रोफिशिएसी टेस्टिंग प्रतिदर्शों (पीटी) को उपलब्ध कराने वाले एक संभावित स्त्रोत के रूप में सामने आ चुका है ।

(i) प्रोफिशिएसी टेस्टिंग प्रोवाईडररू प्रोफिशिएसी टेस्टिंग प्रोवाईडर कार्यक्रम 2012 में शुरू हुआ था और दो राउंड के प्रतिदर्श विभिन्न प्रयोगशालाओं को भेजे गए थे । इसे 2014 में परीक्षण प्रयोगशालाओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित करने का प्रस्ताव है ।

(ii) हार्स डोप टेस्टिंग सुविधा के लिए व्यवस्था : दो एनडीटीएल वैज्ञानिकों द्वारा हार्स ड्रग टेस्टिंग में जनवरी 2011 में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था और इसके बाद दोनों वैज्ञानिकों द्वारा एओआरसी की सदस्यता ग्रहण की गई जो रेसिंग केमिस्ट का हिस्सा होने के लिए अनिवार्य है, एनडीटीएल ने 2012 और 2013 में एओआरसी के प्रोफिशिएसी परीक्षण में भाग लिया । इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है और एनडीटीएल ने हार्स टेस्टिंग के क्षेत्र में प्रोफिशिएंसी परीक्षण राउंड को सफलतापूर्वक पूरा किया । प्रत्यायन के लिए आवेदन पत्र देने के बाद डोप परीक्षण का आईएसओ प्रत्यायन 2013 के अक्तूबर माह में प्रारम्भ किया गया था जिसका आईएसओ लेखा–परीक्षण जनवरी में आयोजित किया जाएगा ।

भावी विजन योजना:

1. विस्तृत विजन योजना के रूप में प्रस्तावित मानव डोप टेस्टिंग में रूटीन और रिसर्च विंग में विस्तार
2. हार्स डोप टेस्टिंग सुविधा का ISO 17025:2005 प्रत्यायन और रूटीन टेस्टिंग का प्रारम्भ
3. प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाईडर सुविधा का ISO 1743 प्रत्यायन

***

अध्याय – 23

भारतीय राष्ट्रीय खेल–मैदान संघ

भारतीय राष्ट्रीय खेल मैदान संघ की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसायटी के रूप में फरवरी, 2009 में की गई थी । देश में खुले स्थानों तथा खेल के मैदानों की कमी तथा मौजूदा कुछ मैदानों के अन्य कार्यकलापों में प्रयोग को ध्यान में रखकर संस्थागत व्यवस्था विकसित करना आवश्यक समझा गया है । तदनुसार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एनपीएफएआई स्थापित करने की पहल की ।

एनपीएफएआई के अध्यक्ष केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं और इसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं । लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे एफ.एस.नरीमन, श्री बिशन सिंह बेदी, श्रीमती पी.टी.उषा, श्रीमती इंदु पुरी और कमांडर नंदी सिंह तथा अन्य व्यक्ति सोसायटी के संस्थापक सदस्य हैं । एनपीएफएआई को औपचारिक रूप से 26 फरवरी, 2009 को शुरू किया गया ।

एनपीएफएआई के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- खेलों और क्रीडाओं के लिए खेल के मैदानों तथा खुले स्थानों और अन्य सुविधाओं का संरक्षण, परीक्षण, संवर्धन, विकास तथा उन्नयन करना ।
- खेल के मैदानों, प्ले ग्राउंडों खेल पिचों तथा खुले स्थलों के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

एनपीएफएआई का मुख्य ध्यान मौजूदा खेल के मैदानों को सुरक्षा और संरक्षण करना तथा खेल के मैदान और खुले स्थानों को उपलब्ध कराने के लिए मानदंड और मानक प्रक्रिया विकसित करने के अलावा नए मैदानों का संवर्धन करने पर है।

एनपीएफएआई को राष्ट्रीय खेल विकास निधि से जुलाई, 2009 में प्रारम्भिक धनराशि के रूप में 50 लाख रु. प्राप्त हुए ।

एनपीएफएआई के सर्वोच्च निकाय बनने के बाद, सभी राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर इसी प्रकार की सोसाइटिंया स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो राष्ट्रीय सोसायटी से संबद्ध होगी । इस पहल से जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक समावेशन के संदर्भ में खेल के मैदानों, प्लेग्राउंडों और खुले हरित स्थलों से मिलने वाले सामाजिक लाभों की राष्ट्रीय जागरूकता पैदा होने की आशा है । सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राथमिकता आधार पर राज्य स्तरीय खेल मैदान एसोसिएशन स्थापित करने की अपेक्षा थी । एनपीएफएआई की अवधारणा और इसके उद्देश्यों पर 2009 और 2010 में खेल मंत्रियों के सम्मेलनों में विस्तार से विचार–विमर्श किया गया जिनमें सभी राज्यों के खेल मंत्रियों ने यह आश्वासन दिया कि प्राथमिक आधार पर राज्य स्तरीय खेल मैदान संघों का गठन किया जाएगा । अब तक, 10 राज्यों ने राज्य स्तरीय संघों का गठन किया हैं । ये राज्य हैं :–

(i) हिमाचल प्रदेश,(ii) ओडिशा, (iii) हरियाणा, (iv) आन्ध्र प्रदेश, (v) मिजोरम, (vi) पश्चिम बंगाल,(vii) मणिपुर, (viii) राजस्थान (ix) मध्य प्रदेश और (x) कर्नाटक ।

इसके अतिरिक्त केरल और त्रिपुरा ने राज्य स्तरीय संघों के गठन का अनुमोदन कर दिया है।

12 राज्य संघों में से पांच संघों (क्रम सं. (i) से (v) को एनपीएफएआई से संबद्ध किया गया है । इन पांच राज्य संघों ने संबद्धता से पहले सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करा दी हैं । एनपीएफएआई से संबंध पांच राज्य संघों को शहरी खेल बुनियादी ढ़ाचा स्कीम में से प्रत्येक को 50 लाख रु. की मंजूरी दी गई है और इन्हें पहले ही अनुदान वितरित किया जा चुका है । यह अनुदान खेल मैदानों, प्लेग्राउंडों इत्यादि के संरक्षण, संवर्धन, परिरक्षण, विकास तथा सुधार के समग्र उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए निधि का सृजन करने के प्रयोजन से है ।

नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने भी खेल मैदान संघ का गठन किया है ।

एनपीएफएआई ने 18 अगस्त, 2009 को यू.के. की नेशनल प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन (इसका प्रचालनशील नाम 'फील्डस इन ट्रस्ट है) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था । समझौता ज्ञापन का उद्देश्य नीतिगत भागीदारी स्थापित करना है जिसमें सहयोगपूर्ण व्यवस्थाएं और पक्षों के बीच सहयोग शामिल है । समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के पश्चात फील्डस इन ट्रस्ट (एफ.आई.टी) के मुख्य कार्यपालक की अगुवाई में दो सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सितम्बर, 2009 को दिल्ली का दौरा किया था । इस दौरे का उद्देश्य, सम्पूर्ण दिल्ली में विभिन्न खेल मैदानों का स्थल दौरा था ताकि स्थल मूल्यांकन किया जा सके और आदर्श खेल के मैदान के रूप में विकसित करने के लिए 2–3 स्थलों की पहचान की जा सके। टीम ने डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, सिविल सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय विद्यालय जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित शहर के कुछ खेल परिसरों और प्लेग्राउंडों का दौरा किया । क्षेत्र की आवश्यकता, स्थान/क्षेत्र की अभिगम्यता, स्थल का आकार, धारणीयता इत्यादि जैसे कारकों के आधार पर प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में कुछ स्थलों की सूची तैयार की है ।

इसके बाद एनपीएफएआई ने स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करके कुछ मैदानों की पहचान की है जिन्हें पायलट परियोजना के रूप में आदर्श खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा । इनमें से एनडीएमसी ने 4 स्थानों को आदर्श खेल मैदानों के रूप में पहले ही तैयार कर लिया है ।

इसके अलावा, एनपीएफएआई ने न्यूनतम सुविधाओं से युक्त विभिन्न आकार के मूल खेल मैदान विकसित किए हैं जिनमें समतल मैदान, झूलों/स्लाइडो आदि के साथ बाल खेल क्षेत्र, एक या दो खेल विधाओं के लिए खेलकूद सुविधा, शौचालय सुविधा आदि शामिल हैं । खेल के मैदानों के विकास के लिए सामान्य दिशानिर्देशों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और इन दिशानिर्देशों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त संशोधन करके सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को परिचालित किया गया ।

कामनवैल्थ लिगेसी योजना के तहत केंद्र सरकार की सहायता से दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों, तेरह कॉलेजों और पांच स्कूलों के लिए दो कल्याणकारी संगठनों ने खेल मैदान/सुविधाएं प्रदान की । सृजित सुविधाओं में बास्केट बॉल, टेबिल टेनिस, शूटिंग रेंज, फिटनेस सेंटर के लिए सिंथेटिक कोर्टों का निर्माण शामिल हैं ।

एनपीएफएआई ने एनडीएमसी क्षेत्र में 78 खेल मैदानों के विकास हेतु एनडीएमसी को 192.00 लाख रु. मंजूर किए थे । यह परियोजना पूरी की जा चुकी है ।

***

अध्याय – 24

खेल और शारीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का अंतरराष्ट्रीय आदान–प्रदान

विदेशों में खेलों की जानकारी और विदेशों में कोचिंग/प्रशिक्षण और विदेशी कोचों/विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भारतीय टीमों/विशेषज्ञों को ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने हेतु खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को महत्व दिया गया है ।

फरवरी, 2012 में अपने क्यूबा दौरे के दौरान श्री अजय माकन, तत्कालीन युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा देश में हॉकी के प्रोत्साहन और विकास के लिए एक कृत्रिम हॉकी टर्फ के निर्माण के लिए दिए गए आश्वासन के अनुसरण में क्यूबा के विदेश मंत्री श्रीब्रूनो रोडरीक्वेज परिल्ला की भारत यात्रा के दौरान 27 मई, 2013 को कृत्रिम हॉकी टर्फ बिछाने के लिए क्यूबा सरकार को 1 मिलियान डॉलर की सहायता देने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय खेल विकास निधि से 1 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता क्यूबा सरकार को दी जा चुकी है ।

वर्ष के दौरान श्री जितेन्द्र सिंह, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय सरकारी शिष्टमंडल ने नीदरलैंड सरकार के प्रतिनिधियों और बहुउद्देशीय स्टेडियमों के प्रबंधन तथा संबंधित परियोजना और क्षेत्र विकास से संबंधित प्राधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए 27–28 जून, 2013 के बीच एमसटर्डम (नीदरलैंडस) का दौरा किया ।

भारत में पोलैंण्ड के राजदूत, श्री पियोट्र क्लोधोवस्की ने श्री जितेन्द्र सिंह, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से 9 जुलाई, 2013 को मुलाकात की। दोनों पक्षों ने युवा कार्यक्रम और खेल के क्षेत्र में आपसी हित के मामलों पर चर्चा की । दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समझौतों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्ष युवा कार्यक्रम और खेल क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके । दोनों पक्षों ने ओलंपिक में कुश्ती को एक मुख्य खेल के रूप में बनाए रखने के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया ।

हंगरी के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और हंगरी के बीच 17 अक्तूबर, 2013 को खेलों के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ ओलंपिक समितियों, खेल परिसंघों, विश्वविद्यालयों, खेल वैज्ञानिक निकायों के बीच सहयोग के अलावा दोनों देशों के प्राधिकरणों को खेल अवसंरचना निर्माण, खेल सुविधाओं के प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव के आदान–प्रदान का प्रावधान है ।

एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने श्री जितेन्द्र सिंह, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में 11 से 13 दिसम्बर, 2013 के बीच होने वाले 27वें दक्षिण पूर्व एशियन खेलों में भारत को प्रतिनिधित्व प्रदान के लिए ने प्यी ताओ (म्यामांर) का दौरा किया ।

किंगडम ऑफ नीदरलैंडस की स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्री सुश्री एडिथ आई. सिपर्स के दौरे के दौरान भारत

और नीदरलैंडस के बीच खेलों में सहयोग पर 30 जनवरी, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन में युवा अकादमियों के माध्यम से खेल प्रबंधन, प्रतियोगी अवसंरचना सेटअप, कोचिंग, प्रशिक्षण पद्धतियों, विभिन्न खेल विधाओं में रेफरियों के प्रशिक्षण और उच्च–खेल विकास के क्षेत्रों में जानकारी और अनुभव के आदान–प्रदान का प्रावधान है।

मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम में खेलों में इंडो–डच सहयोग पर एक सेमिनार का आयोजन 30 जनवरी, 2014 को किया गया । सेमिनार का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), किंगडम ऑफ नीदरलैंडस के दूतावास और भारत–नीदरलैंडस बिजनेस एसोसिएशन (आईएनबीए) के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया । सेमिनार का मुख्य विषय खेल स्टेडियमों के इष्टतम उपयोग और दीर्घकालिक उपयोग के साथ–साथ उनका प्रयोग गैर–खेल स्पर्धाओं और खेल सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था । सेमिनार में नीदरलैंडस शिष्टमंडल के विशेषज्ञों, इंडिया– नीदरलैंडस बिजनेस एसोसिएशन के सदस्यों, राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, भारतीय खेल प्राधिकारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

***

अध्याय –25

वर्ष 2013.14 के दौरान खेल विभाग की उपलब्धियां और पहल – एक नजर में

I. **मुख्य अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं से संबंधित कार्य की निगरानी और समन्वय के लिए संचालन समिति का गठन:**

सचिव (खेल) की अध्यक्षता में, ओलंपिक खेल 2020 तक की मुख्य अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं संबंधी निगरानी और समन्वय कार्य के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया जिसमें महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, संयुक्त सचिव (खेल), संयुक्त सचिव (विकास), संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रतिनिधि, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि, संबंधित खेल विधाओं के मुख्य कोच और कार्यकारी निदेशक (टीम), भारतीय खेल प्राधिकरण शामिल हैं । संचालन समिति के कार्यों में मुख्य संभावित खिलाड़ियों की पहचान करना और मुख्य संभावित खिलाड़ियों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करना शामिल है ताकि यह पता लग सके कि किसे बनाए रखा जाए/ किसे हटाया जाए /कौन नया शामिल किया जाए ।

II. **2020 के ओलंपिक खेलों में कुश्ती को शामिल करना** : 8 सितम्बर, 2013 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में आयोजित 125वें सत्र में 2020 के ओलंपिक खेलों में 25 मुख्य खेलों के अतिरिक्त कुश्ती को शामिल करने का निर्णय लिया गया । 2020 के ओलंपिक खेलों में कुश्ती, स्कवैश और बेसबॉल/सॉफ्टबॉल अतिरिक्त खेलों के रूप में शामिल होने के दावेदारों में थे । आईओसी के कार्यकारी बोर्ड (ईबी) ने 12 फरवरी, 2013 को आयोजित बैठक में कुश्ती को 2020 के ओलंपिक खेलों की मुख्य खेलों की सूची में शामिल न किए जाने की सिफारिश की थी । युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कुश्ती को ओलंपिक खेलों में बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को आईओसी तथा उन देशों जहां कुश्ती लोकप्रिय है, के समक्ष ले जाने की अगुवाई की ।

III. **खेलों में मानव संसाधन विकास की स्कीम को प्रारम्भ करना** : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मौजूदा 'प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी स्कीम' को संशोधित किया है और इसका नाम बदलकर 'खेलों में मानव संसाधन विकास की स्कीम' कर दिया है । संशोधित स्कीम के अंतर्गत, सरकार का उद्देश्य देश में खेलों के समग्र विकास के लिए खेल विज्ञानों में विकासशील मानव संसाधनों तथा खेल औषधि पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे सामान्य रूप से देश को एक अवधि के भीतर इन क्षेत्रों में आत्म–निर्भर बनने और विशेष रूप से राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि विज्ञान संस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

IV. **अंडर–17 विश्वकप फुटबॉल टूर्नामेंट 2017 के लिए सरकार का अनुमोदन:** मंत्रिमंडल ने 13.06.2013 को आयोजित अपनी बैठक में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ (एआईएफएफ) द्वारा भारत में 2017

में अंडर–17 विश्वकप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) की मेजबानी के लिए अपनी बोली हेतु भारत सरकार से गारंटियॉ प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया । फीफा ने इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत को सौंपा है । फीफा अंडर–17 विश्वकप एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है और पहली बार इसका आयोजन भारत में किया जाएगा । एआईएफएफ ने पांच राज्यों नामतः दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम, गोवा और केरल में से एक राज्य में इनके मैचों के आयोजन का प्रस्ताव किया है। यह अंडर–17 विश्वकप खेलों में अधिकाधिक युवाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और देश में फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा । इससे देश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा । खेल विशेषकर अण्डर–17 के स्तर पर तकनीक, प्रशिक्षण, कोचिंग और प्रतियोगिता अनुभव आदि की दृष्टि से भी इस आयोजन का अत्यधिक महत्व है और इससे भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्जवल होगा ।

फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) ने ब्राजील में साल्वाडोर डा बाहिया में 5 दिसम्बर, 2013 को आयोजित अपनी कार्यकारी समिति की बैठक में अण्डर–17 फुटबॉल विश्वकप 2017 का आयोजन भारत को दिया । भारत ने 24 राष्ट्रों की इस द्विवार्षिक बड़ी प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए अन्य बोली दाताओं दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और उज्बेकिस्तान को पछाड़ते हुए इसकी मेजबानी हासिल की। मेजबान देश होने के कारण भारत इतिहास में पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग लेगा।

V. **परिस्थितियों (फीमेल हाइपरएंड्रोजेनिश्म) जिसके कारण कोई खिलाड़ी महिला श्रेणी में प्रतियोगिताओं में भाग लेने का पात्र नहीं होगा, का पता लगाने के लिए मानक प्रचालक कार्यविधि (एसओपी):** उन महिला खिलाड़ियों के बारे में प्रेस में रिपोर्ट आई हैं जिनमें पुरूष जैसी शारीरिक विशेषताएं हैं । ऐसे मामलों में खिलाड़ियों को अपमान और लोकनिंदा को सहन करना पड़ा है । ऐसे विवादों से बचने के लिए इस मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से उन परीक्षणों और कार्यविधियों का पता लगाने का अनुरोध किया जो किसी खिलाड़ी के पुरूष या महिला होने के बारे में अन्तिम निर्णय दे सके। एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों और फीमेल हाइपरएंड्रोजेनिश्म पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के विनियमों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने उन परिस्थितियों (फीमेल हाइपरएंड्रोजनिष्म) जिसके कारण कोई खिलाड़ी महिला श्रेणी की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का पात्र नहीं होगा, का पता लगाने के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) को तैयार करके 19.3.2013 को परिचालित किया ।

VI. **राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक 2013 का प्रारूप:** राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक 2013 का प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में 21.3.2013 को एक कार्यसमूह का गठन किया गया । इस कार्य समूह को खेल शासन तथा विधिक दृष्टिकोण दोनों ही तरह से मौजूदा विधेयक के प्रारूप पर विचार करने तथा इसे अधिक सुस्पष्ट और सटीक बनाने के प्रयोजन से इसमें आशोधन/संशोधन करने, विधेयक के अंतर्गत बनाए जाने वाले प्रारूप मॉडल नियमों की सिफारिश करने, राज्यों द्वारा अलग से मॉडल खेल विकास विधेयक के अधिनियमन की आवश्यकता की पड़ताल करने, अलग निकायों तथा खेल निर्वाचन आयोग, एक विवाद समाधान ट्रिब्यूनल, और एक एथिक्स समिति के गठन की संभावना पर विचार करने और उनकी शक्तियों, कार्यों, संविधान, निधि प्रावधान आदि के बारे

में सुझाव देने, निर्वाचन मंडल तैयार करने पर विशेष सिफारिश करने और राज्य/जिला निकायों को सरल और कारगर बनाने के लिए कहा गया ।

इस कार्य समूह ने 10 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2013 का प्रारूप प्रस्तुत किया जिसे 31 जुलाई, 2013 तक जन साधारण और हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक कर दिया गया । कार्य समूह द्वारा खेल विकास विधेयक, 2013 का संशोधित प्रारूप जिसमें प्रारूप विधेयक पर फीडबैक शामिल किया गया है प्रस्तुत कर दिया गया है।

मंत्रिमंडल के लिए नोट के प्रारूप को राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक 2014 के प्रारूप पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अंतरमंत्रालयीन परामर्श हेतु परिचालित कर दिया गया है।

VII. **खेल धोखाधड़ी रोकथाम विधयेक, 2013**: देश में खेलों से धोखाधड़ी दूर करने के अपने सतत प्रयासों के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के परामर्श से एक विशेष कानून नामतरू खेल धोखाधड़ी रोकथाम विधेयक, 2013 का प्रारूप तैयार किया है । इस विधेयक के प्रारूप को जनसाधारण और हितधारकों से तीन दिसम्बर, 2013 तक उनके सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया । मंत्रिमंडल के लिए नोट का प्रारूप अंतरमंत्रालयीन परामर्श के लिए तैयार और परिचालित कर दिया गया ।

VIII. **खेल विभाग और एड्स नियंत्रण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**: खेल विभाग और एड्स नियंत्रण विभाग ने 29 नवम्बर, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एसटीआई/एचआईवी/एड्स रोकथाम तथा संबंधित विषयों पर ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर सूचना देने के लिए खेल कार्यकलापों में लगे अधिसंख्य युवाओं तक पहुॅचाना , खेल के मैदानों में और इससे बाहर एचआईवी प्रसार के खतरे को कम करने के लिए खेल शिक्षकों, प्रशासकों और कोचों की क्षमता का विकास करना, एचआईवी/एड्स रोकथाम कार्यक्रमों में युवा संगठनों, खेल परिसंघों को सहभागी बनाना, राज्य/राष्ट्रीय स्पर्धाओं और प्रतियोगिताओं के दौरान प्रमुख स्थानों और खेल अवसंरचना इमारतों पर होर्डिंग और बैनरों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना तथा एचआईवी/एड्स से जुड़े सामाजिक बुराई और भेदभाव को दूर करने के लिए विख्यात खेल हस्तियों की सहभागिता करना है ।

IX. **राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए उद्देश्यपरक मानदण्ड तैयार करना**: विभिन्न राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों अर्थात राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए खिलाड़ियों और कोचों की उपलब्धियों के मूल्यांकन और निर्धारण में और अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और वास्तविकता लाने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इन पुरस्कारों के लिए दिशा–निर्देश/मानदण्ड तैयार तथा परिचालित किए हैं, जिन्हें चयन समिति और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों और कोचों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा । अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में जारी नए दिशा–निर्देशों के अनुसार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप और ओलंपिक खेलों (ग्रीष्म, शीतकालीन और पैरालंपिक) एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत खेल विधाओं की प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को 90 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा और 10 प्रतिशत महत्व चयन समिति द्वारा पात्र खिलाड़ियों के निर्धारण के लिए उन

अंकों को दिया जाएगा जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए दिए जाएंगे यथा उस खेल स्पर्धा का प्रोफाइल और स्तर जिसमें खिलाड़ी ने पदक जीता है तथा नेतृत्व, खेल भावना, टीम भावना और निष्पक्ष खेल तथा अनुशासन के गुण ध्यानचंद पुरस्कार के लिए 70 प्रतिशत महत्व जीते हुए पदकों के लिए दिया जाएगा तथा 30 प्रतिशत महत्व सक्रिय खेलों से संन्यास लेने के बाद खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोच, खेल प्रबंधक आदि तथा खेल भावना, नेतृत्व और अनुशासन भावना के गुणों के लिए उनके योगदान पर पात्र खिलाड़ियों के निर्धारण के लिए दिया जाएगा । द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए कोच द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में जीते पदकों के लिए 90 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा तथा पात्र कोच के मूल्यांकन के लिए उन खेल स्पर्धाओं जिनमें उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, की रूपरेखा और स्तर को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा।

X. **समुदाय संपर्क (कम्यूनिटी कनेक्ट):** खेलों को बढ़ावा देने तथा नागरिकों में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियमों के इंफ्रास्ट्क्चर तथा खाली जगहों का इष्टतम उपयोग करने हेतु सरकारी नीति के अनुसरण में भारतीय खेल प्राधिकरण ने "समुदाय संपर्क'' नामक एक स्कीम शुरू करने का निर्णय किया है। साई द्वारा संचालित पांच स्टेडियमों अर्थात जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर, इंदिरा गांधी खेल परिसर,मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर को बहु–खेल स्पर्धाओं के लिए तैयार किया जा रहा है तथा इनमें मुख्य खेलों तथा मनोरंजक खेलों के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं विकसित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन स्टेडियमों का प्रयोग कर सकें। इन स्टेडियमों में निम्नलिखित नई सुविधाएं जुटाई जानी हैं:

जलक्रीडा, तीरंदाजी, बिलयर्ड/स्नूकर/पूल, कैरम, शतरंज, साईक्लिंग ट्रैक, फिटनेस एवं स्वास्थ्य जोन, गोल्फ, घुड़सवारी, कबड्डी, कराटे, स्केटिंग, स्कवैश, टेनिस, ताइक्वांडों और वाकिंग/जागिंग ट्रेक उपर्युक्त के अलावा नई अकादमी विकसित की जा रही हैं तथा प्रसिद्ध खिलाड़यों और प्राईवेट एजेंसियों को भी खेल कौशल में सुधार करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है । प्रस्तावित मुख्य अकादमी निम्नानुसार है :

(क) जवाहर लाल नेहरू परिसर में फुटबॉल अकादमी

(ख) इंदिरा गांधी खेल परिसर में साइकिलिंग अकादमी

(ग) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर में तैराकी अकादमी

(घ) डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग अकादमी

भारतीय खेल प्राधिकरण ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली में एक खेल म्यूजियम स्थापित करने का भी निर्णय लिया है ।

XI. **राजीव गांधी खेल अभियान का शुभारम्भ** : केंद्रीय प्रायोजित स्कीम राजीव गांधी खेल अभियान को पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) के स्थान पर 21 फरवरी, 2014 को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना और 13वीं पंचवर्षीय योजना के शेष 3 वर्षों के दौरान लगभग 9000 करोड़ रूपए का अनुमानित परिव्यय होगा । इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच खेलों को जीवनशैली के रूप में बढ़ावा देना, देशभर में खेल सुविधाओं की पहुंच बढ़ाना, खेल प्रतिभाओं

की पहचान के लिए देश भर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। इस स्कीम के अंतर्गत देश की प्रत्येक ग्रामीण ब्लॉक पंचायत में एकीकृत खेल परिसर बनाए जाएंगे। प्रत्येक खेल परिसर पर 1.75 करोड़ रुपए लागत आएगी और इसमें 11 आउटडोर तथा 5 इनडोर खेल होंगे और 16 खेलों की इस सीमा के अंदर तीन स्थानीय खेल चुनने का विकल्प होगा । आउटडोर खेल विधाएं हैं – एथलेटिक्स , तीरंदाजी, बैडमिंटन , बॉस्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी , खो–खो, टेनिस और वालीबॉल। इनडोर खेल विधाएं है– मुक्केबाजी, कुश्ती , टेबल टेनिस, भारोत्तोलन तथा मल्टीजिम का प्रावधान। तीन खेल प्रशिक्षक जिनमें से अधिमान्यतय एक महिला होगी, प्रत्येक एकीकृत खेल परिसर में उपलब्ध रहेंगे । इस स्कीम के अंतर्गत खेल उपकरणों और एक युवा संसाधन केंद्र के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। विशेषकर महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है । प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए प्रतिवर्ष प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी । इसके अलावा, विशेष श्रेणी खेलों अर्थात महिला प्रतियोगिता, पूर्वोत्तर क्षेत्र खेल और विशेष क्षेत्र खेलों के आयोजन के लिए भी निधियां मुहैया कराई जाएंगी ।

XII. **सीएसआर के कार्यक्रमों में खेलों को शामिल करना** : कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में नए कार्यकलापों को शामिल करने के लिए 27 फरवरी, 2014 को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नियमावली को अधिसूचित किया । कम्पनी अधिनियम,2013की अनुसूची VII में 'ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण'' शामिल किया गया है । सीएसआर कार्यक्रमों में खेलों को शामिल

किए जाने से देश में खेलों के विकास और संवर्द्धन को बढ़ावा मिलेगा और खेल क्षेत्र में अपेक्षित निधियां प्राप्त होंगी, जिनका विकास निधियों के अभाव में रूक गया था । युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में खेलों को शामिल करने के लिए लगातार कारपोरेट कार्य मंत्रालय से सम्पर्क बनाए हुए हैं । युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को अपने प्रयासों में सफलता मिली है क्योंकि कारपोरेट कार्य मंत्रालय सीएसआर कार्यक्रमों में खेलों को शामिल करने पर सहमत हो गया है ।

***

सत्यमेव जयते

अध्याय – 26

खेल विभाग
के लिए

आर एफ डी

(परिणाम–रूपरेखा दस्तावेज)
(2013–2014)

खंड 1:
विजन, मिशन, उद्देश्य एवं कार्य

विजन

सशक्त खेल संस्कृति सहित एक शारीरिक रूप से स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण हेतु खेल और खेल राष्ट्रों के बीच अग्रणी देश

मिशन

(i) 'सभी के लिए खेल' पर ध्यान देते हुए भारत में खेलों के विकास हेतु रूपरेखा प्रदान करना । (ii) भारत के युवाओं के बीच खेल प्रतिभा का पता लगाना एवं उसका पोषण करके खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना और ऐसी प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए विकसित करना । (iii) महिलाओं, विभिन्न रूप से सशक्त एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी की खेलों में सहभागिता को बढ़ावा । (iv) स्वायत्तशासी खेल निकायों की कार्यप्रणाली में सुशासन प्रक्रिया हेतु उपाय निर्धारित करना । (v) डोपरोधी उपायों, आयु संबंधी धोखाधड़ी रोकने के उपाय और खेलों में महिलाओं का यौन शोषण रोकने के माध्यम से खेलों में उच्च नैतिक मानदंड स्थापित करना । (vi) खिलाड़ियों के कल्याण का संवर्धन ।

उद्देश्य

1 केंद्र एवं राज्य सरकारों, सीबीएसई एवं स्कूल शिक्षा बोर्डों की सहभागिता से स्कूल पाठ्यक्रम में खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शामिल करना ।

2 स्वायत्तशासी खेल निकायों में पारदर्शिता एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढ़ाना ।

3 राज्य सरकारों की सभागिता से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 'सभी के लिए खेल' उपलब्ध कराना ।

4 खेलों में डोप रोधी उपायों पर विशेष ध्यान देना एवं अनैतिक प्रक्रियाओं पर रोक ।

5 प्रतिभा के आधार को बढ़ाना, विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण, कोचिंग शिविरों के माध्यम से प्रतिभा का पता लगाना एवं उसका पोषण और अपेक्षित खेल विज्ञान सहायता प्रदान करना तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहभागिता से विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन ।

कार्य

1 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल मैदानों का विकास, संरक्षण, सुरक्षा एवं संवर्धन

2 महिलाओं की भागीदारी सहित ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, सामुदायिक कोचों (क्रीड़ाश्री) का प्रशिक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी खेल अवसंरचना का सृजन के माध्यम से खेलों में प्रतिभागिता बढ़ाना

3 प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की गुणवत्ता एवं संख्या में बढ़ोत्तरी

4 फुटबाल/हॉकी सतह, एथलेटिक ट्रैक एवं बहुउद्देशीय हॉल, खिलाड़ी अकादमियों को सहायता एवं कोचिंग/प्रशिक्षण में सुधार प्रदान करके शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का सृजन

5 प्रमुख एथलीटों के लिए कोचिंग शिविर आयोजित करके, विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करके और आधुनिकतम वैज्ञानिक सहायता का विकास करके राष्ट्रीय टीमों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए तैयार करना

6 खेल विज्ञान और औषधि हेतु एक संस्थान स्थापित करना

7 निर्धारित अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचों की गुणवत्ता एवं संख्या में वृद्धि पर ध्यान देते हुए खेल कोचिंग की गुणवत्ता में सुधार

8 नकद पुरस्कार सहित पुरस्कारों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहन देना

9 डोप रोधी उपायों एवं डोप जांच को सुदृढ़ करना

10 विशेष पूर्वोत्तर खेलों, इस क्षेत्र में खेल अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार एवं खिलाड़ियों को खेल कोचिंग एवं सहायता के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के खिलाड़ियों का संवर्धन

11 स्वायत्तशासी खेल निकायों में पारदर्शिता, सुशासन एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढ़ाना ।

खंड 2:

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
[1] केंद्र एवं राज्य सरकारों, सीबीएसई एवं स्कूल शिक्षा बोर्डों की सहभागिता से स्कूल पाठ्यक्रम में खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शामिल करना ।	5.00	[1.1] स्कूलों/अन्य खेल मैदानों को पायका केंद्रों के रूप में विकसित करना	[1.1.1] 31.3.2013 तक संस्वीकृत स्कूलों/खेल मैदानों को पायका केंद्र के रूप में पूर्ण रूप से विकसित करना	संख्या	2.00	7500	6500	6000	5500	5000
		[1.2] शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का प्रशिक्षण	[1.2.1] एलएनयूपी, ग्वालियर और पूर्वोत्तर क्षेत्र परिसर, गुवाहाटी से पास बीपीएड एवं एमपीएड	संख्या	1.00	190	180	170	160	150
			[1.2.2] शारीरिक शिक्षा अध्यापक पुनः प्रशिक्षित	संख्या	1.00	240	200	180	160	150
			[1.2.3] एलएनयूपी, ग्वालियर के सम विश्वविद्यालय की स्थिति को बरकरार रखने की प्रक्रिया का समापन	दिनांक	1.00	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013

खंड 2:

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
[2] स्वायत्तशासी खेल निकायों में पारदर्शिता एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढ़ाना	5.00	[2.1] एनएसएफ द्वारा उनके संविधान/उप नियमों में राष्ट्रीय खेल विकास संहिता में दी गई आयु एवं कार्यकाल के दिशानिदेशों का पालन सुनिश्चित करना	[2.1.1] उनके संविधान/उप नियमों में आयु एवं कार्यकाल के दिशानिदेशों को अपनाए जाने वाले एनएसएफ की संख्या	संख्या	5.00	53	48	45	43	40
[3] राज्य सरकारों की सभागिता से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 'सभी के लिए खेल' उपलब्ध कराना ।	30.00	[3.1] पायका के अंतर्गत ग्रामीण प्रतियोगिताएं आयोजित कराना	[3.1.1] पायका के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में पुरूष प्रतिभागी	संख्या (लाख में)	4.00	20	17	15	12	10
		[3.2] सामुदायिक खेल स्वयंसेवकों (सीएसवी) को प्रशिक्षित करना	[3.2.1] पायका के अंतर्गत सीएसवी(क्रीड़ाश्री)	संख्या	2.00	5000	4500	4000	3500	3000
		[3.3] यूएसआईएस के अंतर्गत खेल अवसंरचना परियोजनाएं आरंभ करना (एथलेटिक ट्रैक, फुटबाल/हॉकी सतह और बहुउद्देशीय हॉल आदि)	[3.3.1] पहली किश्त जारी करना	परियोजनाओं की संख्या	3.00	8	7	6	5	4
			[3.3.2] पूर्ण परियोजनाएं	संख्या	1.50	4	3	2	1	1

खंड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		[3.4] खेलों में महिला प्रतिभागिता को प्रोत्साहन	[3.4.1] पायका के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में महिला प्रतिभागी	संख्या (लाख में)	4.00	8	7	6	5	4
			[3.4.2] पायका के अंतर्गत महिलाओं हेतु राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में महिला प्रतिभागी	संख्या	2.00	400000	380000	350000	300000	250000
			[3.4.3] साई केंद्रों में प्रशिक्षित आवासीय एवं गैर आवासीय महिला एथलीट	संख्या	2.00	3800	3700	3500	3200	3000
			[3.4.4] राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में महिला प्रशिक्षणार्थी	संख्या	2.00	1100	1000	900	800	700
		[3.5] पीडब्लयू के बीच खेल–कूद का संवर्धन	[3.5.1] पीडब्लयू के लिए खेल–कूद स्कीम के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता	संख्या	3.00	40000	35000	30000	25000	20000

खंड 2:

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
			3.5.2] पीडब्लयू के लिए खेल कूद स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित सामुदायिक कोच	संख्या	1.50	22500	20000	18000	15000	12000
			[3.5.3] अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता हेतु पीसीआई,एसओबी एवं एआईएससीडी से शिविर प्रशिक्षणार्थी	संख्या	1.50	500	450	400	350	300
		[3.6] पायका के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खेलकूद का संवर्धन	[3.6.1] पूर्वोत्तर खेलों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता	संख्या	1.50	25000	22000	20000	18000	16000
			[3.6.2] यूएसआईएस के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए पूर्ण खेल अवसंरचना परियोजना	संख्या	1.00	2	2	1	1	1
			[3.6.3] साई केंद्रों में प्रशिक्षित पूर्वोत्तर राज्यों के आवासीय एवं गैर आवासीय खिलाड़ी	संख्या	1.00	2300	2100	1900	1700	1500

खंड 2:

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
[4] राष्ट्रीय खेलों में डोप रोधी उपायों पर विशेष ध्यान देना एवं अनैतिक प्रक्रियाओं पर रोक ।	20.00	[4.1] नमूनों का संग्रह	[4.1.1] स्थानीय मूत्र	संख्या	4.00	4000	3500	3200	3000	2800
			[4.1.2] स्थानीय रक्त नमूने	संख्या	1.00	300	250	200	175	150
			[4.1.3] प्रतियोगी खिलाड़ियों का डाटाबेस रखना	दिनांक	1.00	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014
		[4.2] डोप टेस्ट करना	[4.2.1] मूत्र नमूनों की जांच	संख्या	4.00	5700	5500	5300	5100	4500
			[4.2.2] रक्त नमूनों की जांच	संख्या	2.00	300	250	200	175	150
		[4.3] डोप–रोधी जागरूकता कार्यक्रम	[4.3.1] खिलाड़ियों और कोचों के लिए सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन	संख्या	2.00	45	40	35	30	25
			[4.3.2] डोप–रोधी जागरूकता हैंडबुक के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन	दिनांक	2.00	31/01/2014	15/02/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014
		[4.4] शोध पत्रों का प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशन	[4.4.1] प्रकाशित शोध पत्र	संख्या	2.00	5	4	3	2	1
		[4.5] वाडा द्वारा प्रत्यायन का नवीनीकरण	[4.5.1] वाडा द्वारा एनडीटीएल का प्रत्यायन	दिनांक	2.00	31/12/2013	31/01/2014	15/02/2014	28/02/2014	15/03/2014

खंड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
[5] प्रतिभा के आधार को बढ़ाना, विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण, कोचिंग शिविरों के माध्यम से प्रतिभा का पता लगाना एवं उसका पोषण ओर अपेक्षित खेल विज्ञान सहायता प्रदान करना तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहभागिता से विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	25.00	[5.1] राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रतिभाओं को पहचानना एंव उनका पोषण करना	[5.1.1] प्रशिक्षित आवासीय खिलाड़ी	संख्या	4.00	7500	7000	6800	6500	6200
			[5.1.2] प्रशिक्षित गैर आवासीय खिलाड़ी	संख्या	4.00	7000	6800	6600	6400	6000
		[5.2] अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए राष्ट्रीय टीम की तैयारी हेतु राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन	[5.2.1] शिविर प्रशिक्षु	संख्या	4.00	3200	3000	2800	2700	2500
		[5.3] विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण प्रदान करना एवं आधुनिकतम वैज्ञानिक सहायता विकसित करना	[5.3.1] प्रमुख खिलाड़ी जिन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया	संख्या	2.00	25	22	20	18	16
			[5.3.2] एनएसडीएफ के अंतर्गत उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए खेल अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता हेतु अनुदान	संख्या	1.00	5	4	3	2	1
			[5.3.3] एनएसडीएफ को योगदान के लिए निगमित क्षेत्र से राशि एकत्रित करना	करोड़ रूपए में	2.00	10	8	7	6	5
		[5.4] खेल विज्ञान एवं औषधि में अनुसंधान एवं विकास के लिए एक संस्थान स्थापित करना	[5.4.1] मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	दिनांक	2.00	31/12/2013	31/01/2014	15/03/2014	28/02/2014	31/03/2014

खंड 2:

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		[5.5] निर्धारित अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचों की गुणवत्ता एवं संख्या में वृद्धि पर ध्यान देते हुए खेल कोचिंग की गुणवत्ता में सुधार	[5.5.1] उन्नत प्रशिक्षण के लिए विदेश में भेजे गए कोच	संख्या	1.00	40	35	30	25	20
			[5.5.2] साई कोचों के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा तैयार करना	दिनांक	2.00	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014
			[5.5.3] अनुबंधित विदेशी कोच	संख्या	1.00	25	23	20	18	15
			[5.5.4] एनआईएस पटियाला द्वारा खेल कोचिंग में डिप्लोमा प्रदान किए गए कोचों की संख्या	संख्या	1.00	415	400	375	350	325
		[5.6] खेल प्रतिभा का पता लगाना एवं उसका पोषण करने हेतु स्कीम तैयार करना	[5.6.1] ईएफसी दस्तावेज प्रस्तुत करना	दिनांक	2.00	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014
* आरएफगडी पद्धति का प्रभावी कार्यकरण	3.00	अनुमोदन हेतु आरएफडी मसौदा 2014–15 को समय से प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुतिकरण	दिनांक	2.00	05/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	11/03/2014
		2012–13 के परिणामों को समय से प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुतिकरण	दिनांक	1.0	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013

खंड 2:
मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक कार्यकुशलता/प्रत्युत्तर/पारदर्शिता/सेवा में सुधार	6.00	सीटीजन/क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2.00	100	95	90	85	80
		लोक शिकायत निवारण पद्धति के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2.00	100	95	90	85	80
		12वीं योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार विभागीय रणनीति का अद्यतन	रणनीति का समय से अद्यतन	दिनांक	2.00	10/09/2013	17/09/2013	24/09/2013	01/10/2013	08/10/2013
* प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए तर्कसंगत रणनीति का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन की प्रतिशतता	%	1.00	100	95	90	85	80
		अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ISO 9001 का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन की प्रतिशतता	%	2.00	100	95	90	85	80
		नई कार्य योजना (आईएपी) का कार्यान्वयन	प्राप्त की गई मुख्य उपलब्धियों की प्रतिशतता	%	2.00	100	95	90	85	80
		द्वितीय एआरसी की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग के मुख्य और अन्य कार्यकलापों की पहचान करना	समयोचित प्रस्तुति	दिनांक	1.00	01/10/2013	15/10/2013	30/10/2013	10/11/2013	20/11/2013

* अनिवार्य उद्देश्य

खंड 3:
सफलता के सूचकों के प्रवृति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य
[1] केंद्र एवं राज्य सरकारों, सीबीएसई एवं स्कूल शिक्षा बोर्डों की सहभागिता से स्कूल पाठ्यक्रम में खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शामिल करना ।	[1.1] स्कूलों/अन्य खेल मैदानों को पायका केंद्रों के रूप में विकसित करना	[1.1.1] 31.3.2013 तक संस्वीकृत स्कूलों/खेल मैदानों को पायका केंद्र के रूप में पूर्ण रूप से विकसित करना	संख्या	4821	8976	6500	6000	6000
	[1.2] शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का प्रशिक्षण	[1.2.1] एलएनयूपी, ग्वालियर और पूर्वोत्तर क्षेत्र परिसर, गुवाहाटी से पास बीपीएड एवं एमपीएड	संख्या	180	183	180	180	180
		[1.2.2] शारीरिक शिक्षा अध्यापक पुनः प्रशिक्षित	संख्या	200	162	200	200	200
		[1.2.3] एलएनयूपी, ग्वालियर के सम विश्वविद्यालय की स्थिति को बरकरार रखने की प्रक्रिया का समापन	तारीख	..	..	30/09/2013	..	..
[2] स्वायत्तशासी खेल निकायों में पारदर्शिता एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढ़ाना	[2.1] एनएसएफ द्वारा उनके संविधान/उप नियमों में राष्ट्रीय खेल विकास संहिता में दी गई आयु एवं कार्यकाल के दिशानिदेशों का पालन सुनिश्चित करना	[2.1.1] उनके संविधान/उप नियमों में आयु एवं कार्यकाल के दिशानिदेशों को अपनाए जाने वाले एनएसएफ की संख्या	संख्या	..	..	48	53	53

खंड 3:
सफलता के सूचकों के प्रवृति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य
[3] राज्य सरकारों की सभागिता से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 'सभी के लिए खेल' उपलब्ध कराना ।	[3.1] पायका के अंतर्गत ग्रामीण प्रतियोगिताएं आयोजित कराना	[3.1.1, पायका के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में पुरूष प्रतिभागी	संख्या (लाख में)	16.42	20	17	17	17
	[3.2] सामुदायिक खेल स्वयंसेवकों (सीएसवी) को प्रशिक्षित करना	3.2.1, पायका के अंतर्गत सीएसवी(क्रीड़ाश्री)	संख्या	6212	3139	4500	5000	5000
	3.3] यूएसआईएस के अंतर्गत खेल अवसंरचना परियोजनाएं आरंभ करना (एथलेटिक ट्रैक, फुटबाल/हॉकी सतह और बहुउद्देशीय हॉल आदि)	[3.3.1, पहली किश्त जारी करना	परियोजना की संख्या	11	10	7	7	7
		[3.3.2] पूर्ण परियोजनाएं	संख्या	0	0	3	2	3
	[3.4] खेलों में महिला प्रतिभागिता को प्रोत्साहन	[3.4.1, पायका के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में महिला प्रतिभागी	संख्या (लाख में)	12.09	17.13	17	17	17
		3.4.2] पायका के अंतर्गत महिलाओं हेतु राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में महिला प्रतिभागी	संख्या	386599	380972	380000	380000	380000

खंड 3:
सफलता के सूचकों के प्रवृति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य
		[3.4.3] साई केंद्रों में प्रशिक्षित आवासीय एवं गैर आवासीय महिला एथलीट	संख्या	4186	3809	3700	3700	3700
		[3.4.4] राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में महिला प्रशिक्षणार्थी	संख्या	1250	1300	1000	1300	1000
	[3.5] पीडब्लयू के बीच खेल–कूद का संवर्धन	[3.5.1] पीडब्लयू के लिए खेल–कूद स्कीम के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता	संख्या	38651	41513	35000	35000	35000
		[3.5.2] पीडब्लयू के लिए खेल–कूद स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित सामुदायिक कोच	संख्या	13780	19960	20000	20000	20000
		[3.5.3] अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता हेतु पीसीआई,एसओबी एवं एआईएससीडी से शिविर प्रशिक्षणार्थी	संख्या	395	890	450	700	450

खंड 3:
सफलता के सूचकों के प्रवृति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य
	[3.6] पायका के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खेल–कूद का संवर्धन	[3.6.1, पूर्वोत्तर खेलों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता	संख्या	16632	20000	22000	20000	20000
		[3.6.2] यूएसआईएस के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए पूर्ण खेल अवसंरचना परियोजना	संख्या	0	0	2	1	1
		[3.6.3] साई केंद्रों में प्रशिक्षित पूर्वोत्तर राज्यों के आवासीय एवं गैर आवासीय खिलाड़ी	संख्या	2285	2213	2100	2100	2100
[4] राष्ट्रीय खेलों में डोप रोधी उपायों पर विशेष ध्यान देना एवं अनैतिक प्रक्रियाओं पर रोक ।	[4.1] नमूनों का संग्रह	[4.1.1] स्थानीय मूत्र नमूने	संख्या	3752	4117	3500	4000	4000
		[4.1.2] स्थानीय रक्त नमूने	संख्या	203	318	250	250	250
		[4.1.3] प्रतियोगी खिलाडियों का डाटाबेस रखना	तारीख	..	..	31/12/2013	..	..
	[4.2] डोप टेस्ट करना	[4.2.1, मूत्र नमूनों की जांच	संख्या	5166	6391	5500	5500	5500
		[4.2.2] रक्त नमूनों की जांच	संख्या	203	314	250	250	250
	[4.3] डोप–रोधी जागरूकता कार्यक्रम	[4.3.1 खिलाड़ियों और कोचों के लिए सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन	संख्या	40	35	40	40	40

खंड 3:
सफलता के सूचकों के प्रवृति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य
		[4.3.2] डोप–रोधी जागरूकता हैंडबुक के द्वितीय संस्करण का	तारीख	..	..	15/02/2014	..	..
	[4.4] शोध पत्रों का प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशन	[4.4.1] प्रकाशित शोध पत्र	संख्या	5	9	4	5	5
	[4.5] वाडा द्वारा प्रत्यायन का नवीनीकरण	[4.5.1] वाडा द्वारा एनडीटीएल का प्रत्यायन	तारीख	31/12/2011	31/12/2012	31/01/2014	31/01/2015	31/01/2016
[5] प्रतिभा के आधार को बढ़ाना, विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण, कोचिंग शिविरों के माध्यम से प्रतिभा का पता लगाना एवं उसका पोषण ओर अपेक्षित खेल विज्ञान सहायता प्रदान करना तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहभागिता से विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	[5.1] राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रतिभाओं को पहचानना एंव उनका पोषण करना	[5.1.1] प्रशिक्षित आवासीय खिलाड़ी	संख्या	8552	7479	7000	7000	7000
		[5.1.2] प्रशिक्षित गैर आवासीय खिलाड़ी	संख्या	7110	5374	6800	6800	6800
	[5.2] अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए राष्ट्रीय टीम की तैयारी हेतु राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन	[5.2.1] शिविर प्रशिक्षु	संख्या	3000	4000	3000	4000	3500

खंड 3:
सफलता के सूचकों के प्रवृति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य
	[5.3] विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण प्रदान करना एवं आधुनिकतम वैज्ञानिक सहायता विकसित करना	[5.3.1] प्रमुख खिलाड़ी जिन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया	संख्या	30	29	22	25	25
		[5.3.2] एनएसडीएफ के अंतर्गत उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए खेल अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता हेतु अनुदान	संख्या	2	2	4	4	4
		[5.3.3] एनएसडीएफ को योगदान के लिए निगमित क्षेत्र से राशि एकत्रित करना	रूपए (करोड़ में)	10	10	8	8	8
	[5.4] खेल विज्ञान एवं औषधि में अनुसंधान एवं विकास के लिए एक संस्थान स्थापित करना	[5.4.1] मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	..	..	31/01/2014	..	..
	[5.5] निर्धारित अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचों की गुणवत्ता एवं संख्या में वृद्धि पर ध्यान देते हुए खेल कोचिंग की गुणवत्ता में सुधार	[5.5.1] उन्नत प्रशिक्षण के लिए विदेश में भेजे गए कोच	संख्या	..	..	35	..	..
		[5.5.2] साई कोचों के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा तैयार करना	तारीख	..	..	31/12/2013	..	..

खंड 3:
सफलता के सूचकों के प्रवृति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य
		[5.5.3] अनुबंधित विदेशी कोच	संख्या	21	28	23	23	23
		[5.5.4] एनआईएस पटियाला द्वारा खेल कोचिंग में डिप्लोमा प्रदान किए गए कोचों की संख्या	संख्या	424	421	400	400	400
	[5.6] खेल प्रतिभा का पता लगाना एवं उसका पोषण करने हेतु स्कीम तैयार करना	[5.6.1] ईएफसी दस्तावेज प्रस्तुत करना	तारीख	..	..	31/10/2013	..	..
* आरएफडी पद्धति का प्रभावी कार्यकरण	अनुमोदन हेतु आरएफडी मसौदा 2014–15 को समय से प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुतिकरण	तारीख	..	..	06/03/2014	..	..
	2012–13 के परिणामों को समय से प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुतिकरण	तारीख	..	..	02/05/2014	..	..
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक कार्यकुशलता/प्रत्युत्तर/पारदर्शिता/सेवा में सुधार	सीटीजन/क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	..	..	95	..	..
	लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	..	..	95	..	..
	12वीं योजना की प्राथमिकताओं को शामिल करते हुए विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना	कार्यनीति को समय पर अद्यतन करना	तिथि	..	..	17/09/2013	..	..

खंड 3:
सफलता के सूचकों के प्रवृति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता का सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य
* प्रशासनिक सुधार	भ्रष्टाचार के संभाव्य जोखिम को कम करने के लिए न्यूनकरणी कार्यनीतियों को कार्यान्वयन करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	:	..	..	95	..	..
	अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ISO 9001 को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	..	..	95	..	..
	नवीकरण कार्य योजना (आईएपी) को कार्यान्वित करना	प्राप्त उपलब्धियों का प्रतिशत	%	..	..	95	..	..
	द्वितीय एआरसी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग के मुख्य और अन्य कार्यकलापों की पहचान	समय पर प्रस्तुत	तिथि	..	..	15/10/2013	..	..

* अनिवार्य उद्देश्य

खंड 4:
संक्षिप्ताक्षर

क्र. सं.	संक्षिप्ताक्षर	विवरण
1	एबीएससी	सेना बाल खेल कंपनी
2	एआईएससीडी	बधिरों के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद
3	बी.पी.एड	शारीरिक शिक्षा स्नातक
4	सीएसवी	समुदाय खेल सवयंसेवक
5	सीडब्लयूजी	राष्ट्रमंडल खेल
6	ईएफसी	व्यय वित्त समिति
7	आईओए	भारतीय ओलंपिक संघ
8	आईओसी	अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति
9	एलएनयूपीई	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय
10	एलटीडीपी	दीर्घावधि विकास योजना
11	एमआईएस	सूचना प्रबंधन तंत्र
12	एमओयू	समझौता ज्ञापन
13	नाडा	राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी
14	एनडीटीएल	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला
15	एनई	पूर्वोत्तर
16	एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
17	एनआईएस	राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला
18	एनआईएसएसएसएम	राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान
19	एनपीएफएआई	भारतीय राष्ट्रीय खेल मैदान संघ
20	एनएसडीएफ	राष्ट्रीय खेल विकास निधि
21	एनएसएफ	राष्ट्रीय खेल परिसंघ

खंड 4:
संक्षिप्ताक्षर

क्र. सं.	संक्षिप्ताक्षर	विवरण
22	एनएसटीसी	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता
23	पीसीआई	भारतीय पैरालंपिक समिति
24	पीईटी	शारीरिक शिक्षा अध्यापक
25	पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
26	पीडब्लयूडी	निःशक्त व्यक्ति
27	पायका	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान
28	एसएजी	विशेष क्षेत्र खेल
29	साई	भारतीय खेल प्राधिकरण
30	एसओबी	विशेष ओलंपिक भारत
31	एसटीसी	भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र
32	टीएसटी	प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण
33	यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
34	यूएसआईएस	शहरी खेल अवसंरचना स्कीम
35	वाडा	विश्व डोप रोधी एजेंसी

खंड 4:

सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
1	[1.1.1] दिनांक 31.3.2013 तक पायका केंद्रों के रूप में विकसित किए जाने के लिए संस्वीकृत स्कूल/अन्य मैदानों का पूरा करना	पायका स्कीम में यह व्यवस्था की गई है कि देश में सभी पंचायतों/और ब्लाक पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से बुनियादी खेल सुविधाओं का सृजन/विकास किया जाए ।	विद्यालय/अन्य खेल के मैदानों को ऐसे सुविधा सम्पन्न खेल के मैदानों के रूप में विकसित किया जाता है जिनहें पायका स्कीम के अंतर्गत पायका केंद्रों के नाम से भी जाना जाता है ।	ग्राम और ब्लाक पंचायतों में विकसित किए गए विद्यालयों/अन्य खेल के मैदानों की संख्या	विद्यालय समय के पश्चात पायका केंद्रों के रूप में विकसित सुविधा सम्पन्न खेल के मैदानों को ग्राम पंचायत और ब्लाक पंचायत की आम जनता के लिए खोल दिया जाता है ।
2	[1.2.1] लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर और पूर्वोत्तर कैम्पस गुवाहाटी से उत्तीर्ण बीपीएड और एमपीएड छात्र	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर चार वर्षीय बीपीएड और दो वर्षीय एमपीएड पाठ्यक्रम संचालित करता है । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर का गुवाहाटी पूर्वोत्तर स्थित कैम्पस चार वर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम संचालित करता है । बीपीएड और एमपीएड डिग्रीधारियों को विद्यालय,कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षक और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर और इसके पूर्वोत्तर कैम्पस, गुवाहाटी से उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षा स्नातक और शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर और इसके गुवाहाटी स्थित पूर्वोत्तर कैम्पस से बीपीएड और एमपीएड उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अलावा देश में अन्य विश्वविद्यालय भी बीपीएड और एमपीएड की डिग्रियां उपलब्ध करा रहे हैं ।
3	[1.2.2] शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को पुनः प्रशिक्षित करना	विद्यमान शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम पद्धतियों और तकनीकों से परिचित कराने की आवश्यकता है ।	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर में संचालित किए जाने वाले 2 सप्ताह के पुनश्चर्या कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का प्रशिक्षण	पुनश्चर्या कार्यक्रम में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की संख्या	

खंड 4:

सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
4	[1.2.3] लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को बनाए रखने संबंधी प्रक्रिया पूरी करना	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर वर्तमान में सम विश्वविद्यालय है । सम विश्वविद्यालय के दर्जे को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी कुछ दिशा–निर्देशों को पूरा करना आवश्यक है । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर दर्जे को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रक्रिया में है ।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए प्राधिकृत है । जब कोई संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निहित पात्रताओं को पूरा कर लेता है तो वह सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है ।	जिस तारीख तक लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर अपने सम विश्वविद्यालय के दर्जे को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर लेगा ।	
5	[2.1.1] उन राष्ट्रीय खेल परिसंघों की संख्या जो अपने संविधान/उप विधियों में आयु और कार्यकाल संबंधी दिशानिर्देशों को सम्मिलित कर रही है ।	राष्ट्रीय खेल परिसंघ देश भर में विशिष्ट खेल विधाओं के संवर्धन और विकास के लिए उत्तरदायी है । राष्ट्रीय खेल परिसंघ महिला और पुरूष खिलाड़ियों के लिए सीनियर, जूनियर और सब जूनियर श्रेणियों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के चयन के लिए उत्तरदायी है । अतः यह आवश्यक है कि वे व्यावसायिक तरीके से कार्य करें और अपने उत्तरदायित्वों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से निभाएं । युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने आयु और कार्यकाल संबंधी सीमाएं निर्धारित की हैं जिनका अनुपालन राष्ट्रीय खेल परिसंघों को अपने पदाधिकारियों अर्थात अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के चुनाव में करना आवश्यक है । इसका उद्देश्य खेल निकायों में सुशासन को बढ़ावा देना है ।	राष्ट्रीय खेल परिसंघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वायत्त निकाय हैं जिनका उद्देश्य देश में संबंधित खेल विधा का संवर्धन और विकास करना है ।	राष्ट्रीय खेल परिसंघ की संख्या जो अपने संविधान/उप विधि में संशोधन कर आयु और कार्यकाल संबंधी सीमाएं अपना रहे हैं ।	

खंड 4:
सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
6	[3.1.1] पायका के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले पुरूष खिलाड़ी	मंत्रालय प्रत्येक वर्ष ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ।	पायका स्कीम के अंतर्गत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं । इन खेल प्रतियोगिताओं में पुरूष और महिला खिलाड़ी दोनों ही भाग लेते हैं ।	इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले ग्रामीण युवाओं (पुरूषों) की संख्या	इन खेलों में पहचानी गई प्रतिभाओं को उनके प्रशिक्षण और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार करने हेतु भाखेप्रा की स्कीमों के तहत निखारा और पोषित किया जाता है ।
7	[3.2.1] पायका के अंतर्गत प्रशिक्षित समुदाय खेल स्वयंसेवक (क्रीड़ाश्री)	समुदाय खेल स्वयंसेवकों (क्रीड़ाश्रियों) को पायका स्कीम के तहत पहचानी गई 20 खेल विधाओं के बुनियादी नियमों और विनियमों से परिचित कराने के लिए यह आवश्यक है कि समुदाय खेल स्वयंसेवकों (क्रीड़ाश्रियों) को मूलभूत बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाए । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा शारीरिक संस्थान, ग्वालियर में प्रतिवर्ष लगभग 600 मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है । मुख्य प्रशिक्षक समुदाय खेल स्वयंसेवकों (क्रीड़ाश्रियों) को उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देते हैं ।	समुदाय खेल स्वयंसेवक वे खेल स्वयंसेवक हैं जो ग्राम और ब्लॉक पंचायतों में पायका केंद्रों के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं ।	उन समुदाय खेल स्वयंसेवकों (क्रीड़ाश्रियों) की संख्या जिन्हें वर्ष में प्रशिक्षण दिया गया है ।	समुदाय खेल स्वयंसेवक (क्रीड़ाश्री) यथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक, भूतपूर्व खिलाड़ियों का चयन ग्राम पंचायतों से किया जाता है । ग्राम और ब्लाक पंचायत स्तर पर क्रीड़ीश्रियों को क्रमशः 500 और 1000/–रू. का मानदेय दिया जाता है ।
8	[3.3.1] पहली किश्त जारी करना	शहरी क्षेत्रों में खेल अवसंरचना के सृजन और विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 2010–11 में आरंभ की गई शहरी खेल अवसंरचना योजना के अंतर्गत एथलेटिक ट्रैक, फुटबाल/हाकी टर्फ जैसे खेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 6 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है वित्तीय अनुदान किश्तों में जारी किया जाता है ।	एथलेटिक ट्रैक, फुटबाल/हॉकी टर्फ और बहुउद्देशीय हॉल में मूलभूत खेल सुविधाएं हैं जो शहरी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है ।	स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए अनुमोदित खेल अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या और अनुदान की जारी पहली किश्त ।	शहरी खेल अवसंरचना स्कीम को प्रायोगिक आधार पर वर्ष 2010–11 में आरंभ किया गया था जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक पूर्ण विकसित स्कीम के रूप में चलाया गया था ।

खंड 4:
सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
9	[3.3.2] पूरी की गई परियोजनाएं	योजना अवधि के अनुसार परियोजनाओं को एक समयबद्ध रूप में पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि आम जनता द्वारा सामान्य और खिलाड़ियों द्वारा विशिष्ट तौर पर उनका भरपूर उपयोग किया जा सके जिसके लिए अनुदान जारी किया गया था ।	एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल/हॉकी टर्फ, बहुउद्देशीय हॉल जैसी खेल अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा किया गया जिसके लिए मंत्रालय ने वित्तीय सहायता दी है ।	एक वर्ष में पूरी की गए खेल अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	
10	[3.4.1] पायका के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी	मंत्रालय प्रत्येक वर्ष महिला, पुरूष खिलाड़ियों के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देता है ।	पायका स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है । इन खेल प्रतियोगिताओं में पुरूष और महिला खिलाड़ी दोनो ही भाग लेते हैं ।	इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले ग्रामीण युवा (महिला) की संख्या	इन खेलों में पहचानी गई प्रतिभाओं को उनके प्रशिक्षण और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार करने हेतु भाखेप्रा की स्कीमों के अंतर्गत निखारा और पोषित किया जाता है ।
11	[3.4.2] पायका के तहत राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में महिला खिलाड़ी	पायका स्कीम के तहत विशेष तौर पर महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित की जाती है । मंत्रालय, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देता है ।	राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप के अंतर्गत जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशिष्ट खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं	राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप के तहत एक वर्ष में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या	राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप विशेष तौर पर महिलाओं के लिए हैं । मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन महिलाओं के संवर्धन और विकास के लिए किया जाता है ।

खंड 4:
सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
12	[3.4.3] भाखेप्रा केंद्रों में प्रशिक्षित रिहायशी और गैर–रिहायशी महिला खिलाड़ी	भाखेप्रा की विभिन्न स्कीमों के तहत प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और उनका पोषण करने के साथ–साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए तैयार करने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है । भाखेप्रा केंद्रों में महिलाओं के लिए हॉस्टल भी हैं । महिला खिलाड़ियों का प्रशिक्षण रिहायशी के साथ–साथ गैर रिहायशी आधार पर भी है ।	महिला खिलाड़ियों को देश भर में फैले भाखेप्रा केंद्रों में भाखेप्रा की विभिन्न स्कीमों के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है ।		
13	[3.4.4] राष्ट्रीय कोचिंग कैंपों में महिला प्रशिक्षु	राष्ट्रीय खेल परिसंघों से परामर्श कर भाखेप्रा और गैर भाखेप्रा केंद्रों में प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैंलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए जाते हैं ।	राष्ट्रीय खेल परिसंघों से परामर्श कर भाखेप्रा और गैर भाखेप्रा केंद्रों में प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैंलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए जाते हैं ।	एक वर्ष में आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग कैंपों में महिला प्रशिक्षुओं की संख्या	
14	[3.5.1] निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद स्कीम के तहत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी	मंत्रालय ने वर्ष 2009 से निःशक्तजनों में खेल–कूद को बढ़ावा देने की स्कीम आरंभ की है । इस योजना का उद्देश्य निःशक्तजनों में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों को विस्तृत आधार देना है । निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद की योजना के तीन घटक हैं:– (क) खेल कोचिंग और विद्यालयों के लिए उपभोज्य और अनुपभोज्य खेल उपसकरों के लिए अनुदान (ख) समुदाय कोचों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान (ग) निःशक्तजनों के लिए जिला,राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन के लिए अनुदान ।	निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद स्कीम के तहत निःशक्तजनों के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है ।	इस स्कीम के अंतर्गत एक वर्ष में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले निःशक्तजनों की संख्या	यह स्कीम प्रायोगिक आधार पर 5 वर्षों की अवधि के लिए चलाई जा रही है ।

खंड 4:
सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
15	[3.5.2] निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद योजना के तहत प्रशिक्षित समुदाय कोच	मंत्रालय ने वर्ष 2009 से निःशक्तजनों में खेल–कूद को बढ़ावा देने की स्कीम आरंभ की है । इस योजना का उद्देश्य निःशक्तजनों में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों को विस्तृत आधार देना है । निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद की योजना के तीन घटक हैं:– (क) खेल कोचिंग और विद्यालयों के लिए उपभोज्य और अनुपभोज्य खेल उपसकरों के लिए अनुदान (ख) समुदाय कोचों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान (ग) निःशक्तजनों के लिए जिला,राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन के लिए अनुदान ।	निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद स्कीम के तहत समुदाय कोचों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।	एक वर्ष में इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित समुदाय कोच की संख्या	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय,, ग्वालियर के लगभग 500 मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है । मुख्य प्रशिक्षक अपने संबंधित राज्य में 50 समुदाय कोचों को प्रशिक्षण देता है ।
16	[3.5.3] अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए पीसीआई, एसओबी और एआईएससीडी में कैंप प्रशिक्षु	राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के गहन प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कोचिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं । ये कैंप पीसीआई, सीओबी और एआईएससीडी से परामर्श कर भाखेप्रा और गैर भाखेप्रा केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं	पीसीआई, एसओबी और एआईएससीडी से संबंधित राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पहले उनके लिए राष्ट्रीय कोचिंग कैंप आयोजित किए जाते है	पीसीआई, एसओबी और एआईएससीडी से संबंधित राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए एक वर्ष में आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग कैंप में प्रशिक्षुओं की संख्या	
17	[3.6.1] पूर्वोत्तरक्षेत्रों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी	जिला स्तरीय खेल संबंधित राज्यों द्वारा आयोजित किए जाते हैं । सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्य स्तरीय खेल किसी एक इच्छुक राज्य द्वारा आयोजित किए जाते हैं जिसका चयन चक्रानुक्रम आधार पर किया जाता है । पूर्वोत्तर खेलों के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिए जाते हैं ।	पूर्वोत्तर खेलों के लिए विशेष तौर पर जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है ।	पूर्वोत्तर खेलों के तहत एक वर्ष में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले युवाओं (महिला पुरुष दोनों की संख्या)	

खंड 4:
सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
18	[3.6.2] यूएसआईएस के तहत पूर्वोत्तरराज्यों के लिए पूरी की गई खेल अवसंरचना परियोजनाएं	योजना के विकास की अवधि के अनुसार एथलेटिक ट्रेक, फुटबाल/हाकी ट्रैक और बहुउद्देशीय हॉल जैसी अवसंरचना परियोजनाओं को एक समयबद्ध ढंग से पूरा करना आवश्यक है ताकि उनका भरपूर उपयोग किया जा सके जिसके लिए मंत्रालय द्वारा अनुदान जारी किया गया है ।	पूर्वोत्तर राज्यों के शहरी क्षेत्रों में यूएसआईएस के तहत एथलेटिक ट्रैक,फुटबाल/हाकी टर्फ और बहुउद्देशीय हॉल जैसी शहरी अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की गई हैं ।	पूर्वोत्तर राज्यों के शहरी क्षेत्रों में यूएसआईएस के तहत एक वर्ष में एथलेटिक ट्रैक,फुटबाल/हाकी टर्फ और बहुउद्देशीय हॉल जैसी पूरी की शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	
19	[3.6.3] भाखेप्रा केंद्रों में प्रशिक्षित पूर्वोत्तरराज्यों के रिहायशी और गैर रिहायशी खिलाड़ी	भाखेप्रा की विभिन्न संवर्धन स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए तैयार करने हेतु उनका पोषण किया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है ।	पूर्वोत्तर राज्यों के पहचाने गए प्रतिभावान खिलाड़ियों को भाखेप्रा केंद्रों में प्रशिक्षण।	एक वर्ष में पूर्वोत्तर राज्यों के रिहायशी और गैर रिहायशी आधार पर प्रशिक्षित खिलाड़ियों की संख्या	
20	[4.1.1] घरेलू मूत्र नमूने	राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) देश भर में खेलों में सभी रूपों में डोप नियंत्रण कार्यक्रम के संवर्धन, समन्वय और इसकी निगरानी के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठन है । नाडा खेल प्रतियोगिताओं या कोचिंग कैंपों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के मूत्र नमूनों का संग्रह करती है ।	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जांच करने के लिए नाडा द्वारा इकट्ठे किए गए मूत्र नमूनों की संख्या	नाडा द्वारा एक वर्ष में एकत्र किए गए मूत्र नमूनों की संख्या	
21	[4.1.2] घरेलू रक्त नमूने	राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) देश भर में खेलों में सभी रूपों में डोप नियंत्रण कार्यक्रम के संवर्धन, समन्वय और इसकी निगरानी के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठन है । नाडा खेल प्रतियोगिताओं या कोचिंग कैंपों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रक्त नमूनों का संग्रह करती है ।	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जांच करने के लिए नाडा द्वारा इकट्ठे किए गए रक्त नमूनों की संख्या	नाडा द्वारा एक वर्ष में एकत्र किए गए रक्त नमूनों की संख्या	

खंड 4:
सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
22	[4.1.3] प्रतियोगी खिलाड़ियों के डाटाबेस का सृजन	नाडा उन सभी खिलाड़ियों का एक डाटाबेस बनाएगा जो नाडा के डोप रोधी नियमों की सीमा में होंगे	नाडा देश की डोप रोधी एजेंसी है ।	वह तारीख जब तक डाटाबेस का सृजन एवं विकास किया जाएगा ।	
23	[4.2.1] जांचे गए मूत्र नमूने	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) नाडा और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्रात्र मूत्र और रक्त नमूनों के परीक्षण के लिए उत्तरदायी है । राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वाडा द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला है ।	नाडा से प्राप्त मूत्र नमूनों की जांच राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या खिलाड़ियों ने निषिद्ध पदार्थों का सेवन किया है अथवा नहीं ।	एनडीटीएल द्वारा एक वर्ष में जांचे गए मूत्र नमूनों की संख्या	
24	[4.2.2] जांचे गए रक्त नमूनें	एनडीटीएल वाडा द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला है जो नाडा और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्रात्र रक्त और मूत्र नमूनों के परीक्षण के लिए उत्तरदायी है ।	एनडीटीएल द्वारा रक्त नमूनों की जांच यह पता लगाने के लिए की जाती है कि क्या खिलाड़ियों ने निषिद्ध पदार्थों का सेवन किया है अथवा नहीं ।	नाडा द्वारा एक वर्ष में जांचे गए रक्त नमूनों की संख्या	
25	[4.3.1] खिलाड़ियों और कोचों के लिए सेमीनार और कार्यशालाओं का आयोजन	नाडा डोपिंग के दुष्प्रभावों और निषिद्ध पदार्थों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए सेमीमार आयोजित करता है और अपने अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों को प्रतिनियुक्त करता है ।	निषिद्ध पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति खिलाड़ियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नाडा द्वारा सेमीनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ।	नाडा द्वारा एक वर्ष में आयोजित सेमीनारों और कार्यशालाओं की संख्या	
26	[4.3.2] डोप रोधी जागरूकता पुस्तिका के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन	नाडा के शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम के भाग के रूप में नाडा का यह उत्तरदायित्व है कि कोचों और एथलीटों को डोप रोधी नियमों, निषिद्ध पदार्थों की सूची और उनके दुष्प्रभावों तथा निषिद्ध पदार्थ का सेवन करते हुए पकड़े गए खिलाड़ियों पर लगाई गई शास्तियों के संबंध में जागरूक करें । पुस्तिका के प्रकाशन का उद्देश्य डोप रोधी नियमों के विषय में जागरूकता फैलाना है ।	डोप रोधी जागरूकता पुस्तिका में डोप रोधी नियम, निषिद्ध पदार्थों की सूची और उनके दुष्प्रभाव तथा निषिद्ध पदार्थ का सेवन करते हुए पकड़े गए खिलाड़ियों पर लगाई गई शास्तियों का विवरण है ।	वह तारीख जब तक पुस्तिका प्रकाशित कर खिलाड़ियों, कोचों और राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भाखेप्रा कार्मिकों में वितरित कर दी जाएगी ।	

खंड 4:

सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
27	[4.4.1] अनुसंधान लेखों का प्रकाशन	एनडीटीएल एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है और अनुसंधान लेखों का प्रकाशन इसके नियत कार्यों का भाग है ।	निषिद्ध पदार्थों का पता लगाने पर अनुसंधान लेख ताकि डोप पदार्थों के जॉच क्षेत्र में अपडेट और आगे रहें ।	एक वर्ष में एनडीटीएल द्वारा प्रकाशित अनुसंधान लेखों की संख्या	
28	[4.5.1] वाडा द्वारा एनडीटीएल का प्रत्यायन	वाडा ने मूत्र और रक्त के नमूनों की जॉच के लिए सितम्बर, 2008 में एनडीटीएल का प्रत्यायन किया । प्रत्येक वर्ष प्रत्यायन का नवीकरण करना आवश्यक है ।	वाडा विश्व की डोप रोधी एजेंसी प्रत्यायन देती है और केवल उन डोप जॉच प्रयोगशालाओं के प्रत्यापन का नवीकरण करती है जो इसके द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं ।	जिस तिथि से वाडा द्वारा एनडीटीएल के प्रत्यायन का नवीकरण किया जाएगा ।	
29	[5.1.1] रिहायशी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया	विभिन्न भाखेप्रा योजनाओं जैसे एनएसटीसी, एबीएससी, एसटीसी, एसएजी और सीओई के तहत युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भागीदारी लेने हेतु उन्हें तैयार करने के लिए पोषित और प्रशिक्षित किया जाता है ।	विभिन्न भाखेप्रा योजनाओं के तहत युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने हेतु उन्हें तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है । भाखेप्रा केंद्रों के भी छात्रावास हैं ।	वर्ष के दौरान, भाखेप्रा छात्रावासों में रह रहे प्रशिक्षित खिलाड़ियों की संख्या	
30	[5.1.2] गैर रिहायशी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया	विभिन्न भाखेप्रा योजनाओं जैसे एनएसटीसी, एबीएससी, एसटीसी, एसएजी और सीओई के तहत युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भागीदारी लेने हेतु उन्हें तैयार करने के लिए पोषित और प्रशिक्षित किया जाता है ।	विभिन्न भाखेप्रा योजनाओं के तहत युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और रिहायशी तथा गैर–रिहायशी दोनों आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है ।	भाखेप्रा केंद्रों पर वर्ष के दौरान प्रशिक्षित खिलाड़ियों (गैर– रिहायशी) की संख्या	

खंड 4:
सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
31	[5.2.1] शिविर प्रशिक्षु	अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने से पहले राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों के लिए सकेंद्रित प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोचिंग शिविरों का आयोजन किया जाता है । राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से प्रशिक्षण और वार्षिक कैलेंडर के अनुसार भाखेप्रा और गैर–भाखेप्रा दोनों स्थानों पर कोचिंग शिविरों का आयोजन किया जाता है ।	अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने से पहले राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों के लिए सकेंद्रित प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोचिंग शिविरों का आयोजन किया जाता है ।	वर्ष के दौरान आयोजित किए गए राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में शिविर प्रशिक्षुओं की संख्या	
32	[5.3.1] उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अनुकूल प्रशिक्षण दिया गया	उत्कृष्ट खिलाड़ियों (मुख्य खेल स्पर्धाओं जैसे ओलंपिक खेलों, एशियन खेलों और विश्व चैम्पियनशिपों में पदक संभाव्य) को राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्कीम के तहत वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से अनुकूल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।	मेगा खेल स्पर्धाओं जैसे ओलंपिक खेलो, एशियन खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व चैम्पियनशिपों में पदक संभावितों को उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	अनुकूल प्रशिक्षण के लिए एनएसडीएफ से सहायता प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों (देश और विदेश में) की संख्या	
33	[5.3.2] उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए एनएसडीएफ के तहत खेल अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता के लिए अनुदान	खेलों के संवर्धन में व्यस्त प्रसिद्ध संगठनों/संस्थानों को विशिष्ट परियोजनाओं जैसे अवसंरचना का सृजन, अत्याधुनिक उपस्करों के प्रबंध आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि क्षेत्र की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इन परियोजनाओं से उत्पन्न लाभ को प्राप्त कर सके।	प्रसिद्ध संस्थानों और खेल अकादमियों को खेल अवसंरचना परियोजनाओं और खेल उपस्करों के लिए एनएसडीएफ के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।	वर्ष के दौरान खेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एनएसडीएफ से वित्तीय सहायता प्राप्त प्रसिद्ध संगठनों/संस्थानों की संख्या	

खंड 4:
सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
34	[5.3.3] एनएसडीएफ में अभिदाय के लिए निगम क्षेत्र से निधियां जुटाई गई।	एनएसडीएफ में अभिदाय निगम कर से 100 प्रतिशत छूट देता है । सरकार एनएसडीएफ में समरूप अभिदाय देती है । ये निधि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अनुकूल प्रशिक्षण देने के लिए और देश में खेलों के संवर्धन और विकास के लिए खेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध संगठनों /संस्थानों को सहायता देने हेतु उपयोग की जाती है ।	एनएसडीएफ देश में खेलों के संवर्धन के लिए निजी/निगम क्षेत्र और प्रवासी भारतीयों सहित सरकारी और गैर–सरकारी साधनों से संसाधन जुटाने के मद्देनजर केंद्रीय सरकार द्वारा 1998 में लागू की गई ।	निगमों द्वारा एनएसडीएफ में अंशदान की गई निधियों की धनराशि	
35	[5.4.1] मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत करना	सरकार ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान की स्थापना का निर्णय किया है । संस्थान का उद्देश्य भारतीय खेलों और खिलाड़ियों को उत्कृष्टता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ–साथ शरीर–विज्ञान, मनोविज्ञान,पोषण, जीव रसायन विज्ञान, जैव चिकित्सा, मानवमिति और औषधि जैसी अति आवश्यक खेल विधाओं को प्रोत्साहन देना होगा। व्यय वित्त समिति ने राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है ।	नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान एनआईएसएसएसएम की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता है ।	मंत्रिमंडल के अनुमोदन प्राप्ति के लिए जिस तिथि को नोट मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।	
36	[5.5.1] कोचों को उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया	अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाएं उच्च प्रतियोगिताएं हैं । अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों के प्रदर्शन को सुधारने में कोचों की भूमिका महत्वपूर्ण है । अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि भाखेप्रा के कोच और राज्यों के कोच भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के निर्देशचिन्हों के अनुसार अपनी कौशल विधाओं, पद्धतियों तथा तकनीकों को अपडेट करें । कोचों को विदेश अथार्त क्यूबा और हंगरी जैसे देश में प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जा रहा है ।	भाखेप्रा कोचों और राज्य कोचों को कोचिंग की नवीनतम पद्धतियों और तकनीकों की बराबरी करने के लिए विदेश में उच्च प्रशिक्षण के लिए भेजा गया ।	वर्ष के दौरान उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए भाखेप्रा और राज्य कोचों की संख्या	

खंड 4:
सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
37	[5.5.1] कोचों को उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया	अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाएं उच्च प्रतियोगिताएं हैं । अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों के प्रदर्शन को सुधारने में कोचों की भूमिका महत्वपूर्ण है । अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि भाखेप्रा के कोच और राज्यों के कोच भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के निर्देशचिन्हों के अनुसार अपनी कौशल विधाओं, पद्धतियों तथा तकनीकों को अपडेट करें । कोचों को विदेश अथार्त क्यूबा और हंगरी जैसे देश में प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जा रहा है ।	भाखेप्रा कोचों और राज्य कोचों को कोचिंग की नवीनतम पद्धतियों और तकनीकों की बराबरी करने के लिए विदेश में उच्च प्रशिक्षण के लिए भेजा गया ।	वर्ष के दौरान उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए भाखेप्रा और राज्य कोचों की संख्या	
38	[5.5.2] भाखेप्रा कोचों के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई	भाखेप्रा में कार्यरत कोचों के मूल्यांकन की नियमित तौर पर आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने आपकों कोचिंग की नवीनतम पद्धतियों और तकनीकों तथा विभिन्न खेल विधाओं की खेल स्पर्धाओं का संचालन करने वाले नवीनतम नियमों और विनियमों के समकक्ष रख रहे हैं ।	कोचों को देशभर में स्थित भाखेप्रा केंद्रों पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भाखेप्रा द्वारा नियुक्त किया जाता है ।	किस तारीख को भाखेप्रा कोचों के मूल्यांकन की रूपरेखा को तैयार और प्रस्तुत किया जाएगा ।	
39	[5.5.3] विदेशी कोचों की नियुक्ति	विशेष खेल विधाओं के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से विदेशी कोचों की नियुक्ति की जाती है ।	विदेशी कोचों की नियुक्ति की जाती है ताकि हमारे खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के निर्देशचिन्ह के अनुसार प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान की जा सके ।	वर्ष के दौरान विदेशी कोचों की नियुक्ति की संख्या	

खंड 4:

सफलता के सूचकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता का सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
40	[5.5.4] कोचों को एनआईएस, पटियाला द्वारा खेल कोचिंग डिप्लोमा दिया गया	खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योग्य कोचों की पर्याप्त संख्या आवश्यक है। जिन कोचों के पास एनआईएस से प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। वे ही राज्य सरकारों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा कोच के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं ।	एनआईएस, पटियालार विभिन्न खेल विधाओं में कोचिंग के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन करता है ।	वर्ष के दौरान एनआईएस, पटियाला से खेल कोचिंग डिप्लोमा प्राप्त कोचों की संख्या	
41	[5.6.1] ईएफसी दस्तावेज की प्रस्तुति	मंत्रालय ने देश में 'खेल प्रतिभा की खोज और पोषण' पर एक संकल्पना नोट तैयार किया है, जिसमें बेहतर कोचिंग के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों के उन्नत कौशल, खेल औषधियों पर अधिक निर्भरता, बेहतर सहायक सेवाओं, भारत और विदेश दोनों में उच्च मानक की प्रतियोगिताओं में बढ़ती हिस्सेदारी, मजबूत बेंच ताकत का विकास, खेल को लाभप्रद जीविका का विकल्प बनाने और खेल क्षेत्र में निवेश में वृद्धि के द्वारा खेल क्षेत्र में मौलिक कमजोरियों के बारे में बताया गया है ।	नई स्कीम में पायका स्कीम के तहत ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से युवा प्रतिभा को पहचानने और अगले 10 वर्षों में देश में जिला स्तर के खेल स्कूलों की स्थापना तथा देश में 25 उच्च प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है ।	किस तारीख को ईएफसी के समक्ष स्कीम प्रस्तुत की जाएगी ।	

खंड 5:
अन्य विभागों की विशिष्ट निष्पादन आवश्यकताए

अवस्थित का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	प्रासंगिक सफलता सूचक	इस संगठन से आपकी क्या आवश्यकता है ?	इस आवश्यकता का औचित्य	कृपया अपनी आवश्यकता संगठन को बताएं	यदि आपकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हुई तो क्या होगा?
केंद्रीय सरकार		मंत्रालय	वित्त मंत्रालय	सृजित/विकसित नए खेल क्षेत्रों की संख्या प्रशिक्षित रिहायशी खिलाड़ी प्रशिक्षित गैर – रिहायशी खिलाड़ी शिविर प्रशिक्षु	पर्याप्त निधियां	लक्ष्यों को पूरा करने में निधियां अपेक्षित हैं ।	खेल विभाग को वर्ष 2013–14 के दौरान 1000 करोड़ रु. की निधियां दी जाने की आवश्यकता है ।	लक्ष्यों को पूरा करने में कमी होगी ।
राज्य सरकार	सभी राज्य	लागू नहीं	सभी संगठन	[1.1.1] 31/03/2013 तक मंजूरीकृत पायका केन्द्रों के रूप में विकसित स्कूल/अन्य खेल मैदानों का पूरा होना [3.1.1] पायका के तहत आयोजित खे प्रतियोगिताओं में पुरुष भागीदार [3.2.1] पायका के तहत सीएसवी (क्रीड़ा श्रीओं) को प्रशिक्षित किया गया [3.3.1] पहली किस्त जारी की गई [3.3.2] परियोजनाएं पूरी की गई [3.4.1] पायका के तहत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में महिला भागीदार [3.54.2] पायका के तहत राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप के लिए आयोजित खेल प्रतियागिताओं में महिला भागीदार [3.6.1] पूर्वोत्तर खेलों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भागीदार [3.6.2] यूएसआईएस के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खेल अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा किया गया।	विगत वर्षों में मंजूर किए गए अनुदान के लिए पूरे किए गए प्रस्तावों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति	इन सफलता सूचकों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें अकेले जिम्मेदार हैं।	100 प्रतिशत	लक्ष्यों को पूरा करने में कमी होगी ।

खंड 6:
विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव	निष्कर्ष/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित विभाग/मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14	वित्तीय वर्ष 14/15	वित्तीय वर्ष 15/16
1. खेल अवसंरचना की बढ़ती उपलब्धता	वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारें	नए केंद्र विकसित किए गए	संख्या	4821	8976	6500	6000	6000
		खेल मैदानों की प्रतिशतता में बढ़ोतरी	%					
		अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का विकास किया गया	संख्या					
2. खेलों का लोकप्रिय होना	वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारें	मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत खेल प्रतियोगिताओं में युवा भागीदारों की संख्या	संख्या	3237599	4093792	3480000	3780000	3780000
3. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में प्रदर्शन सुधार	वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारें	मुख्य खेल स्पर्धाओं (ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई चैम्पियनशिप, और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप (सीनियर कैटेगरी) में पदकों की संख्या	संख्या					
4. खेलों में महिलाओं और निःशक्तजनों की बढ़ती भागीदारी	वित्त, योजना आयोग, राज्य सरकारें और निःशक्तजनों से डील कर रहे राष्ट्रीय खेल परिसंघ	मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत आयोजित की गई विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में महिला भागीदारों की संख्या	संख्या	1632240	2129192	1835000	2115000	2115000

खंड 6:
विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव	निष्कर्ष/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित विभाग/मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14	वित्तीय वर्ष 14/15	वित्तीय वर्ष 15/16
		मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत आयोजित की गई विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में निःशक्तजन भागीदारों की संख्या	संख्या	38651	41513	35000	35000	35000
5. खेल प्रशासन में पारदर्शिता में सुधार	भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल परिसंघ	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज प्रक्रिया के तहत कवर खेल परिसंघों की संख्या	संख्या					

अनुबंध

अनुबंध – I

संगठनात्मक चार्ट

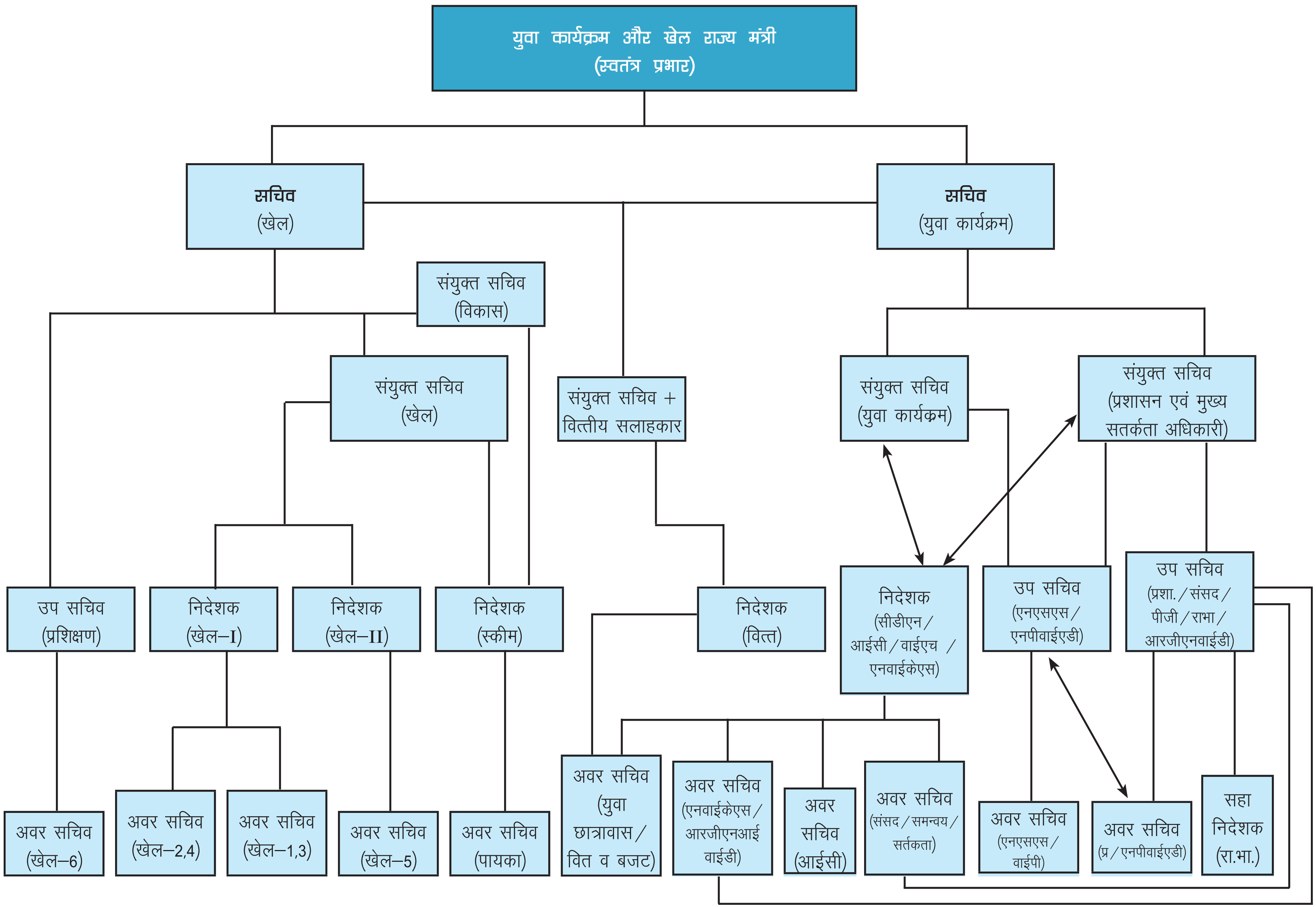

संकेताक्षर

+	–	(कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय के लिए संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार एक ही है)
आईसी	–	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
एनपीवाईएडी	–	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम
आईएसडी	–	अंतरराष्ट्रीय खेल प्रभाग
पायका	–	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान
सहा.	–	सहायक निदेशक
एनएसएस	–	राष्ट्रीय सेवा योजना
प्र.	–	प्रशासन
एनवाईकेएस	–	नेहरू युवा केंद्र संगठन
जेन	–	सामान्य
आरजीएनआईवाईडी	–	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
सत	–	सतर्कता
सम	–	समन्वय
पी जी	–	जन शिकायत
रा भा	–	राजभाषा

अनुबंध – II

वित्तीय परिव्यय 2014–15

बजट आकलन 2013–14 और संशोधित आकलन 2013–14 तथा बजट आकलन 2014–15 से संबंधित वित्तीय परिव्यय निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

बजट आकलन एवं संशोधित आकलन 2013–14 तथा बजट आकलन 2014–15 को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट आकलन 2013–14		संशोधित आकलन 2013–14		बजट आकलन 2014–15	
	खेल विभाग	योजना@	योजनेत्तर	योजना@	योजनेत्तर	योजना@	योजनेत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	**युवा कल्याणकारी स्कीम**						
(i)	सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	0.00	15.60	0.00	16.00	0.00	17.50
1	राष्ट्रीय सेवा योजना	75.50	8.36	75.50	8.19	75.50	8.36
2	नेहरू युवा केंद्र संगठन	106.38	32.10	106.38	28.54	125.00	31.59
3	राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
4	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	20.00	1.70	20.00	1.70	20.00	1.70
5	राष्ट्रीय युवा कोर (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्कीम)	52.62	0.00	52.62	0.00	33.00	0.00
6.	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम	23.00	0.00	23.00	0.00	24.00	0.00
7.	युवा छात्रावास	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
8.	स्काउटिंग एंड गाइडिंग	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
9.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	4.00	1.24	4.00	0.74	4.00	1.24
10.	युवा नेताओं के लिए कार्यक्रम					100.00	
11.	अन्य कार्यक्रम						0.42
	कुल (क) युवा कल्याणकारी स्कीम	**284.00**	**61.00**	**284.00**	**57.17**	**384.00**	**62.81**

@ – पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित

बजट आकलन एवं संशोधित आकलन 2013–14 तथा बजट आकलन 2014–15 को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट आकलन 2013–14		संशोधित आकलन 2013–14		बजट आकलन 2014–15	
	खेल विभाग	योजना@	योजनेत्तर	योजना@	योजनेत्तर	योजना@	योजनेत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
ख	**खेल और शारीरिक शिक्षा @:**						
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण	312.00	50.00	312.00	44.45	392.00	49.10
2.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय	40.00	11.70	40.00	10.40	40.00	11.46
3.	**खेल कार्यकलापों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन**						
3.1	पुरस्कार	0.00	1.62	0.00	1.56	0.00	1.62
3.2	मेधावी पेंशन (नया)राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को शामिल करते हुए विशेष नगद पुरस्कार	7.00	0.00	7.00	0.00	15.20	0.00
4.	**खेल उत्कृष्टता के संवर्धन में सहायता**						
4.1	राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता	160.00	0.00	160.00	0.00	185.00	0.00
4.2	खेलों में मानव संसाधन विकास (प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित पूर्ववर्ती स्कीम)	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
5.	निःशक्तजनों में खेलों का संवर्धन	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
6.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010 (साई स्टेडियम)	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
7.	राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	1.00
8.	एनसीसी / पब्लिक आवासीय स्कूलों को शारीरिक शिक्षा अनुदान	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.01
9.	डोप रोधी गतिविधियां	8.30	0.00	8.30	0.00	11.60	0.00
10.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
11.	राजीव गांधी खेल अभियान (पूर्ववर्ती पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

बजट आकलन एवं संशोधित आकलन 2013–14 तथा बजट आकलन 2014–15 को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट आकलन 2013–14		संशोधित आकलन 2013–14		बजट आकलन 2014–15	
	खेल विभाग	**योजना@**	**योजनेत्तर**	**योजना@**	**योजनेत्तर**	**योजना@**	**योजनेत्तर**
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (पूर्व नाम नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान)	50.00	0.00	50.00	0.00	40.00	0.00
13.	राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
14.	राष्ट्रीय कोचिंग शिक्षा संस्थान	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
15.	राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम/एलएनयूपीई, ग्वालियर में संसाधन केंद्र	1.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.00
16.	देश में खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण की स्कीम	5.60	0.00	5.60	0.00	1.00	0.00
17.	जम्मू–कश्मीर में खेल सुविधाओं की वृद्धि					200.00	
18.	पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय					100.00	.
19.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम					50.00	.
	कुल (ख) खेल और शारीरिक शिक्षा	809.00	64.72	809.00	57.31	1259.00	63.19
ग	**अन्य कार्यक्रम**						
1.	सेमीनार, समितियों, बैठकों आदि पर खर्च	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00
	कुल (ग) अन्य कार्यक्रम	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00
	कुल योग (क+ख+ग) :	**1093.00**	**126.00**	**1093.00**	**114.76**	**1643.00**	**126.00**

@ – पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित

अनुबंध – III

कैग के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा टिप्पणियों तथा कैग के लम्बित ऑडिट पैरा और उनपर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

कैग के लम्बित ऑडिट पैराओं और उसके संबंध में वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला विवरण ।

क्र.सं	रिपोर्ट संख्या और वर्ष	पैरा संख्या और अध्याय सं.	टिप्पणियों का संक्षिप्त विषय या सार	की गई कार्रवाई टिप्पणियों की वर्तमान स्थिति
1	2010–11 की 38	पैरा 9.1	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ने श्रीपेरम्बदूर, एक अवगीकृत शहर में स्थानांतरित होने के बाद भी अपने कर्मचारियों को चेन्नई दरों पर मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूरक भत्ता देना जारी रखा जिसके कारण 67.11 लाख रु. का अनियमित अतिरिक्त व्यय हुआ।	की गई कार्रवाई टिप्पणी नवम्बर 2012 में विधीक्षा के लिए ऑडिट को भेजी गई (वित्त मंत्रालय को पुनः मामला भेजने के बाद भी उस मंत्रालय ने अपने पूर्ववर्ती दृष्टिकोण को दोहराया है)।
2.	2011–12 का 6	अध्याय 17 और 18	वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुबंध में संलग्न ।	रिपोर्ट पर पीएसी से प्राप्त प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए गए और अधिकारियों को समय–समय पर मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया जा रहा है ।
3.	2013 की रिपोर्ट सं. 19	पैरा 16.1	**अनुदानों की अप्रभावी मानीटरी** मंत्रालय राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित अनुदानों को जारी किए जाने की मानीटरी प्रभावी रूप से करने में असफल रहा । इसके परिणामस्वरूप 17–26 महीने की अवधि के दौरान भाखेप्रा के पास 191.86 करोड़ रु. की निधियां जमा थीं। इसमें अनुदानों के उपयोग को अभिनियंत्रित करने वाली संस्वीकृतियों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ । इसके अतिरिक्त मंत्रालय भाखेप्रा को अनुवर्ती अनुदान जारी करने से पहले 22.12 करोड़ रु. के अव्ययित अनुदानों पर अर्जित ब्याज का परिकलन करने में भी असफल रहा ।	खेल विभाग से 20.6.2013 को यह अनुरोध किया गया है कि वह लक्ष्यों को सत्यापित करे और पैराओं के प्रारूप पर अपनी टिप्पणियां देने के बाद इसे आगे महानिदेशक, ऑडिट के कार्यालय (केंद्रीय व्यय)को भेजें।

अनुबंध – IV

युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा स्वयं संचालित किए जा रहे निर्मित युवा हॉस्टलों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मित युवा हॉस्टलों की सं.	युवा हॉस्टलों का स्थान
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	8	नागार्जुनसागर, सिकंदराबाद, तिरुपति, विजयवाड़ा , विशाखापतनम , विजयनगरम, वारंगल, कड़प्पा
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	नेहरलागुन
4.	असम	2	गुवाहटी, तेजपुर
5.	बिहार	1	पटना
6.	गोवा	2	पणजी, पेदम मापुशा
7.	गुजरात	1	गांधी नगर
8.	हरियाणा	7	भिवानी, गुड़गांव, कुरूक्षेत्र ,पंचकूला, रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर
9.	हिमाचल प्रदेश	1	डलहौजी
10.	जम्मू–कश्मीर	2	पेटिनटॉप (उधमपुर) श्रीनगर
11.	कर्नाटक	4	हसन, मैसूर, शुगलु, तीरथरामेश्वर
12.	केरल	3	कालीकट (कोझीकोड), कोच्ची, (इरनाकुलम), तिरुवन्नतपुरम
13.	मध्य प्रदेश	3	भोपाल, जबलपुर, खजुराहो
14.	महाराष्ट्र	1	औरंगाबाद
15.	मणिपुर	2	इम्फाल, चुराचांदपुर
16.	मेघालय	1	शिलांग
17.	मिजोरम	1	ऑइजवाल
18.	नागालैंड	1	दीमापुर
19.	ओडिशा	4	गोपालपुर–ऑन–सी, जोशीपुर, कोरापुट, पुरी
20.	पुडुचेरी	1	पुडुचेरी
21.	पंजाब	6	अमृतसर, जालंधर, पटियाला, रोपड़, संगरूर , तरनतारन
22.	राजस्थान	4	अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
23.	सिक्किम	1	गंगटौक
24.	तमिलनाडु	5	चेन्नई, मदूरई, ऊटी, थंजावुर , तिरची
25.	त्रिपुरा	1	अगरतला
26.	उत्तर प्रदेश	2	आगरा, लखनऊ
27.	उत्तराखंड	4	बद्रीनाथ, मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी
28.	पश्चिम बंगाल	1	दार्जिलिंग
	कुल:	71	

अनुबंध – V

नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)/भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)/संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित युवा हॉस्टलों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मित युवा हॉस्टलों की सं.	युवा हॉस्टलों का स्थान
1.	असम	2	गोलघाट, नॉगौन
2.	हिमाचल प्रदेश	1	बिलासपुर
3.	जम्मू–कश्मीर	1	नगरोता
4.	महाराष्ट्र	1	बुलडाना
5.	मणिपुर	1	उखरूल
6.	मेघालय	1	तुरा
7.	नागालैंड	1	मोकोकुचंग
8.	सिक्किम	1	नामची
9.	पश्चिम बंगाल	2	चुरूलिया , बरदवान
	कुल:	11	

अनुबंध – VI

निर्माणाधीन युवा हॉस्टलों की सूची (31.3.2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मित किए जा रहे युवा हॉस्टलों की सं.	युवा हॉस्टलों का स्थान
1.	अरूणाचल प्रदेश	1	रोइंग
2.	मणिपुर	1	थोबल
	कुल:	2	

अनुबंध – VII

2013–14 में विदेशी कोचों की नियुक्ति के संबंध में

क्र. सं.	खेलविधा	नाम और वेतन	देश	अवधि
1.	मुक्केबाजी	श्री बी.आई. फर्नांडीज यूएसडी 5000/–	क्यूबा	25–02–2011 से 30–09–2012
2.	निशानेबाजी (राइफलकोच)	श्री लैपिडस स्तानिस्लाव यूएसडी 6000/– प्र.मा.	कजाकिस्तान	14–10–2009 से 15–10–2014
3.	कुश्ती (फ्री स्टाइल)	श्री ब्लादिमीर मेस्टवीरिशवीलि यूएसडी 4500/– प्र.मा.	जार्जिया	28–04–2011 से 31–08–2012
4.	कुश्ती (ग्रीको रोमन)	श्री इमजार मखारदजे यूएसडी 3500/– प्र.मा.	जार्जिया	28–04–2011 से 31–08–2012
5.	कुश्ती (महिला पहलवान)	श्री रोइन डेबोरगनिडजे यूएसडी 3500/– प्र.मा	जार्जिया	28–04–2011 से 31–08–2012
6.	एथलेटिक्स (स्पिरिन्ट्स एवं बाधा)	श्री अन्तोली वर्दा यूएसडी 4950/–प्रतिमाह	यूक्रेन	06–06–2011 से 31–08–2012
7.	एथलेटिक्स (ऊंची कूद)	श्री लेवगेन निकितन यूएसडी 4950/–प्र.मा.	यूक्रेन	06–06–2011 से 31–08–2012
8.	बैडमिंटन	श्री एडविन इरिवान यूएसडी 3000/– प्र.मा	इन्डोनेशिया	10–04–2011 से 31–08–2012
9.	एथलेटिक्स (वाकिंग)	श्री आरतसेबसेवअलैक्जेंडर यूएसडी 4950/– प्र.मा.	रूस	17–06–2011 से 31–08–2012
10.	एथलेटिक्स (लंबी एवं तिहरी कूद)	श्री इवजेनीशिविली यूएसडी4950/–प्र.मा.	इटली	23–06–2011 से 31–08–2012
11.	बैडमिंटन	श्री दवीक्रीस्टीवान यूएसडी 3000/– प्र.मा.	इन्डोनेशिया	03–03–2012 से 15–10–2014
12.	टेनिस	श्री हेनरिकइकेरसुन्द यूएसडी 8000/–प्र.मा.	स्वीडन	02–04–2012 से 15–10–2014
13.	स्क्वैश	श्री सिंगरावेलू सुब्रामणियम यूएसडी 3500/– प्र.मा.	मलेशिया	01–11–2005 से 31–12–2010

क्र. सं.	खेलविधा	नाम और वेतन	देश	अवधि
14.	हॉकी (पुरूष)	श्री माइकल जैकनोब्स एयूडी 11,000/– प्र.मा.	आस्ट्रेलिया	24–10–2012 से 31–12–2014
15.	बास्केटबॉल (पुरूष)	श्री स्कॉट विलियम फ्लेमिंग यूएसडी 6000/–प्र.मा.	यूएसए	12–11–2012 से 30–11–2014
16.	हॉकी	श्री नील एंड्रयू हागुड एयूडी 9000/–प्र.मा.	आस्ट्रेलिया	01–12–2012 से 31–12–2014
17.	बैडमिंटन(डबल)	श्री हेंदरा मुलयानो 3000/– प्र.मा.	इन्डोनेशिया	10–01–2013 से 31–12–2014
18.	बैडमिंटन स्पेरिंग पार्टनर	श्री अंधिका अनहर यूएसडी 1200/–प्र.मा.	इन्डोनेशिया	10–01–2013 से 31–12–2014
19.	बैडमिंटन स्पेरिंग पार्टनर	श्री ब्रहमास्ताफनी धानु उतोमो यूएसडी 1200/– प्र.मा.	इन्डोनेशिया	10–01–2013 से 31–12–2014
20.	निशानेबाजी (ट्रैप एवं डबल ट्रैप)	श्री मारसेलो ड्राडी यूरो 550/–प्र.दिन	इटली	20–02–2013 से 31–08–2016
21.	निशानेबाजी (ट्रैप एवं डबल ट्रैप)	सुश्री डेल डिन डेनीला यूरो 350/– प्र.दिन	इटली	02–06–2013 से 31–08–2016
22.	याटिंग	श्री पीटर डेविड कनवे यूएसडी 6000/– प्र.मा.	इंग्लैंड	10–06–2013 से 31–08–2013
23.	हॉकी(जूनियर पुरूष)	श्री ग्रेग स्टेफन क्लार्क यूएसडी 10000/–प्र. मा.	दक्षिण अफ्रीका	11–06–2013 से 31–12–2013
24.	साईन्टिफिक सलाहकार (हॉकी महिला)	श्री मेथ्यू ट्रेडिया एयूडी 5000/– प्र.मा.	आस्ट्रेलिया	25–06–2013 से 31–10–2014
25.	साईन्टिफिक सलाहकार (हॉकी पुरूष)	श्री जेशन कोनरेथ एयूडी 5500/– प्र.मा.	आस्ट्रेलिया	25–06–2013 से 31–10–2014
26.	आर्चरी कोच (रिकर्व)	श्री चाई वूंग लिम	साउथ कोरिया	01–10–2013 से 31–08–2016
27.	साइनटिफिक सलाहकार (हॉकी जूनियर पुरूष)	श्री मेथ्यू डेविड आईल्स एयूडी 5500/– प्र.मा.	आस्ट्रेलिया	13–10–2013 से 31–08–2016

क्र. सं.	खेलविधा	नाम और वेतन	देश	अवधि
28	हॉकी चीफ कॉर्डिनेटर और हाई परफारमेंस डाईरेक्टर	श्री रिलेंड वुटर ऑल्टमेंट्स यूएसडी 15000/– प्र.मा.	नीदरलैंडस	24–10–2013 से 31–08–2016
29.	हॉकी (सीनियर पुरूष)	श्री टेरेन्स आर्थर वाल्स यूएसडी 12500/– प्र.मा.	आस्ट्रेलिया	21–10–2013 से 31–08–2016
30.	शूटिंग (स्कीट)	श्री एनियो फालको यूरो 500/–नेट प्रतिदिन	इटली	07–07–2013 से 31–08–2016
31.	शूटिंग (पिस्टल)	श्री स्मीनोव पावेल यूएसडी 7500/– प्र.मा.	रूस	30–09–2013 से 31–08–2016

अनुबंध – VIII

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को पिछले 4 वर्षों के दौरान जारी अनुदान का विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1	भारतीय एथलेटिक परिसंघ, नई दिल्ली	308.30	790.00	81.04	1014.36
2	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	42.10	606.00	143.27	1000.57
3	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नई	180.05	162.13	253.94	232.08
4	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	509.53	1440.00	561.47	466.52
5	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	256.64	11.29	34.11	228.74
6	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	62.33	425.00	108.52	2.50
7	भारतीयरोइंग परिसंघ, सिकंदराबाद	64.71	319.00	52.25	361.52
8	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	356.36	360.00	379.51	331.30
9	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	35.36	122.00	131.28	167.54
10	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नई	146.54	68.40	33.12	177.50
11	भारतीय एमेच्योर बाक्सिंग परिसंघ, नई दिल्ली	165.89	1531.00	238.71	1145.48
12	हाकी (पु0) एवं हाकी (महिला) विधाओं से संबंधित संगठन	435.76	1809.00	552.45	1268.19
13	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	116.53	567.00	229.35	530.22
14	भारतीय बैडमिंटन संघ	150.71	910.00	382.72	1106.35
15	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ , नई दिल्ली	0.00	0.00	23.37	27.45

(लाख रु. में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
16	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ–दिल्ली	610.51	174.99	288.14	1033.62
17	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	41.69	23.53	70.76	106.46
18	भारतीय कुश्ती परिसंघ, आईजी स्टेडियम, दिल्ली	153.98	983.00	692.04	1429.12
19	भारतीय याटिंग संघ, नई दिल्ली	85.95	255.00	51.66	142.74
20	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	10.00	121.00	11.44	73.99
21	भारतीय वालीबाल परिसंघ, चेन्नई	150.53	84.68	153.38	310.65
22	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर	18.43	636.00	0.00	119.26
23	भारतीय एमेच्योर हैण्डबाल परिसंघ, जम्मू व कश्मीर	46.44	78.70	46.33	146.17
24	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	24.24	227.89	40.23	227.62
25	भारतीय फेंसिंग संघ, पटियाला	174.06	36.06	9.00	0.00
26	भारतीय कयाकिंग व केनोंइंग संघ, नई दिल्ली	0.00	185.72	64.64	182.27
27	बधिरों हेतु अखिल भारतीय खेल परिषद, नई दिल्ली	47.65	75.82	63.20	87.49
28	भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, बंगलौर	221.39	13.38	175.46	143.40
29	विशेष ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	12.00	285.89	364.00	274.51
30	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	23.77	10.96	7.83	52.80
31	अखिल भारतीय कराटे डू परिसंघ, चेन्नई	10.18	0.00	0.00	0.00

(लाख रु. में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
32	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ, नई दिल्ली	14.75	12.75	9.75	11.75
33	भारतीय आत्या–पात्या परिसंघ, नागपुर	12.00	10.50	13.50	14.00
34	भारतीय साइकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	7.76	12.00	17.55	27.51
35	भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
36	भारतीय पावरलिफ्टिंग परिसंघ	0.00	0.00	3.50	10.25
37	भारतीय खो–खो परिसंघ, कोलाकाता	7.50	16.50	16.50	3.0
38	भारतीय कोर्फबाल परिसंघ, नई दिल्ली	5.50	2.50	0.00	0.00
39	भारतीय नेटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	65.00
40	भारतीय सेपक टाकरा परिसंघ, नागपुर	12.00	12.00	12.00	64.60
41	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ, नई दिल्ली	12.00	12.00	9.00	10.00
42	भारतीय साफ्टबाल परिसंघ, इंदौर	13.75	11.75	21.00	15.00
43	भारतीय ताइक्वांडों परिसंघ, बंगलौर	55.10	490.00	28.05	332.13
44	भारतीय टेनीक्वाइट परिसंघ, बंगलौर	19.75	15.25	14.00	15.69
45	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर,	9.00	8.50	0.00	28.50
46	भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली	16.00	11.25	9.25	10.75
47	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	0.00	90.56	75.28	158.60

(लाख रु. में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
48	भारतीय बिलियडर्स एवं स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	50.11	50.20	88.98	164.80
49	भारतीय रग्बी फुटबाल यूनियन, मुम्बई	1.41	0.00	0.00	0.00
50	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	2.96
51	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ, दिल्ली	82.34	0.00	58.34	309.82
52	भारतीय मलखंभ परिसंघ	11.50	0.00	0.00	0.00
53	भारतीय एमेच्योर साफ्ट टेनिस परिसंघ, अहमदाबाद	14.75	11.75	12.22	17.50
54	भारतीय ब्रिज परिसंघ	0.00	0.00	4.50	5.22
55	आइस हॉकी (एनएसपीओ), नई दिल्ली	0.00	0.00	1.00	0.50
56	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ, भोपाल	5.20	0.00	6.14	61.52
57	भारतीय ओलंपिक संघ, नई दिल्ली	1324.60	39.54	284.44	0.00
58	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एनएसपीओ)	381.00	160.89	8.09	186.01
59	भारतीय टेनपिन परिसंघ	55.10	0.00	0.00	0.00
60	भारतीय बालिंग परिसंघ	64.27	0.00	0.00	0.00
61	बाल बैडमिंटन फेडरेशन आफ इंडिया	0.00	0.00	18.69	13.25
62	जम्प रोप फेडरेशन आफ इंडिया	0.00	0.00	8.09	9.50
63	जवाहर लाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसायटी	0.00	0.00	12.75	8.86
64	सुब्रतो कप फुटबाल टूर्नामेंट सोसायटी	0.00	0.00	0.00	7.50
65	भारतीय रोल बाल परिसंघ	0.00	0.00	0.00	4.51

अनुबंध – IX

राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) से प्रदत्त सहायता का विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	किस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु.)
2001-2002			
1	श्रीअभिनव बिन्द्रा,निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	10,00,000
		कुल	**10,00,000**
2002-2003			
1	श्रीअभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,00,000
2	अनिल कुमार, एथलीट	––वही–	5,00,000
3	सुश्री बॉबी एलोयसियस , एथलीट	––वही–	7,50,000
		कुल	**17,50,000**
2003-2004			
1	सुश्री अंजु बाबी जॉर्ज, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	14,91,505
2	ले.कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर,निशानेबाज	––वही–	78,23,496
3	श्रीअभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	––वही–	1,90,000
4	सुश्री बॉबी एलोयसियस, एथलीट	––वही–	18,67,531
5	श्री अनिल कुमार, एथलीट	––वही–	8,37,794
		कुल	**1,22,10,326**
2004-2005			
1	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	13,28,108
2	श्री मानवजीत सिंह संधु , निशानेबाज	––वही–	7,99,390
3	श्री अनवर सुलतान, निशानेबाज	––वही–	5,17,573
4	श्री गगन नारंग , निशानेबाज	––वही–	5,90,549
5	सुश्री सुमा सिरूर , निशानेबाज	––वही–	2,73,213
6	श्रीअभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	––वही–	13,42,506
7	सुश्री बॉबी एलोसिएयस , एथलीट	––वही–	7,94,071
8	ले.कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर,निशानेबाज	––वही–	5,89,932
		कुल	**62,35,342**

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	किस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु.)
	2005-2006		
1	श्री गगन नारंग,निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	1,92,422
2	ले.कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर,निशानेबाज	––वही–	32,94,077
3	श्री अनवर सुलतान, निशानेबाज	––वही–	1,27,301
4	श्री मानवजीत सिंह संधु , निशानेबाज	––वही–	1,28,032
5	सुश्री अंजु बाबी जॉर्ज, एथलीट	––वही–	71,154
6	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	––वही–	1,00,662
7	श्री मोराद अली खान , निशानेबाज	––वही–	9,00,000
8	रूरल डिवलोमेंट फॉउनडेशन	तीरंदाजी उपस्कर की खरीद के लिए	6,03,493
		कुल	**54,17,141**
	2006-2007		
1	श्री मानवजीत सिंह संधु , निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	21,62,425
2	श्री मनशेरसिंह, निशानेबाज	––वही–	8,35,041
3	श्री रोंजन सोढ़ी, निशानेबाज	––वही–	13,18,013
4	श्री अनवर सुलतान , निशानेबाज	––वही–	8,32,471
5	श्रीअभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	––वही–	37,02,661
6	श्री परिमार्जन नेगी , शतरंज खिलाड़ी	––वही–	7,59,463
		कुल	**96,10,074**
	2007-2008		
1	श्री मानवजीत सिंह संधु , निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	18,73,932
2	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	–वही–	16,32,578
3	श्री अनवर सुलतान, निशानेबाज	–वही–	4,32,887
4	सुश्री सुमा सिरूर, निशानेबाज	–वही–	5,86,124
5	श्री विक्रम भटनागर, निशानेबाज	–वही–	8,78,154
6	ले. कर्नल राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाज	–वही–	6,87,124
7	श्री परिमार्जन नेगी , शतरंज खिलाड़ी	–वही–	13,91,176
8	श्री रोंजन सोढ़ी , निशानेबाज	–वही–	14,32,028
9	भारतीय खेल प्राधिकरण	स्ट्रॉग रूम के निर्माण के लिए	37,50,000 (परियोजना बंद होने के बाद वापस की गई राशि)
10	भारतीय खेल प्राधिकरण	क्यूबा शिष्टमंडल के दौरे से संबंधित व्यय	3,08,774

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	किस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु.)
11	एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी	बैंकाक में विश्व के विश्वविद्यालयी खेलों में भारतीय विश्वविद्यालयी दलों की भागीदारी	30,68,993
12	नेशनल इंफोरमेशन सेंटर सर्विसेज आईएनसी	खेल सॉफ्टवेयर का विकास	4,00,000
13	श्री विरधावल खड़े, तैराकी	प्रशिक्षण के लिए	3,20,590
14	श्री जोरावर सिंह संधु , निशानेबाज	प्रशिक्षण के लिए	3,94890
15	श्री अभिनव बिंद्रा , निशानेबाज	प्रशिक्षण के लिए	6,01,248
		कुल	**1,77,58,498**
	2008.2009		
1-5	सुश्री अवनीत कौर सुश्री अंजली भागवत श्री गगन नारंग श्री संजीव राजपूत श्री सुमरेश जंग (सभीनिशानेबाज) (इनके कोच सहित)	प्रशिक्षण के लिए	57,95,494
6	सुमा सिरूर , निशानेबाज	–वही–	2,90,027
7	श्री अनवर सुलतान , निशानेबाज	–वही–	1,43,165
8	श्री विक्रम भटनागर , निशानेबाज	–वही–	1,09,002
9	श्री जोरावर सिंह संधु , निशानेबाज	–वही–	6,00,928
10	सुश्री तानिया सचदेव, शतरंज खिलाड़ी	–वही–	4,63,599
11	श्री मानवजीत सिंह संधु , निशानेबाज	–वही–	43,75,418
12	श्री मनशेर सिंह , निशानेबाज	–वही–	48,40,220
13	श्रीरोंजन सोढ़ी , निशानेबाज	–वही–	43,36,584
14	श्री अभिनव बिंद्रा , निशानेबाज	–वही–	9,81,229
15	श्री परिमार्जन नेगी, शतरंज खिलाड़ी	–वही–	10,93,237
16	श्री विरधावल खड़े , तैराकी	–वही–	10,30,656
17	श्री संदीप सेजवाल, तैराकी	–वही–	3,44,045
18	श्री अनूप श्रीधर, बैडमिंटन	–वही–	5,16,195
19	श्री नरेश कुमार शर्मा,निशानेबाज	–वही–	28,12,904
20	रोइंग फेडरेशन आफ इंडिया	–वही–	12,78,081
21	जूडो फेडरेशन आफ इंडिया	–वही–	4,45,744
22	आल इंडिया टेनिस एसोसिएशन	–वही–	दी गई 29,14,560 की सहायता में से 14,22,160/– रु. की वापसी की गई राशि

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	किस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु.)
23	इंडियन एमेच्योर मुक्केबाजी फेडरेशन	–वही–	11,64,158
24	प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की घरेलू हवाई यात्रा का व्यय	घरेलू हवाई यात्रा पर व्यय	1,03,888
25	मेलबोर्न ओलंपिक 1956 की भारतीय फुटबाल टीम के 9 सदस्यों का अभिनन्दन	अभिनन्दन	16,31,691
26	नेशनल इंफोरमेटिक्स सेंटर	खेल सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण के लिए	1,50,000
		कुल	**3,54,20,825**
	2009.2010		
1	श्री अनिल कुमार, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण के लिए	6,40,977
2	श्री परिमार्जन नेगी, शतरंज खिलाड़ी	–वही–	16,85,418
3	सुश्री तानिया सचदेव, शतरंज खिलाड़ी	–वही–	6,73,869
4	श्री अभिनव बिंद्रा , निशानेबाज	–वही–	90,54,728
5	सुश्री अंजली भागवत , निशानेबाज	–वही–	90,177
6	सुश्री अवनीत कौर , निशानेबाज	–वही–	1,26,277
7	श्रीगगन नारंग , निशानेबाज	–वही–	1,16,973
8	श्री संजीव राजपूत , निशानेबाज	–वही–	1,17,511
9	श्री सुमरेस जंग , निशानेबाज	–वही–	64,801
10	श्री मानवजीत सिंह संधु,निशानेबाज	–वही–	54,19,244
11	श्री मनशेर सिंह , निशानेबाज	–वही–	34,50,038
12	श्रीरोंजन सोढ़ी , निशानेबाज	–वही–	47,20,986
13	श्री नरेश कुमार शर्मा,निशानेबाज	–वही–	16,36,489
14	शिवा केशवन केपी, विंटर गेम्स	–वही–	47,20,986
15	श्री जमयंग नमगियाल विंटर गेम्स	–वही–	8,69,322
16	श्री ताशी लुंडुप, विंटर गेम्स	–वही–	7,56,805
17	श्री अनूप श्रीधर , बैडमिंटन	–वही–	73,808
18	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी	10 संबद्ध कॉलेजों में खेल सुविधाओं को उपलब्ध कराना	1,36,00,000
19	नेशनल प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन आफ इंडिया (एपीएफएआई)	एनपीएफएआई के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक राशि के रूप में	50,00,000
20	अटल बिहारी वाजपेई इंस्टीट्यूट आफ माउंटेनरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट, मनाली (हिमाचल प्रदेश)	अल्पाइन/ग्रास स्किइंग में प्रशिक्षण/प्रतियोगिता के लिए स्किइंग उपस्करों की खरीद	75,00,000

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	किस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु.)
21	डिस्ट्रिक स्पोर्टस कॉउन्सिल कुरूक्षेत्र	महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल के निर्माण के लिए	37,50,000
22	डिप्टी कमीश्नर ,लेह	नुब्रा वैली, लदाख में एक पोलो टूर्नामेंट का संचालन	75,000 (कार्यक्रमरद्द होने के कारण वापस की गई राशि)
23	रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया	ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप में	75,101
24	जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया	ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप में	12,690
25	नेशनल इंफोरमेटिक्स सेंटर	खेल सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण के लिए	2,07,250
26	नेशनल वूमेन हॉकी प्लेयर	प्रोत्साहन के रूप में धनराशि	90,20,000
		कुल	**7,03,61,472**
	2010.2011		
1	श्री परिमार्जन नेगी, शतरंज खिलाड़ी	प्रशिक्षण के लिए	5,05,208
2	श्री अभिनव बिंद्रा , निशानेबाज	–वही–	63,79,820
3	श्री मानवजीत सिंह संधु , निशानेबाज	–वही–	61,48,666
4	श्री मनशेर सिंह,निशानेबाज	–वही–	39,73,507
5	श्रीरोंजन सोढ़ी , निशानेबाज	–वही–	59,78,644
6	श्री सोमदेव देववर्मन , टेनिस	–वही–	6,19,005
7	लियंडर पेस , टेनिस	–वही–	22,08,675
8	बलजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी	चिकित्सीय व्यय	33,08,301
9	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी	खेल अवसंरचना	45,40,000
10	कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया	ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप में	2,91,133
11	चाइल्डलिंक इंडिया फॉउन्डेशन (मैजिक बस)	खेलों पर राष्ट्रीय विकास बैठक के प्रथम सम्मेलन 2010 के लिए स्थल शुल्क	1,164,400
12	तंगखुल नागा सोसाइटी	नई दिल्ली में चौथा उत्तरपूर्व टमचोन फुटबॉल टूर्नामेंट का संचालन करना	3,00,000

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	किस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु.)
13	जिला युवा सेवाएं और खेल (लाहुल और स्पीति)	काजा(स्पीति) में आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण	3,11,090
14	एनएस एनआईएस, पटियाला (भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से)	हॉकी एरिना के विकास के लिए	96,82,000
15	नेशनल प्लेइंग फील्डस एसोसिएशन ऑफ इंडिया	एनडीएमसी क्षेत्र में 78 खेल के मैदानों के विकास के लिए	1,92,00,000
16	इंटरनेशल पैरालंपिक कमेटी	न्यूजीलैंड में पैरालंपिक प्रतियोगिता में 5 एथलीटों को भाग लेना	14,07,815
		कुल	**6,49,70,264**
	2011.2012		
1	अनिल कुमर , एथलीट	प्रशिक्षण के लिए	2,26,984
2	अनूप श्रीधर, बैडमिंटन खिलाड़ी	–वही–	38,515
3	परिमार्जन नेगी, शतरंज खिलाड़ी	–वही–	10,95,234
4	तानिया सचदेव, शतरंज खिलाड़ी	–वही–	3,168
5	अभिनव बिंद्रा,निशानेबाज	–वही–	72,88,274
6	मानवजीत सिंह संधु,निशानेबाज	–वही–	48,07,475
7	मनशेर सिंह , निशानेबाज ,	–वही–	19,47,758
8	रोंजन सोढ़ी , निशानेबाज	–वही–	48,31,041
9	सोमदेव देववर्मन, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	33,30,592
10	ओम प्रकाश सिंह काराहन, एथलीट	–वही–	40,78,692
11	कृष्णा पुनिया , एथलीट	–वही–	31,07,509
12	विकास गौड़ा , एथलीट	–वही–	25,84,596
13	लिएंडर पेस, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	8,25,581
14	महेश भूपति, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	15,67,565
15	सानिया मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	10,94,807
16	रोहन बोपन्ना , टेनिस खिलाड़ी	–वही–	17,38,315
17	यूकी भाम्बरी , टेनिस खिलाड़ी	–वही–	7,13,678
18	मायूखा जॉनी , एथलीट	–वही–	17,19,647
19	4 एथलीट (प्रीजा श्रीधरन, कवीता राउत, ओ.पी.जयसा, सुधा सिंह)	–वही–	22,27,724
20	9 जिम्नास्ट (4पुरूष और 5 महिलाएं)	–वही–	दी गई 89,91,000 की सहायता राशि में से 39,55,246/– रु. की वापसी की गई राशि

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	किस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु.)
21	जोरावर सिंह संधु , निशानेबाज	–वही–	64,620
22	शगुन चौधरी , निशानेबाज	–वही–	7,79,740
23	सनम सिंह, टैनिस खिलाड़ी	–वही–	5,43,329
24	शिवा केशवन के. पी., ल्यूज (शीतकालीन खेल)	–वही–	2,69,384
25	उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स (भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से)	एथलेटिक ट्रैक का निर्माण करने के लिए	4,92,00,000
26	इंडियनएमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन	भारतीय मुक्केबाजी दल के इंडोनेशिया और कजाकिस्तान में प्रतियोगता में भाग लेने के लिए हवाई किराए और अन्य व्यय	23,39,976
27	रूरल डेवलपमेंट फॉउनडेशन	आरचरी उपस्करों की खरीद–अंतिम समझौता	31,302
28	अटल बिहारी वाजपेई इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एण्ड एलाइड स्पोर्ट मनाली	प्रशिक्षण / प्रतियोगिता प्रयोजन के लिए विभिन्न श्रेणियों के स्कीइंग सैटस की खरीद– अंतिम समझौता	24,99,646
29	तंगखुल नागा सोसाइटी	नई दिल्ली में चौथा उत्तरपूर्व टमचोन फुटबॉल टूर्नामेंट का संचालन करना	5,00,000
30	जम्मू–कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन	श्रीनगर,जम्मू–कश्मीर में ओलंपिक डे रन आयोजित करने के लिए	3,91,390
31	श्रीमंत माधव राव सिंधियां मेमोरियल उबधव संस्कृत एवं क्रीडा संस्थान	कैलाशवासी श्रीमंत माधव राव सिंधियां मेमोरियल उबधव मैराथन को आयोजित करने के लिए	2,00,000
32	डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट	डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट के 104वें सत्र को आयोजित करना	25,00,000
33	मुम्बई सहारा कबड्डी एसोसिएशन	राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता को आयोजित करना	18,75,000
		कुल	**11,34,12,542**

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	किस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु.)
2012.2013			
1	ओम प्रकाश सिंह कराहाना, एथलीट	प्रशिक्षण के लिए	19,18,195
2	कृष्णा पुनिया , एथलीट	–वही–	42,52,909
3	विकास गौड़ा , एथलीट	–वही–	28,80,054
4	मायूखा जॉनी , एथलीट	–वही–	16,67,980
5	4 एथलीट (प्रीजा श्रीधरन, कवीता राउत, ओ.पी.जयसा, सुधा सिंह)	–वही–	50,08,769
6	एमसी मैरी कॉम (साई के माध्यम से)	–वही–	34,18,326
7	अभिजीत गुप्ता, शतरंज खिलाड़ी	–वही–	3,96,187
8	परिमार्जन नेगी , शतरंज खिलाड़ी	–वही–	7,47,052
9	ले. कर्नल राजेश पट्टू, घुड़सवार	–वही–	12,15,076
10	अभिनव बिंद्रा, निशानेबाज	–वही–	59,53,457
11	मानवजीत सिंह संधु , निशानेबाज	–वही–	94,62,253
12	रोंजन सोढ़ी , निशानेबाज	–वही–	91,92,818
13	संजीव राजपूत , निशानेबाज	–वही–	11,07,484
14	संगम चौधरी , निशानेबाज	–वही–	48,66,206
15	जोयदीप कर्माकर , निशानेबाज	–वही–	22,31,872
16	हीना सिंद्धू , निशानेबाज	–वही–	11,13,537
17	नरेश कुमार शर्मा , निशानेबाज (पैरालंपिक)	–वही–	39,95,576
18	दीपिका पल्लीकल, स्क्वैश	–वही–	7,29,895
19	लिंयडर पेस, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	36,64,590
20	महेश भूपति, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	25,17,573
21	सानियां मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	23,72,617
22	युकी भाम्बरी , टेनिस खिलाड़ी	–वही–	12,03,293
23	सनम सिंह , टेनिस खिलाड़ी	–वही–	4,35,251
24	जे विष्णुवर्धन, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	9,77,303
25	करन रस्तोगी , टेनिस खिलाड़ी	–वही–	6,47,486
26	शिवा केशवन केपी, ल्यूज (शीतकालीन खेल)	–वही–	2,25,000

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	किस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु.)
27	एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी	विश्वविश्वविद्यालयी खेल 2007 में भागीदारी और एसोसिएशन का अंतिम निपटान	1,01,911
28	बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया	अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का संचालन करना	15,00,000
29	जिला युवा सेवाएं और खेल (लाहुल और स्पीति)	काजा(स्पीति) में आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण	1,03,410
30	जम्मू–कश्मीरखेल परिषद	जम्मू में इंडोर खेल परिसर	4,50,00,000
31	श्रीमंत माधव राव सिंधियां मेमोरियल उबधव संस्कृत एवं क्रीडा संस्थान	कैलाशवासी श्रीमंत माधव राव सिंधियां मेमोरियल उबधव मैराथन को आयोजित करने के लिए	4,37,500
32	सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्टस एजुकेशन सोसाइटी	फुटबॉल टूर्नामेंट का संचालन	20,00,000
33	विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, नई दिल्ली	फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करना	7,50,000
34	क्रिकेट एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड इन इंडिया	नेत्रहीनों के लिए टी–20 विश्वकप को आयोजित करने के लिए	10,00,000
		कुल	**12,31,20,580**
		2013.14	
1	श्रीअभिजीत गुप्ता , शतरंज खिलाड़ी	प्रशिक्षण के लिए	1,63,784
2	ले. कर्नल राजेश पट्टू , घुड़सवार	–वही–	9,67,876
3	श्रीरोंजन सोढ़ी , निशानेबाज	–वही–	83,26,634
4	श्री मानवजीत सिंह संधु , निशानेबाज	–वही–	82,74,835
5	शगुन चौधरी , निशानेबाज	–वही–	37,91,380
6	दीपिकापल्लीकल , स्क्वैश	–वही–	7,01,775
7	श्री शिवा केशवन केपी ,शीतकालीन खेल	–वही–	10,82,228
8	श्री अभिनव बिंद्रा, निशानेबाज	–वही–	26,07,664
9	श्रीपरिमार्जन नेगी , शतरंज खिलाड़ी	–वही–	8,00,807
10	ओम प्रकाश सिंह करहाना ,एथलेटिक्स	–वही–	30,168
11	विकास गौड़ा , एथलेटिक्स	–वही–	11,80,961
12	वसंतदादा एसएसएस कारखाना लि., सांगली	महाराष्ट्र में कुश्ती अकादमी का नवीकरण और उन्नयन	67,90,000

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	किस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु.)
13	सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्टस एजुकेशन सोसाइटी	सुब्रतो कप टूर्नामेंट का आयोजन	11,50,000
14	भारतमें नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट एसोसिएशन	नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट विश्वकप टी–20 का आयोजन	10,00,000
15	गुंटूर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन	राष्ट्रीय युवा (अंडर–18) एथलेटिक चैम्पियनशिप का आयोजन	10,00,000
16	क्यूबा सरकार	कृत्रिम हॉकी टर्फ के लिए	6,34,00,000
17	सेपकतकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया	आईएसटीएएफ वल्ड सुपर सीरिजी की मेजबानी	10,00,000
18	मैरी कॉम रिजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन	जिम्नेजियम हाल के निर्माण और जिम उपकरण की खरीद/संस्थापन	2,08,02,000
19	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी	"एक कॉलेज एक खेल परियोजना" के तहत विश्वविद्यालय से संबद्ध 10 कॉलेजों में खेल अवसंरचना का सृजन	42,00,436
20	तंगखुल नागा सोसाइटी	7वीं पूर्वोत्तर तमोचन फुटबाल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए	4,00,000
21	विंटर ओलंपिक्स गेम्स फेडरेशन	खेल उपस्करों की खरीद के लिए	9,46,800
22	जे एंड के स्पोर्टस काउंसिल	एक बहुउद्देशीय हाल का निर्माण	2,50,00,000
		कुल	15,36,17,348

अनुबंध – X

राष्ट्रीय खेल विकास निधि को अंशदान

वर्ष	स्रोत का नाम जहां से निधियां प्राप्त की गई (डोनर का नाम)	दान की गई राशि (रु.)	समतुल्य सरकारी अनुदान (रु.)
1998–99	–	–	2,00,00,000 (प्रारंभिक राशि)
	कुल (1998–99)	**–**	
1999–2000	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पावर कारपोरेशन लि.	5,00,000	11,60,000
	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5,00,000	
	मै. बामर लारी एंड कंपनी लि.	1,00,000	
	पंजाब नेशनल बैंक	50,000	
	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	10,000	
	कुल (1999–2000)	**11,60,000**	
2000–01	नापथा झाकरी पावर कारपोरेशन लि.	2,00,000	1,25,00,000
	पावर फाइनेंस कारपोरेशन	2,00,000	
	कुछ वर्ष पूर्व श्री कपिल देव द्वारा अंशदान किंतु खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कल्याण कोष में अप्रयुक्त रहा, श्री कपिल देव की सहमति से एनएसडीएफ को ब्याज सहित हस्तांतरित ।	1,21,00,000	
	कुल (2000–2001)	**1,25,00,000**	
2001–02	हडको	25,00,000	25,00,000
	कुल (2001–2002)	**25,00,000**	
2002–03	–	–	
	कुल (2002–2003)	**–**	
2003–04	पंजाब नेशनल बैंक	5,00,000	19,46,050
	एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आफ इंडिया	5,00,000	
	बैंक आफ इंडिया	50,000	
	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन	1,00,000	
	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन आफ इंडिया	20,000	
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	25,000	

वर्ष	स्रोत का नाम जहां से निधियां प्राप्त की गई (डोनर का नाम)	दान की गई राशि (रु.)	समतुल्य सरकारी अनुदान (रु.)
	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	25,000	
	यूनियनबैंक आफ इंडिया	1,00,000	
	भारतीय स्टेट बैंक	5,00,000	
	सेंट्रलबैंक आफ इंडिया	1,25,000	
	श्री के एस राणा	300	
	श्री के पी कन्हैया	250	
	श्री एस के गुप्ता	500	
	कुल (2003–2004)	**19,46,050**	
2004–05	पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	5,00,000	19,83,599
	विडियोकॉन इंटरनेशनल लि.	1,20,000	
	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	20,000	
	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,00,000	
	पुज्जोलन मशीनरी फैब्रिकेटर्स	4,00,000	
	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से प्राप्त धनराशि	6,43,649	
	कुल (2004–2005)	**19,83,649**	
2005–06	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	25,00,000	28,79,027
	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से प्राप्त धन राशि	3,78,352	
	कुल (2005–2006)	**28,78,352**	
2006–07	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से प्राप्त धन राशि	84,219	
	कुल (2006–2007)	**84,219**	
2007–08	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.	1,00,00,000	5,00,00,000
	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड	15,00,00,000	
	कुल (2007–2008)	**16,00,00,000**	
2008–09	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड	35,00,00,000	10,25,00,000
	कुल (2008–2009)	**35,00,00,000**	
2009–10	आरएआई फाउंडेशन	10,00,000	8,12,00,000
	मध्य प्रदेश राज्य सरकार	1,00,00,000	
	हरियाणा राज्य सरकार	1,00,00,000	
	कुल (2009–2010)	**2,10,00,000**	

वर्ष	स्रोत का नाम जहां से निधियां प्राप्त की गई (डोनर का नाम)	दान की गई राशि (रु.)	समतुल्य सरकारी अनुदान (रु.)
2010–11	–	–	20,00,00,000
	कुल (2010–11)	**–**	
2011–12	महाराष्ट्र राज्य सरकार	1,00,00,000	
	जेपी स्पोर्टस इंटरनेशनल लि.	10,00,00,000	
	कुल (2011–12)	**11,00,00,000**	
2012–13	जेपी स्पोर्टस इंटरनेशनल लि.	10,00,00,000	5,00,00,000
	कुल (2012–13)	**10,00,00,000**	
		10,00,00,000	5,00,00,000
2013–14	**10,00,00,000**		
	कुल योग	**86,40,52,270**	**57,66,68,676**

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
नई दिल्ली